लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खंड ३२, १९५९/१८८१ (शक)

[३ से १४ अगस्त १९५९/१२ से २३ श्रावण १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

आठवां सत्र, १९५९/१८८१ (शक)

(खण्ड ३२ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला—खण्ड ३२—अंक १ से १०—३ अगस्त १९५९/१२ श्रावण, १८८१ (शक) से १४ अगस्त, १९५९/२३ श्रावण, १८८१ (शक)]

अंक १—सोमवार, ३ अगस्त, १९५९/१२ श्रावण, १८८१ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या १ से ३, ४५, ४, ५, ७ से १२, ४३ और १३ से १५	२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	२६—४२
तारांकित प्रश्न संख्या ६, १६ से ४२, ४४, ४६ और ४७ . .	
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ४७ और ४९ से ७५ . .	४२—७३
निधन सम्बन्धी उल्लेख—	
स्थगन प्रस्ताव—	
१. केरल	७४—७५
२. चीनी का संभरण . . .	७६—७७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७७—८३, ९०
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	८३
संसदीय समितियां—कार्य सारांश	८३
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	८४
भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	८४
भारत का राज्य बैंक (संशोधन)—विधेयक संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	८४
विधेयकों पर साक्ष्य	८४
तारांकित प्रश्न संख्या १९४५ के उत्तर की शुद्धि	८४—८५
भारत पाक नहरी पानी विवाद के बारे में वक्तव्य	८५—८७
समिति के लिये निर्वाचन—	
लाभ पद सम्बन्धी समिति	८७—८८
समवाय (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति के प्रतिवदन क उपस्थापन के लिये समय बढ़ाया जाना	८८—८९
शस्त्र विधेयक—संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय बढ़ाया जाना	८९

पृष्ठ

विधेयक पुरस्थापित—

(१) राजस्थान तथा मध्य प्रदेश (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक ८९

(२) वक्फ़ (संशोधन) विधेयक ९०

(३) सार्वजनिक वक्फ़ (अवधि का विस्तार) संशोधन विधेयक ९०

सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक ९१—११८

विचार करने का प्रस्ताव ९१—११७

खण्ड १ से १३ ११७–१८

पारित करने का प्रस्ताव ११८

काम दिलाऊ दफतर (रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ११८—२६

कार्य मंत्रणा समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन १२६

दैनिक संक्षेपिका १२७—३६

अंक २—मंगलवार, ४ अगस्त, १९५९।१३ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ४८ से ६० , ६२, ६३ . . . १३७—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६१, ६४ से १०३ . . . १६१—८२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६ से १५८ . . . . १८२—२१२

प्रश्नों के उत्तरों में शुद्धि २१९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २१९—२३

तारांकित प्रश्न संख्या १७७० के उत्तर की शुद्धि २२३–२४

रेलवे महाखण्डों के लिये मंत्रणादाता समितियों के बारे में वक्तव्य २२४

कार्य मंत्रणा समिति—

उनतालीसवां प्रतिवेदन २२५

काम दिलाऊ दफ्तर (रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना) विधेयक २२६—४२

विचार करने का प्रस्ताव—

खण्ड २ से १० और १ २३५—४२

पारित करने का प्रस्ताव २४२

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक २४२—६५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव—

दैनिक संक्षेपिका २६५—७६

पृष्ठ

अंक ३—बुधवार, ५ अगस्त, १९५९।१४ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न *संख्या १०४ से १०९ और १११ से १२० २७७–३०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२१ से १५४ ३०३–३२१

अतारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १६९, १७१ से २४८ और २५० से २५७ ३२१–६८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३६८–७३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७३–७७

विधेयक पर राय ३७७

कलिंग एयर लाइन्स के डकोटा की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य ३७७–७८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—छियालीसवां प्रतिवेदन ३७८

तारांकित प्रश्न संख्या ११९३ के उत्तर की शुद्धि ३७९

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

खण्ड २ से ४१ और १ ३७८–४०९

पारित करने का प्रस्ताव ४०९

दहेज निषेध विधेयक ४०९–४२०

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—

बोलानी ओर्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में चर्चा ४२०–२५

दैनिक संक्षेपिका ४२६–३६

अंक ४—गुरुवार, ६ अगस्त, १९५९।१५ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न *संख्या १५५, १५६, १५८ से १६५, १९२ और १६६ से १७० ४३७–६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५७, १७१, से १९१ और १९३ से २०० ४६१–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २५८ से ३३६ ४७३–५०७

स्थगन प्रस्ताव—

तिब्बत में भारतीय व्यापारी ५०७–०९

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में ५०९–१०

पृष्ठ

विषय सूचि (क्रमशः)

सभा पटल में रखे गये पत्र	५१०–११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— भारत-पाकिस्तान वित्तीय वार्ता	५११–१२
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	५१२–१३
दहेज निषेध विधेयक	५१३–४७
भारत के जीवन बीमा निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	५४७–६५
दैनिक संक्षेपिका	५६६–७२

अंक ५—शुक्रवार, ७ अगस्त, १९५९।१६ श्रावण १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —	
तारांकित प्रश्न *संख्या २०१ से २०५ और २०७ से २१९	५७३–९७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २०६ और २२० से २४०	५९७–६०७
अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ४२१	६०७–४७
अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	६४७
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) पश्चिम खान देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की गिरफ्तारी	६४७–४८
(२) पांडिचेरी की स्थिति	६४८–४९
विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में	६४९–५७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६५७–५९
सभा का कार्य	६५९
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विधेयक—पुरस्थापित	६५९
फार्मेसी (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा के संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव	६६०–७१
सार्वजनिक वक्फ़ (अवधि का विस्तार) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	६७१–७२
खंड १ से ४	६७२
पारित करने का प्रस्ताव	६७२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
छियालीसवां प्रतिवेदन	६७३

विषय सूची (क्रमशः) पृष्ठ

अंग्रेजी को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के बारे में संकल्प—
वापस लिया गया ६७३—६५
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ६६५
दैनिक संक्षेपिका ६६६—७०२

अंक ६—सोमवार, १० अगस्त, १९५९।१९ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न *संख्या २४१, २४२, २४४ से २५०, २५२ से २५४ और २५६ से २५८ ७०३—२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या २४३, २५५, २५९ से २८५ ७२९—४३
अतारांकित प्रश्न संख्या ४२२ से ४४८ और ४५० से ५१४ ७४३—९२
सभा पटल पर रखे गये पत्र ७९२—९६
शस्त्र विधेयक ७९६
(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन
(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य
दुर्गापुर इस्पात कारखाने के बारे में वक्तव्य ७९६—९७
पांडिचेरी की स्थिति के बारे में वक्तव्य ७९७—९८
समिति के लिए निर्वाचन ७९८
राष्ट्रीय सेना छात्र दल के लिए कन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड—
सभा का कार्य ७९८
सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७९८—८३९
कार्य मंत्रणा समिति—
चालीसवां प्रतिवेदन ८३९
दैनिक संक्षेपिका ८४०—४९

अंक ७—मंगलवार, ११ अगस्त, १९५९।२० श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न *संख्या २८६—२९७, ३००, ३०१ और ३०४ ८५१—७६

विषय सूचि—(क्रमशः) पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९८, २९९, ३०२, ३०३ और ३०५ से ३३१ ८७६–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१५–५९६, ५९८ और ५९९ ८९०—९२२

स्थगन प्रस्ताव—

हावड़ा और हुगली जिलों में बाढ़ से भारी नुकसान ९२२–२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ९२३–२४

सदस्य की रिहाई ९२४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के बारे में याचिका ९२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

तिब्बत में भारतीय राष्ट्रजन ९२५–२६

सभा का कार्य ९२६

कार्य मंत्रणा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन ९२७

वक्फ (संशोधन) विधेयक ९२७—३४

विचार करने का प्रस्ताव ९२७—३३

खण्ड २ से ४ और १ ९३३–३४

पारित करने का प्रस्ताव ९३४

राजस्थान तथा मध्य प्रदेश (राज्य-क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक ९३४—४९

विचार करने का प्रस्ताव ९३४—४९

खंड २ से १७ और १ तथा पहली और दूसरी अनुसूची ९४९

पारित करने का प्रस्ताव ९४९

भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक ९५०—५५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ९५०—५४

खंड २ से १० और १ ९५४

पारित करने का प्रस्ताव ९५५

भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक ९५५—६६

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव, ९६७—७४

दैनिक संक्षेपिका

पृष्ठ

अंक ८—बुधवार, १२ अगस्त, १९५९।२१ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ३३४ से ३४५, ३४७, ३४९ और ३५१ ९७५—९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ १०००—०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४६, ३४८, ३५० और ३५२ से ३८० १००२—१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०० से ७०७ १०१६—६२

स्थगन प्रस्ताव—

१. पश्चिम बंगाल में चावल का मूल्य १०६२–६३

२. लंका पुलिस द्वारा बेटन चार्ज १०६३—६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र १०६६

आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक–पुरस्थापित १०६७

भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधे यक १०६७—७५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार के लिये प्रस्ताव १०६७—७०

खण्ड २ से ६५ और १ १०७०—७४

पारित करने का प्रस्ताव १०७५

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक १०७६—९५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार के लिये प्रस्ताव १०७६—९३

खण्ड २ से ३६ और १ १०९३–९४

पारित करने का प्रस्ताव १०९४–९५

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव १०९५—११०१

दैनिक संक्षेपिका ११०२—०९

अंक ९—शुक्रवार, १३ अगस्त, १९५९।२२ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न* संख्या ३८१, से ३८७, ३८९ से ३९३, ३९५ और ३९६ ११११—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८८, ३९४ और ३९७ से ४३३ ११३४—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०८ से ८०४ ११५१—९०

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ११९०

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव ११९०—९३

(१) लद्दाख, सिक्कम और भूटान की मुक्ति के बारे में चीन का कथित वक्तव्य ।

(२) आयात किये गये गहूं का दूषित हो जाना

सभा पटल पर रखे गये पत्र ११९३–९४

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें ११९४

आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक के बारे में याचिका ११९५—१२०९

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विधेयक

विचार के लिये प्रस्ताव

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १२०९—२४

दैनिक संक्षेपिका १२२५—३२

अंक १०—शुक्रवार, १४ अगस्त, १९५९/२३ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ४३४ से ४३९, ४४२ से ४४६, ४४८ से ४५० और ४५२ से ४५४ १२३३—५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४०, ४४१, ४४७, ४५१ और ४५५ से ४६० १२५८—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०५ से ८८२ और ८८४ से ८८९ १२७७—१३०९

स्थगन प्रस्ताव १३१०

लंका की पुलिस द्वारा कुछ भारतीय राष्ट्रजनों पर बटेन चार्ज के बारे में लंका के प्रधान मंत्री का कथित वक्तव्य ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३१०

सभा का कार्य १३११–१२

कालका-दिल्ली-हावड़ा मेल की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य १३१३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १३१४—१६

काश्मीर की बाढ़ के समय भारतीय सेना की सहायता १३१३

चीनी के मूल्य में वृद्धि के बारे में प्रस्ताव १३१६—४८

विधेयक पुरस्थापित १३४८—५१

(१) श्री प्रकाश वीर शास्त्री का पिछड़ी जातियों (धार्मिक संरक्षण) विधेयक, १९५९ ।

विषय सूचि (क्रमशः)

पृष्ठ

(२) श्री अजित सिंह सरहदी का विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक, १९५९ (धारा २४ का संशोधन)

(३) श्री अजित सिंह सरहदी का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५९ (धारा ८१, ८२, ८६ और ११६–क का संशोधन तथा धारा ८८ और ८९ का लोप)

(४) श्री अजित सिंह सरहदी का दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधयक, , १९५९ (धारा ४८८ का संशोधन)

(५) श्री झूलन सिंह का अनुचित विलम्ब और भ्रष्टाचार की पूर्वधारणा विधेयक, १९५९ ।

(६) श्री त० ब० विठ्ठल राव का कैथोलिक चर्च परिसर तथा पादरी संघ (राजनैतिक गतिविधि पर प्रतिबन्ध) विधेयक, १९५९ ।

(७) श्री त० ब० विठ्ठलराव का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५९ (नई धारा ७ : क का रखा जाना) ।

सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक १३५१

राय जानने के लिये नियत समय को बढ़ाने का प्रस्ताव

समान पारिश्रमिक विधेयक १३५२—५५

परिचालित करने का प्रस्ताव

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक १३५५—५७

(धारा १०७, १०९ और ११० का लोप तथा धारा १६१ का संशोधन)

विचार करने का प्रस्ताव १३५७—७८

दैनिक संक्षेपिका १३७८—८६

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

गुरुवार, ६ अगस्त, १९५९
१५ श्रावन, १८८१, (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्वी यूरोपीय देशों को भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डल

+

†*१५५. श्री अ० मु० तारिक :
श्री राम कृष्ण गुप्त:
श्री श्रीनारायण दास:
श्री राधा रमण:
श्री अन्सार हरवानी:
श्री पांगरकर:
श्री रघुनाथ सिंह:
श्री सरजू पाण्डे:
श्री दामानी:
श्री वाजपेयी:
श्री आचार:
श्री पहाड़िया:
श्री हेम बरुआ:
श्री प्र० गं० देव:
श्री प्र० चं० बरूआ:

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई और जून, १९५९ में एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने कुछ पूर्वी यूरोपीय देशों का दौरा किया; और

(ख) यदि हां, तो इस दौरे का क्या उद्देश्य था और इस से क्या सिद्धि प्राप्त हुई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) जी, हां ।

(ख) प्रतिनिधि मंडल का मुख्य उद्देश्य रूमानिया के साथ एक नये व्यापार करार पर बातचीत करना और बलोरिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया और हंगरी के साथ वर्तमान व्यापार करारों में संशोधनों पर बातचीत करना था । शिष्ट मंडल द्वारा किये गये व्यापार करारों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाती हैं । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४९]

श्री अ० मु० तारिक: मैं यह जानना चाहता हूं कि हंगरी के अलावा जहां जहां यह ट्रेड डेलिगेशन गया है, उन मुल्कों ने हिन्दुस्तान से किन किन चीजों को मंगाने पर फौकियत दी है, किन चीजों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० मु० तारिक]

को जल्दी मंगाने की ख्वाहिश का इज़हार किया है और उन चीजों को फौरी तौर पर एक्सपोर्ट करने के लिये क्या इन्तजाम किये जा रहे हैं ?

श्री सतीश चन्द्र: इन सभी मुल्कों से ज्यादातर इंडस्ट्रियल रा मैटीरियल, मशीनरी प्लांट्स और एक्विपमेंट इस तरह की चीजें आयेंगी और उन की ऐवज में यहां से ज्यादातर एग्रीकलचरल प्रोडक्ट्स (प्रोसेस्ड और सेमी प्रोसेस्ड) जूट गुड्स, चाय, काफी वगैरह एक्सपोर्ट होंगी ।

श्री अ० मु० तारिक: उन को भेजने के लिये फौरी तौर पर क्या इकदामात लिये जा रहे हैं ?

श्री सतीश चन्द्र इकदामात से मैं माननीय सदस्य का मतलब नहीं समझा । कोशिश यह की जा रही है कि तिजारत बढ़े और इन सब चीजों का रुपये के जरिये से तबादला हो । फारेन एक्सचेंज में हम को कोई अदायगी नहीं करनी पढ़ेगी ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** इन देशों के साथ किये गये करारों के बारे में क्या प्रतिनिधिमंडल ने इस बात का ब्यौरा देते हुए कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिस में यह बताया गया हो कि इन देशों के साथ व्यापार करने से इस देश को क्या लाभ होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य करारों की प्रतियों में यह चीज देख सकते हैं ।

†**श्री सतीश चन्द्र:** यदि माननीय सदस्य करारों की उन प्रतियों को देखें जो मैं ने सभा पटल पर रखी हैं तो उन को की गई व्यवस्थाओं का पता चल जावेगा । इन बात चीतों से जो हल प्राप्त हुए हैं वे करारों में दिये गये हैं ।

†**श्री दामानी :** क्या व्यापार मंडल ने इन देशों के कपड़े के निर्यात में वृद्धि करने के लिये कोई सुझाव दिये हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य करारों को क्यों नहीं पढ़ते हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र:** इन चीजों पर समय समय पर बात चीत होती रहती है । यदि माननीय सदस्य प्रत्येक करार के साथ लगी अनुसूची को देखें तो उन को पता चल जायेगा कि उस में कपड़ा सम्मिलित है ।

†**श्री आचार :** क्या यह देश लौह-अयस्क लेना चाहते हैं । और हां, तो वे कौन से देश हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य इन करारों की तालिका को क्यों नहीं देखते हैं ?

(कोई उत्तर अपेक्षित नहीं था)

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या अन्य देशों के साथ भी, जिन का प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया, बातचीत चल रही है ?

†**श्री सतीश चन्द्र:** जिन देशों का प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया था, उन सब से बातचीत पूरी हो गई है ।

†**श्री वाजपेयी:** जहां तक मैं ने इस पूरे पोथे को देखा है उस से इस बात का परिचय नहीं मिलता कि हमारे प्रतिनिधिमंडल ने किसी देश से कच्ची फिल्मों के निर्यात के बारे में भी वार्ता की ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई बात हुई और उस का परिणाम क्या निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सतीश चन्द्र : कच्ची फिल्मों का निर्यात नहीं होता, आयात होता है :

श्री वाजपेयी : माफ कीजियेगा मेरा मतलब आयात से था ।

श्री सतीश चन्द्र : ईस्ट जर्मनी से कच्ची फिल्में आतीं हैं और उन से इस बारे में बातचीत होती रही है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया सरकार द्वारा इस प्रतिनिधिमंडल को यह बताया गया था कि पिछले वर्ष भारत को यूगोस्लाविया के सामान की बिक्री यूगोस्लाविया को भारतीय सामान की बिक्री से पांच गुनी थी ? यदि हां, तो चालू वर्ष में इस असन्तुलन को हटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या किये जाने का विचार है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** जिस तारीख से यूगोस्लाविया के साथ नया करार हुआ है, उस दिन से व्यापार सन्तुलित होगा, और जितना हम आयात करेंगे, उतना ही निर्यात करेंगे ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ:** व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान में क्या उन्हों ने भारतीय उद्योगों के विकास के लिये भारत को मशीनें देने के लिये कोई शर्तें रखी हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** यूगोस्लाविया से मशीनें वस्तु-विनिमय के आधार पर आयात की जायेंगीं ।

†**श्री त्यागी :** कच्ची फिल्मों के बारे में मैं समझता हूं कि पूर्वी जर्मनी को हम से शिकायत थी क्योंकि इस बात को ध्यान में रखते हुए भी कि भारत में कच्ची फिल्मों का एक निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिये भारत सरकार और पूर्वी जर्मनी सरकार में एक समझौता हो गया है, भारत सरकार उस पर अमल नहीं कर रही थी । वे हमारी सरकार से कोई कार्यवाही करवाना चाहते थे । उस समझौते पर क्या हो रहा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** यह मामला इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । मैं ने सदन को पहले बताया था कि हम कच्ची फिल्म संयंत्र के बारे में पूर्वी जर्मनी से तीन वर्ष तक बातचीत करते रहे । हम ने देखा कि शर्तें अस्वीकार्य थीं और फिर हम ने अन्य देशों से भी बातचीत करनी आरम्भ कर दीं ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** विश्व व्यापार और नौवहन के नवीनतम लायड रजिस्टर के अनुसार भारत ने व्यापार और नौवहन से चौदहवां स्थान प्राप्त किया जब कि स्वीडन और स्वीटजरलैण्ड जैसे हम से छोटे देश हम से आगे बढ़ गये । मैं यह जानना चाहता हूं कि विश्व नौवहन और व्यापार में १४ वें स्थान से उच्च स्थान प्राप्त करने के लिये हम पूर्वी खंड के देशों के साथ अपना व्यापार क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय:** यह सामान्य प्रश्न है । परन्तु इस समय जिस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है, वह केवल उन पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार के सम्बन्ध में जिनका प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया था ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** हमारा स्थान चौदहवां क्यों है ? हमारा व्यापार विश्व व्यापार का केवल १.५४ प्रतिशत है । मैं यह बतलाता हूं .....

†**अध्यक्ष महोदय:** मंत्री महोदय सब संभव बातें बतायेंगे परन्तु यह इस प्रश्न में से उत्पन्न नहीं होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जोकीम आल्वा :** मंत्री महोदय उत्तर देने को तैयार हैं; वह खड़े हो रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि वह उत्तर दे सकते हैं तो दें ।

†**श्री सतीश चन्द्र :** यह प्रश्न परिवहन तथा संचार मंत्री से पूछा जाना चाहिये था । परन्तु करार में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि करार वाले देश यथा सम्भव अपने नौवहन का प्रयोग करेंगे ।

†**श्री तंगामणि :** क्या सरकार कच्ची फिल्म बनाने के संयंत्र स्थापित करने के लिये अन्य देशों से बातचीत कर रही है और यदि हां, तो ये कौन से देश हैं और क्या कच्ची फिल्म संयंत्र द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में स्थापित कर दिया जायेगा ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रघुनाथ सिंह : शेड्यूल बी देख कर मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र का कोई सामान जैसे पीतल का सामान,बनारसी सिल्क, लकड़ी के खिलौने और कारपेट्स के एक्सपोर्ट का कोई जिक्र नहीं है और मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मेरी कांस्टीटुएंसी के साथ यह अन्याय क्यों किया जा रहा है ?

श्री सतीश चन्द्र: अगर दस्तकारियों के सामान से मतलब है तो वह शेडयूल में शामिल हैं । जहां तक मैं समझता हूं बनारसी कपड़ा जो माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में बनता है, देश की प्रसिद्ध दस्तकारी है ।

इराक के लिये भारतीय विमान चालक और शिक्षक

\+

†*१५६. **श्री राधा रमण:**
श्री दी० चं० शर्मा:
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री शिव नंजप्पा:
श्री सरजू पांडे:
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराकी सशस्त्र सेना और असैनिक उड्डयन पदाधिकारियों के किसी प्रतिनिधि-मंडल के भारतीय विमान चालकों और शिक्षकों की भर्ती के लिये भारत का दौरा किया ;

(ख) क्या उन्होंने इस बारे में भारत सरकार के साथ कोई समझौता कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो किये गये समझौते का क्या स्वरूप है ?

†**वैदेशिक–कार्य मंत्री के सभा–सचिव (श्री सादत अली खां):** (क) एक इराकी वायु बल पदाधिकारियों के और दूसरे असैनिक उड्डयन पदाधिकारियों के इन दो प्रतिनिधिमण्डलों ने मई के दूसरे पखवाड़े में ईराक के लिये वायु बल शिक्षक और असैनिक उड्डयन व्यक्तियों की भर्ती के लिये भारत का दौरा किया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). इराक सरकार की प्रार्थना पर भारत सरकार ३ वायु बल शिक्षकों, ६ असैनिक विमान चालकों और १२ असैनिक सेवा व्यक्तियों की सेवायें उपलब्ध कराने के लिये राजी हो गयी है। ये व्यक्ति प्रथम बार २ वर्ष की अवधि के लिये इराक सरकार के पास ठेके पर कार्य करेंगे।

†**श्री राधा रमण** : देश में द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने विमान चालकों और शिक्षकों की अपनी आवश्यकता का हिसाब लगाया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: जी, हां। प्रतिरक्षा मंत्रालय और वायु बल इस पर निरन्तर विचार कर रहे हैं।

†**श्री राधा रमण**: इस देश की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए क्या भारत सरकार के लिये अन्य देशों को अपने विमान चालक और शिक्षक देना सम्भव है ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार के क्या विचार हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इन सब मामलों पर विचार किया जाता है। सन्तुलन में यह समझा गया कि इनकी सेवायें उनको दे दी जायें।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या ईराक सरकार हमारे इंजीनियरों और विमान चालकों के कार्य से सन्तुष्ट हैं ?

†**श्री सादत अली खां** : इराक के प्रधान मन्त्री ने स्वयं ही हमारे चालकों और भूमि इंजीनियरों की सेवाओं की बहुत सराहना की है।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैं देखता हूं कि हमने कोई असैनिक चालक प्रशिक्षक नहीं दिये। क्या असैनिक चालक प्रशिक्षकों के लिये भी कोई मांग की गयी थी ?

†**श्री सादत अली खां** : हमने वायु बल तथा असैनिक दोनों प्रशिक्षक दिये हैं।

†**श्री जयपाल सिंह** : उत्तर में केवल वायु-बल प्रशिक्षक ही बताना गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब उन्होंने असैनिक प्रशिक्षकों का निर्देश किया है।

†**श्री जयपाल सिंह** : असैनिक चालक प्रशिक्षकों की देश में अत्यधिक कमी और बाहर से आने वाली मांग को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार आन्तरिक आवश्यकता और बाहर से आने वाली मांग को पूरा करने के लिये व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने के लिये कोई सीधा और ठोस पग उठायेगी ? इस समय यहां पर इनकी बहुत कमी है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस मामले का उल्लेख वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने संचार मंत्रालय और असैनिक उड्डयन अधिकारियों को किया था और वे कुछ व्यक्ति देने को राजी हो गये। इस बारे में कि हमने इस मामले पर विचार नहीं किया, मैं माननीय सदस्य प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। उन्होंने बताया है कि वे कुछ समय के लिये कुछ व्यक्ति देने को तैयार हैं। पूर्व उत्तर में जो जानकारी दी गयी थी, वह इस प्रकार की थी: तीन वायु-बल प्रशिक्षक, छः असैनिक विमान चालक और बारह असैनिक सेवा व्यक्ति।

†**श्री जयपाल सिंह** : असैनिक विमान चालकों और सैनिक विमान प्रशिक्षकों में भेद है। अतः सम्भवतः विमान चालक प्रशिक्षक नहीं भेजे गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

एक पाकिस्तानी विमान द्वारा भारतीय क्षेत्र का अतिक्रमण

†***१५८. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को २० अप्रैल, १९५९ को एक पाकिस्तानी विमान द्वारा हिसार के निकट भारतीय क्षेत्र का अतिक्रमण करने के लिये प्रकट किये गये विरोध का पाकिस्तान सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो प्राप्त उत्तर का क्या स्वरूप है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) और (ख). २५ अप्रैल को भेजे गये विरोधपत्र के उत्तर में पाकिस्तान सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । १६ जुलाई को एक स्मरण पत्र भेजा गया था ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या इस घटना के बाद भारतीय क्षेत्र के अतिक्रमण की कोई और घटना हुई है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन**: : पाकिस्तान द्वारा कई बार वायु अतिक्रमण हुए हैं ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : पाकिस्तान सरकार के अमित्रतापूर्ण रवैये को देखते हुए, इस मामले में सरकार और क्या कार्यवाही करेगी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमने कई बार विरोध प्रकट किये हैं । मेरे विचार में भारत सरकार कोई अन्य कार्यवाही करने की योजना नहीं बना रही है ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : विरोध प्रकट करने के अतिरिक्त क्या विमान को चेतावनी सिगनल दिये गये थे और यदि हां, तो चेतावनी सिगनलों का अनादर करने के लिये क्या तुरन्त उपाय किये गये थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक–कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : ये बातें सैकण्डों और आधी मिन्ट में होते हैं । आधी मिन्ट में विमान ५०, ६० और १०० मील तक यात्रा कर सकता है । इनकी गति इतनी अधिक है। यह आता है और जाता है । केवल पूर्व सूचना पर ही चेतावनी सिगनल दिये जाते हैं । बाज दफा उनको दिये गये हैं । मुझे यह पता नहीं कि उनको किसी विशेष मामले में दिया गया या नहीं । सदन को स्मरण होगा कि एक बार पाकिस्तान सरकार ने विरोध प्रकट किया था क्योंकि हमारा एक विमान दूसरे का पीछा करने गया था और उसने उसका पीछा किया । सामान्यत: चेतावनी सिगनल देना आसान नहीं है; इसके लिये समय नहीं होता है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : उपमंत्री महोदय ने बताया था कि कई अतिक्रमण हुए थे । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कई बार विरोध प्रकट किये गये थे और कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हर अतिक्रमण पर विरोध प्रकट किया गया ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या उसके लिये कोई उत्तर प्राप्त हुआ है . . . . (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न होता है । उन्होंने कुछ का उत्तर दिया होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने जो ये गैर-कानूनी वायलेशन्स किए, इनमें क्या अमरीकन जेट बाम्बर इस्तैमाल किए गए थे, और अगर यह हकीकत है तो हुकूमत हिन्द ने इस बारे में क्या ऐक्शन लिया ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं कह सकता कि हर वायलेशन में जेट बाम्बर का इस्तैमाल किया गया था या नहीं, मुमकिन है कुछ में किया गया हो, यकायक मैं नहीं कह सकता। कभी कभी अगर ज़रा भी सरहद के आसपास कोई हवाई जहाज उड़ रहा है तो पायलाट के लिये यह कहना मुश्किल हो जाता है कि वायलेशन हो रहा है या नहीं। इत्तिफाकन हो जाता है। लेकिन जब यह बार बार होता है तो इसे इत्तिफाक नहीं जानकर करना कहा जाता है। दोनों मिले होते हैं। लेकिन ये आधे मिनट में बहुत दूर चले जाते हैं। मैं बगैर दरियाफ्त किए यह नहीं कह सकता कि ये जेट बाम्बर थे या नहीं।

†**श्री त्यागी** : यह सैनिक विमान था अथवा असैनिक विमान ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे विचार में ये अधिकांश सैनिक विमान हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : कैनबरा घटना पर हमारे तर्क को बल देने के लिये पाकिस्तान द्वारा हमारे वायु-पथ का अतिक्रमण करने के बारे में संख्या बताने के अतिरिक्त, क्या सरकार ने इस विषय को पाकिस्तान सरकार से गम्भीरता से उठाया है और यदि हां, तो औपचारिक विरोध के अतिरिक्त हमारी सरकार की गम्भीरता का आभास कैसे मिलता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : 'गम्भीर' शब्द के अतिरिक्त यह वैसा ही प्रश्न है परन्तु मुझे इसमें कोई अन्तर नहीं दीखता ...... (**अन्तर्बाधा**) शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या हमें किये गये किसी विरोध का कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : बाज़ दफ़ा अस्वीकारात्मक उत्तर आता है ; अक्सर ऐसा होता है।

†**श्री हेम बरुआ** : वायु-पथ के अतिक्रमण की इस घटना को कैनबरा घटना के विरुद्ध एक तर्क कहा जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये अतिक्रमण पृथक् माने गये थे और पृथक् पृथक् मामलों में विरोध प्रकट किये गये थे, जैसा कि कैनबरा घटना पर तर्क करते समय हमारे प्रतिरक्षा मंत्री ने इनको इकट्ठा रखा था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक के लिये विरोध होता है और यही मंत्राणी महोदया ने कहा था।

शिक्षक-प्रशासकों का प्रशिक्षण

†*१५६. { **श्री रा० च० माझी** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने शिक्षक प्रशासकों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है ;

(ख) प्रशिक्षण के लिये इन शिक्षकों का चुनाव किस प्रकार किया गया; और

(ग) क्या पिछले वर्ष प्रशिक्षित सब शिक्षक-प्रशासकों को अब तक नियुक्त कर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी म

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) ५७।

(ख) प्रतियोगिता द्वारा और अखिल भारतीय कर्मचारी संघ द्वारा नाम-निर्देशन द्वारा भी।

(ग) जी हां। अखिल भारतीय कर्मचारी संघ के नामांकित व्यक्ति प्रशिक्षण के बाद अपने अपने संघों को वापस चले गये हैं।

†**श्री रा० च० माझी** : शिक्षक-प्रशासकों के प्रशिक्षण का केन्द्र कहां-कहां है और प्रिशिक्षण काल की क्या अवधि है ?

†**श्री आबिद अली** : छः महीने।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रशिक्षण केन्द्र कहां हैं ?

†**श्री आबिद अली** : बम्बई ।

†**श्री मोहम्मद इलियास** : कितने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उनका प्रशिक्षण पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री आबिद अली** : बम्बई प्रशिक्षण केन्द्र ने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर दिया है। अगला केन्द्र कलकत्ते में अगले महीने से आरम्भ किया जायेगा।

†**श्री काशी नाथ पाण्डे** : अगले दल को कब प्रशिक्षण दिया जायेगा और उन को बम्बई में प्रशिक्षण दिया जायेगा या कलकत्ता में ? कितने प्रशिक्षार्थी लिये जायेंगे ?

†**श्री आबिद अली** : अवधि छः महीने है और अगले दल को कलकत्ता में प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन की संख्या लगभग ४५ होगी।

†**श्री सुबोध हंसदा** : कितने उम्मीदवार बाहर से भर्ती किये जाते हैं ? ये उम्मीदवार प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा भर्ती किये जाते हैं या सीधे तौर पर ?

†**श्री आबिद अली** : ४३ तो चुनाव के आधार पर लिये गये थे और १५ कार्मिक संघ संगठनों से लिये गये थे।

†**श्री दिगे** : प्रशिक्षण के लिये अनुसुचित जातियों और अनुसुचित आदिम जातियों के कितने उम्मीदवार चुने गये ?

†**श्री आबिद अली** : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

†**श्री तंगामणि** : क्या मैं जान सकता हूं .....

†**अध्यक्ष महोदय** : हम अगला प्रश्न लेते हैं ; मैं कई प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूं।

†**श्री तंगामणि** : वह एक पृथक प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं हर प्रश्न पर कितने ही प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता।

†**श्री तंगामणि** : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करें। इस प्रकार बाधा पहुंचाने से कोई अर्थ नहीं। मैं कई प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूं। अगला प्रश्न।

†मूल अंग्रेजी में

घरेलू कर्मचारियों की मांगें

+

†*१६०. श्री वाजपेयी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री खुशवक्त राय :
श्री पाणिग्रही :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २६ मार्च, १९५९ के अपने वक्तव्य के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार काम और रोजगार की शर्तों को नियमित करने के लिये घरेलू कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के बारे में अपने आश्वासन को किस प्रकार कार्यान्वित करेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : २९-४-५९ को हुई अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति की बैठक में इस मामले पर विचार किया गया। समिति के सदस्यों की एकमत राय यह थी कि घरेलू कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को नियमित करने के लिये कोई नियम बनाना व्यवहार्य नहीं है। भारतीय श्रमिक सम्मेलन का भी, जिस ने इस प्रश्न पर पिछले सप्ताह विचार किया, यही विचार था। सम्मेलन ने घरेलू कर्मचारियों के लाभ के लिये दिल्ली में एक विशेष काम दिलाउ कार्यालय स्थापित करने की एक प्रमुख योजना का अनुमोदन किया, जिस में एक कल्याण पदाधिकारी होगा। इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

†**श्री वाजपेयी** : क्या घरेलू कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के लिये एक विधि बनाने का प्रश्न राज्यों की राय जानने के लिये भेजा गया है, और यदि हां, तो कितने राज्य केन्द्रीय विधान के पक्ष में हैं ?

†**श्री आबिद अली** : आसाम राज्य को छोड़ कर बाकी सब राज्य सरकारें इस के विरुद्ध हैं।

†**श्री वाजपेयी** : क्या अन्य स्थानों पर भी काम दिलाऊ अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे ?

†**श्री आबिद अली** : जी, नहीं। अभी नहीं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : उपमंत्री महोदय ने अभी बताया था कि अनौपचारिक परामर्श-दात्री समिति की बैठक में इस पर विचार किया गया था। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति द्वारा की गई कुछ सिफारिशों पर १७वें श्रम सम्मेलन में विचार किया गया था, और यदि हां, तो घरेलू कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये कम से कम क्या पग उठाये गये हैं ?

†**श्री आबिद अली** : अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति की बैठक में व्यक्त किये गये विचारों को सम्मेलन के समक्ष रखा गया और उन पर ब्यौरेवार चर्चा हुई। जो कुछ मैं ने बताया, वह भारतीय श्रमिक सम्मेलन की सिफारिश थी।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : मद्रास सरकार ने इस बात का दावा किया था कि जहां तक उस राज्य में घरेलू कर्मचारियों का सम्बन्ध है, वहां पर किसी समस्या को सुलझाना बाकी नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई जांच पड़ताल की गई है ; और यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**श्री आबिद अली :** राज्य सरकारें इस विषय में जाच-पड़ताल के लिये कोई समिति नियुक्त करने के पक्ष में नहीं हैं ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : अभी मिनिस्टर साहब ने फ़रमाया कि मद्रास में इंडियन लेबर कांफ्रेंस में इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चारों सेंट्रल ट्रेड यूनियन आरगनाइज़ेशन्ज़ एक राय की थीं ?

श्री आबिद अली : जी, हां ।

†**श्री पाणिग्रही :** दिल्ली में इस पृथक अनुआकारी परियोजना को कायम रखने अथवा स्थापित करने पर कितना खर्च होगा ?

†**श्री आबिद अली :** अभी लागत का पता नहीं लगाया गया है ।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या यह अनुआकारी परियोजना, जिस का कि १७वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा फैसला किया गया है, बहुत शीघ्र स्थापित की जावेगी ?

†**श्री आबिद अली :** जी हां । बहुत शीघ्र ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** इस अनुआकारी योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**श्री आबिद अली :** घरेलू कर्मचारियों का पंजीयन और उन को काम पर लगाना, पंजीयन के समय घरेलू कर्मचारियों से दिल्ली के निवासी दो जिम्मेवार व्यक्तियों के नाम देने को कहा जायेगा —उन नियोजकों का रजिस्टर रखना जिन को घरेलू कर्मचारियों की आवश्यकता है आदि ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** उपमंत्री महोदय ने अभी बताया कि एक घरेलू कर्मचारी को दो जमानतदार देने होंगे । क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना में उन को रोजगार पर लगाने से पहले उन के वेतन और अन्य सेवा की शर्तों पर भी विचार किया जावेगा ?

†**श्री आबिद अली :** इस केन्द्र में एक कल्याण अधिकारी रखा जावेगा जो समय समय पर वह सेवा की शर्तों आदि के बारे में जांच-पड़ताल करता रहेगा ।

फिल्म इन्स्टीट्यूट

\+

†*१६१. **श्री बर्मन :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ११ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म इंस्टीट्यूट स्थापित कर दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उस में काम प्रारम्भ हो गया है ; और

(ग) इस इंस्टीट्यूट में कितने प्रशिक्षणार्थी दाखिल किये जा सकते हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री आ० चें० जोशी** (क) से (ग). उपयुक्त स्थान तथा सामान के उपलब्ध न होने के कारण फिल्म इंस्टीट्यूट अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका है। इंस्टीट्यूट के लिये प्रबन्ध हो जाने के बाद ही उस के पाठ्क्रमों और दाखिले के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

†**श्री वर्मन :** क्या इस वर्ष के आयव्ययक में फिल्म इंस्टीट्यूट तथा फिल्म प्रोडक्शन ब्यूरो की स्थापना के लिये राशि निर्धारित कर दी गई है ; और यदि हां, तो उपयुक्त स्थान प्राप्त करने और इंस्टीट्यूट स्थापित करने में क्या कठिनाई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** आयव्ययक में तो उस के लिये राशि निर्धारित कर दी गई है, परन्तु उस के लिये स्थान प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हम बम्बई में स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु अपेक्षित क्षेत्र अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। और सब से बड़ी कठिनाई इस संस्था के लिये उपकरण प्राप्त करने में हो रही है। पहले हमारा यह अनुमान था कि काम प्रारम्भ करने के लिये स्थानीय मार्केट में ही पर्याप्त सामान मिल जायेगा, परन्तु वह सामान अब उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अधिकांश व्यापारी उस सामान को बेचने से पहले सरकार से विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में गारंटी चाहते हैं। अतः संस्था स्थापित करने में स्थान की अपेक्षा सामान प्राप्त करने की अधिक कठिनाई है क्योंकि स्थान तो प्राप्त हो ही जायेगा परन्तु विदेशी मुद्रा के लिये व्यवस्था करना अत्यन्त कठिन काम है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या योजना के सम्बन्ध में ब्योरा तैयार कर लिया गया है और क्या वह सभा में प्रस्तुत किये गये विधेयक के अनुरूप ही है ?

†**डा० केसकर :** इंस्टीट्यूट के कार्य की एक प्रारम्भिक रूप रेखा तैयार कर ली गई है और आशा है कि इसे अन्तिम रूप देने से पहले व्यापारियों के प्रतिनिधियों से भी इस बारे में विचार विमर्श किया जायेगा।

†**श्री वर्मन :** संस्था के स्थापित हो जाने के बाद इस में कितने विद्यार्थियों को दाखिल किया जा सकेगा और क्या उस में सम्पूर्ण देश के विभिन्न भागों से विद्यार्थियों को दाखिल किया जायेगा ताकि फिल्म उद्योग का सम्पूर्ण भारत में एक समान विकास हो सके ?

†**डा० केसकर :** इसमें दाखिला अखिल भारतीय आधार पर किया जायेगा। जहां तक दाखिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का सम्बन्ध है, इस बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया है। इस समय तो हम संस्था स्थापित करने के काम की ओर ध्यान दे रहे हैं। फिर इसके कार्य को हम धीरे धीरे विकसित करते जायेंगे। उदाहरणार्थ, हम चलचित्रों के निर्माण तथा निर्देशन, फिल्में तैयार करने, चलचित्र फोटोग्राफी के प्रविधिक पक्ष, ध्वनि के रिकार्ड तैयार करने और ध्वनि इंजीनियरिंग की ओर सबसे पहले ध्यान देना चाहते हैं। शेष बातों की ओर बाद में ध्यान दिया जायेगा। क्योंकि इन कार्यों को हम धीरे धीरे विकसित करने का विचार रखते हैं, इसलिये इसी समय यह बता देना कठिन है कि संस्था में कुल कितने विद्यार्थियों को दाखिल किया जा सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उस संस्था के लिये देश के किसी और भाग में विशेषतया कलकत्ता में स्थान प्राप्त करने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

†**डा० केसकर** : इस संस्था को किसी और स्थान पर स्थापित करने का हमारा इरादा नहीं है। हम इसे बम्बई में ही स्थापित करने को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि बम्बई में स्थापित होने से वहां के विभिन्न स्टूडियो से तथा भारत सरकार के फिल्म विभाग के सामान से लाभ उठाया जा सकेगा।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या उस संस्था म केवल प्रशिक्षण ही दिया जायेगा या कि उसमें अनुसंधान कार्य भी किया जा सकेगा ?

†**डा० केसकर** : जी, नहीं। यह संस्था केवल प्रशिक्षण के लिये ही होगी।

†**श्री श्रीनारायण दास** : उसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी और क्या यह सामान सुलभ मुद्रा क्षेत्र से प्राप्त किया जायेगा या कि दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र से ?

†**डा० केसकर** : हमें यह सामान खरीदना है भले ही वह सुलभ मुद्रा क्षेत्र से उपलब्ध हो सके या कि दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र से। इस समय हमें लगभग ३ लाख से ४ लाख रुपयों के सामान की आवश्यकता है। अन्त में तो हमें लगभग ७ लाख से ८ लाख रुपयों के सामान की आवश्यकता होगी, परन्तु इस समय हम २ से ३ लाख रुपयों के सामान से काम प्रारम्भ कर सकते हैं।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

+

†*१६२. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री मुरारका :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने देश में औषधि तथा सूखे रंग उद्योगों के लिये आवश्यक मध्यवर्ती पदार्थों के निर्माण सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप देने के बारे में कुछ प्रगति की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और ये परियोजनायें कहां कहां चलायी जायेंगी; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). सहयोग देने वाली विदेशी फर्मों से अभी तक बातचीत चल रही है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : वहां पर क्या क्या सामान तैयार किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** सूखे रंग, औषधि तथा प्लास्टिक उद्योग सम्बन्धी ८६ मध्यवर्ती पदार्थों का निर्माण किया जायेगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** इस के लिये किस किस देश से बातचीत की जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** विशेष रूप से पश्चिमी जर्मनी की बेयर[1], बाडिशे[2] तथा होएस्ट[3] फर्मों से ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या इसके लिये कोई विदेशी सहायता भी मांगी गयी है, यदि हां तो किस रूप में ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मुख्य सहायता तो प्रविधिक जानकारी तथा प्रविधिक सहयोग के रूप में मांगी गयी है । इसके अतिरिक्त मशीनरी तथा पूंजी गत सामान मंगवाने के लिये ऋण के रूप में कुछ राशि मांगी गयी है ।

†**श्री मुरारका :** इस संस्था के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के अंतर्गत किस प्रकार की प्रबन्ध व्यवस्था की जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं इस सम्बन्ध में कोई पूर्व अनुमान तो नहीं कर सकता, परन्तु मेरा ख्याल है कि यह भी अन्य सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के समान ही होगी । सम्भवतः यह राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की ही एक सहायक संस्था बन जाये ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या पंजाब सरकार से कोई सुझाव आया है कि इस प्रकार की एक परियोजना पंजाब में भी स्थापित की जाये ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इस प्रकार का एक प्रश्न पिछली बार भी पूछा गया था । रूसी औषधि परियोजना तथा इन परियोजनाओं के लिये एक प्रविधिक समिति स्थापित कर दी गयी है । यह समिति इस बात पर विचार कर रही है कि ये परियोजनायें कहां कहां स्थापित की जायें पंजाब के अतिरिक्त और भी कई राज्यों ने अपने अपने क्षेत्र में परियोजनायें स्थापित करने के लिये प्रार्थना की है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** जहां तक पश्चिमी जर्मनी की सहायता तथा सहयोग से माध्यमिक वस्तुओं के निर्माण का सम्बन्ध है, उसके लिये कितना वित्तीय सहयोग मांगा गया है और परियोजना में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** अनुमान है कि प्राचीन उपकरणों के स्थान पर नये विशेष उपकरण लगाने पर कुल ६ करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी ।

शरणार्थी बस्तियों को दिल्ली नगर निगम के हवाले करना

+

†*१६३. **श्री वाजपेयी:**
श्री आसर:
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक** कार्य मंत्री २३ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की शरणार्थी बस्तियों के नागरिक-कार्यों को दिल्ली नगर निगम के हवाले कर देने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Bayer [2]Badische [3]Hoest

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या डिफेंस कालोनी को दिल्ली नगर निगम के हवाले कर देने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर):** (क) जी, हां।

(ख) अधिकांश बस्तियों का काम तो दिल्ली नगर निगम को सौंप दिया गया है। लगभग ८५ प्रतिशत काम निगम ने अपने हाथ में ले लिया है।

(ग) जी, हां।

(घ) डिफेंस कालोनी के जल संभरण और जल निस्सरण का काम क्रमशः १९५५ और १९५८ में नगर निगम को सौंप दिये गये थे। क्योंकि अब वह बस्ती दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आती है, इसलिये शेष कार्य भी शीघ्र ही निगम के हवाले कर दिये जायेंगे।

†**श्री वाजपेयी :** क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिये निर्धारित २३ लाख रुपयों की सम्पूर्ण राशि दिल्ली नगर निगम को अदा करने में आना कानी कर रही है; यदि हां, तो सरकार इस सम्पूर्ण राशि को अलग अलग किश्तों में अदा करने पर क्यों बल दे रही है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर:** यह सच नहीं है कि केन्द्रीय सरकार राशि देना नहीं चाहती। यह राशि २३ लाख रुपये नहीं अपितु २१ लाख रुपये है। केवल अदायगी के ढंग के सम्बन्ध में मतभेद है। निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय ने यह सुझाव दिया था कि यह अदायगी संचित राशि की अदायगी के रूप में की जाये और प्रारम्भ में निगम को एक लाख रुपये अदा किये जायें। परन्तु निगम इस बात पर बल दे रहा है कि सम्पूर्ण राशि का ५० प्रतिशत भाग उसे एक दम अदा कर दिया जाये। अन्तिम निर्णय के लिये मामला वित्त मन्त्रालय को सौंप दिया गया है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या यह सच नहीं है कि कई बस्तियों में सुविधाओं का पूर्णतया अभाव है और इसीलिये निगम उन बस्तियों के प्रबन्ध को लेने के लिये तैयार नहीं है ? क्या यह सच नहीं है कि निगम का यह कहना है कि पहले उन बस्तियों को सुविधायें समर्पित की जायें तब वह उनके प्रबन्ध को सम्भालेगा ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** मूल प्रश्न के उत्तर में मैंने यह बताया था कि लगभग ८५ प्रतिशत बस्तियों के प्रबन्ध को निगम ने सम्भाल लिया है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या यह सच नहीं है कि विवाद सुविधाओं के सम्बन्ध में है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** बस्तियों में जितना काम अधूरा रह गया है, उसे पूरा करने का निगम ने फैसला कर लिया है।

†**श्री अचित राम :** क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि किंग्जवे कैम्प की जो कालोनी है वह भी ट्रांसफर होगी दिल्ली कारपोरेशन को ?

†**श्री वाजपेयी :** ऐसी कितनी शरणार्थी बस्तियां हैं जो कि अभी तक केन्द्रीय सरकार के प्रबन्ध में हैं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नवल प्रभाकर : अभी बताया गया है कि ८५ परसेंट रुपया मंजूर हो गया है । दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन के अन्दर जो इलाका आता है कालोनीज का उन इलाकों के अन्दर यह जो डिवेलेपमेंट का काम है, मैं जानना चाहता हूं कि वह कब तक पूरा हो जायेगा और उस के लिये म्युनिसिपल कारपोरेशन ने कितने रुपये की मांग की है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर:** : ३ अगस्त, १९५९ को दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में विकास कार्य के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा गया था और उस के उत्तर में सभा पटल पर एक विवरण रखा गया था जिस में बताया गया था कि विकास कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और कितना काम शेष बचा है और वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

विस्थापित ठेकेदारों के दावे

†*१६४. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पाकिस्तान में रुकी हुई ठेकेदारों की विभाजन से पूर्व की राशियों की वसूली के सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ हुए करार के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : जी हां । इस सम्बन्ध में कुछ प्रगति हुई है । केन्द्रीय दावा संस्था ने दायर किये गये २,२९८ दावों में से ७४७ दावों के बारे में फैसला हो गया है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : पंजीबद्ध दावों की कुल कितनी राशि है और उस में से कितनी राशि अदा की जा चुकी है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर:** : वर्तमान स्थिति यह है कि भारतीय ठेकेदारों द्वारा विभाजन से पूर्व की निक्षिप्त राशियों की वसूली के लिये केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें तथा पश्चिमी पाकिस्तान के स्थानीय निकायों के विरुद्ध किये गये दावों की कुल संख्या २,२९८ है और उन की कुल राशि १३१.९ लाख रुपये है । उन में से पाकिस्तान द्वारा कुल ७४७ दावों के बारे में निर्णय किया गया है । उन में से ३४२ की पाकिस्तान ने जांच पड़ताल की है और ४०५ को अस्वीकार कर दिया गया है । कुल ७४७ दावों की कुल राशि ७४.८१ लाख रुपये थी ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या यह सच नहीं है कि इन जमा राशियों के सम्बन्ध में ठेकेदारों के पास लिखित सबूत थे और वे सबूत उन दावों के साथ लगाये गये हैं, और यदि हां, तो फिर शेष राशि की अदायगी में इतनी देर क्यों लग रही है ।

†**श्री पू० शे० नास्कर:** : हम शेष कार्य को शीघ्रता से निपटाने के लिये पाकिस्तान सरकार से बातचीत कर रहे हैं ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये दावों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर:** जैसे हम उन के दावों को अपने नियमों के अनुसार स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हैं, वैसे ही वे भी करते हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि विभाजन के उपरान्त एक विभाजन परिषद् बनाई गई थी जिस में दोनों देशों के प्रतिनिधि थे और उस ने इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना प्रारम्भ किया था । अब इस प्रश्न को कौन हल कर रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मुझे उस परिषद् या समिति के सम्बन्ध में तो कुछ ज्ञान नहीं है, परन्तु इस समय यह कार्य भारत-पाक करार के आधीन किया जा रहा है । करार के बाद इन दावों को निपटाने के लिये हमारी कई बैठकें हुई हैं ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : संभव है कि इस प्रकार का कोई करार हो, परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि दावेदारों ने वास्तव में काम किया था और उस की रसीदें भी उन के पास हैं, परन्तु फिर भी उन के दावे अस्वीकार कर दिये गये हैं और उन्हें अदायगी नहीं की गयी है ।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि दावों की प्राप्ति की आखिरी तारीख तक हमारे पास जितने भी दावों के आवेदन पत्र आये थे, हम ने उन्हें पाकिस्तान के पास भेज दिया है :

†**सरदार इकबाल सिंह** : परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने उन व्यक्तियों के बारे में विचार किया है जिन के पास दावों के समर्थन में रसीदें भी थीं, परन्तु फिर भी पाकिस्तान सरकार ने उन के दावों को अस्वीकार कर दिया है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मेरा निवेदन है कि यदि माननीय सदस्य इस प्रकार का कोई मामला हमारे ध्यान में लाये तो मैं निश्चय ही उस पर विचार करूंगा ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : वे दावे मंत्रालय के पास हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

तुकेर ग्राम

†१६५. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार कचार-सिल्हट सीमा पर तुकेर ग्राम नामक गांव के ग्रामवासियों से राजस्व वसूल कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस का विरोध किया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) इस प्रकार की कोई रिपोर्ट भी नहीं मिली है कि पाकिस्तान सरकार द्वारा तुकेरग्राम के वासियों से राजस्व वसूल किया जा रहा है। पर हां, पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा उन से चौकीदारी कर अवश्य मांगा गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : क्या इस सम्बन्ध में शासकीय अथवा कूटनीतिज्ञ स्तर पर पाकिस्तान से बात चीत की गयी है, और यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन**: मुख्य प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में यह बता दिया गया है कि "प्रश्न उत्पन्न नहीं होता" ।

†**श्री स०म०बनर्जी**: उस दिन इसी प्रकार के एक प्रश्न के उत्तर में माननीय उपमंत्री ने बताया था कि आसाम और पाकिस्तान के मुख्य सचिव तुकेरग्राम के सम्बन्ध में शीघ्र ही बात चीत प्रारम्भ

---

†मूल अंग्रेजी में

करेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बैठक कब होने वाली है और क्या यह आसाम में होगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मैं इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। मैं नहीं समझता कि इस के लिये कोई तिथि निर्धारित की गई है। वैसे हमारी इच्छा यही है कि यह बैठक शीघ्रातिशीघ्र होनी चाहिये ।

†**श्री हेम बरुआ:** क्या तुकेर ग्राम में पाकिस्तान द्वारा चौकीदारी कर की वसूली पाकिस्तान के इस दावे की पूर्ति की दिशा में पहला कदम नही है कि तुकेरग्राम पाकिस्तान का है; और यदि है तो तुकेर ग्राम को शीघ्रता से वापिस लेने के लिये सरकार क्या क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इस सम्बन्ध में दो ही प्रकार की कार्यवाहियां की जा सकती हैं और वे हैं : राजनीतिक कार्यवाही अथवा सैनिक कार्यवाही । जैसा कि मैं ने पहले भी बताया था विशेषकर तुकेरग्राम के सम्बन्ध में हमारी नीति यही ही है कि बड़े पैमाने पर कोई सैनिक कार्यवाही न की जाये यह बात मैं केवल मान "अहिंसा" की दृष्टि से ही नहीं कह रहा हूं अपितु इस आधार पर कह रहा हूं कि कोई भी सैनिक कार्यवाही करने से पहले उस के परिणामों पर अच्छी प्रकार से विचार कर लेना आवश्यक है। सामान्यतया हम सैनिक कार्यवाही को टालने के ही पक्ष में हैं । जैसा कि सभा को ज्ञात है, हाल ही में बिना किसी आधार के ही पाकिस्तान ने डौकी तथा अन्य भारतीय स्थानों पर गोली चलानी प्रारम्भ कर दी थी । हां, इस समय गोली चलाना बन्द है। तात्पर्य यह है कि हम स्थिति के प्रति पूर्ण सदैव जागरूक हैं और यदि आवश्यकता हुई तो हम उचित कार्यवाही करेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ :** मेरा प्रश्न एक विशेष बात के सम्बन्ध में है । करांची में यह घोषित किया गया था कि पाकिस्तान सरकार नेहरू-नून करार को कुछ भी महत्व नहीं देती, क्योंकि कूच-बिहार और बेरूबारी के क्षेत्रों के हस्तान्तरण का प्रश्न उच्चतम न्यायालय को सौंप दिया गया है क्या तुकेर-ग्राम की समस्या भी इसी से सम्बद्ध है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे स्मरण नहीं है कि पाकिस्तान द्वारा उक्त करार के सम्बन्ध में ऐसी घोषणा की गई हो। परन्तु उस का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं । यह उस करार के अन्तर्गत नहीं आता । तुकेर ग्राम गांव दो भागों में विभाजित है। नदी के पास पश्चिम की ओर २०० एकड़ भूमि पाकिस्तान की ओर है। यद्यपि विभाजन काल से ले कर उस पर भारत का ही अधिकार रहा है, परन्तु गत एक वर्ष से उस पर पाकिस्तान ने अधिकार जमा रखा है । पाकिस्तान की यह कार्यवाही अन्याय-पूर्ण है । प्रधान मंत्रियों की बैठक के अवसर पर इस की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था यह करार के मुख्य विषयों में से एक नहीं था । और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया था, परन्तु उसी समय उन्होंने पथरिया वन सम्बन्धी प्रश्न पर चर्चा प्रारम्भ कर दी और हम पर यह आरोप लगाया कि "आप ने पथरिया वन की हमारी कुछ भूमि पर अधिकार जमा रखा है, आप पथरिया के क्षेत्र को छोड़ दो और हम तुकेरग्राम को छोड़ देंगे ।" इस प्रकार से वे एक सौदा करना चाहते थे। हम ने यह कहा कि "हम पथरिया वन के सम्बन्ध में लगाये गये आरोप को स्वीकार नहीं करते । झगड़े को निपटाने के लिये पथरिया का उचित रूप में सीमांकन किया जाये, और सीमांकन का निर्णय दोनों ओर के फोरेस्ट कंजरवेटर करेंगे ।" तदुपरान्त दोनों ओर के कंजरवेटरों

†मूल अंग्रेजी में

की बैठक हुई परन्तु उन में कोई फैसला न हो सका जिस के परिणामस्वरूप मामला अभी वहीं का वहीं है ।

इस प्रकार से तुकेरग्राम के सम्बन्ध में बातचीत तो की गई थी, परन्तु वह उस करार के अन्तर्गत नहीं आया । वैसे पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने यह स्वीकार कर लिया था कि वह क्षेत्र भारतीय क्षेत्र है ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं यह जानना चाहता हूं कि तुकेरग्राम के प्रश्न को पथरिया वन की समस्या के साथ जोड़ने की अनुमति क्यों दी गई ? इस से पहले तो इन दोनों प्रश्नों का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं था । यह सम्बन्ध तो प्रधान मंत्रियों की बैठक में स्थापित किया गया है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह कहना ग़लत है कि हम ने इन दोनों प्रश्नों में सम्बन्ध स्थापित किया है । यह बात तो पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने कही थी । हम अलग रूप में तुकेरग्राम के लिये दावा कर सकते हैं ; परन्तु हम ने दूसरे प्रश्न को हल करने के बारे में भी निर्णय किया था ।

†**श्री हेम बरुआ** : तुकेरग्राम का प्रश्न एक अलग प्रश्न था, परन्तु अन्त में उसे पथरिया के प्रश्न से जोड़ दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्हों ने पथरिया का प्रश्न नहीं उठाया था । ऐसा तो पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने किया था .

†**श्री हेम बरुआ** : परन्तु हम ने भी तो उस प्रश्न को स्वीकार कर लिया है न ?

†**अध्यक्ष महोदय** : तर्क देने से कोई लाभ नहीं है ।

†**श्री आसर** : माननीय प्रधान मंत्री के उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या नेहरू-नून करार अभी तक मान्य नहीं है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस का उत्तर देना बड़ा कठिन है ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : 'आसाम ट्रिब्यून' दिनांक १० जून, १९५९ के सम्पादकीय के अनुसार न ही केवल तुकेरग्राम अपितु भारत के कई और क्षेत्रों पर भी पाकिस्तान ने अवैध रूप में अधिकार जमा रखा है । यदि उक्त रिपोर्ट सच है तो उस प्रकार के अवैध प्रवेश को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : आसाम के इस पत्र के आधार पर यह कहा गया है कि किन्हीं अज्ञात क्षेत्रों पर पाकिस्तान ने अधिकार जमा लिया है । उस का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं ?

†**श्रीमती मसीदा अहमद** : वे क्षेत्र हैं---फाजिल्का, टीला, इलियास टीला तथा टेंगरकांडी जोकि उत्तर कचार पहाड़ी जिले में हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पथरिया संरक्षित वन में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा 'बंकरों' का निर्माण

†*१९२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री स० मो० बनर्जी:
श्री जगदीश अवस्थी:
श्री सरजू पाण्डे:
श्री विभूति मिश्र:
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री आसर:
श्री वाजपेयी:
श्री हेम राज:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १२ तथा १३ जून १९५९ को पथरिया वन में हरतोकितिल्ला की भारतीय सीमा चौकी और करीमगंज क्षेत्रों में पाकिस्तानी सैनिकों ने मशीनगन से निरन्तर गोली चलाई ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मृत्युयें हुईं और कितनी सम्पत्ति नष्ट हुई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तानी सेना कर्मचारी खाइयां और 'बंकर' करीमगंज से ८ मील सूतन-करांची में बना रहे हैं एवं पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त ने स्वयं उन्हें अपनी हाल की सीमा क्षेत्र की यात्रा में देखा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या युद्धविराम करार के उल्लंघन का पाकिस्तान सरकार से विरोध किया गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) १२ जून १९५९ को पाकिस्तानी सैनिकों ने हरताकितिल्ला पर मशीनगन से गोली चलाई ।

(ख) शून्य ।

(ग) उच्चायुक्त यह क्षेत्र देखने मई १९५९ में गये थे । उन्हों ने यह सूचना नहीं दी है कि उन्हों ने सूतन में पाकिस्तानियों को 'बंकर' बनाते देखा था ।

(घ) हां, श्रीमान् । पथरिया संरक्षित वन में पाकिस्तानी सशस्त्र सेना की आक्रमणकारी कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति की गम्भीरता के बारे में पाकिस्तान सरकार को राज्य तथा केन्द्रीय दोनों स्तर पर बार बार बताया गया है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: क्या उस के बाद इस क्षेत्र विशेष में फिर कभी गोली चलाई गई है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : कब से ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : १३ जून से ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: आस पास खूब गोली चलती रही है परन्तु उस स्थान-विशेष पर गोली चली या नहीं, यह मैं नहीं जानता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी** : माननीय उपमंत्री ने कहा था कि उच्चायुक्त उस क्षेत्र में गये और वहां उन्हें कोई 'बंकर' या खाई न मिली ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं ने यह नहीं कहा कि वहां कोई 'बंकर' नहीं है । मैं ने कहा था कि उन्हों ने अपने प्रतिवेदन में इस का उल्लेख नहीं किया ।

†**श्री स० मो० बनर्जी**: उन्हों ने उल्लेख नहीं किया है इसलिये क्या हम यह समझें कि उन्हों ने कोई 'बंकर' नहीं देखा ? यदि उन्हों ने कोई नहीं देखा तो इस सूचना का खंडन क्यों नहीं किया गया । इस ने समस्त देश में हलचल मचा दी है । क्या प्रेस सूचना सच है या नहीं ? यह तो चल ही रहा है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : 'बंकर' बहुत अस्थायी होते हैं जो बनाये, मिटाये, भरे और खोले जा सकते हैं । यदि 'बंकर' हैं भी तो उन्हें छिपाया जा सकता है । अनेकों बातें हो सकती हैं । उत्तर में यह कहा गया है कि वहां जो उच्चायुक्त गया था उस ने प्रत्यक्ष रूप में 'बंकर' नहीं देखे ।

†**श्री आसर** : क्या हमारे उच्चायुक्त तुकेरग्राम पर पाकिस्तान का कब्जा होने के बाद गये थे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा यह विचार नहीं है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ**: माननीय प्रधान मंत्री ने बताया है कि 'बंकर' अस्थायी होते हैं । क्या पाकिस्तान की ओर 'बंकर' सीमेंट, कंकरीट या अन्य वस्तु के बनते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे क्या पता ? कुछ हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते । 'बंकर' सभी प्रकार के हैं ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन**: एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या जून के बाद पथरिया वन में गोली चली है ? पथरिया क्षेत्र में ३, ४, १४ और १९ जुलाई को गोली चली है ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य**: माननीय प्रधान मंत्री ने अभी बताया है कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने पथरिया और तुकेरग्राम के इस प्रश्न पर सौदे की दृष्टि से विचार किया । क्या हम यह नहीं दिखा सकते कि इस खेल को दोनों खेल सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय**: यह कार्यवाही के सुझाव हैं । अगला प्रश्न ।

आन्ध्र प्रदेश में कास्टिक सोडा संयंत्र

†*१६६. { **श्री नागी रेड्डी**:
श्री त० ब० विट्ठलराव:

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र सुगरस लि०, तानुकु का कास्टिक सोडा संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव का निश्चय हो गया है ;

(ख) क्या मशीन और प्रौद्योगिक जानकारी के लिये किसी विदेश से वार्ता हो रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इस के लिये कोई विदेशी मुद्रा मुक्त की गई है ?

†उद्योग मंत्री श्री (मनुभाई शाह) : (क) हां, श्रीमान् । योजना सरकार ने स्वीकार कर ली है ।

(ख) तथा (ग). हां श्रीमान् । जर्मन लोकतंत्रात्मक गणतंत्र से संयंत्र व मशीन का आयात करने का फर्म का प्रस्ताव भी स्वीकार हो गया है ।

†श्री नागी रेड्डी: : इस संयंत्र की प्रस्तावित अनुमानित क्षमता कितनी है ? इस पर कितना व्यय होगा ?

†श्री मनुभाई शाह : व्यय लगभग ६० लाख रु० होगा और क्षमता लगभग ४,००० टन कास्टिक सोडा प्रति वर्ष है ।

†श्री नागी रेड्डी: : क्या संयंत्र द्वितीय पंच वर्षीय योजना में स्थापित होगा ?

†श्री मनुभाई शाह : हां श्रीमान । उस समय तक सारी सामग्री प्राप्त हो जायेगी । द्वितीय योजना के अन्त तक वास्तव में इस में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा यह विचारनीय विषय है परन्तु तृतीय योजना के आरम्भ में इस में उत्पादन अवश्य आरम्भ हो जायेगा ।

†श्री त० ब० विट्ठलराव : इस ६० लाख रु० में विदेशी मुद्रा की मात्रा कितनी है ?

†श्री मनुभाई शाह : ६० लाख रु० में ३८ लाख रु० विदेशी मुद्रा के हैं ।

बम्बई राज्य में सीमेंट का कारखाना

†*१६७. श्री पांगरकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५९–६० में बम्बई राज्य में एक सीमेन्ट कारखाना खोला जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना की तफसील तैयार हो गई है; और

(ग) कारखाना खोलने पर कुल कितना धन व्यय होगा ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). यदि माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करें कि वह किस योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें उसके बारे में बता सकूंगा ।

†श्री पांगरकर : क्या बम्बई राज्य के किसी गैर सरकारी समवाय ने राज्य में सीमेन्ट कारखाना खोलने के लिये लाइसेन्स के लिये सरकार से प्रार्थना की है, यदि हां तो, क्या अभी तक कोई लाइसेन्स दिया गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य का अभिप्राय किस योजना विशेष से है ? क्योंकि कई योजनाओं पर विभिन्न प्रक्रमों में विचार हो रहा है ।

†श्री नागी रेड्डी : क्या सरकार नये लाइसेन्स देते समय हमारी अर्थ-व्यवस्था और बाजार में अधिक संभरण का ध्यान रखेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्य के सत्य कथनानुसार, सरकार प्रति छः मास उपरान्त स्थिति पर विचार करती है । विद्यमान अतिरेक क्षमता की दृष्टि से नये सीमेन्ट कारखाने खोलने के सम्बन्ध में हमारी नीति सावधानीपूर्ण कार्यवाही करने की है यद्यपि कुछ योजनायें दो वर्ष पूर्व ही स्वीकृत हो चुकी हैं ।

कोरट्टी (केरल) में सीक्योरिटी प्रेस

+

†*१६८. { **श्री नारायण कुट्टी मेनन:**
श्री पुन्नूस:

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरट्टी (केरल) में सीक्योरिटी प्रेस का निर्माण आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) तथा (ख). कोरट्टी में सीक्योरिटी प्रेस खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । परन्तु कोरट्टी में एक सामान्य प्रेस खोलने का निश्चय किया गया है । यद्यपि प्रेस के लिये भूमि प्राप्त कर ली गई है परन्तु विदेशी मुद्रा के उपलब्ध न होने के कारण प्रेस के तैयार होने में विलम्ब हुआ है ।

†**श्री नारायण कुट्टी मेनन** : एक माननीय मंत्री ने बताया था कि मुख्य कठिनाई केरल सरकार को भूमि प्राप्त करने में हो रही है । अब भूमि तो प्राप्त हो गई है, फिर सरकार प्रेस कब चालू करेगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य की जानकारी ठीक नहीं है । हमने यह कभी नहीं कहा कि कठिनाई केरल सरकार द्वारा भूमि प्राप्त न करने की है । भूमि हमारे पास है । परन्तु हमारे पास प्रेस की मशीन व उपकरणों के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा नहीं है ।

†**श्री पुन्नूस:** : इस संयंत्र का अनुमानित व्यय कितना है और उसमें कितने श्रमिकों को काम मिल सकेगा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : साधारणतया कुल लागत ७१ लाख रु० से कुछ अधिक होगी । मशीनों पर लगभग २६ लाख रु० व्यय होगा ।

†**श्री पुन्नूस** : श्रमिकों के बारे में क्या है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : बता रहा हूं । सामग्री पर लगभग २६ लाख रु० व्यय होंगे । आरम्भ में ४०० श्रमिक रखे जायेंगे । प्रेस के पूर्णरूपेण काम करने पर यह संख्या एक हजार हो सकती है ।

†**श्री नारायण कुट्टी मेनन** : क्या सरकार इस प्रेस के लिये विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के लिये कोई ठोस कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री अनिल० कु० चन्दा** : हां, श्रीमान । हम वित्त मंत्रालय से निरन्तर प्रार्थना कर रहे हैं कि वह हमें विदेशी मुद्रा दे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: मैं सभा को बताना चाहता हूं कि कोरट्टी प्रेस के अतिरिक्त कोयम्बटूर में भी प्रेस खोलने का निश्चय किया गया है । वह भी इसी कठिनाई के कारण अपूर्ण पड़ा है । अतः कोरट्टी व कोयम्बटूर दोनों ही एक ही स्थिति में हैं

अमरीका के साथ वस्तु विनिमय व्यापार

+

†*१६६. { **श्री पाणिग्रही** :
{ **श्री मुरारका**:

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २२ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १९७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीका के साथ किये गये वस्तु विनिमय सौदे के अन्तर्गत अमरीका से कितना आयात और कितना निर्यात किया गया ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: : अभी माल नहीं भेजा गया है क्योंकि मूल्यों के बारे में अभी बातचीत हो रही है ।

†**श्री पाणिग्रही** : इस वस्तु विनिमय सौदे के अनुसार सरकार ने नवम्बर १९५९ तक ४२ प्रतिशत ग्रेड का १.५ लाख टन और ४६ प्रतिशत ग्रेड का २५००० टन मैंगनीज अयस्क और ७५००० टन लौह-मैंगानीज़ निर्यात करने की सहमति प्रकट की थी । क्या सरकार इस तिथि तक माल भेज सकेगी या कि इसे बदलना पड़ेगा ?

†**श्री कानूनगो**: : तारीख की कोई पाबन्दी नहीं है । प्रश्न यह है कि क्या हम गेहूं लेकर मैंगानीज़ देने के लिये तैयार हैं । हमें कोई जल्दी नहीं है क्योंकि कुछ समय में मूल्य अधिक अनुकूल हो जायेंगे ।

†**श्री पाणिग्रही** : जब वस्तु विनिमय का सौदा किया गया क्या उस समय मूल्य निश्चित नहीं किये गये थे ?

†**श्री कानूनगो**: : जी नहीं ।

†**श्री मुरारका**: : वस्तु विनिमय करार करने में इतना समय क्यों लगा ?

†**श्री कानूनगो**: : वस्तु विनिमय करार अमरीका और भारत सरकार में हुआ था । अमरीकी कानून के अनुसार वहां की सरकार व्यापार में भाग नहीं ले सकती । उन्हें कई अभिकरणों के जरिये कार्य करना पड़ता है । इसलिये कुछ अधिक समय लगा । करार तो दोनों देशों की सरकारों के बीच हुआ था परन्तु मूल्य दोनों देशों के अभिकरणों द्वारा निर्धारित किये जायेंगे । मैं ने बताया कि हम उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब मूल्य हमारे अनुकूल हो जायेंगे ।

†**श्री मुरारका**: : क्या यह सच नहीं कि बातचीत में बहुत समय लग गया है और इस बीच फैरो मैंगानीज़ का मूल्य गिर गया है और अमरीका में गेहूं का भाव बढ़ गया है और इसके फलस्वरूप भारत को काफी हानि होगी ?

†**श्री कानूनगो**: : यह तो सही है कि गेहूं का मूल्य बढ़ गया है परन्तु मैंगानीज़ का मूल्य बातचीत आरम्भ होने से बहुत पहले गिर गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मुरारका: बातचीत कब आरम्भ हुई थी और क्या कारण है कि अब तक कुछ भी निर्यात या आयात नहीं किया गया ?

†श्री कानूनगो: मैं ने बताया कि करार नवम्बर में किया गया था परन्तु हम माल भेजने के लिये उत्सुक नहीं हैं क्योंकि हमें कुछ समय बाद अधिक मूल्य मिलने की आशा है ।

†श्री पाणिग्रही : क्या सरकार को मालूम है गैरसरकारी मैंगानीज़ निर्यातकर्ताओं ने वस्तु-विनिमय के आधार पर ७५००० टन मैंगानीज़ का निर्यात किया है परन्तु भारत सरकार अथवा राज्य व्यापार निगम जिसके पास २ लाख टन मैंगानीज़ अयस्क का स्टाक पड़ा है गत डेढ़ वर्ष में कुछ भी निर्यात नहीं कर सका जिसके फलस्वरूप कई खानें बन्द करनी पड़ीं ?

†श्री कानूनगो : माननीय सदस्य की जानकारी सही नहीं है। असल बात यह है कि निर्यातकर्ताओं और राज्य व्यापार निगम ने उन संविदाओं के आधार पर जो काफी समय से लम्बित थीं, मैंगानीज का निर्यात किया है ।

†श्री पाणिग्रही: राज्य व्यापार निगम ने कितने मैंगानीज़ अयस्क का निर्यात किया है ?

†श्री कानूनगो: मेरे पास आंकड़े नहीं हैं परन्तु वे साप्ताहिक समाचार में उपलब्ध हैं। यदि सूचना दी जाये तो मैं दे सकता हूं ।

†श्री मुरारका : क्या वस्तु विनिमय सौदे के अन्तर्गत अमरीका को सारा संभरण राज्य व्यापार निगम करेगा या कि गैर-सरकारी व्यापारियों को भी इजाज़त दी जायेगी ?

†श्री कानूनगो : करार राज्य व्यापार निगम के साथ हुआ है परन्तु वह अपने सहयोगी व्यापारियों के जरिये निर्यात करेगा ।

†श्री दामानी: माननीय मंत्री किस आधार पर यह कहते हैं कि अमरीका में मैंगानीज़ का मूल्य बढ़ जायेगा ?

†श्री कानूनगो : व्यापारिक समाचारपत्रों में इसके कारण बताये गये हैं और प्रवृत्ति भी ऐसी ही दिखाई देती है ।

पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का प्रव्रजन

+

†*१७०. { श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बहुत से परिवार पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार कर चले आये और वे पश्चिम बंगाल में आश्रय ढूंढ़ रहे हैं ;

(ख) क्या पूर्वी पाकिस्तान के जिला खलना के सलखेड़िया स्थान से हाल ही में कुछ अनुसूचित जातियों के परिवार भी आये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह अभियोग लगाया है कि सैनिक शासन में उन पर बड़े जुल्म हुए हैं ; और

(घ) उन्हें बसाने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी बंगाल में आने वाले परिवारों की संख्या कुछ मास से बढ़ती जा रही है ।

(ख) इनमें अनुसूचित जातियों के परिवार भी शामिल हैं ।

(ग) उनका कहना है कि पाकिस्तानी पुलिस और पूर्वी पाकिस्तान राइफल्ज़ ने उन्हें बहुत तंग किया था ।

(घ) हाल ही में आये परिवारों को बसाने के लिये राज सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही को प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : अब जो लोग आयेंगे उनका पुनर्वास नहीं किया जाना है परन्तु क्या अयूब शासन के बाद प्रव्रजन करने वाले इन परिवारों और बेरु बड़ी के प्रस्तावित हस्तान्तरण के पश्चात् आने वाले शरणार्थियों के साथ रियायत करते हुए उनका पुनर्वास दिया जायेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मेरा ख्याल है कि इन लोगों की सहायता की जायेगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : वास्तव में कितने परिवार भारत आये हैं और कलकत्ता में रह रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : लगभग २०० या ३०० परिवार ।

†**श्री स० मो० बनर्जी**: क्या उनके पुनर्वास के लिये कोई हिदायतें दी गई हैं अथवा उन्हें अकर्म वेतन दिये गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका पुनर्वास कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं तिथि कैसे बता सकता हूं ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि भारत पाक सामान नियम १९५५ का पाकिस्तान सरकार द्वारा एक पार्श्विकता से परित्याग किया गया ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही करने वाली है जिससे कि पाकिस्तान से आने वाले प्रव्रजकों को पाकिस्तानी सेना और पुलिस इस आधार पर व्यर्थ तंग न करे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह प्रश्न उत्पन्न होता है क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां से आने वाली महिलाओं को अपने ज़ेवर और लोगों को अपनी घड़ियां और फाउन्टेनपेन लाने की इजाज़त नहीं दी जाती ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ऐंटीबायटिक्स

†*१५७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐंटीबायटिक्स के उत्पादन का लक्ष्य कहां तक पूरा हुआ है ;

(ख) क्या देश में ऐंटीबायटिक्स कारखानों का उपकरण तैयार करने के प्रयत्न किये गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग): एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ५०**]

टाट[1] का निर्यात

†*१७१. **श्री त्रिविध कुमार चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया गया है जो २ जून, १९५९ को कलकत्ता में प्रकाशित हुए भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति के जूट बुलेटिन में प्रकाशित हुए और जिसमें बताया गया कि मई, १९५९ के पूर्व के १० महीनों में टाट (सैकिंग) का निर्यात कम होने और मिलों में स्टाक जमा होने के क्या कारण थे ;

(ख) क्या टाट का निर्यात कम होने के कारणों का पता लगाने के लिये सरकार ने हाल ही में कोई जांच कराई है ;

(ग) पाकिस्तान और अन्य देशों को होने वाले पटसन के बोरों के निर्यात में कितनी कमी हुई है ;

(घ) निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार कौन से उपायों पर विचार कर रही है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस बारे में भारतीय पटसन मिल संघ की राय पूछी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). भारत से टाट का निर्यात कम हो गया है और पाकिस्तान का निर्यात बढ़ गया है। कुछ हद तक इसके कारण पाकिस्तानी उद्योग को पटसन की सस्ती कतरनों का उपलब्ध होना और पाकिस्तान की मुद्रा योजना है। टाट के उत्पादन के लिये पटसन की कतरनों का आयात बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) जी हां।

मोटर परिवहन उद्योग

†*१७२. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोटर परिवहन क्षेत्र सम्बन्धी प्रारूप विधान तैयार करने के लिये नियुक्त की गई विशेष समिति ने सरकार को सुझाव दिया था कि मोटर परिवहन उद्योग की औद्योगिक तथा श्रम सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिये एक त्रिपक्षीय समिति बनाई जायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार त्रिपक्षीय समिति नियुक्त करना चाहती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sacking.

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) यह सुझाव दिया गया था कि सरकार परिवहन कर्मचारियों के कार्य, वेतन क्रम, स्वास्थ्य तथा कार्यभार की जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त करने के सम्बन्ध में विचार करे ।

(ख) और (ग). जांच आयोग नियुक्त करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि शीघ्र ही मोटर परिवहन कर्मचारियों के कार्य आदि को विनियमित करने के लिये एक विधेयक पुर:स्थापित किया जाने वाला है ।

फिल्मों का निर्यात

†*१७३. श्री दामानी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों ने फिल्मों का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से फिल्म निर्माता और निर्यात कर्ताओं से समय-समय पर मुलाकात की है; और

(ख) फिल्मों का निर्यात बढ़ाने में हमारे निर्यातकर्ताओं को किन मुख्य कठिनाइयों का सामाना करना पड़ता है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) और (ख). एक निर्यात संवर्धन समिति स्थापित की गई है जिसकी दो बैठकें हो चुकी हैं। इस समिति में फिल्म निर्माताओं और निर्यात-कर्ताओं के भी सदस्य लिये गये हैं जो समिति की कार्यवाही में भाग लेते हैं ।

फिल्मों का निर्यात बढ़ाने में बहुत सी पेचीदा समस्यायें हैं जिनका उल्लेख इस संक्षिप्त उत्तर में नहीं दिया जा सकता । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समिति फिल्म व्यापार के इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श करके इन सब प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न कर रही है ।

पश्चिम बंगाल की नगरपालिकाओं को आर्थिक सहायता

†*१७४. श्री सुबिमन घोष:
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार शरणार्थियों सम्बन्धी विकास कार्य के लिये पश्चिम बंगाल की विभिन्न नगरपालिकाओं को आर्थिक सहायता देना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विकास कार्य आरम्भ किया जाना है ; और

(ग) प्रत्येक नगरपालिका को कितनी आर्थिक सहायता की मंजूरी दी गई है ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ५१]

(ख) जिन विकास कार्यों के लिये आर्थिक सहायता मंजूर की गई है वे सड़कें बनाना, जल संभरण, सफाई आदि की व्यवस्था करना, नालियां बनाना और रौशनी की व्यवस्था करना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थानीय विकास निर्माण कार्यक्रम

*१७५. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने बिहार राज्य को यह सूचना दी थी कि वर्ष १९५९-६० के लिये स्थानीय विकास कार्यक्रम के अधीन छोटी योजनाओं के लिये उस कोई धन राशि दी जावेगी; और

(ख) क्या ये हिदायतें केवल नई योजनाओं के लिए हैं या चालू योजनाओं के लिये भी ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र): (क) व (ख). राज्य सरकारों को, जिनमें बिहार भी शामिल है, यह सूचित किया गया है कि यह कार्यक्रम १९५९–६० में जारी रहेगा और इस वर्ष केवल गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिये ही नयी योजनाएं शुरू की जायेंगी ।

पूना में स्टूडियो की खरीद

†*१७६. **श्री आसर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पूना में एक स्टूडियो खरीदने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह सौदा कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो स्टूडियो का नाम और मूल्य क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (घ). सरकार को पूना के एक स्टूडियो से प्रस्ताव मिला था जिस पर हर पहलू को देखते हुए विचार किया जायेगा । अभी यह कहना कठिन है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जायेगा या नहीं ।

मेथानोल प्लांट दिल्ली

†*१७७. { **श्रीमती मफीदा अहमद** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री वाजपेयी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २२ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १९६७ के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंदरी में पड़े मेथनोल प्लांट का उपयोग करने के बारे अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि ३ मई, १९५९ को सिंदरी के मेथनोल प्लांट के कुछ बेकार पड़े 'क्रेटों' में आग लग गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस से कितनी हानि पहुंची ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ५२**]

---

†मूल अंग्रेजी में

छावनी बोर्ड कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण

†*१७८. श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री ३१ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्ड कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिये नियुक्त किये गये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने पंचाट प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं ।

(ख) अक्तूबर, १९५९ की समाप्ति तक ।

प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा

†*१७९. श्री नाथ पाई :
श्री वाजपेयी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री न० रा० मुनोस्वामी :
श्री हेम राज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन की हाल ही की नेपाल यात्रा और नेपाल सरकार से बातचीत के फलस्वरूप किसी राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये करार मोटे तौर पर किस प्रकार के हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख) जी नहीं ।

पंजाब सरकार को ऋण

†*१८०. श्री हेम बरुआ : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को पंजाब सरकार से यह सुझाव मिला है कि उन्होंने १९४७–४८ में ८२ लाख रुपये का जो ऋण लिया था अनुदान में बदल दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार का क्या मत है ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर): (क) पंजाब सरकार से एक सुझाव मिला था कि उन्हों ने पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को जो ८२.८६ लाख रुपये के खाद्य ऋण दिये थे वे अनुदानों में बदल दिये जायें । यह राशि राज्य सरकार ने अपनी निधि में से खर्च की थी न कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये ऋण में से ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह राशि अनुदान के तौर पर देने का निश्चय किया गया है ।

उत्तरी बिहार का औद्योगिक विकास

†*१८१. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के प्रविधिक-आर्थिक सर्वेक्षण दल ने उत्तरी बिहार में ऐसे उद्योग चालू करने की सिफारिश की है जिन में चीनी के निर्माण के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली बेकार चीजों का कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा सके;

(ख) क्या बिहार सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार को भी लिखा है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) बिहार सरकार से सरकारी तौर पर कोई पत्र नहीं मिला है । परन्तु प्रविधिक आर्थिक सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट की एक प्रति देखने से ज्ञात हुआ है कि उसमें की गई बहुत सी सिफारिशें ऐसे उद्योगों के बारे में हैं जिन्हें औद्योगिक व्यक्ति स्थापित करेंगे । इन औद्योगिकों से जब उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा तो उस पर उस के महत्व की दृष्टि से, औद्योगिक नीति के सामान्य रूप और देश के विकास का ध्यान रखते हुए विचार किया जायेगा ।

त्रिपुरा में बसे विस्थापित व्यक्तियों का आर्थिक सर्वेक्षण

†*१८२. श्री दशरथ देब : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या त्रिपुरा की सरकारी बस्तियों में बसे विस्थापित व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति का कोई सर्वेक्षण त्रिपुरा प्रशासन द्वारा किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो आर्थिक सर्वेक्षण का प्रतिवेदन कब प्रकाशित होगा; और

(ग) क्या त्रिपुरा प्रशासन ने आर्थिक सर्वेक्षण के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर): (क) से (ग) त्रिपुरा प्रशासन ने १९५७ में परिवार एकक के आधार पर विभागीय तौर पर सरकारी बस्तियों का एक आर्थिक सवक्षण इस प्रयोजन से किया था कि उन परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने की योजनायें बनाई जा सकें जिन के पुनर्वास में अंशतः सहायता दी गई थी । यह प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं किया जायेगा परन्तु इस के निष्कर्षों के आधार पर कई योजनायें स्वीकृत की गई हैं ।

साइकिल के टायर और ट्यूब

†*१८३. श्री अ० क० गोपालन:
श्री तंगामणि :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री:

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को साइकिल के टायर और ट्यूब के चोर बाजार के बारे में शिकायतें मिली हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह स्थिति किन कारणों से हुई है ; और

(ग) इस के उपचार के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ५३]

बेरूत में व्यापार केन्द्र

†*१८४ श्री पहाड़िया : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य में भारतीय राजदूत ने सरकार से बेरूत में एक व्यापार केन्द्र खोलने के लिये कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख) अगस्त १९५७ में काहिरा में हमारे राजदूत ने बेरूत में एक 'शोरूम' खोलने की सिफारिश की थी। मुनासिब शर्तों पर उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण इस प्रस्ताव पर ठीक से विचार नहीं किया जा सका।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

†*१८५. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दामानी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री तंगामणि :
श्री स० रा० मुनिस्वामी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री ले० अचौ सिंह :
श्री पहाड़िया :
श्री बांगशी ठाकुर :
श्री आसर :
श्री प्र० गं० देव :
श्री विश्वनाथ रेड्डी :

क्या योजना मंत्री १३ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना तैयार करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ५४]

---

†मूल अंग्रेजी में

तिब्बत में लद्दाखी छात्र

†*१८६. श्री अ० मु० तारिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की तिब्बत में लद्दाखी छात्रों के बारे में कोई जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है; और

(ग) क्या सरकार उन छात्रों को सुरक्षित भारत में वापस लाने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). हम लहसा में अपने महा-वाणिज्य दूत से सूचना मिली है कि तिब्बत में कई लद्दाखी लामा छात्र हैं। उन की संख्या ठीक ठीक मालूम नहीं क्यों कि कुछ एक ने ही महा वाणिज्य दूत के पास अपने नाम रजिस्टर कराये हैं। हम और ब्यौरा पता नहीं लगा सके।

(ग) हम चीन सरकार से बात चीत कर रहे हैं कि लद्दाखी उद्भव के व्यक्तियों को भारतीय राष्ट्रजन मान कर उन्हें, यदि वे चाहें, अपने नाम महावाणिज्य दूत के पास रजिस्टर कराने की अनुमति दी जाये। मालूम नहीं उन में से कितने लोग तुरन्त भारत लौटना चाहेंगे परन्तु जिन्हें भारतीय राष्ट्रजन मान लिया जायेगा उन्हें वापस आने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

औद्योगिक विवाद अधिनियम का संशोधन

†*१८७. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री ३ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के संशोधन का प्रश्न किस अवस्था में है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): २७ से २९ जुलाई, १९५९ तक मद्रास में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन में अधिनियम में और संशोधन करने वाले प्रस्तावों पर विचार किया गया था। सम्मेलन में किये गये निर्णयों के अनुसार आगे कार्यवाही की जा रही है।

'रेडियल ड्रिल' का निर्माण

†*१८८. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज़ लिमिटेड में 'रेडियल ड्रिल' का निर्माण आरम्भ हो गया है;

(ख) क्या अभी तक उस का विक्रय किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इस कारखाने में सस्ते खरादों (लेथ्स) का भी निर्माण किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो मूल्य और किस्म की दृष्टि से इस में और आयात किये गये भारत में क्या अन्तर है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) १९५८-५९ में समवेत की गई ५० रेडियल ड्रिलिंग मशीन बेची गईं ।

(ग) जी हां ।

(घ) हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज़ कम्पनी में बनाये गये फ्रांसीसी ढंग के खराद (लेथ) मूल्य और किस्म की दृष्टि से उस से अच्छे हैं जिन का आयात किया जाता है ।

दिल्ली में शरणार्थी बाजार

†*१८९. { **श्री वाजपेयी** :
श्री आसर :

क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये बाजारों में नागरिक सुविधायें आदि देने का काम दिल्ली नगर निगम को सौंपने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी हां ।

(ख) दो विवरण जिन में (१) उन बाज़ारों के नाम हैं जिन की नागरिक सेवायें हस्तांतरित कर दी गई हैं और (२) उन बाज़ारों आदि के नाम हैं जिनकी नागरिक सेवायें हस्तांतरित की जानी हैं, सभा-पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५५]**.

बम्बई में कपड़ा मिलें

†*१९०. **श्री दांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई की कपड़ा मिलें हाल ही में अपनी पूर्ण क्षमता से उत्पादन नहीं कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

युवक योजना क्लब

†*१९१. **श्री राधा रमण** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने युवक योजना क्लबों सम्बन्धी कोई योजना स्वीकृत की है जिन से कि देश के युवकों का उत्साह बढ़े, योजना में उन की रुचि पैदा हो और उन में अनुशासन की भावना पैदा हो ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या और हैं इसे नगरीय तथा ग्राम्य क्षेत्रों में अलग-अलग किस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा ; और

(ग) योजना की कुल क्षमता क्या है और इस का संचालन कौन करेगा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) से (ग), एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५६]**.

कच्चा पटसन

†*१९३. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पटसन की काश्त तथा व्यापार करने वाली संस्थाओं से कोई अभ्यावेदन मिला है जिस में उन्हों ने यह मांग की है कि कुछ एक प्रकार की पटसन कतरणों के आयात पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगा दिया जाये जो देश में काफी मात्रा में उपलब्ध हैं अथवा जिन की बजाये दूसरी किस्मों का प्रयोग किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि भारत जूट सैलर एसोसियेशन ने देसी पटसन का निर्यात करने की अनुज्ञा मांगी है जिस का बहुत सा स्टाक जमा हो गया है ;

(ग) देसी पटसन का यह स्टाक जमा होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उपरोक्त मामलों के बारे में सरकार ने क्या निणय किया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) पटसन कतरणों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये सुझाव मिले हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) देसी पटसन का स्टाक जमा हो जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) उन्हीं किस्मों की पटसन कतरणों आयात करने की अनुमति दी जाती है जो निर्यात के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं । कच्चे पटसन, जिस में देसी पटसन भी शामिल है, का निर्यात राज्य व्यापार निगम द्वारा ही किया जाता है ।

राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना

†*१९४. **श्री आसर** : क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज सहायताप्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बम्बई राज्य सरकार को आवंटित की गई राशि उस ने केवल बम्बई नगर के लिये ही खर्च कर दी है ;

(ख) क्या सरकार को बम्बई नगर से बाहर के उद्योगपतियों से इस बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी नहीं । राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत दी गई राशि बम्बई सरकार ने केवल बम्बई नगर (और उपनगरों) में मकान बनाने पर ही नहीं बल्कि राज्य के अन्य ४४ नगरों पर भी खर्च की है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा में अनाश्रित विस्थापित महिलायें

†*१९५. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में सरकार द्वारा बनाई गई बस्तियों में कितनी अनाश्रित विस्थापित महिलायें रह रही हैं ;

(ख) क्या उन्हें पुनर्वास की कोई सुविधायें मिलती हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार उन्हें पूरी तरह कैसे बसाना चाहती है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) ६३०

(ख) यदि वे अपेक्षित शर्तें पूरी करती हों तो उन्हें भी अन्य विस्थापित व्यक्तियों की तरह पुनर्वास की साधारण सुविधायें दी जाती हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अफगानिस्तान के साथ व्यापार करार

†*१९६. **श्री हेम राज :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री ती इला पालचौधरी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि अफगानिस्तान के साथ पहले वाला व्यापार करार समाप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नये व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उस की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और क्या उस की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा ऊद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां । चालू व्यापार करार २१-७-१९५९ को समाप्त हो गया था ।

(ख) और (ग). अफगान व्यापार शिष्टमंडल इस समय नई दिल्ली में है और नये करार के लिये बातचीत चल रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीन और रूस में प्रकाशित मानचित्र

†*१९७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री शिवनंजप्पा :
श्री वाजपेयी :
श्री भक्त दर्शन :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **प्रधान मंत्री** २२ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १९६० के उत्तर में के सम्बध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन और रूस में प्रकाशित हुए उन मानचित्रों के बारे में, जिन में भारत के बहुत से भाग उन के राज्य क्षेत्रों में दिखाये गये हैं, चीन और रूस सरकारों के कोई उत्तर मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर मिला है ; और

(ग) सरकार इस सिलसिले में आगे क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (ग) दोनों में से किसी सरकार से कोई उत्तर नहीं मिला है ।

वायु सीमा का अतिक्रमण

†*१९८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में अब तक कितने विमानों द्वारा गोआ सीमा पर वायु सीमा का प्रतिक्रमण किया गया है; और

(ख) इन को रोकने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) १२ ।

(ख) अभी हम इस सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं कि ऐसे प्रतिक्रमण को रोकने के लिये क्या उपयुक्त कदम उठाये जायें ।

श्री ताम्बा की गोआ में गिरफ्तारी

†*१९९. **श्री वाजपेयी :**
श्री आचार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ के सैनिक न्यायाधिकरण ने श्री श्रीधर परोह ताम्बा, एडवोकेट को न्यायाधिकरण के समक्ष स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की ओर से वकालत करने के फलस्वरूप ३ वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) तथा (ख). हमें सूचना मिली है कि श्री श्रीधर परोह ताम्बा को तीन वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड दिया गया है । उन पर लगाये गये दोष और उन्होंने पुलिस के समक्ष जो बयान दिया है अभी हमें उसका ठीक पता नहीं चला है । इसलिये अभी हम इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकते ।

अखबारी कागज का निर्माण

†*२००. श्री आसर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जापानी कागज़ विशेषज्ञों को प्रयोग करने के लिये २० टन बगास का घास दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके प्रयोगों का क्या परिणाम निकला है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह : (क) तथा (ख). बगास-घास से अखबारी कागज़ तैयार करने के हेतु प्रयोग करने के लिये जापान के कागज़ विशेशज्ञों को ८ टन बगास घास देने की एक व्यवस्था की गयी है । उस को जहाज़ द्वारा जापान भेजा जा रहा है ।

इन प्रयोगों के परिणाम इन नमूनों पर आवश्यक प्रयोगों के बाद ही पता चलेंगे ।

छपाई की मशीनों का निर्माण

†२५८. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १८ फरवरी, १९५९ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ४०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भ्या कथित सार्थ ने टीटागढ़ में छपाई की मशीनें तैयार करने का कारखाना बनाने के लिये विदेशी सहायकों से बातचीत पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ क्या बातें तय हुई हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) एक करार द्वारा यह तय हुआ है कि विदेश सार्थ भारतीय सार्थ को भारतवर्ष में फ्लेट बेड प्रैसें और उनके आवश्यक व अतिरिक्त कलपुर्ज़े बनाने के लिये एकस्व अधिकार और शिल्पिक जानकारी प्रदान करेगी और इसके बदले में उसको सात वर्ष तक स्वामित्व दिया जायेगा । इसके इलावा विदेशी सार्थ इन वस्तुओं के निर्माण के लिये भारतीय सार्थ को एक या अधिक शिल्पिकों की सेवायें भी उपलब्ध करायेगी ।

फलों का निर्यात

†२५९. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम जो भारत से फलों का आयात करते हैं; और

(ख) क्या सरकार के पास विदेशों में फलों का निर्यात बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) ब्रिटेन, अदन, बेहरीन द्वीप, मस्कत, कतायत, ट्यूसियल, ओमन, सिंगापुर, मलाया, साऊदी अरब, पाकिस्तान, नेपाल, लंका,

---

†मूल अंग्रेजी में

फिजी द्वीप, इटली, इराक, ईरान, टांगानीका, क़ेनया, मारीशस, बर्मा, मिस्र, सीरिया, पश्चिमी जर्मनी और हांगकांग।

(ख) जी हां।

ज़िरकोनियम संयंत्र

†२६०. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रधानमंत्री १८ फरवरी, १९५९ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ४१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक सरकार ने ट्राम्बे में प्रस्तावित जिरकोनियम संयंत्र लगाने के लिये कोई निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). ज़िरकोनियम संयंत्र लगाने के प्रस्ताव को अभी स्थगित कर दिया गया है क्योंकि अभी हमारे देश में इसकी पर्याप्त मांग नहीं है। आयोग को इसके लिये आवश्यक सभी शिल्पिक जानकारी मिल चुकी है और वह किसी भी समय यह संयंत्र लगा सकता है।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई

†२६१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री २४ फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में जामा मस्जिद और दुजाना हाउस के मछली बाजार के आस पास की गन्दी बस्तियों की सफाई के काम में और क्या प्रगति हुई है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : दुजाना हाउस को फिर से बनाने की योजना में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है क्योंकि उसके वर्तमान निवासी उसको खाली करने में बड़ी आनाकानी कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम, जो कि अब दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये जिम्मेवार है, इन लोगों से मकानात खाली कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रहा है। इस बीच जामा मस्जिद के आस पास की कबाड़ व साइकिलों की दूकानों को झंडेवालान भेजने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

प्रतिकर और पुनर्वास अनुदान

†२६२. श्री दी० चं० शर्मा : क्या पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में (जुलाई, १९५९ के अन्त तक) कितने लोगों को प्रतिकर दिया जा चुका है; और

(ख) अब तक कितनी रकम के पुनर्वास अनुदान दिये जा चुके हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) अभी जुलाई, १९५९ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। १ जनवरी १९५९ से ३० जून, १९५९ तक ८३,६०६ लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है (इसमें १२,५१७ ऐसे दावेदार शामिल हैं जिन को उनके लेखों का विवरण भेजा जा चुका है, १२,९४४ ऐसे लोग हैं जिनको पहले अंतरिम प्रतिकर दिया गया था और अब उनको आखरी किश्त दी गयी है और २०८५ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नियम ९५ और ९६ के अधीन पुनर्वास अनुदान दिये गये हैं।

(ख) प्रतिकर में पुनर्वास अनुदान की राशि भी सम्मिलित है जैसा कि विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, १९५५ के नियम ९४ में कहा गया है। ३० जून, १९५९ तक कुल ११४.०८ करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया जिसमें पुनर्वास अनुदानों के नियम ९५ और ९६ के अनुसार ६०,३२,५०० रुपये की अनुदानों की रकम सम्मिलित थी।

बम्बई राज्य में शिक्षित बेरोजगार

†२६३. श्री पांगरकर : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई राज्य में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ गयी है;

(ख) सरकार द्वारा बेरोजगारी को कम करने की योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी और योजना पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कैसी ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) यह बताना कठिन है किन्तु बम्बई राज्य में काम दिलाऊ दफ्तरों के रजिस्टरों में नाम दर्ज कराने वाले शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में अवश्य वृद्धि हुई है।

(ख) इनके लिये अतिरिक्त नौकरियां पैदा की जा रही हैं।

(ग) तथा (घ). योजना के अन्तर्गत सभी योजनाएं नौकरियां बढ़ाने के लिये हैं चाहे उनमें सीधे वृद्धि हो या अपरोक्ष रूप से। वर्तमान योजना की शेष अवधि में बम्बई राज्य में शिक्षित बेकारों के लिये तीन कार्य तथा पुनःप्रथापना केन्द्र खोलने का विचार है।

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

†२६४. श्री पांगरकर : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले ६ महीनों में कोयला खानों में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(ख) इनके कारण कितनी मृत्युएं हुई हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) तथा (ख). जनवरी से जून १९५९ तक १५०३ दुर्घटनाएं हुईं जिन में ९३ व्यक्ति मरे और १४५५ घायल हुए।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†२६५. श्री पांगरकर : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितने शहरों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना चालू की जा चुकी है और १९५९ के उत्तरार्द्ध में यह और कितने शहरों में चालू की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) अभी तक यह योजना ८२ केन्द्रों में लागू हो चुकी है और १९५९ के उत्तरार्द्ध में यह ३७ और स्थानों में चालू हो जायेगी । यह सभी केन्द्र शहरों या कस्बों में हैं और कुछ केन्द्र कारखानों के आसपास के गांवों या तालुकों में हैं ।

बम्बई राज्य में कपड़ा मिलें

†२६६. **श्री पांगरकर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में बम्बई राज्य में कपड़ा मिलें खोलने के लिये लाइसेंस देने के लिये कुल कितने प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं ।

(ख) इन में से कितने प्रार्थना-पत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा दिये गये ;

(ग) कितने लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(घ) ये लाइसेंस किन व्यक्तियों को दिये गये हैं ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) तथा (ख). १९५८–५९ में बम्बई राज्य में केवल एक कांटन टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल खोलने के लिये प्रार्थना-पत्र मिला था । यह एक सहकारी संस्था से प्राप्त हुआ था ।

(ग) १९५८–५९ में कोई लाइसेंस नहीं दिया गया ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बम्बई में हथकरघा उद्योग का विकास

†२६७. श्री **पांगरकर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में बम्बई राज्य में प्रत्येक जिले में सहकारी आधार पर छोटे पैमाने के कितने हथकरघा उद्योग चालू किये गये है ; और

(ख) इन उद्योगों के विकास के लिये ऋणों व अनुदानों के रूप में कितनी रकम स्वीकृत की गयी है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). १९५८–५९ में बम्बई राज्य में कोई नई हथकरघा सहकारी समिति नहीं बनाई गयी है जिस के लिये एतदार्थ उप कर निधि में से कोई सहायता दी गयी हो ।

केन्द्रपारा (उड़ीसा) में औद्योगिक बस्ती

†२६८. **श्री बै० चं० मलिक :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ३० अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७६२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र पारा (उड़ीसा) में औद्योगिक बस्ती बनाने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक इस बस्ती में पर कितना रुपया व्यय हुआ है ; और

(ग) यह योजना कब पूर्ण होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ख) एक विवरण संलग्न किया जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५७]**

नेफा में आसामी भाषा

†२६९. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आसाम की सरकार और जनता से नेफा क्षेत्र में आसामी भाषा को फिर से बहाल करने के बारे में कोई ज्ञापन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) इस संबंध में कोई सरकारी ज्ञापन नहीं प्राप्त हुआ है किन्तु नेफा क्षेत्र में आसामी भाषा चालू करने के पक्ष में अन्य कई प्रकार से सरकार को सिफारिशें की गयी हैं।

(ख) सरकार इस क्षेत्र में आसामी भाषा के अध्यापन के महत्व को समझती है और वह इस क्षेत्र में इसे शिक्षा का माध्यम बनाने के लिये प्रोत्साहन दे रही है।

काईनाईट अयस्क

†२७० { **श्री स० च० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में भारत में काईनाईट का कितना अयस्क मिला ;

(ख) इस में कितनी मात्रा का निर्यात किया गया ;

(ग) क्या इसके निर्यात पर कोई नियन्त्रण था ;

(घ) यदि हां तो इसका कोटा कैसे बांटा गया ; और

(ङ) इस वर्ष उस निर्यात-कोटे को जारी रखने के संबंध में क्या नीति है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ङ) अपेक्षित जानकारी संबंधी एक विवरण संलग्न किया जाता है ।

विवरण

(क) १९५८ में २४,१७७ टन। १९५८–५९ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) १९५८–५९ में १७,४०० टन

(ग) जी हां ।

(घ) १९५८ में जहाज़ियों और खान मालिकों को १९५४, १९५५, १९५६ और १९५७ के वर्षों में उन के द्वारा निर्यात किये गये अधिकतम निर्यात वाले वर्ष के बराबर कोटा दिया गया। राज्य व्यापार निगम का कोटा उसके द्वारा किये जाने वाले संविदों के अनुसार तदर्थ आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Kynite Ore

(ङ) १९५९ में वही नीति जारी रहेगी जो कि १९५८ में थी। चालू वर्ष में यदि किसी सार्थ को दिया गया कोटा समाप्त हो जाता है तो उसके वायदों के अनुसार उसको अनुपूरक कोटा देने की प्रणाली भी चालू की गयी है ।

उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम

†२७१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ अप्रैल, १९५९ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३३८० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम के अधीन विभिन्न राज्यों में वर्तमान नियमों तथा प्रक्रिया का अध्ययन करने और राज्य सरकारों को उनके सरलीकरण और सुधार के संबंध में सुझाव देने के लिये बनाये गये वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसने क्या सिफारिशें की हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मानुभाई शाह) :** (क) तथा (ख). एक विवरण सलग्न किया जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ५८]**

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम

†२७२ **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २२ अप्रैल, १९५९ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १९८४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूती कपड़ा मिल मालिकों की उनको कुछ समय के लिये कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम से छूट देने की प्रार्थना पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निश्चय किया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) तथा (ख). अभी विषय विचाराधीन है ।

लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त का कार्यालय

†२७३. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री उसमान अली खां :
श्री सूपकार :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दामानी :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **प्रधान मंत्री** १८ फरवरी, १९५९ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ३८५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय, लन्दन में कर्मचारियों की संख्या की जांच करने के लिये उनके काम की जांच करने के लिये जो टीम नियुक्त की गयी थी क्या उस ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ; और

(ख) यदि हां तो वहां पर व्यय को कम करने के लिये क्या सुझाव दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) तथा (ख). माननीय सदस्य का ध्यान वित्त मंत्री द्वारा ५ अगस्त, १९५९ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या १८२ के उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

अणुशक्ति को उपयोग के लिये पदार्थ

†२७४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की शेष अवधि में अणुशक्ति को बिजली उत्पादन के काम में लाने के लिये आवश्यक बुनियादी पदार्थों के उत्पादन के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (१) कुछ वर्षों से मोनाज़ाईट को साध कर उस से रेयर अर्थ्स साल्ट और थोरियम मिश्रित केक बनाने के लिये एक संयंत्र काम कर रहा है । इस थोरियम-युरेनियम केक को साध कर उस से बड़े पैमाने पर शुद्ध थोरियम नाइट्रेट बनाने का एक और संयंत्र भी कुछ वर्षों से बड़ी सफलता से चल रहा है । न्यूक्लियर ग्रेड का थोरियम आकसाईड या धातु बनाने की सभी शिल्पिक जानकारी का विकास कर लिया गया है और अणुशक्ति संस्था आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय इनके निर्माण के लिये संयंत्र लगा सकती है ।

(२) अपनी स्थापना के एक वर्ष के अन्दर अणुशक्ति संस्था, ट्राम्बे ने न्यूक्लियर ग्रेड की यूरेनियम की धातु बनाने के लिये एक संयंत्र तैयार किया है जो २९ जनवरी, १९५९ से काम कर रहा है । इस से न्यष्टि श्रेणी के यूरेनियम का उत्पादन होने लगा है जो इस समय बन रही आणविक भट्टियों में ईंधन के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है । इस संयंत्र का विस्तार करके पहले अणुशक्ति द्वारा बिजली उत्पादन करने वाले बिजली घर के लिये काफी यूरेनियम पैदा किया जा सकता है । संस्था का रसायनिक इंजीनियरिंग विभाग अब इस योग्य हो गया है कि वह किसी बड़े आणविक बिजली घर की योजना के लिये बड़े पैमाने पर न्यष्टि श्रेणी का यूरेनियम पैदा करने के लिये बड़े से बड़े संयंत्र की स्थापना कर सकता है ।

(३) यूरेनियम धातु को ईंधन के तत्वों के रूप में परिणित करने के लिये एक फ्यूल एलिमेंट लगाने की योजना अभी पूरी की गई है और शीघ्र ही कनाडा-भारतीय अणु भट्टी के लिये नियमित रूप से ईंधन तत्व उत्पन्न होने शुरू हो जायेंगे । इस वर्ष १५ जून को एक प्राग्रूप ईंधन तत्व (प्रोटोटाइप फ्यूल एलिमेंट) का सफलतापूर्वक निर्माण किया जा चुका है ।

(४) एक मध्यम पैमाने का आणविक बिजली घर खोलने के लिये संकेन्द्रित यूरेनियम को पर्याप्त मात्रा में तैयार करने के लिये एक यूरेनियम मिल की स्थापना की दृष्टि से बिहार में एक बड़े भारी निम्न श्रेणी के यूरेनियम अयस्क की खोज की गयी है । ट्राम्बे की अणुशक्ति संस्था में इस संयंत्र की प्रक्रिया और आवश्यक आधार सामग्री (डेटा) की जांच की जा रही है । आशा है यह सब काम शीघ्र पूर्ण हो जायेगा । इससे हम बिहार में बिना किसी बाहरी सहायता के एक यूरेनियम संयंत्र लगा सकेंगे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(५) राजस्थान में भी यूरेनियम के बड़े अच्छे निक्षेपों का पता लगा है किन्तु उन के परिणाम का अभी ठीक पता नहीं चल सका। इस से अभी वहां पर यूरेनियम के संयंत्र लगाने के औचित्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इन निक्षेपों की उत्साहपूर्वक खोज जारी है। यदि इन निक्षेपों के बारे में जैसा अनुमान लगाया जाता है उतना यूरेनियम मिल गया तो फिर भारतवर्ष एक बड़े पैमाने का आणविक बिजली घर बनाने में पूर्णतया आत्मनिर्भर बन सकता है।

(६) अणुशक्ति संस्था ट्राम्बे के रसायनिक इंजीनियरिंग विभाग द्वारा कनाडा-भारतीय अणु भट्टी तथा अन्य अणु भट्टियों में उपयोग किये गये ईंधन-तत्वों को साध कर उनमें से प्लेटोनियम निकालने के लिये एक नमूने का संयंत्र तैयार किया जा रहा है। इसके दो वर्ष में पूर्ण होने की आशा है। प्लेटोनियम के प्रयोग करने और प्लेटोनियम के ईंधन तत्व करने की सुविधाओं पर विचार किया जा रहा है। शीघ्र ही इस के उत्पादन का कार्य भी शुरू कर दिया जायेगा।

(७) नंगल के उर्वरक के कारखाने में भारी पानी बनाने के संयंत्र में दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पहले भारी पानी तैयार होने लगेगा। ट्राम्बे में प्रस्तावित उर्वरक संयंत्र में अतिरिक्त भारी पानी बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(८) जिरकोन से न्यष्टि श्रेणी का जिरकोनियम धातु बनाने की सभी प्रक्रिया का विकास कर लिया गया है और जैसे ही हमारे देश में इस की काफी मांग हो जायेगी और इस प्रकार के संयंत्र लगाने की आवश्यकता अनुभव होगी अणुशक्ति संस्था के कर्मचारी तत्काल इस की स्थापना कर सकते हैं।

(९) ऊपर की बातों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारा देश शिल्पिक दृष्टि से, जहां तक अणुशक्ति के बिजली के कार्यों के लिये उपयोग का प्रश्न है सभी बुनियादी पदार्थों के उत्पादन में पूर्णतया आत्म-निर्भर बन जायेगा।

भारी मशीनों का निर्माण

†२७५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २६ फरवरी, १९५९ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ७१९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दुर्गापुर में सीमेंट मशीनें, खनन मशीनें, वायलर्स और दबाव डालने वाली मशीनें बनाने के लिये कारखाना बनाने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : कारखाना बनाने के लिये और मकानों के लिये बस्ती के लिये कम्पनी अधिकतर भूमि खरीद चुकी है। कम्पनी को कारखाने के लिये तामीरी इस्पात खरीदने के लिये सहायता दी जा चुकी है। अब कम्पनी आवश्यक पूंजीगत साज-सामान का आयात करने के लिये और कारखाने का काम चालू करने के लिये आवश्यक शिल्पिक कर्मचारियों की सेवायें प्राप्त करने का बन्दोबस्त कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

गीला अभ्रक पीसने का संयंत्र

†२७६. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २६ फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरीकी कम्पनी से राजस्थान में गीला अभ्रक पीसने का संयंत्र लगाने के बारे में अन्तिम उत्तर प्राप्त हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या; और

(ग) इस संयंत्र की स्थापना के लिये आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग). राजस्थान की सरकार ने अमेरीकी कम्पनी को प्रस्ताविक करार का प्रारूप भेजने के लिये कहा है। अभी उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। करार पर हस्ताक्षर होने के बाद ही राज्य सरकार संयंत्र की स्थापना के लिये आगे कार्यवाही करेगी।

मैंगनीज़ अयस्क का व्यापार

†२७७. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ११ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ११०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के मैंगनीज अयस्क के पुराने बाजार को फिर से प्राप्त करने के लिये एक व्यापार शिष्ट मंडल विदेश भेजने के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): खरीद फरोख्त में हुई अत्याधिक मंदी को देखते हुए यह निर्णय किया गया है कि जब तक मैंगनीज़ अयस्क के बाजार में पुनः तेजी नहीं आती तब तक शिष्ट मंडल न भेजा जाये।

विदेशों में भारतीय वस्तुओं के प्रदर्शन-कक्ष[1]

†२७८. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात को बढ़ावा देने के लिये विदेशों में १९५९-६० में प्रदर्शन-कक्ष रखने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है, और ये प्रदर्शन-कक्ष किन-किन देशों में रखे जायेंगे; और

(ग) किन-किन देशों को कौन-कौन सी वस्तुओं के निर्यात की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Indian Goods Show Rooms Abroad.

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) बगदाद में १९५९-६० में एक प्रदर्शन-कक्ष रखने सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

(ख) प्रदर्शन कक्ष का उद्देश्य, ईराक को निर्यात की जा सकने वाली जिन वस्तुओं के वहां खपने की संभावना है, उन का प्रदर्शन एवं प्रचार करना है। यह प्रचार कई वस्तुओं के क्रमबद्ध प्रदर्शन के जरिये किया जायेगा। व्यापार के बारे में जो भी पूछताछ की जायेगी उस के समाधान का उद्देश्य ईराक के आयात करने वाले और भारत के निर्यात करने वालों का आपस में सम्पर्क कराना होगा।

(ग) एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५९]

सीमेन्ट के कारखानों में कर्म समितियां[1]

†२७९. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी सीमेंट कारखानों में कर्म समितियां कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन कारखानों ने अब तक ऐसी समितियां स्थापित नहीं की हैं; और

(ग) ऐसे कारखानों में कर्म समितियों की स्थापना के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (ग). यह विषय राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। जानकारी उपलब्ध नहीं है और उसे प्राप्त करने में जितने समय व श्रम की आवश्यकता है उसे देखते हुए उसके परिणाम अनुरूप न होंगे।

औद्योगिक विवाद

†२८०. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकारों के मार्ग दर्शन के लिये न्यायनिर्णयन हेतु औद्योगिक विवादों के निर्देश को विनियमित करने के लिये आदर्श सिद्धान्तों का प्रारूप तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी, हां। मद्रास में २७ से ले कर २९ जुलाई, १९५९ तक हुए भारतीय श्रम सम्मेलन में प्रारूप के सिद्धान्तों पर चर्चा की गई थी।

(ख) सम्मेलन में हुए विचार विमर्श को ध्यान में रखते हुए इन आदर्श सिद्धान्तों को अन्तिम रूप देने पर उन की एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Works Committees.

कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान

†२८१ **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री वाजपेयी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ३ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १६४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों की भविष्य-निधि में ६¼ प्रतिशत के अंशदान की दर को बढ़ा कर ८ प्रतिशत करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह व्यवस्था किन-किन उद्योगों को लागू होगी; और

(ग) यह योजना कितने कर्मचारियों को लागू होगी और किस तारीख से ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पाकिस्तान के प्रव्रजक

†२८२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९ में अब तक पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से क्रमश: कितने हिन्दू भारत आये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : १ जनवरी, से ३० जून, १९५९ तक पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से क्रमश: २४६६ और १९२७* हिन्दू भारत आये ।

*इस में जून, १९५९ के दूसरे पखवारे में बम्बई आये व्यक्तियों की संख्या शामिल नहीं है ।

ग्रेट ब्रिटेन में आणविक शक्ति का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले भारतीय

†२८३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** ३ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय ग्रेट ब्रिटेन में आणविक शक्ति के शांति के कार्यों में प्रयोग का प्रशिक्षण कितने भारतीय छात्र प्राप्त कर रहे हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : ग्रेट ब्रिटेन में आणविक शक्ति के शान्ति के कार्यों में प्रयोग का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अणुशक्ति विभाग द्वारा किसी भारतीय छात्र को आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के भर्ती नियम

†२८४. **श्री दो० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** २६ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में तीसरी श्रेणी के पदों के लिये भर्ती के नियम बनाने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में तीसरी श्रेणी के पदों के लिये भर्ती के नियम बनाये जा चुके हैं और उन्हें भारत के गजट में प्रकाशित किया जा रहा है ।

नागा पहाड़ियां त्वेनसांग यूनिट

†२८५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागा पहाड़ियां त्वेनसांग यूनिट में विधि और व्यवस्था की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) नागा विद्रोहियों द्वारा १ मई, १९५९ से अब तक कितने हमले किये गये;

(ग) जान व माल की कितनी हानि हुई; और

(घ) पीड़ित लोगों को पुनर्वास के लिये क्या सहायता दी गई ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) नागा पहाड़ियां त्वेनसांग यूनिट क्षेत्र में विधि और व्यवस्था की स्थिति में बराबर सुधार हुआ है । कई भूमिगत विद्रोही नागाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया है । हाल के महीनों में बहुतों ने अपने शस्त्रों सहित आत्म-समर्पण किया है । विद्रोहियों के विरुद्ध कार्यवाही में गांव के पहरेदारों ने प्रशंसनीय योग दिया है ।

नागा लोगों की समितियां राजनीतिक समझौते के सम्बन्ध में प्रारूपों पर विचार कर रही हैं । इन प्रारूपों को नागा लोगों के अगस्त में होने वाले सम्मेलन में रखने का विचार है ।

(ख) मई, १९५९ से अब तक नागा विद्रोहियों ने तीन हमले, आठ बार मुठभेड़ और छिपे हमले किये ।

(ग) इन हमलों और मुठभेड़ों के परिणामस्वरूप चौदह व्यक्ति, जिन में हमारे सुरक्षा बलों के बारह व्यक्ति तथा दो अन्य नागरिक थे, मारे गये तथा ग्यारह राइफलें, एक डी० बी० बी० एल बन्दूक, कुछ गोलाबारूद, एक गाड़ी, कुछ जानवर और हमारे लोगों के ५०० रुपये तथा और भी अन्य वस्तुयें विद्रोहियों के हाथ लगीं । विद्रोहियों का इस से कहीं अधिक नुकसान हुआ ।

(घ) सहायता चावल, धन, मकान बनाने का सामान और बच्चों की शिक्षा के लिये छात्र-वृत्ति के तौर पर दी जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेफा में जल विद्युत् परियोजनाएं

†२८६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या प्रधान मंत्री ३० अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नेफा में तीन जल विद्युत् परियोजनाओं के कार्यान्वय में, जिन के बारे में जांच पूरी हो चुकी है, अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** नेफा के लिये पांच जल-विद्युत् परियोजनाओं में से दो के बारे में अन्वेषण दल की जांच का प्रतिवेदन आसाम जांच परिमंडल के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर द्वारा केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग को प्रेषित किया जा चुका है। दो अन्य योजनाओं सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा रहे हैं। पांचवीं योजना के बारे में, जो सुबनसिरी सीमान्त डिवीजन में ज़ेरो के पास है, कोई प्रगति नहीं की जा सकी है क्योंकि बाध के स्थान तक पहुंचने में संचार की कठिनाइयां पेश आती हैं। ऐसी आशा है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के परामर्श पर इन योजनाओं की विस्तृत जांच की जायेगी।

प्रसारण के प्रभाव का अध्ययन

†२८७. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री १० फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के सांस्कृतिक ढांचे पर प्रसारण के प्रभाव का देशव्यापी अध्ययन करने सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** यह अध्ययन अब तक नहीं किया जा सका है।

दूसरा एटामिक रीएक्टर

†२८८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या प्रधान मंत्री ३१ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १५७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में दूसरे एटामिक रीएक्टर (आणविक भट्टी) की स्थापना के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) उस पर अब तक कितना व्यय हो चुका है।

†**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) ज़रलिना रीएक्टर के सभी पुर्ज़ों को जोड़ लिया गया है। रीएक्टर के भवन का निर्माण ३१ अक्तूबर, १९५९ तक पूरा हो जायेगा और भवन के तैयार होते ही रीएक्टर को वहां लगाने का कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

(ख) जून, १९५९ तक इस कार्य पर लगभग ११ लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कच्ची फिल्म की फैक्टरी

†२८९. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री वाजपेयी :
श्री जयपाल सिंह :
श्री भंजदेव :
श्री सुब्बय्या अम्बालन् :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री आचर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १८ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १९०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में एक कच्ची फिल्म की फैक्टरी की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : कच्ची फिल्म की एक फैक्टरी की स्थापना को ले कर संसार की प्रख्यात कच्ची फिल्म तैयार करने वाली कई फर्मों के साथ पत्र व्यवहार जारी है और ऐसी आशा है कि उन में से कुछ के निश्चित प्रस्ताव जल्दी ही प्राप्त होंगे ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की संस्था का अध्ययन दल

†२९०. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

†क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ८ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स की संस्था द्वारा भेजे गये त्रिसदस्यीय अध्ययन दल के प्रतिवेदन की, जिस ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रबन्ध सम्बन्धी लेखा तैयार करने के तरीकों का अध्ययन किया है, जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किये गये ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख)(१) प्रतिवेदन की प्रतियां सम्बन्धित मंत्रालयों तथा विभागों और कुछ बड़ी बड़ी सरकारी कम्पनियों और निगमों को अध्ययन और प्रतिवेदन की सिफारिशों पर यथोचित कार्यवाही के लिये भेज दी गई हैं ;

(२) एक अध्ययन दल को, जिस में प्रतिवेदन के लेखकों में से एक शामिल है, प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तीन सरकारी कम्पनियों में लेखा व प्रतिवेदन तैयार करने की प्रणाली की जांच करने तथा उन में सुधार के लिये सुझाव देने के लिये कहा गया है ।

(३) राष्ट्रीय उत्पादन परिषद् ने भी देश में उद्योग, वाणिज्य तथा व्यापार में लेखे की आधुनिक प्रणालियों का समावेश करने की संभावनाओं की खोज करने के उद्देश्य से अमेरिका गये दल के नेता के सभापतित्व में प्रबन्ध लेखे के बारे में एक समिति नियुक्त की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) प्रतिवेदन में निहित सुझावों को अमल में लाने के लिये और क्या कार्यवाही की जा सकती है इस बात पर सरकार भी विचार कर रही है ।

भवन निर्माण में पालीथिलीन का प्रयोग

†२९१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री २७ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भवन निर्माण में पालीथिलीन के प्रयोग को अन्तिम रूप से स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का प्रयोग किस रूप में और कैसे किया जायेगा ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) और ख). अभी तक नहीं क्योंकि इस वस्तु की अधिक काल तक उपादेयता के बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष निकालने से पहले उस की काफी समय तक जांच पड़ताल आदि की जानी होगी ?

काम दिलाऊ दफ्तर

†२९२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में १९५९ के उत्तरार्ध में, १९५८ के इसी काल की अपेक्षा अधिक लोग पंजीबद्ध हुए ; और

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या में कितनी वृद्धि हुई ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी हां ।

(ख) ८९,३१३ ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†२९३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कांट छांट करने का प्रभाव जम्मू और काश्मीर राज्य पर पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस से किन किन परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा ?

†**योजना उप-मंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कच्चे रेशम का आयात

†२९४. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९ में अब तक कुल कितना कच्चा रेशम विदेशों से आयात किया गया ;

(ख) क्या यह आयात राज्य व्यापार निगम के द्वारा किया जाता है अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा ;

(ग) बाहर से कच्चा रेशम आयात करने के लिये इस समय सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) ३० जून, १९५९ तक १६५,३२२ पाउंड ।

(ख) राज्य व्यापार निगम ।

(ग) सरकार प्रत्येक अनुज्ञप्ति काल में आयात के लिये मात्रा निश्चित करती है जिस के पश्चात् राज्य व्यापार निगम कच्चे रेशम के लिये प्रतियोगात्मक दरों का पता लगा कर विदेशी संभरणकर्ता से ठेका करता है ।

अणु शक्ति कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय वर्कशाप

†५२९. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अणु शक्ति कार्यक्रम के लिये उपकरणों सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये केन्द्रीय वर्कशाप निर्माण करने के लिये अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : अणु शक्ति स्थापना ट्राम्बे की केन्द्रीय वर्कशाप के लिये आवश्यक उपकरणों की सूची तैयार कर ली गई है । उपकरणों और वर्कशाप के भवन में विशेष सेवा सम्बन्धी आवश्यकताओं का अभिन्यास तैयार कर लिया गया है । एक परामर्शदाता वास्तुकला विशारद भवन का नक्शा तैयार कर रहा है और भवन का निर्माण वर्षा ऋतु के पश्चात् आरम्भ हो जायेगा ।

श्रम अपीलों का निपटारा

†२९६. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री ८ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रम अपीलों को शीघ्र निपटाने की योजना पर इस बीच विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण को पुनर्जीवित करने के प्रश्न पर अभी हाल में हुये भारतीय श्रम सम्मेलन में विचार किया गया था और इसके द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार आगे कार्यवाही की जा रही है ।

साइकिलों का निर्यात

†२६७. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २६ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साइकिलों के निर्यात को संवर्द्धन देने वाली आदर्श योजना किस अवस्था में है ;

(ख) क्या अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में ऐसी योजनायें बनाने के प्रश्न की जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) साइकिलों सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और इसे १ जनवरी, १९५९ से भूतलक्षी रूप में लागू किया गया है;

(ख) और (ग). कुछ अन्य वस्तुओं के लिये ऐसी योजनायें तैयार करने की सम्भावना का दो निर्यात निर्यात संवर्द्धन परिषदों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है ।

मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास

†२६८. श्री पांगरकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास पर केन्द्रीय सरकार द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अब तक कुल कितना व्यय किया गया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किये गये भिलाई इस्पात संयंत्र, भारी विद्युत् उपकरण संयंत्र, भोपाल, और राष्ट्रीय न्यूज़ प्रिण्ट एण्ड पेपर मिल्ज़, नेपा नगर जैसे अखिल भारतीय महत्व के औद्योगिक उपक्रमों पर, जिनसे राज्य के औद्योगिक विकास में भी योगदान मिला है और जिन पर कुल १२,७७५ लाख रुपये खर्च हुये हैं, किये गये व्यय को छोड़ कर, केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य की औद्योगिक विकास योजनाओं पर कुल १२७.७६ लाख रुपये खर्च किये हैं ।

श्रम विधियों के अधीन अनिर्णित मामले

†२६९. श्री रघुनाथ सिंह : क्या श्रम और रोज़गार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विधि विधान के अन्तर्गत कितने मामले पिछले पांच, चार, तीन और दो वर्षों से परीक्षण अथवा अपीलीय अवस्था में अनिर्णित पड़े हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : श्रम विधियों का प्रशासन श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों द्वारा तथा राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा किया जाता है । इस स्थिति में उन सबसे इस सूचना को एकत्र करने में जितना समय और श्रम व्यय होगा वह प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खादी ग्रामोद्योग भवन के कर्मचारियों की मांगें

†३००. **श्री विद्या चरण शुक्ल :**
श्री वाजपेयी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ६ मार्च, १६५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों की मांगों पर इस बीच विचार समाप्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो देरी के क्या कारण हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ;

(ख) भवन के प्रबन्धकों को कर्मचारियों को यह विश्वास दिलाने के लिये कहा गया है कि उन्हें उतना ही काम दिया जायेगा, जितना वे आठ घंटों में कर सकते हैं और प्रबन्धक इस बात की सावधानी बरतेंगे कि काम लेने में उनका समय नष्ट न हो। जहां तक अन्य मांगों का सम्बन्ध है, आयोग के लिये उन्हें स्वीकार करना सम्भव नहीं हो सका।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री लंका से प्रत्यावर्तित भारतीय

†३०१. **श्री नारायणन कुट्टि मेनन :**
श्री पुन्नूस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसी ऐसी संस्था का पता है जो चन्दा इकट्ठा करती है और श्रीलंका से प्रत्यावर्तित भारतीयों को सहायता प्रदान करती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस संस्था को कोई चन्दा दिया है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सरकार को ऐसी किसी संस्था के अस्तित्व के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है।

औद्योगिक सम्बन्ध

†३०२. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :**
श्री पुन्नूस :
श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री १३ फरवरी, १६५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के प्रो० जे० हेनरी रिचर्डसन ने औद्योगिक सम्बन्धों सम्बन्धी नीति के बारे में इस बीच कोई सिफारिशें की हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (ग). भारत में औद्योगिक सम्बन्धों पर प्रो० रिचर्डसन का प्रतिवेदन, उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ को पेश किया था, जिसने इसे अभी तक भारत सरकार को नहीं भेजा। प्रोफेसर ने भारत सरकार को एक नोट विवादों को न्याय-निर्णय के लिये भेजने का निर्धारण करने वाले सिद्धान्तों के सम्बन्ध में, और दूसरा नोट स्थायी औद्योगिक न्याय-निर्णयन और मध्यस्थ-निर्णय न्यायालय की स्थापना की सिफारिश करने वाला भेजा था। इन नोटों को भारतीय श्रम सम्मेलन में परिचालित किया गया था।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

†३०३. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, १९५८ से जुलाई, १९५९ के बीच भारत ने विदेशी क्रेताओं को मैंगनीज अयस्क का निर्यात किया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत ने इस अवधि में किन-किन देशों को मैंगनीज अयस्क बेचा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) नवम्बर, १९५८ से मई, १९५९ तक की अवधि में ७.५ करोड़ रुपये के मूल्य का ५.५ लाख टन मैंगनीज अयस्क का निर्यात किया गया। जून और जुलाई, १९५९ के महीनों के निर्यात आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) ब्रिटेन, स्वीडन, नार्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, नीदरलैण्ड, स्पेन, चैकोस्लोवाकिया, बैल्जियम, श्रीलंका, सिंगापुर, जापान, संयुक्त राज्य अमरीका, इटली और युगोस्लाविया।

सरकारी विभागों में काम में आने वाले फार्म

३०४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी विभागों में ऐसे कितने फार्म काम में लाये जाते हैं जो फार्म स्टोर, कलकत्ता के मैनेजर द्वारा दिये जाते हैं;

(ख) उनमें से कितने फार्म हिन्दी में, अंग्रेजी में और दोनों भाषाओं में क्रमशः छापे जाते हैं;

(ग) क्या सरकार ने फार्मों को अंग्रेजी में अथवा दोनों भाषाओं की बजाय हिन्दी में छापने की कोई निश्चित योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो वह किस प्रकार की योजना है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) ९६६५ ।

(ख)

(१)	हिन्दी	१०४२
(२)	अंग्रेजी	८५४४
(३)	हिन्दी और अंग्रेजी	३७
(४)	दूसरी भाषाएं	४२
	योग	९६६५

(ग) नहीं ।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम के चाय बागानों पर विस्थापितों का बसाया जाना

†३०५. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को आसाम के चाय बागानों में ज़मीन देकर बसाने के लिये आसाम सरकार और भारतीय चाय संघ के परामर्श से एक नई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी भूमि ली जाने का विचार है; और इस पर क्या खर्च आयेगा;

(ग) इस अर्जित की हुई भूमि का जिले वार विभाजन कैसे होगा;

(घ) इस योजना के अन्तर्गत बसाये जाने वाले प्रति परिवार को जो भूमि दी जायेगी उसके अतिरिक्त पटसन और धान की खेती के लिये कितनी भूमि है; और

(ङ) जो भूमि इन लोगों अथवा परिवारों को दी जायेगी, क्या इस पर उनका कानूनी अधिकार हो जायेगा ?

†**पुनर्वास तथा अपसंख्यक-कार्य उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) से (ङ). मई १९५० में पूर्वी पाकिस्तान के ३५०० विस्थापित परिवारों को चाय बागान की फालतू भूमि पर आसाम के कछार जिले में बसाने की एक योजना स्वीकृत की गयी थी। इसके लिये भारतीय चाय संघ की सुरमा घाटी शाखा से परामर्श कर लिया गया था। प्रत्येक परिवार को दो से तीन एकड़ तक भूमि दी जानी थी। परन्तु बसने वालों को जब समुचित भूमि उपलब्ध न हो सकी, तो आसाम सरकार के आग्रह से मई, १९५९ में नयी योजना स्वीकृत की गयी। उस योजना के अनुसार १७००० बीघा जमीन अर्जित की गयी और १०.२४ लाख रुपये का खर्च करके उसे कृषि योग्य बनाया गया। आशा यही है कि प्रत्येक परिवार को ९ बीघा के लगभग भूमि दी जायेगी। ३ बीघा छप्पर तथा उद्यान इत्यादि लगवाने के लिये और ६ बीघा धान की खेती के लिए। यह मालूम नहीं कि पटसन भी यहां पैदा हो सकता है अथवा नहीं। कछार जिले में प्रायः काफी मात्रा में पटसन नहीं होता। इस योजना के अन्तर्गत जो भूमि अर्जित होगी उस पर विस्थापितों के काफी अधिकार होंगे।

औद्योगिक उत्पादन

३०६. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जुलाई, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष की तूलना में ३१ जुलाई, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में भारत में औद्योगिक उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) उसका देशनांक क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). ३१ जुलाई, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में हुए औद्योगिक उत्पादन का देशनांक सितम्बर, १९५९ से पहले उपलब्ध नहीं होगा। औद्योगिक उत्पादन का जो नवीनतम देशनांक उपलब्ध है वह १४३.७ है जो अगस्त १९५८ से अप्रैल, १९५९ की अवधि का औसत देशनांक है। इसका आधार वर्ष १९५१-१०० है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्पादकता प्रतिनिधि मंडल

†३०७. {श्री मोहम्मद इलियास :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कुछ उत्पादकता प्रतिनिधिमण्डल इस वर्ष विदेशों को भेजे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रतिनिधिमण्डलों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन प्रतिनिधिमण्डलों का चुनाव किन-किन उद्योगों ने किया था और कौन-कौन सी श्रम संस्थाओं के प्रतिनिधि इस में थे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). केवल दो उत्पादकता दल १९५९ में विदेशों में गये ।

(ग) ये दोनों दल प्लास्टिक और कपड़ा उद्योगों के थे । सूती कपड़ा उद्योग दल में कपड़ा मजदूर संघ, अहमदाबाद और मद्रास श्रमिक संघ का एक-एक प्रतिनिधि इस में सम्मिलित किया गया था ।

राष्ट्रीय जन सहयोग सलाहकार समिति

†३०८. {श्री वाजपेयी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय संस्थाओं तथा जन अभिकरणों को मजबूत बनाने के लिये प्रस्ताव तैयार करने के बारे में राष्ट्रीय जन सहयोग सलाहकार समिति ने जो उप-समिति नियुक्त की थी, उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(घ) उनको कार्यान्वित करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)**: (क) और (ख). जी हां, अतारांकित प्रश्न संख्या १७६८ के उत्तर में ११-३-५९ को उपसमिति के प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दी थी ।

(ग) और (घ). १८-५-५९ को राष्ट्रीय जनसहयोग सलाहकार समिति ने अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया था। समिति की सिफारिशों को राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों और अखिल भारतीय स्वयं सेवी संस्थाओं को आवश्यक कार्यवाही के लिये परिचालित को जा रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य व्यापार निगम

†३०९. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा १९५७-५८ और १९५८-५९ में कौन-कौन से माल का व्यापार किया गया;

(ख) कितनी राशि का माल निर्यात किया गया;

(ग) कितने मूल्य के माल का आयात हुआ;

(घ) विभिन्न मालों में प्रत्येक पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि उठानी पड़ी; और

(ङ) आयात और निर्यात शुल्क कितना अदा करना पड़ा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) राज्य व्यापार निगम जिन वस्तुओं का व्यापार करता है उनका विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये** परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६०]

(ख) २०,९८,०१,९६९.३२ रुपये (१-७-५७ से ३०-६-५८ तक)।

(ग) ७,२२,८३,२५६.२४ रुपये (१-७-५७ से ३०-६-५८ तक)।

(घ) प्रत्येक वस्तु के लाभ और हानि का ब्योरा देना निगम के हित में नहीं है।

(ङ) २,०१,७१,०३५.०२ रुपये (१-७-५७ से ३०-६-५८ तक)।

नमक उद्योग

३१०. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नमक समिति की सिफारिशों पर निर्णय करने की दिशा में इस बीच आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : नमक समिति की सिफारिशों के बारे में सम्बद्ध राज्य सरकारों के मतों की अब भी प्रतीक्षा की जा रही है राज्य सरकारों को फिर स्मरण दिलाकर अनुरोध किया गया है कि वे अपने उत्तर शीघ्र भेज दें। ये उत्तर प्राप्त होते ही समिति की विभिन्न सिफारिशों पर कोई अन्तिम निर्णय करने के लिये जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जायगी।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

†३११. **श्री केशव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के नये राज्य की आय के सम्बन्ध में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा राज्य सांख्यिकीय कार्यालय, मैसूर को यह बता दिया है कि राज्य सरकार की आय का अनुमान किस आधार पर लगाया जाना चाहिये ।

मिलों और कारखानों में हड़तालें

३१२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २२ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मिलों और कारखानों में हड़ताल रोकने के लिये इस वर्ष कोई निश्चित कार्यवाही करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की कार्यवाही होगी ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). २२ सितम्बर, १९५८ के प्रश्न के उत्तर में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उनके अलावा, औद्योगिक सम्बन्धों को और अच्छा बनाने के लिये कामगरों और नियोजकों के संगठनों की राय लेकर कार्यप्रयोगता तथा कल्याण सम्बन्धी नियम बनाये जा रहे हैं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

†३१३. **श्री तंगामणि: क्या श्रम और रोजगार** मंत्री ५ मई, १९५८ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३९९५ के उत्तर के उल्लेख से यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक मास लोक निर्माण विभाग के विभिन्न भागों में विशेष काम के लिये रखे गये कर्मचारियों के आंकड़े जानने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस के परिणाम क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) अभी आंकड़े प्राप्त हुए नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सीमेन्ट

†३१४. **श्री विभूति मिश्र : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश को वार्षिक प्रयोग के लिये कितनी मात्रा में सीमेंट की आवश्यकता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : १९५८ के वर्ष में देश भर की वार्षिक खपत ६० लाख टन थी । १९५९ के तीन मास में जो मांगें आई हैं, उन के आधार पर १९५९ में ७० लाख टन के खपत होने का अनुमान है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी (हिमाचल प्रदेश) के निवासियों द्वारा तिब्बत से खरीदा गया माल

३१५. श्री पद्म देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में चीनी के निवासियों ने वर्ष १९५८ में तिब्बत से कितनी और कौन कौन सी चीज़ें खरीदीं ; और

(ख) १९५४ से १९५७ के बीच प्रति वर्ष कितना माल खरीदा गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) तथा (ख) . चीनी के निवासियों द्वारा तिब्बत से की जाने वाली खरीद के आंकड़े अलग नहीं रखे जाते ।

न्यूटन–चिकली खानें

†३१६. श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विठ्ठल राव :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री ५ मई, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २२३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि न्यूटन चिकली खानों के मैनेजर के विरुद्ध खान अधिनियम १९५२ तथा कोयला खान विनियम १९२६ के उपबन्धों को भंग करने के कारण जो मुकदमा चल रहा था, क्या उसे वापिस ले लिया गया है क्योंकि जांच अदालत ने उन्हें निर्दोषी घोषित कर दिया है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : जी, नहीं ।

कोयला खान भविष्य निधि योजना

†३१७. श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विठ्ठल राव :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत इस के आरम्भ से ले कर एक कर्मचारी को अधिक से अधिक कितनी राशि दी गई है ;

(ख) क्या कोई ऐसी प्रस्थापना है कि सेवा काल की अवधि को १५ वर्ष से कम कर दिया जाय, ताकि कर्मचारियों को मालिकों के अंशदान का पूरा भाग प्राप्त हो सके; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब लागू किया जायेगा ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) ६,२०३ रुपये १६ नये पैसे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई नगरपालिका निगम

३१८. **श्री रघुनाथ सिंह : क्या निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई नगरपालिका निगम ने भारत सरकार से बकाया कर के रूप में ३ लाख रुपये मांगने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो बम्बई नगरपालिका निगम का कितना रुपया भारत सरकार के नाम बकाया कर के रूप में बाकी है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) और (ख). २० जुलाई, १९५९ तक, बम्बई में केन्द्रीय सरकारी निर्माण विभाग द्वारा नियंत्रित सरकारी इमारतों के लिये बकाया कर के रूप में नगरपालिका निगम द्वारा मांगी गई रकम केवल ४१,६५० रुपये थी ।

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय को छोड़ कर जहां तक दूसरे मंत्रालयों द्वारा नगरपालिका निगम को दिये जाने वाले बकाया करों का सम्बन्ध है, उस के बारे में मेरे मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है ।

भारतीय गांव में पाकिस्तानी पुलिस का प्रवेश

३१९. **श्री आसर :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पाकिस्तानी पुलिस ने ३ जून, १९५९ को जैन्तियां पहाड़ियों में दोवकी पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत आने वाले नलजोरी गांव में अवैध प्रवेश किया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने यह दावा किया कि यह गांव पाकिस्तान का है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्होंने अपने ठहरने के बारे में एक बैठक बुला कर निश्चय किया ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की घटनाओं को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (घ). ३-६-१९५९ को सात पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तानी सिपाही प्रतीत होते थे, नलजोरी गांव में अवैध रूप से आये और उन्होंने यह घोषणा की कि नये सर्वेक्षण के अनुसार यह गांव पाकिस्तान में आ गया है। यह भी पता चला है कि उन सिपाहियों ने ग्राम वालों से कहा कि उन्हें गांव की सभा कर के यह निश्चय करना चाहिये कि वह पाकिस्तान के प्रशासन में रहना चाहते हैं अथवा भारत चले जान चाहते हैं ।

इस क्षेत्र में संयुक्त रूप में आसाम और पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारी जो सीमाबन्दी का कार्य कर रहे हैं वह अभी पूर्ण नहीं हुआ, परन्तु नलजोरी गांव का बड़ा भाग पाकिस्तान में ही रह जायेगा । पुरातन काल से इस गांव का कब्जा आसाम प्राधिकार का ही रहा है । सितम्बर १९५८ में भारत-

---

†मूल अंग्रेजी में

पाक प्रधान मंत्रियों के समझौते के अनुसार सभी विवादों अथवा सीमा बन्दी के मामलों को परस्पर बातचीत द्वारा ही तय किया जाना है, अतः पूर्ववत् स्थिति ही कायम रखी जा रही है । और इस के लिये समुचित पग उठाये जा रहे हैं ।

भारतीय फिल्म समारोह

†३२०. **श्री दलजीत सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ और १९५९ में विदेशों में होने वाले फिल्म समारोहों की संख्या, देशवार. क्या है ; और

(ख) इस दिशा में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) और (ख). १९५८, १९५९ में अब तक विदेशों में कोई भी भारतीय फिल्म समारोह नहीं हुआ । परन्तु व्यापार प्रदर्शनियों में रूपक तथा प्रलेख चित्र दिखाये गये । इस प्रकार की कई एक फिल्में बहुत ही लोकप्रिय सिद्ध हुईं ।

महिला श्रमिक

†३२१. **श्री वोडयार :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला श्रमिकों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिये योजना आयोग द्वारा जो अध्ययन दल नियुक्त किया गया था, उस ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की विशेषतायें क्या हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) और (ख). मई १९५८ में महिला शिक्षा राष्ट्रीय समिति की प्रार्थना पर योजना आयोग ने द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत चलने वाली परियोजनाओं में तथा वैसे भी भविष्य में महिला श्रमिकों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया था । इस अध्ययन दल की उपपत्तियों को संक्षेप में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति के प्रतिवेदन के अध्याय १७वें में दी गई हैं ।

लौह-अयस्क की खानों के श्रमिक

†३२२. **श्री मोहम्मद इलियास :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के सिंहभूम ज़िले और उड़ीसा के क्योंझर जिले में लौह-अयस्क निकालने के लिये रखे गये अधिकांश श्रमिक ठेकेदारों के श्रमिकों के रूप में रखे जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या क्रमशः कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि उन के काम और नौकरी की शर्तें नियमित विभागीय श्रमिकों से बदतर हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या यह भी सच है कि कोयला क्षेत्रों के स्थायी प्रकार का काम करने वाले खान-श्रमिकों को विभागीय श्रमिक मानने की व्यवस्था है जबकि इसे लौह-अयस्क निकालने वाले श्रमिकों पर लागू नहीं किया जाता ;

(ङ) क्या ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों को भविष्य निधि रखने की अनुमति रहती है ; और

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) लगभग १०,५०० श्रमिक ठेकेदारों द्वारा और लगभग ७,५०० श्रमिक विभागीय रूप से रखे जाते हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) एक समिति इस प्रश्न का अध्ययन कर रही है ।

(ङ) प्रत्यक्ष रूप से किसी छायादार प्रतिष्ठान में काम करने के लिये रखे जाने वाले ठेकेदार के श्रमिक कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा २ (एफ) और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ की कण्डिका २ (एफ) (iii) और २६(१)(ए) के अधीन भविष्य निधि का लाभ पाने के अधिकारी होते हैं ।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लौह-अयस्क और मैंगनीज की खानों का बन्द किया जाना

†३२३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के क्योंझर जिले, बिहार के सिंहभूम ज़िले और मध्य प्रदेश में पिछले १ वर्ष में लौह-अयस्क और मैंगनीज की कितनी खानें बन्द हो गयी हैं;

(ख) इन खानों के बन्द हो जाने के फलस्वरूप कितने स्त्री-पुरुष बेरोज़गार हो गये हैं;

(ग) पिछले एक वर्ष में कितने श्रमिकों की छंटनी की गयी या उन्हें छंटनी के नोटिस दिये गये;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ खानों में छंटनी या बैठकी तक के लाभों का भुगतान नहीं किया गया है;

(ङ) क्या खानों का यंत्रीकरण बड़े पैमाने पर श्रमिक की बेरोजगारी के लिये उत्तरदायी है; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी या की जाने वाली है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) १९५८ में उनंचास खानें और १९५९ की पहली छमाही में दो खानें ।

(ख) १ जनवरी, १९५८ से ३० जून, १९५९ तक की अवधि में (लगभग) ५८०० ।

(ग) १ जनवरी, १९५८ से ३० जून, १९५९ तक की अवधि में (लगभग) ११३७० ।

(घ) कुछेक श्रमिकों के सम्बन्ध में छंटनी अथवा बैठकी के लाभ का भुगतान न किये जाने की शिकायतें मिली हैं और केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था के अधिकारीगण उनके बारे में कार्यवाही कर रहे हैं ।

(ङ) जी हां, नोआमुण्डी लौह-अयस्क खान में काम करने वाले श्रमिकों के मामले में ।

(च) नोआमुण्डी खानों के यंत्रीकरण के फलस्वरूप फालतू होने वाले श्रमिकों को अन्य उपक्रमों में खपा लेने के लिय कार्यवाही की जा रही है ।

लौह-अयस्क के खान श्रमिकों के लिये जल-संभरण

†३२४. { **श्री मोहम्मद इलियास :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० एस० सी० ओ० गुआ लौह-अयस्क की खानों में श्रमिकों के लिये छना हुआ पानी उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या यह सच है कि बड़े ही गंदला पानी का, जो नये क्रशिंग प्लांट का कूड़ा मिल जाने से और भी गंदला हो जाता है, श्रमिकों को संभरण किया जा रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि झोंपड़ों में बहुत ही अपर्याप्त पानी आता है और अधिकांश श्रमिकों को ड्यूटी पर जाने से पहले पानी नहीं मिल पाता;

(घ) क्या कई खानों में, जहां श्रमिकों को सारे दिन सूर्य की गर्मी के नीचे काम करना पड़ता है, पीने के पानी के नल हैं; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि उन के मंत्रालय और केन्द्रीय श्रम आयुक्त से कई अभ्यावेदन किये गये हैं, लेकिन उस के फलस्वरूप उपयुक्त कार्यवाही नहीं की गयी है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (ङ). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

राष्ट्रीय आय

†३२५. { **श्री कालिका सिंह :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में भारत की राष्ट्रीय आय और चालू मल्यों तथा १९४८-४९ के आधार पर लगायी गयी प्रति व्यक्ति आय कितनी कितनी थी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पुनर्गठन के बाद से पुनर्गठित राज्यों और केन्द्रीय राज्य-क्षेत्रों की राष्ट्रीय आय पृथक-पृथक और चालू मूल्यों के रूप में तथा १९४८-४९ के मूल्यों के आधार पर उन राज्यों और राज्य क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय कितनी कितनी थी;

(ग) क्या १९५०-५१ के बाद से कई राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में लगातार कमी होती रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** :(क) १९५६-५७ और १९५७-५८ के विषय में अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। १९५८-५९ के बारे में इस आशय की जानकारी अभी तैयार नहीं है।

(ख) केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन राज्यवार ढंग से प्रति व्यक्ति की आय और प्रत्येक राज्य के आधार पर राष्ट्रीय आय का हिसाब नहीं लगाता।

(ग) सरकार को ऐसी किसी रुझान का पता नहीं है; और

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

	१९५६-५७ रुपये	१९५७-५८ (आरम्भिक) रुपये
१. राष्ट्रीय आय (या फैक्टर कास्ट पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन) करोड़ रुपयों में		
(क) चालू मूल्यों पर . .	११,३१०	११,३६०
(ख) १९४८-४९ के मूल्यों पर . .	११,०००	१०,८३०
२. प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय (या फैक्टर कास्ट पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय) रुपयों में		
(क) चालू मूल्यों पर . .	२९१·५	२८९·१
(ख) १९४८-४९ के मूल्यों पर . .	२८३·५	२७५·६

तिब्बत में ट्रेड एजेंसी के भवन को क्षति

†३२६. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इगान्त्से (तिब्बत) में ट्रेड एजेंसी का जो भवन बाढ़ में बह गया था उसका पुनर्निर्माण हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) अभी नहीं।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) स्थानीय रूप से बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिनकी वजह से एजेंसी भवन का निर्माण आरम्भ नहीं हो पाया है। मौजूदा ट्रेड एजेंसी का भवन १९५४ में बाढ़ में बह गया था। हमारे इंजीनियरों का विचार था कि ट्रेड एजेंसी के भवन की भावी सुरक्षा की दृष्टि से भवन से लगकर बहने वाली नदी के किनारे-किनारे सुरक्षात्मक निर्माण कार्य करना पड़ेगा। सुरक्षात्मक निर्मितियों के नक्शे बनाकर सहमति के लिये चीनी अधिकारियों को दे दिये गये थे। काफी अर्से तक वार्ता के बाद २ जून, १९५९ को चीनी अधिकारियों ने हमारे व्यापारिक प्रतिनिधि को सूचित किया हम भवन और सुरक्षात्मक निर्माण कार्य आरम्भ कर सकते हैं बशर्ते कि यह हमारी सीमा के भीतर ही रहे और उनके राजपथ अथवा नीचे की ओर बने पुल को क्षति न पहुंचाये।

तदनुसार सुरक्षात्मक निर्मितियों और एजेंसी भवन का प्रारम्भिक निर्माण कार्य हाल ही में आरम्भ किया गया था लेकिन इस बीच चीनी अधिकारियों ने काम बन्द कर देने का आदेश दे दिया है।

हमने चीनी अधिकारियों को विश्वास दिलाया है कि हमारी योजनाओं से किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचेगी और हमने यह भी सुझाव दिया है कि यदि आवश्यक समझा जाये तो दोनों ओर के वरिष्ठ इंजीनियर मौके पर मिलकर एक दूसरे की सहमति से योजनाओं का अनमोदन कर दें ताकि हमारी संपत्ति का और भी नष्ट होना रोका जा सके। इस सुझाव पर चीनी अधिकारियों की सहमति की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†३२७. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बजटों में जिन राशियों का उपबन्ध किया गया था उनमें से अब तक कितनी राशि व्यय हुई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के बजटों में त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये जो ८१५·५७ लाख रुपयों का उपबन्ध किया गया था उसमें से १९५१-५२ से १९५८-५९ तक की अवधि में ८०८.४५ लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

बाल-कल्याण सम्बन्धी प्रतिवेदन

†३२८. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा नियुक्त किये गये बाल-कल्याण सम्बन्धी अध्ययन-दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी चुनिंदा सिफारिशें क्या हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने में कितनी राशि लगेगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) योजना आयोग ने बाल-कल्याण के सम्बन्ध में कोई अध्ययन दल नियुक्त नहीं किया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पश्चिम बंगाल के औद्योगिक-संस्थापनों को ऋण

†३२९. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के किसी उद्योग ने विस्थापित व्यक्तियों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने के उद्देश्य से पुनर्वास मंत्रालय से कोई ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन उद्योगों ने;

(ग) उन्हें कितनी राशि दी गयी है; और

(घ) कितने विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६१]

आकाशवाणी में हिन्दी कार्यक्रम

†३३०. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अ-हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिये आकाशवाणी ने कुछ समय निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक केन्द्र के लिये सप्ताह में कितना-कितना समय निर्धारित किया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न कार्यक्रमों के प्रसारण का समय भिन्न भिन्न अवधि के बाद आता है इसलिये एक सप्ताह के प्रसारणों के परिमाण से अ-हिन्दी केन्द्रों के हिन्दी -कार्यक्रमों के लिये निर्धारित समय का सही अनुमान नहीं हो पायेगा । फिर भी, मई, १९५९ महीने के विषय में यह जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिस से इस प्रकार के प्रसारणों के लिये निर्धारित समय का अनुमान हो जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

केन्द्र	बोलकर प्रसारित किये गये कार्यक्रम (मिनटों में)
१. बम्बई	२,५७२
२. कलकत्ता	१,४७३
३. मद्रास	३४०
४. तिरुची	३२४
५. विजयवाड़ा	५३५
६. हैदराबाद	१,०३०
७. बंगलौर	३७६
८. धारवाड़	७५१
९. त्रिवेन्द्रम	५२५
१०. कोजिकोड	५४१
११. कटक	९३०
१२. गौहाटी	५११
१३. नागपुर	१,८०९
१४. राजकोट	९३२
१५. अहमदाबाद	६३२
१६. पूना	४१३

नोट:—इन आंकड़ों में संगीत के कार्य क्रम शामिल नहीं हैं। समस्त उत्तरी भारत के संगीत कार्यक्रम अधिकतर हिन्दी में ही होते हैं।

सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

†३३१. **श्री मुरारका :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५७-५८ में सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिक्ल्स लिमिटेड में २५,५५८ टन जिप्सम और अमोनियम सल्फेट का अपव्यय हो गया था;

(ख) क्या कम्पनी ने इस सामान के इस प्रकार अपव्यय के बारे में कोई जांच की है; और

(ग) इस की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जी हां।

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) और (ग) जिप्सम में जो ४ प्रतिशत तक अपव्यय की छूट है उस के स्थान पर ४.१९ प्रतिशत जिप्सम और अमोनियम सल्फेट के सम्बन्ध में १ प्रतिशत अपव्यय की सामान्य छूट है उसके स्थान पर .८८ की अतिरिक्त कमी हो गयी थी। इस के कारण इस प्रकार हैं :

जिप्सम : जिप्सम के सम्बन्ध में यह अन्तर पिछले प्रतिवेदन के ३.६४ प्रतिशत के स्थान पर ४.१९ बैठता है। यह लेखाओं में समायोजित ४ प्रतिशत के सामान्य अपव्यय के अतिरिक्त है। विस्तार के लिये लगाये गये संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से फालतू स्टाक रखने के लिये इस वर्ष जो विशाल स्टाक ले जाया गया था उसके फलस्वरूप स्टाक की जांच कठिन हो गयी थी। पीसने के यंत्रों पर लगे तौलने के यंत्रों से पता लगाने पर देखा गया कि कुछ महीनों में विहित मात्रा और वास्तविक खपत से कम खपत हुई थी।

अमोनियम सल्फेट : स्टाक की जांच से १ प्रतिशत की सामान्य अपव्यय सीमा के अलावा ०.८८ प्रतिशत की कमी होने का पता चला। अप्रैल १९५७ से अक्तूबर १९५७ के बेल्टवेयर में कुछ दोष होने के कारण बेल्टवेयर से उत्पादन के जो आंकड़े आते रहे उन में बराबर गलतियां होती रहीं। इस के पहले और बेल्ट के बदले जाने के बाद भी कभी यह अन्तर १ प्रतिशत से अधिक नहीं रहा और इसी लिये यह ०.८८ प्रतिशत की जो अतिरिक्त कमी दीख पड़ रही है उसे केवल गलत आंकड़े दर्ज होने का परिणाम कहा जा सकता है।

सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डाइरेक्टर से पूछताछ की गयी है और उन के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

मैसूर और कश्मीर राज्यों में रेशम कीट पालन उद्योग का विकास

†३३२. **श्री सिदय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर और काश्मीर राज्यों में रेशम कीट पालन उद्योग के विकास के निमित्त १९५९–६० के लिये कौन कौन सी योजनायें मंजूर की गई हैं ; और

(ख) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६२]**

इस विवरण में दी गई योजनाओं में से ११ योजनायें अभी हाल ही में मंजूर की गई हैं। कभी उनकी प्रगति का मूल्यांकन करने का समय नहीं हुआ है। विवरण में शामिल योजनाओं के अलावा मैसूर सम्बन्धी १३ और जम्मू तथा काश्मीर के विषय में ९ अन्य योजनाओं की मंजूरी शीघ्र ही दे दी जायेगी।

मान्यता प्राप्त संघों से सदस्यता-शुल्क संग्रह

†३३३. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है कि मान्यता प्राप्त संघों को अपनी सदस्यता-शुल्क सम्बन्धी बकाया राशि कारखाने के भीतर ही जमा करने की अनुमति देदी जानी चाहिये ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय श्रम सम्मेलन इस बात से सहमत हो गया था कि मान्यता प्राप्त संघों को कारखानों की इमारत के भीतर ही सदस्यता शुल्क जमा करने की अनुमति दी जानी चाहिये । नियोजक मंत्रालयों और राज्य सरकारों को इस आशय से जून, १९५८ में सूचित कर दिया गया था ।

अल्प-आय वर्ग गृह-निर्माण योजना

†३३४. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली राज्य क्षेत्र में कितने अनुसूचित जाति वाले व्यक्तियों को अल्पआय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अधीन ऋण दिये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु०चन्दा)**: अल्पआय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अधीन उन सभी व्यक्तियों को ऋण मिल सकते हैं जिनकी आय ५०० रुपये प्रति मास से अधिक न हो और सामान्यतया जिनके पास दूसरा कोई मकान न हो । इसलिये दिल्ली के आवेदन कर्ताओं को दिल्ली प्रशासन से इस योजना के अधीन ऋण के लिये आवेदन करते समय अपनी जाति समुदाय का नाम प्रगट नहीं करना पड़ता । इसलिये इस योजना के अधीन जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ऋण दिये जा चुके हैं उनकी संख्या उपलब्द नहीं है ।

शहतूत के वृक्षों संबंधी अनुसंधान

†३३५. **श्री शंकरय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में राज्य के विभिन्न भागों में पाये जाने वाले शहतूत के वृक्षों की कलमों के बारे में कोई प्रयोग या अनुसंधान कार्य हो रहा है ;

(ख) पिछले दो वर्षों में केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि मंजूर की है ; और

(ग) उसमें से कितनी राशि व्यय हो चुकी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) . प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पाकिस्तान द्वारा तेल की खपत पर प्रतिबन्ध

†३३६. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने हाल ही में अपनी तेल की खपत पर प्रतिबन्ध लगा दिये हैं ;

(ख) क्या इसका पाकिस्तान के साथ हमारे व्यापार पर कोई प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो किस रूप में ?

---

† मूल अंग्रेज़ी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां। पैट्रोलियम के उपादों की खपत पर।

(ख) और (ग). जी नहीं। हम पाकिस्तान को किसी उल्लेखनीय मात्रा में पैट्रोलियम उत्पादों का निर्यात नहीं करते।

स्थगन प्रस्ताव

तिब्बत में भारतीय व्यापारी

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री ब्रजराज सिंह से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है जो "लासा के चीनी प्राधिकारियों द्वारा भारतीय व्यापारियों के साथ अनुचित भेदभाव के बर्ताव" के बारे में है। उनका कहना है कि चीनी अधिकारी भारतीय व्यापारियों की व्यापारिक वस्तुओं को जब्त कर लेते हैं, भारतीय व्यापारियों से मनमाने मूल्य पर सामान खरीद लेते हैं, उगाही में कठिनाईयां उत्पन्न करते हैं, तथा वस्तुओं के परिवहन में अड़चन पैदा करते हैं, जिनके कारण तिब्बत के सम्बन्ध में भारत–चीन व्यापार समझौते का उल्लंघन होता है तथा पंचशील के सिद्धान्त भंग होते हैं।

ऐसा कब से हो रहा है?

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : जब से तिब्बत में वर्तमान गड़बड़ आरम्भ हुई, तब से ऐसा हो रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब तिब्बत में ऐसी स्थिति कई महीनों से है तब यह मामला अविलम्बनीय महत्व का किस प्रकार है?

†**श्री ब्रजराज सिंह** : यह एक बड़ी गंभीर बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने बताया है कि हमारे व्यापार को बड़ा धक्का पहुंचा रहा है। इसके अतिरिक्त इसका हमारे पंचशील के सिद्धान्तों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि मित्र देश चीन से हमारे सम्बन्ध इसके कारण कटु हो सकते हैं। साथ ही यदि व्यापार कम होता गया तो भूटिया लोगों की आर्थिक दशा बड़ी खराब हो जायेगी। इसलिए इस पर पूरी तरह विचार किया जाना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री को इस पर एक स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि राज्य विधान सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा था कि इससे उत्तर–प्रदेश के व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ा है। ऐसा अखबारों में आया है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के वक्तव्य में से पढ़ कर बता सकता हूं। "डा० सम्पूर्णानंद ने श्री प्रताप सिंह के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि भूटिया लोगों की आर्थिक स्थिति तिब्बत के साथ व्यापार कम हो जाने के कारण बहुत खराब हो गई है।"

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं समझता हूं कि यह मामला स्थगन प्रस्ताव के योग्य नहीं है। परन्तु मैं भली प्रकार से समझता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रकार की घटनाओं से अवश्य चिन्तित होंगे। यह सच है कि गत कुछ महीनों में

---

†मूल अंग्रेजी में

जब से तिब्बत में झगड़े हुए हैं, लद्दाख में भारतीय व्यापार को बड़ा धक्का पहुंचा है। मैं कुछ आंकड़े बताता हूं। गत फरवरी में केन्द्रीय तिब्बत से हमारा १५ लाख रुपये का आयात तथा १० लाख रुपये का निर्यात हुआ था। जून में यह कम होकर २ लाख रुपये का आयात तथा ३ लाख रुपये का निर्यात रह गया है।

भारतीय व्यापारियों की कठिनाइयों के बारे में हमें कितनी ही सूचनायें मिली हैं। वह वहां पर इधर-उधर आ जा नहीं सकते हैं। उनको परिवहन साधन उपलब्ध नहीं होते। वह अपने माल को नहीं भेज सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव में बताई गई दूसरी बात के बारे में भारतीय व्यापारियों की वस्तुओं को जब्त कर लिया जाता है, मैं नहीं जानता परन्तु यह सत्य है कि परिवहन साधनों की कमी के कारण उन्हें आसानी से इधर-उधर भेजा नहीं जा सकता।

हमें यह भी बताया गया है कि हाल में ही एक आदेश जारी किया गया है जिसके अनुसार तिब्बत में तिब्बती मुद्रा तथा भारतीय मुद्रा अवैध घोषित कर दी गई है। यद्यपि आदेश जारी कर दिए गए हैं परन्तु हम नहीं जानते कि यह आदेश पूरी तरह लागू कर दिए गए हैं अथवा नहीं। लेकिन ऐसे आदेश जारी करना १९५४ के समझौते के अनुसार या कम से कम समझौते में निहित भावना के अनुसार नहीं है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सब कठिनाइयां हैं। तिब्बत में अन्य मामलों जैसे हमारे व्यापार अभिकरणों के कार्य संचालन के बारे में भी कठिनाइयां हैं। हम इस सम्बन्ध में बार बार पूरे विवरण के साथ चीनी सरकार को लिख रहे हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : इस पत्र व्यवहार के क्या परिणाम निकले ? चीनी सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†**श्री जवाहरलाल नहेरू** : हमें छोटी छोटी बातों के बारे में कुछ जवाब मिले हैं। लासा के हमारे वाणिज्यिक दूत ने भी स्थानीय प्राधिकारियों से लिखा पढ़ी की है। स्थानीय प्राधिकारियों के उत्तर संतोषजनक नहीं है और इसीलिए हाल में हमने पीकिंग में चीनी सरकार को एक पूरा ज्ञापन भेजा है। उसका हमें अभी तक यही उत्तर मिला है कि उस पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर): क्या हमारे व्यापारिक अभिकर्त्ता (ट्रेड एजेन्ट) वहां पर आसानी से घूम फिर सकते हैं अथवा उन पर कोई प्रतिबन्ध है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे विचार से सामान्यतः घूमने फिरने की दूरी पर कुछ प्रतिबन्ध हैं। दो, तीन मील की दूरी से अधिक बिना परमिट के वह नहीं आ जा सकते हैं। कभी-कभी परिवहन साधन न मिलने के कारण भी कठिनाई होती है।

†**श्री गोरे** (पूना): जैसा कि समाचारपत्रों में बताया गया है, क्या नैपाली व्यापारियों तथा भारतीय व्यापारियों के बीच भेद-भाव किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वहां पर नैपाली व्यापारी थोड़ी ही संख्या में हैं। संभव है कभी कभी उनके साथ भिन्न प्रकार का व्यवहार किया गया हो परन्तु कोई विशेष अन्तर नहीं है।

†**श्री आचार** (मंगलौर): क्या यह सच है कि चीन सरकार के निदेश पर हमारे व्यापार अभिकर्त्ता को अपना मार्ग बदलना पड़ा ? प्रारंभ में उन्हें दूसरे मार्ग से जाना पड़ा परन्तु उन्हें बाध्य होकर दूसरे मार्ग से जाना पड़ा जो कि पहले से लम्बा था, जिनसे अधिक देर लगी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ऐसा ही है। पश्चिमी तिब्बत में गार्टोक स्थित हमारे व्यापार अभिकर्त्ता को उस समय यह बताया गया कि उन्हें दूसरे दर्रे से जाना है जब वह उस दर्रे के समीप पहुंच चुके थे जिसमें से गुजर कर उन्हें तिब्बत में घुसना था। इस प्रकार उन्हें बताये गये दर्रे तक पहुँचने के लिए वापस लौटना पड़ा, जिससे यात्रा में कई सप्ताह लग गये।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : माननीय प्रधान मंत्री क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस विषय पर इस समय बहस नहीं की जा रही है। मैं केवल यह जानना चाहता था कि यह मामला महत्वपूर्ण है अथवा नहीं, यह हाल में ही हुआ है अथवा कुछ समय ऐसा होता रहा है। तथा क्या चर्चा के लिए इसको यहां पर प्रस्तुत किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस विषय पर विचार नहीं किया जा सकता है। सरकार इसके बारे में कार्यवाही कर रही है मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ।

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री वे० प० नायर से एक विशेषाधिकार के प्रस्ताव की पूर्व सूचना मिली है। उसका सारांश यह है कि माननीय गृह-मंत्री से हाल में ही केरल उदघोषणा के सम्बन्ध में राज्यपाल के प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने के लिए कहा गया था। उनका कहना यह है कि माननीय गृह मंत्री ने उसको सभा पटल पर न रख कर विशेषाधिकार भंग किया है।

अनुमति देने से पूर्व मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहूंगा कि क्या यदि कोई सदस्य वा सभा मांग करे तो गृहमंत्री को अनिवार्य रूप से इस प्रकार के प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखना पड़ेगा?

†**श्री वे० प० नायर** (क्विलान) : मुझे ग्यारह बजे से जरा पहले बताया गया था कि आप आज ही इस प्रश्न को प्रस्तुत करेंगे। मैं इसीलिए आपके कमरे में गया था और वहां पर मैंने आपको बताया था कि इतनी जल्दी सारी सामग्री इकट्ठा करना मेरे लिये संभव नहीं है। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि आज मुझे प्रस्ताव प्रस्तुत करने दें और मैं वक्तव्य कल दे दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। पहले आप मुझे बतायें कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आधार क्या हैं। उसके बाद ही मैं किसी नतीजे पर पहुचूंगा।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं कल सभी जानकारी प्राप्त कर के तैयार रहूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप–धारा (६) के अन्तर्गत सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, १९४८ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ:—

(एक) दिनांक ४ जुलाई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ७६०।

(दो) दिनांक २५ जुलाई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ८५९।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी १४८५/५९]

काफी नियमों में संशोधन

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं काफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उप–धारा (३) के अन्तर्गत काफी नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ९ मई १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५४९ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या—एल टी १४८६/५९]

हिन्दुस्तान मशीन ूल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप–धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के वर्ष १९५८–५९ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या—एल टी १४८७/५९]

कोयला खान दुर्घटना से बचाव नियम

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं खान अधिनियम, १९५२ की धारा ५९ की उप–धारा (७) के अन्तर्गत दिनांक २५ जलाई, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८७३ में प्रकाशित कोयला खान दुर्घटना से बचाव नियम, १९५९ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या–एल टी १४८८/५९]

---

†मूल अंग्रेजी में

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों में संशोधन

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास), अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप–धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ४ अप्रैल, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३९३ की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या—एल टी १३७१/५९]

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप–धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास), नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) दिनांक ४ जलाई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ७८१।

(दो) दिनांक २५ जलाई, १९५९ के जी० एस० आर० संख्या ८७१ और ८७२।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या–एल टी १४८९/५९]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारत-पाकिस्तान वित्तीय वार्ता

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर): नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर वित्तमंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बध में एक वक्तव्य दें :—

"भारत और पाकिस्तान के वित्त मंत्रियों के बीच हाल में दिल्ली में हुई वित्त वार्ता के परिणाम।"

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: श्रीमान, मैं आपकी अनुमति से एक संक्षिप्त वक्तव्य दूंगा जिसमें मैं दोनों देशों के बीच पुराने चले आ रहे वित्तीय मामलों के बारे में पाकिस्तान के वित्त मंत्री से मेरी जो बातचीत हुई, उसके बारे में बताऊंगा।

सभा को याद होगा कि ७ मई १९५९ को मैंने सभा में एक वक्तव्य दिया था जिसमें बताया था कि दोनों देशों के बीच मुख्य विवादस्पद मामले क्या हैं और उनसे सम्बन्धित रकमें कितनी हैं। इस बैठक में हमने मोटे तौर पर सभी मामलों का पुनरावलोकन किया। हम दोनों इस बात से सहमत थे कि जितनी जल्दी यह मामले हल हो जाते हैं उतना ही दोनों देशों के लिए अच्छा होगा और प्रयत्न यही होना चाहिए कि मुख्य मुख्य मामलों को एक साथ निबटा लिया जाय। क्योंकि अलग अलग मदों को एक एक करके लेना बहुत कठिन हो गया आखिर एक देश को दूसरे के जो कुछ देना है वह विदेशी मुद्रा में ही दिया

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

जायेगा और जब दोनों ओर से कुछ दावे किये जा रहे हैं तो इन दावों का एक साथ निपटाया जाना ही आवश्यक होगा।

बहुत से मामलों में तो रकमों के बारे में यह काफी हद तक ठीक ठीक अनुमान लगाया जा सकता है कि किस देश को कितना देना है परन्तु वास्तविक कठिनाई भारत को देय विभाजन ऋण के बारे में है। इसकी सात वार्षिक किस्तें बिना भुगतान हुए निकल चुकी हैं और अगली किस्त इस महीने की १५ तारीख को देय हो जायेगी। यह आवश्यक है कि अन्य विभिन्न मामलों को निबटाने के लिए इस ऋण का अनुमान लगाया जाये जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। माननीय सदस्यों को याद होगा कि कुछ वर्ष पहले पाकिस्तान को कुछ आंकड़े दिए गए थे कि इस ऋण का हिसाब किस प्रकार लगाया जाना चाहिये। इनके बारे में कुछ पत्र व्यवहार भी किया गया था परन्तु मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया। हम दोनों ने इस बात को समझ लिया कि और आगे बात करने के लिए यह आवश्यक है कि ऋण की ठीक रकम का पता लगाया जाये। अन्तिम बैठक में दोनों सरकारों के पदाधिकारियों ने शुरू में तैयार की गई इस रकम की जांच करने तथा उस पर किसी प्रकार का समझौता करने का काम किया। इस थोड़ी अवधि में वह इससे ज्यादा और कोई काम कर भी नहीं सकते थे। हम दोनों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि दोनों देशों को इन आंकड़ों की जांच करने और उनको अन्तिम रूप देने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए जिससे आगामी कुछ महीनों में रकम का यथा सम्भव ठीक-ठीक अनुमान लगाया जा सके और समझौता हो सके।

चर्चा के दौरान में और भी कई बातें उठायी गई जिनके बारे में दोनों पक्षों को और जानकारी पता लगानी थी। यह सब इकट्ठी की जायेगी जिससे जब हम भविष्य में मिलें तो उस समय हमें सभी बातों का पूरा पूरा पता रहे।

मेरे विचार में सभा तथा जनता को इससे निराशा नहीं होनी चाहिए कि हमारी बातचीत के कोई परिणाम नहीं निकले हैं। विवाद की लम्बी अवधि को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि सभा इस बात को समझेगी कि आवश्यक सामग्री के बिना निर्णय करना आसान काम नहीं है। रकम भी इतनी बड़ी हैं कि दोनों देश जल्दी में कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं। बैठक का वास्तविक लाभ यह हुआ है कि समझौते की दिशा में कार्य आरंभ हो गया है; मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि अन्य विभिन्न मामलों की जांच शीघ्रता से की जाये जिससे अगलीबार मंत्री जब मिलें तब संतोषजनक समझौता हो सके। मेरा इस सम्बन्ध में यह कहना है कि यदि दोनों देशों में बड़ा-चढ़ा कर दावे न किए जायें तो इससे हमें बड़ी सहायता मिलेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक (संशोधन) विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और बैंक अध्यादेश १९४५ के अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और बैंक अध्यादेश, १९४५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

दहेज निषेध विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में अब श्री अ० कु० सेन द्वारा ५ अगस्त १९५९ को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार होगा:—

"कि दहेज लेने या देने को निषिद्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें ३० सदस्य अर्थात, श्री मोहम्मद इमाम, डा० अचम्बा, श्री नि० चं० लाश्कर, श्री ओंकारलाल, श्रीमती जयाबेन शाह, श्री बालकृष्ण वासनिक, श्री राम कृष्ण गुप्त, श्री म० ना० सिंह, श्रीमती सत्यभामा देवी, श्री सिंहासन सिंह, श्रीमती उमा नेहरू, श्री जं० ब० सिं० बिष्ट, श्री मु० ही० रहमान, श्रीमती रेणुका राय, श्री टे० सुब्रहमण्यम, डा० गंगाधर शिव, श्री वें० ईयाचरण, श्रीमती सहोदराबाई राय, पंडित बाबूलाल तिवारी, श्री स० र० अरुमुगम, श्री राधाचरण शर्मा, श्री हजरतवीस, श्रीमती रेणुचक्रवर्ती, श्री पुन्नूस, श्री सूबिमन घोष, श्री उ० ला पाटिल, श्री ब्रजराज सिंह, श्री इगनेस बेक, श्री खुशवक्त राय और श्री अ० कु० सेन इस सभा के हों और १५ सदस्य राज्य–सभा के हों,

कि समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्त्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होगी,

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्त तक अपना प्रतिवेदन दे।

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों तथा रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें, और

कि यह सभा राज्य–सभा से सिफारिश करती है कि राज्य–सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हों और राज्य–सभा अपने द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम लोक–सभा को बतायें"

†**श्रीमती मंजुला देवी** (ग्वालपाड़ा): अध्यक्ष महोदय पाणिग्रहण संस्कार के समय जो मंत्र बोले जाते हैं उनके अनुसार कन्या को स्त्रीधन माना जाता है।

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन पीठासीन हुए]

मनु संहिता में स्पष्टतया बताया गया है कि पुत्री को विवाह में पूरा श्रृगार करके देनी चाहिए तथा पतिगृह में उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। अर्थात उसकी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मती मंजुला देवी]

देवी के समान पूजा की जानी चाहिए तथा उसके नेत्रों से आंसु का गिरना अपशकुन माना जाना चाहिए। परन्तु आज स्त्रीधन केवल दहेज को माना जाता है जो कि वर के मां–बाप ले लेते हैं। स्त्रीधन तो वह धन है जो पिता अपनी पुत्री को देता है। अतः मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री इस बात पर विचार करें कि स्त्रीधन जो पिता पुत्री को देता है उससे पुत्री वंचित न हो जाये।

मेरा एक और सुझाव है। वह खण्ड ६ के उपखण्ड (२) के सम्बन्ध में है। मान लीजिए ससुर ने दहेज का धन ले लिया है और वधु इतनी साहसी नहीं है कि मुकदमा दायर कर सके। इसके अतिरिक्त यदि मुकदमा दायर भी किया जाता है तो भी ससुर दण्ड भुगत लेगा और सम्पत्ति वधु को नहीं देगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि स्त्री को सम्पत्ति के बराबर की सम्पत्ति स्त्री को दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त वधु के वयस्क होने के एक वर्ष की अवधि में सम्पत्ति के हस्तान्तरण की व्यवस्था है। मैं चाहती हूं कि इस अवधि को तीन अथवा छः महीने कर दिया जाये।

दहेज दो प्रकार का होता है। कन्या शुल्क तथा वर शुल्क। आसाम में वर की ओर से कन्या पक्ष को दहेज दिया जाता है। मैं चाहती हूं कि दहेज चाहे किसी ओर से भी हो, समाप्त किया जाना चाहिए। और विधेयक में 'पक्ष' शब्द न रख कर इसको भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। मैं आशा करती हूं कि देश की जनता इसको बुरी प्रथा समझेगी और दूर करने के लिए आगे बढ़ेगी।

श्रीमती जयाबेन शाह (गिरनार): माननीय चेयरमैन साहब, इस पर यहां बहुत सी बातें कही गई हैं। मेरी भी थोड़ी बोलने की इच्छा थी। मगर कल त्यागी साहब को जो मैं ने सुना उससे मेरी इच्छा और बढ़ गई। उन्होंने इस बारे में मुझ से बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन उन्होंने कल यहां जो कुछ कहा है मैं उसी के बारे में कहूंगी। वाजपेयी जी ने भी बहुत सी मजेदार कहानियां सुनायीं जो वह ऐसे ही सुनाते आये हैं।

कल त्यागी जी ने बताया कि हमारी सरकार को बड़े–बड़े काम तो सूझते नहीं वह इन छोटी–छोटी बातों में पड़ी है। उनकी यह बात सुनकर मुझे हंसी भी आती है, और यह विचार भी आता है कि जब वह मिनिस्टर थे तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थीं या नहीं।

श्री त्यागी (देहरादून): बहुत बड़ी बातें की थीं।

श्रीमती जयाबेन शाह: ये छोटी छोटी बाते हैं मगर मैं उनको निमंत्रण देती हूं कि वह हमारे यहां गुजरात में आयें तो उनको मालूम होगा कि इन छोटी बातों के कारण क्या हाल होता है।

पिछले दो तीन महीने में इस प्रथा के कारण दो तीन खून हो गए हैं। ऐसी बहुत सी दुर्घटनायें होती रहती हैं। कोई किस्सा हमारे पास आता है और कोई नहीं आता है। इतनी बहनों का गला घोंटा जाता है कि किसी को पता नहीं चलता। इस बात को त्यागी जी छोटा समझते हैं। हम इस को छोटी और मामूली बात नहीं समझते हैं।

†**श्री प्र० ए० पटेल** (महसाना): क्या उन मामला में दहेज दिया गया

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमती जयाबेन शाह : ये सब दुर्घटनायें डावरी के कारण होती हैं। माननीय सदस्य तो जानते ही हैं, क्योंकि उनकी कम्युनिटी में बहुत सी होती हैं।

वाजपेयी जी ने जो एक बात कही, उसके बारे में मैं कुछ कहूं, तो वह मुझे माफ़ करें। हम देखते हैं कि जब भी इस प्रकार के समाज-सुधार का कोई प्रश्न आता है, तो जन-जागृति और पब्लिक ओपीनियन की बात की जाती है। मैं यह कहना चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में स्त्री संगठन और विमेन्ज़ कौंसिल काम करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। अगर उन्होंने पब्लिक ओपीनियन जाग्रत नहीं की होती, तो जन संघ वाले इस बिल को यहां आने का मौका ही न देते। आज जब यह बिल इस सदन में रखा गया है, तो धर्म और आर्य संस्कृति की बातें की जाती हैं। साधारण आदमी इन बातों से समझने लगते हैं कि ज़रूर कोई बात होगी और कहीं हमारा धर्म भ्रष्ट न हो जाये। मेरा खुद का इस बारे में अनुभव है। उन्होंने इस बारे में चुनाव का भी उल्लेख किया। मैं कुछ नहीं कहना चाहती। हम तो चाहते हैं कि इस प्रकार के सामाजिक सुधारों में चुनाव को न लाया जाये, लेकिन उन्होंने बार बार ऐसा किया है। मैं स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद तीन दफ़ा जेनरल इलैक्शन में खड़ी हुई और तीनों दफ़ा जन संघ वालों से ही मेरा मुकाबला हुआ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सदा यही प्रचार किया कि जो भी सामाजिक सुधार किये गये हैं, वे सब बुरे हैं—तलाक के बारे में जो व्यवस्था की गई, वह भी बुरी है, हिन्दू सक्सेशन एक्ट में जो सुधार किया गया, वह भी बुरा है और इस सब से हमारा धर्म पाताल में चला जायेगा। इन्हीं बातों से वे देश को भरमाते रहे हैं। हमने उस प्रचार का मुकाबला किया और अब उनकी चलती नहीं है। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि ऐसी बातों से हम पर कोई असर नहीं होने वाला है। वे इसी प्रकार बातें करते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे।

यह भी कहा गया है कि इस प्रकार के जो मेज़र्ज़ लाये जाते हैं, उनसे काम नहीं चलता, उनके साथ पब्लिक ओपीनियन को भी जाग्रत करना चाहिये। क्या हमने कहा है कि हम ये कायदे और कानून बना कर बैठ जायेंगे और काम नहीं करेंगे। वह तो हम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम यह बताना चाहते हैं कि हमारा सोशल कनसेप्ट—हमारी सोशल फिलासफ़ी क्या है और हम किस प्रकार की सोसाइटी बनाना चाहते हैं। हम एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं, जिसमें दहेज की प्रथा न हो और एक्सप्लायटेशन न हो। मानवता का जिसमें मूल्य घट जाता है, ऐसी समाज-व्यवस्था हम नहीं चाहते हैं। इस तरह बिल पास करना भी डेमोक्रेसी में यह बताने का एक तरीका है। इस बिल को पास कर के हम यह बताते हैं कि यह हमारा सोशल कनसेप्ट है। त्यागी जी कहते हैं कि इससे क्या फायदा है। यह ठीक है कि देने वाले देते रहेंगे और लेने वाले लेते रहेंगे। पहले भी बहुत से कायदे कानून पास किये गये हैं, जिन पर अमल होना मुश्किल है। क्या इसका मतलब यह है कि हम बैठ जायें और कुछ न करें? डेमोक्रेसी में हमारा जो फ़र्ज़ है, वह हम पूरा करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो सोशल कनसेप्ट और जो सोशल फिलासफ़ी सामने रखी है, उस की तरफ हम आगे बढ़ते रहेंगे।

त्यागी जी के बारे में मैं कुछ खास नहीं कहना चाहती। लेकिन त्यागी जी जैसे लोग जब जब बोलते हैं, तो मेरे दिल में एक ऐसा असर होता है—बाहर भी हम सुनते रहते हैं, जहां जहां हम घूमते हैं, वहां ऐसी बातें सुनते रहते हैं—और मैं समझती हूं कि जैसा हमारा विकास होता है, हमारे दिल में जितनी सामाजिक भावना रहती है, जिस कक्षा में, जिस समाज में हम रहते हैं उनका प्राजेक्शन—रिफ़लैक्शन—जो हम बोलते हैं, उसमें आ जाता है। मैं समझती हूं कि इस मौके

[श्रीमती जयाबेन शाह]

पर हम इस स्तर पर नहीं रहना चाहते हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं और उसमें जो भी रुकावट आयेगी, हम उसको हटा कर आगे बढ़ने वाले हैं।

कल जो बातें उन्होंने कहीं, उनका जवाब देने की इच्छा तो रहती ही है। लेकिन इसके पीछे जो सबसे ज्यादा बात है, उसके बारे में मुझे कहना है। हमारे समाज में--खास तौर पर हिन्दू समाज में---बहुत सी बुराइयां हैं। मैं हिन्दू हूं और मुझे भी यह देख कर शर्म आती है कि हिन्दू धर्म के नाम पर इतनी बुराइयां चलती हैं कि जिनको देख कर हम दंग रह जाते हैं। बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन उनको समाप्त करने के लिये जैसे एक ओर हम पब्लिक ओपीनियन को जागृत करें, वैसे ही दूसरी ओर हमारे हाथ में जो राज्य है, उसके द्वारा कायदे-कानून बनायें।

उन्होंने बीच में गांधी जी का नाम भी लिया। मुझे बड़ा रंज हुआ कि हम छोटी छोटी बातों में गांधी जी का नाम लेते हैं। उन दिनों हमारे हाथ में राज्य-सत्ता नहीं थी। अगर होती, तो वह क्या कहते ? मैं नहीं कहना चाहती कि वह क्या कहते। मैं समझती हूं कि ऐसी बातों में उनको बीच में लाना अच्छा नहीं है।

मैं अपनी उन बहनों से भी कुछ कहना चाहती हूं, जो कि आइन्दा शादी करने वाली हैं। हमारे जैसी, जो शादी कर चुकी हैं, उनके काम की यह बात नहीं है। हमारी आवाज़ उन बहनों तक पहुंचे। जब बैटरादल और विवाह की बात आती है, तो दोनों पक्षों में लेने देने का तरीका चलता है—चाहे कोई बोले या न बोले, चाहे वह स्पष्ट हो या अस्पष्ट यह तो सप्लाई और डिमांड का प्रश्न है—सप्लाई क्या है और डिमांड क्या है। उस समय कुछ न कुछ तय हो जाता है। हमारी जो बहनें पढ़ी लिखी हैं, उनको इस ओर आगे बढ़ना चाहिये और जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, उनको भी हम हिम्मत देकर आगे लाना चाहते हैं। जब कोई शादी के समय कन्डीशन रखे कि इतना दो, तो हम विवाह करते हैं, अगर नहीं दोगे, तो नहीं करेंगे, तो हमारी बहनें उस शादी को नामंजूर करके ऐसे ही रहें। कुछ लोग कहते हैं कि पांच हजार रुपया दो, तो हम शादी करेंगे, अगर कम होगा, तो नहीं करेंगे और शादी करने के बाद भी कहते हैं कि अपने पिता के पास से यह लाओ, वह लाओ। मैं यह कहना चाहती हूं कि जिस लड़की के पास सेल्फ़-रैस्पेक्ट है, वह इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं होती तो कभी न करती। जब स्त्रियों में इतनी हिम्मत आयेगी और वह हिम्मत के साथ कहेंगी कि यह हमको नामंजूर है और हमारी स्वतंत्रता और सम्मान के खिलाफ़ है, तो सारे समाज में ज़रूर कुछ सुधार होगा। जो हम कायदे बना रहे हैं, उन से इस उद्देश्य में सहायता मिलेगी।

मैंने छोटी उम्र में एक इंसीडेंट सुना था, जिसका मुझ पर बड़ा असर हुआ। सौराष्ट्र में दहेज की, लेने देने की ज्यादा प्रथा है। जहां भी ज़मींदारी रहती है, वहां यह प्रथा ज्यादा होती है। एक शादी के समय ब्राइडग्रूम आ गया था ससुराल में। मंडप में तैयारियां हो रही थीं। गाना बजाना हो रहा था। फिर कुछ बात हुई। ब्राइड की ओर से कुछ मांगा गया कि इतना सोना दो। जब वर के कानों में यह बात पड़ी कि कुछ मांगा जा रहा है और कुछ नेगोसियेशन हो रही है, तो वह उसी समय मंडप को छोड़ कर चला गया। वह एक बड़ा रेवोल्यूशनरी था। वह लौटा नहीं और उसने इन्कार कर दिया कि ऐसा होगा, तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। ऐसे नौजवान जब हमारे देश में निकलेंगे, तो कुछ न कुछ सुधार होगा। लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं करते हैं। कुछ इंडिविजुअल ऐसा करते हैं, लेकिन अधिकतर समाज ऐसा नहीं करता है। शादी के सम्बन्ध में स्टेटस की भी बात आ जाती है। यह देखा जाता है कि अपने बराबर के स्टेटस वाले के यहां हमरी लड़की की शादी हो, जिसका परिणाम यह होता है कि दाम बढ़ते रहते हैं। कई ऐसे भी लोग होते हैं, जो कहते हैं कि

लड़के को अमरीका भेजो। हमारी सामाजिक परिस्थितियों और सोशल और इकानोमिक डिस-पैरिटीज के कारण यह सब हो रहा है। हमारी बूर्ज्वा मैन्टैलिटी भी इसका बहुत कुछ कारण है। अगर हम समझें कि मनुष्य-मात्र एक है और ग़रीब और पैसे वाले में फ़र्क नहीं है और हम मानवता की दृष्टि से सब बातों को देखें और उसको सामने रख कर ही लड़के अथवा लड़की को चुनें, तो हमारी सब बुराइयां दूर हो जायेंगी। मगर ऐसा न समझा जाये कि मैं त्यागी जी के साथ सहमत हो गई हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं कि पब्लिक ओपीनियन इसके पक्ष में तैयार की जानी चाहिये और हमारे भाई और बहनें जो शादी करने वाले हैं, जिनकी शादी अभी होनी है, उनके अन्दर इस भावना को भरा जाये, उनके अन्दर ऐसे संस्कार पैदा किये जायें, कि वे डाबरी न लें। उनको बतलाया जाना चाहिये कि जो शादी है यह कोई बाजारू चीज नहीं है, माल लेने देने से ही नहीं हो सकती है, इस तरह से नहीं हो सकती है जिस तरह से बाजार से कोई चीज खरीद या बेच ली जाती है।

यहां पर धर्म का नाम भी लिया गया है। मनुस्मृति का जिक्र भी किया गया है। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि द्रौपदी के पांच पति थे। उस जमाने में यह प्रथा हो सकती है। लेकिन आज हमने एक पत्नी और एक पति की प्रथा यहां चलाई है और यह चीज एक आदर्श बन गई है। इस पर कायम रहना कि जो आज चीज है वह कल भी होनी चाहिये, मैं समझती हूं ठीक नहीं है। धर्म को इसमें लाना ठीक नहीं है। धर्म के नाम पर कितने ही झगड़े करवाये जाते हैं जिससे देश की बरबादी होती है। मैं तो समझती हूं कि इस तरह के काम करके हम धर्म की ही अभिवृद्धि करेंगे। इससे समाज में इक्वेलिटी, समता आयेगी जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकेंगे, ज्यादा सुखी हो सकेंगे।

एक छोटी सी बात और है जो मैं कहना चाहती हूं। वैसे कहना तो शायद वाजिब न हो लेकिन मैं समझती हूं कि उस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये। जितने भी सोशल लैजिस्लेशन आते हैं, उनके दायरे में से हम मुसलमानों को या और माइनोरिटीज (अल्पसंख्यकों) को एक्सक्ल्यूड कर देते हैं। यह ठीक नहीं है। जितनी भी विमेंस मूवमेंट्स होती हैं, उनमें मुस्लिम स्त्रियां भी भाग लेती हैं और दूसरे लोगों के साथ मिल कर चलती हैं और आज भी चल रही हैं। जब भी कोई प्रचार किया जाता है तो इस आधार पर नहीं किया जाता कि एक जाति के लिये ही वह हो, लेकिन हम यही कहते हैं कि स्त्री जाति के लिये हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। इसमें मुसलमान और पारसी इत्यादि औरतें भी शामिल होती हैं। यह कहा जा सकता है कि उनके जो रिवाज हैं, वे धर्म के ऊपर बेस्ड हैं, लेकिन हिन्दुओं के रिवाज भी तो धर्म के ऊपर ही बेस्ड हैं और हुये थे। जब हम उनमें से बुरों को बदल रहेहैं, तो इनके अन्दर भी अगर इस तरह का कोई बुरा रिवाज है, तो क्यों न उसको भी बदला जाये। जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी पारसी हैं, जो कि हिन्दुस्तान के नेशनल हैं, उन सब को हमें साथ लेना चाहिये। मुझे उन पुरुषों की चिन्ता नहीं है जो इसका विरोध करते हैं, मुझे चिन्ता तो स्त्रियों की है जिन के हम जैसे विचार हैं। हम चाहती हैं कि उन में से ही कोई निकलें और लोगों में जागृति पैदा करें और जो जो कुछ स्त्रियों की भलाई के लिये हुआ है, वह दूसरों को बतलायें। मैं तो जब भी मुसलमान स्त्रियों में जाती हूं तो यही कहती हूं कि हम समाज में यह करना चाहते हैं और वह करना चाहिये।

तो मैं आपसे कहूं कि माइनोरिटीज को छोड़ना ठीक नहीं है। हो सकता है कि किसी परि-स्थितिवश आप उनको छोड़ देते हों। लेकिन मैं चाहती हूं कि ऐसे मामलों में उनके जो लीडर्स हैं, उनको हम साथ लेकर चलें और उनकी जाति में सुधार की बात भी करें। हमें सारे भारत की चिन्ता होनी चाहिये न कि एक जाति की। मैं समझती हूं कि इससे उनको भी खुशी होगी और स्त्रियों

[श्रीमती जयाबेन शाह]

को भी खुशी होगी। सब स्त्रियां हमारे साथ हैं और साथ रहेंगी। जितने भी कार्यक्रम उनके सामने रखे जाते हैं उनमें से किसी का भी वे विरोध नहीं करती हैं तो मैं अपनी इस बात को प्रेस तो नहीं करती हूं, लेकिन यह मेरा सजैशन अवश्य है और मैं चाहती हूं कि आप इस पर विचार कर लें।

†कुमारी मो० बेव कुमारी (एलुरु) : मुझे बड़ी खुशी है कि यह विधेयक इस सभा में रखा गया है। पर इस तरह दहेज पर प्रतिबन्ध लगा कर, उसे खत्म नहीं किया जा सकेगा। दहेज तो तभी बन्द किया जा सकता है जब दहेज लेने वाले लोग दहेज लेना बन्द कर दें। दहेज मांगने वाले लोग पुरुष जाति के ही होते हैं। इसलिये इस सभा के पुरुष सदस्यों, मंत्रियों और अन्य लोगों को ही चाहिये कि वे दहेज के विरुद्ध समाज में प्रचार करें, और स्वयं भी दहेज लेना बन्द कर दें। यह समाज सुधार के जरिये ही किया जा सकता है, विधेयकों के जरिये नहीं।

बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस विधेयक के अन्तर्गत दहेज लेना एक प्रसंज्ञेय अपराध नहीं माना गया है। नहीं तो शादी के समय पुलिस के धावे होने लगते।

दहेज प्रथा हमारे समाज की एक बड़ी खराबी है और उसे दूर करने की कोशिश करना एक बड़ी अच्छी बात है। हमारे देश के युवक बड़े प्रगतिशील हैं। वे कहते हैं कि वे सिर्फ़ अच्छी, सुशिक्षित लड़कियां चाहते हैं; दहेज नहीं चाहते। लेकिन उनके अभिभावक दहेज मांगते हैं। जिनके यहां लड़के ज्यादा हैं, वे इस विधेयक का विरोध करेंगे। दूसरी ओर जिनके परिवार में लड़कियां ज्यादा हैं, वे इसका समर्थन करेंगे। दहेज लेने न लेने का ताल्लुक व्यक्ति विशेष की भावना पर निर्भर रहता है। यदि कोई लड़के वाला दहेज न लेना चाहे, तो नहीं लेगा। लेकिन अगर वह लेता है, तो उसकी शिकायत कौन करेगा ? लड़की वाला तो शिकायत करेगा नहीं। इसका मतलब है कि किसी तीसरे आदमी को शिकायत करनी चाहिये। पर ऐसा कोई व्यक्ति शायद ही मिले।

फिर एक कठिनाई यह भी है कि दहेज देने के कई तरीके निकल सकते हैं।

मैं इसका विरोध नहीं करती। मैं सिर्फ़ यही कहती हूं कि कानून बना कर समाज सुधार नहीं किया जा सकता। उसके लिये हमें जनता की मनोवृत्ति बदलनी पड़ेगी। दहेज देने वाला तो असल में देना ही नहीं चाहता। लेकिन फिर सभी लोग बातें करने लगते हैं, उंगली उठाने लगते हैं कि अमुक आदमी अपनी इतनी बड़ी लड़की को कुंवारी बैठाये है। तब उसे झुकना पड़ता है।

इसीलिये मैं कहती हूं कि इस विधेयक का समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय मंत्री को भी उसकी कोई बहुत आशा नहीं है।

और, दिलचस्प बात तो यह है कि मंत्री लोग खुद भी दहेज लेने लगे हैं। आन्ध्र राज्य में दहेज-विरोधी आन्दोलन का सूत्रपात करने वाले, एक बड़े भारी नेता ने स्वयं अपने दत्तक पुत्र के विवाह में २५,००० रुपये दहेज में लिये हैं! तब फिर समाज सुधार कौन करेगा ?

उन्हीं लड़कियों की शादी आसानी से हो पाती है, जिनके लिये दहेज दिया जाता है। अब मेरी जैसी काली लड़कियों के सामने संसद-सदस्या बनने या फिर कोई नौकरी करने के अलावा और चारा ही क्या रह जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

असलियत तो यह है कि यदि लड़कियों की शादियां आसानी से हो जायें, तो कोई दहेज देना पसन्द ही नहीं करेगा। इसमें सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा। आज के समाज में इस विधेयक को कार्यान्वित करना सम्भव नहीं है।

इसलिये, हमें इस मामले में व्यावहारिक बुद्धि से काम लेना चाहिये।

मैं इसका समर्थन तो कर रही हूं, लेकिन मेरा अनुरोध है कि इसे एक ऐसा रूप दिया जाये कि इस विधेयक का समाज पर कोई प्रभाव भी पड़ सके।

श्री यादव (बाराबंकी): मैं यह कह रहा था कि जो दहेज बन्दी विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं यह भी समझता हूं कि देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि इसका स्वागत न करे।

लेकिन मुझे यह देख कर ताज्जुब हुआ कि हमारे माननीय वाजपेयी जी ने यह कह कर कि इसको जनमत जानने के लिये घुमाया जाये, इसका विरोध किया है। मेरा यह विचार है कि इसके बारे में दो राय हो ही नहीं सकती हैं कि दहेज प्रथा का अन्त होना चाहिये। इसमें अगर दो राय होतीं तो उनके इस तर्क को मैं समझ सकता था कि इसको जनमत जानने के लिये घुमाया जाये। उनका एक यह तर्क भी हो सकता है कि जब तक इस विधेयक के प्रति जनमत जागृत न हो जाये तब तक इस विधेयक का जो मंशा है वह कभी पूरा नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि उनका मुझे यही तर्क प्रतीत होता है।

परन्तु, श्रीमन्, यदि यह विधेयक पास हो जाये और उसके बाद जनमत संग्रह किया जाये तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई असंगति नहीं होगी, और इस तरह से भी हमारा जो मकसद है वह पूरा हो सकता है।

जहां तक त्यागी जी का सम्बन्ध है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बिल को बहुत छोटा कहते हैं, बहुत अनावश्यक सा बतलाते हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह विधेयक बहुत बड़े सामाजिक दोष के ऊपर प्रहार करने के लिये आया है, तो किस तरह से वह इसको छोटा और अनावश्यक कहते हैं। मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि यह विधेयक अपने में पूरा नहीं है, अधूरा विधेयक है, लंगड़ा विधेयक है और इसमें और भी बहुत सी चीजें आवश्यक हैं।

एक माननीय सदस्य: लंगड़ा है, तो आप टांग दे दीजिये।

श्री यादव: लंगड़े लोगों को टांग देना तो हमारा काम ही है।

सारा देश समझता है और इस सदन के माननीय सदस्य समझते हैं कि किस प्रकार दहेज प्रथा की बीमारी के कारण सभी लोग ग्रसित हैं और पीड़ित हैं। खास तौर से नारी समाज इस चीज को कितना खराब मानती है।

श्री त्यागी: उनका क्या नुकसान है। बाप का नुकसान होता है।

श्री यादव: वह कभी मां भी बनती है। बीबी ही नहीं रहती, मां भी होती है। वह भी इसका शिकार होती है।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दहेज प्रथा के पीछे जो चीज है उसकी तरफ विधेयक बनाने वालों का ध्यान नहीं गया है। अगर बुनियादी चीज की तरफ आप जाते और उसको ध्यान

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यादव]

में रख कर बिल बनाते तो इसका रूप दूसरा ही होता। दहेज प्रथा के पीछे कौन सी चीज़ है ? इसका सबसे पहला मूल कारण कुलीनपन, ऊंचनीच, जाति प्रथा है। इसका दूसरा मूल कारण अगर और कोई हो सकता है तो वह आर्थिक विषमता हो सकता है। आज कोई छोटा है, तो कोई बड़ा है; और अगर आर्थिक विषमता न हो तो यह मांगने की जो चर्चा चलती है, यह शायद खत्म हो जाये। इन दोनों चीजों की तरफ हमारा ध्यान गया ही प्रतीत नहीं होता है। जब तक ये दोनों चीजें दूर नहीं हो जातीं तो इसका नतीजा यह होगा कि यह कानून कागज पर ही रह जायेगा, अमल में नहीं आयेगा।

इस बिल का स्वागत करते हुये भी मैं चाहता हूं कि इस विधेयक का विस्तार होना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज स्थिति यह है कि बाजार भाव मुकर्रर हैं शादी के। पी० सी० एस० का १५,००० रुपया, आई० ए० एस० और आई० सी० एस० का ३५,००० रुपया। अगर कोई इनके साथ अपनी लड़की की शादी करना चाहता है तो इतने रुपये के बगैर नहीं कर सकता है। मंत्रियों की बात तो जाने ही दीजिये, वे तो बहुत लम्बी चौड़ी बातें करते हैं और उनका बाजार भाव भी बहुत बढ़ा चढ़ा है। तो क्या चीज़ है जो इन सब बुराइयों का मूल कारण है और जहां तक मैं समझ पाया हूं वह आर्थिक विषमता है। जब किसी की आमदनी अधिक हो जाती है, पी० सी० एस० बन जाता है तो वह ज्यादा की मांग करने लग जाता है। हर शख्स यह चाहता है कि उसकी लड़की का सम्बन्ध ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसकी आमदनी अच्छी हो, जो आई० ए० एस० हो।

स्त्रियां भी हैं जो आई० ए० एस० हैं। इस विधेयक में यह व्यवस्था होनी चाहिये कि दोनों ही स्त्री और पुरुष एक स्तर पर आ जायें। स्त्रियों के लिये शिक्षा की सुविधा होनी चाहिये, नौकरियों की विशेष सुविधा होनी चाहिये ताकि वे पुरुषों के बराबर आ जायें और यह जो दहेज लेने की या देने की प्रथा है, यह दोनों पर समान रूप से लागू होनी चाहिये, चाहे स्त्री कमाती हो या पुरुष कमाता हो, चाहे वह दे या ले। यह दोनों बुरी चीजें हैं, चाहे इस तरह से हो या उस तरह से। तो मैं चाहता हूं कि यह चीज़ इसमें विशेष तौर से आनी चाहिये। जब तक आर्थिक समता नहीं होगी, इस कुलीन प्रथा का, जाति का अन्त नहीं होगा तब तक यह चीज़ दूर नहीं हो सकती, क्योंकि यह कुटुम्ब है, एक घेरा है, एक दायरा है, उसी में विवाह होता है और जब उसमें विवाह होता है तो कहीं-कहीं पैसे का सवाल होता है, और इस पैसे के सवाल के साथ-साथ एक कुप्रथा और जुड़ी हुई है कि अगर किसी की उम्र ज्यादा है, ४५ साल की है, ५०साल की है तो भी पैसे के लिहाज से और कुलीनपन की वजह से ५० साल का आदमी एक कम उम्र की लड़की से शादी कर लेता है। यह एक दूसरा दुष्परिणाम है। लेकिन केवल इस कानून को पास कर के इसको दूर नहीं किया जा सकता। मैं निवेदन करूंगा कि कैसे दूर किया जा सकता है। इस सदन को मालूम है कि संविधान में यह व्यवस्था है कि अछूतों के साथ जो फर्क वाला व्यवहार है वह गलत है संविधान के विपरीत है। साथ ही साथ इस सदन ने अनटचेबिलिटी अफेंसेज ऐक्ट (अस्पृश्यता निवारण अधिनियम) पास किया। लेकिन इस ऐक्ट के बावजूद बनारस में विश्वनाथ मंदिर में हरिजन प्रवेश के प्रश्न पर क्या किया अदालत ने ? बाकायदा रिट (लेख) जारी किया, और हरिजनों को मन्दिर में प्रवेश करने से मना किया। परन्तु संविधान खामोश रहा, कानून खामोश रहा। यहां तक कि पार्लियामेंट के माननीय सदस्य श्री प्रभुनारायण सिंह को जो कि इस सदन के सदस्य हैं, जेल जाना पड़ा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

अदालत ने उनको सजा दी। जब उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की तब बेचारे छूटे। तो कानून तो पास हो जाया करते हैं, लेकिन जब तक कानूनों को लागू करने की व्यवस्था न हो, मंशा न हो कानूनों को

सख्ती से लागू करने का, जब तक कानूनों को लागू करने की जो जमीन होती है, धरती होती है वह तैयार नहीं होती, तब तक इस तरह के कानून बनाने से काम नहीं चलेगा ।

श्री त्यागी : यह कानून कैसे लागू किया जायेगा ? पुलिस को दखल देने का अख्त्यार नहीं है और एक कन्या अपने वर के खिलाफ गवाही देने के लिये तैयार नहीं होगी, जेल भेजने के लिये, न बाप के खिलाफ गवाही देगी न ससुर के खिलाफ गवाही देगी । तो आखिर यह चलेगा कैसे ?

श्री यादव : वह तो मैंने अर्ज किया, अगर आप समझें । जब तक आर्थिक समता कायम नहीं होती तब तक इस तरह के कानून लागू होना सम्भव नहीं है, क्योंकि डावरी (दहेज) तो दी जायेगी, अब वह कोई खोल कर तो दी नहीं जायेगी, किसी गवाह के सामने नहीं दी जायेगी, कौन उसे साबित करेगा और मजबूरन् लोग पैसा देते रहेंगे । इसलिये जब तक आर्थिक समता और जातिभेद का नाश विशेष तौर से नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं हो सकता । शादी करने के लिये ऐसा होना चाहिये कि कोई सरकारी नौकरी उसे मिलेगी जो अन्तर्जातीय विवाह करेगा । अगर किसी तरह का जाति भेद नहीं रहेगा, और सब लोग समान हो जायेंगे तभी इस तरह के विधेयक का असर पड़ सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो यह कानून न के बराबर है । आज जो भी समानता के कानून बन रहे हैं सरकार का उनको लागू करने का मंशा ही नहीं मालूम पड़ता है । वह तो चाहती है कि फर्क किसी तरह से कायम रहे और कुछ स्टन्ट वाले, प्रचारात्मक कानून ऐसे बन जायें जिन का इस्तेमाल चुनाव के मौके पर या वोट्स लेने के मौके पर किया जाय पर उन का सही मकसद पूरा न हो सके । यही इस विधेयक का सारा मकसद और सारा मंशा है ।

इस विधेयक में एक तरफ तो ध्यान ही नहीं गया । शादी में दहेज तो चलता ही है लेकिन बारात में इतना लम्बा खर्च होता है जिसकी कोई इन्तहा ही नहीं । इस को तो किसी तरह से रोका भी जा सकता है, पता भी लग सकता है, लेकिन इसकी तरफ कोई इशारा भी नहीं किया गया कि आज क्या होता है । पिछले जमाने में तो घोड़े और गदहे सभी जाते थे, अब उनकी जगह मंत्रियों ने ले ली है । आज बगैर मंत्रियों के कोई बारात ही पूरी नहीं होती । उससे खर्च किस तरह से बढ़ जाता है, यह मैं रखना चाहता हूं । शायद आप मुझ को टोकेंगे लेकिन मैं किसी तरह से किसी खास आदमी की नुकताचीनी नहीं करना चाहता । एक भूदानी नेता, जिन का नाम कर्ण भाई है उनके लड़के की शादी थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर अब मंत्री नहीं मिलते तो पार्लियामेंट के मेम्बरों को भी बुलाते हैं ।

श्री यादव : मैं निवेदन कर रहा हूं कि कर्ण भाई के लड़के की शादी में क्या हुआ । राष्ट्रपति, केन्द्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के मंत्री और बिहार के सारे मंत्री वहां इकट्ठे थे, लाखों रुपयों का खर्च हुआ । इस तरह से पैसे का दुरुपयोग हुआ । इसके लिये कोई चीज नहीं की जाती । मैं निवेदन करता हूं कि हमारे गृह मंत्री पंत जी हैं उनके यहां भी शादी में यही चीज हुई । इसी तरह से हाफिज मुहम्मद इब्राहीम के लड़के की शादी में हवाई अड्डा बन गया और बिजली का खर्च जाकर इतना पड़ा कि वहां की विधान सभा में न जाने कितने प्रश्न पूछे गये ।

श्री त्यागी : यह गलत बात है । कभी कोई हवाई अड्डा नहीं बना । ऐसी बात अखबार वालों ने कहीं से उड़ा दी ।

श्री यादव : मंत्री महोदय इन्कार कर सकते हैं । और इस पर तो उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रश्न भी उठा था ।

†डा०सुशीला नायर (झांसी) : अन्य राज्यों के मंत्रियों का यहां इस प्रकार उल्लेख नहीं होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है, जो बाहर के मिनिस्टर हैं, जिन को अवसर नहीं कि यहां आ कर जवाब दे सकें उनका नाम लेना उचित नहीं है । लेकिन मैंने यहां एक ही मिनिस्टर का नाम सुना, इस वास्ते मैं खामोश रहा । लेकिन वह भी उचित नहीं मालूम होता । दूसरे साहब कंट्राडिक्ट भी कर रहे हैं । जब तक मेम्बर साहब के पास पूरे वाकयात न हों जिससे कि वह बराबर कर सकें तब तक यहां ऐसी बात कहना मुनासिब नहीं मालूम होता । मालूम होता है कि आप के पास भी इस बात के लिये काफी सबूत नहीं है । इधर कुछ मेम्बर साहब तरदीद कर रहे हैं इस लिये उचित नहीं मालूम होता । जो हम लोग यहां कहेंगे उस का सारी दुनियां में प्रसार होगा इसलिये मैं मेम्बर साहब से कहूंगा कि वह जरा ध्यान से काम लें ।

†श्री यादव : मैं तो जो यहां के मंत्री नहीं हैं उनका नाम ही नहीं लेना चाहता ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो आप का वक्त भी खत्म हो गया ।

श्री यादव : एक चीज और निवेदन कर दूं । इसमें एक पेनल (दण्ड की) धारा भी है । उसमें कहा गया है कि ६ महीने की सजा और ५,००० रु० जुर्माना । मैं इसका इसलिये विरोध करता हूं कि इसमें केवल इतना ही होगा कि कम से कम सजा हो, इससे समाज में उसका आदर न रहे, कुछ उसे शर्म आये ताकि वह इस तरह का काम न करे । लेकिन इस तरह के लोगों को केवल ५,००० रु० जुर्माना और ६ महीने की सजा ही नहीं होनी चाहिये । मैं चाहूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाय और इसमें कोई ऐसी सजा की व्यवस्था हो जिस का कुछ मतलब भी निकले ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री से यह फिर निवेदन करूंगा कि अगर वे यह चाहते हैं कि इस तरह की चीज वाकई लागू हो सके, खास तौर पर यह कानून, तो जब तक समता और जाति प्रथा के नाश के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया जाता, तब तक कुछ नहीं हो सकता ।

डा० सुशीला नायर : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आप की शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे समय दिया कि मैं इस विषय पर अपने विचार यहां रख सकूं । मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करती हूं । कोई आवश्यकता नहीं है कि इस सदन के सदस्यों के सामने उन सब बातों की चर्चा की जाय जो हमारे देश में बरसहा बरस से होती आई हैं और जो दुःख और अत्याचार स्त्री जाति पर और आम नागरिकों पर इस दहेज की प्रथा के कारण होते आये हैं । सब जानते हैं कि अनेकों लड़कियों ने आत्म हत्या की, सब जानते हैं कि अनेकों माता पिता का दिवाला पिट गया और सब जानते हैं कि कितने माता पिता इस देश में बेइज्जत हुए, इस वजह से कि दहेज देने की उनकी ताकत नहीं थी, या अपनी ताकत से बढ़ चढ़ कर उन्होंने दहेज दिया ।

मुझे तो आश्चर्य हुआ, मेरी बहन वेदकुमारी ने जो कुछ कहा उसे सुन कर । उनका यह कहना कि काली लड़की की शादी के लिये शायद दहेज से कुछ मदद मिल जाय, शायद मजाक में कहा गया हो । मैं समझती हूं कि सीरियसनेस (गम्भीरता) में उनका यह कहना नहीं हो सकता । मगर इस सदन में मजाक में भी ऐसी बातें कहना उचित नहीं है । आज इस देश में हम स्त्रियों और पुरुषों की समानता चाहते हैं । आम तौर पर भारतवर्ष में यह कहा गया है कि स्त्री का स्थान पुरुषों से कुछ ऊंचा है, नीचा नहीं । तो फिर यह मिडल एजेज (मध्य युगों) में प्रथा चल गई दहेज की, उसे निकाल देना है । आज एक तरह से आप समझ लें कि स्त्री व्यक्ति होने के बजाय, इन्सान होने के बजाय समाज ने उसे एक प्रापर्टी (सम्पति) बना दिया है माता पिता की । आप को शायद मालूम होगा कि जब दहेज

†मूल अंग्रेजी में

का जिक्र आता है तो उसे वरदक्षिणा का नाम दिया जाता है। कन्या दान की प्रथा और कन्यादान के साथ वरदक्षिणा की प्रथा यह दोनों इस चीज की सूचक हैं कि इस देश में एक ऐसा जामाना आया जब स्त्री इन्सान नहीं थी, अपना अस्तित्व, अपनी आत्मा रखने वाली व्यक्ति नहीं थी बल्कि एक प्रापर्टी हो गई। जैसे गऊ का दान दिया, जैसे पैसे का दान दिया, जैसे और चीज का दान दिया, वैसे ही लड़की का दान दिया जाने लगा क्या अधिकार है पिता को कि पिता अपनी लड़की का दान दे और फिर उसके साथ वर दक्षिणा भी दे ? और जो नौजवान आदमी या पुरूष पैसे लेकर किसी लड़की के साथ शादी करता है उसको क्या इस चीज की शर्म नहीं होती ? मैं नहीं समझती कि इस सदन में कोई भी माननीय सदस्य ऐसा होगा जो कि खड़े होकर इस दहेज की कुप्रथा का समर्थन करेगा। हां यह बात सही है कि मात्र कानून से सामाजिक सुधार करना बहुत कठिन बात है कानून को अगर वाकई में हमें पालन करवाना है उसे इस काबिल बनाना है कि समाज को सुधार सके, तो हमें जनमत तैयार करना चाहिये। कानून से पहले और कानून के बाद भी उस जनमत को कायम रखना चाहिये ताकि उस कानून पर अमल किया जा सकें बिना जनमत के तैयार किये खाली सजायें दिलवा कर यह कानून चलने वाला नहीं है क्योंकि चोरी चोरी से आपस में समझौता हो जायगा, पैसे का लेना देना होता जायगा और कौन शिकायत करेगा, कौन पता चलायेगा और कौन सजा पायेगा। मगर मैं समझती हूं कि जहां पर कुछ थोड़ी बहुत भी एक शर्म, लिहाज़ होगा, वे लालच में नहीं फसेंगे। और इस कानून से लोगों में हिम्मत आयेगी यह कहने की कि भाई तुम दहेज मांगते हो, मगर यह बात गलत है। कानून के खिलाफ है। इस कानून से शिकायत करने में भी लोगों को मदद मिलेगी।

श्रीमान्, मुझे दुःख है कि आज हम हर चीज के वास्ते सरकार की ओर देखते हैं। जिस समय यहां पर अपनी सरकार नहीं थी उस समय जितने जोरों से समाज सुधार का आंदोलन चलता था, दहेज प्रथा को खत्म करने और जातिपांत तोड़ने आदि के नारे लगते थे, अब उतने जोर से यह सामाजिक सुधार का आंदोलन नहीं चल रहा है। और हम पार्लियामेंट में स्पीच देकर अपना काम खत्म हुआ समझ बैठते हैं। लेकिन मैं आपको साफ तौर से बतला देना चाहती हूं कि यहां पार्लियामेंट में केवल स्पीचेज दे देने से यह काम पूरा होने वाला नहीं है। आवश्यकता इस चीज की है कि पार्लियामेंट के कानून की हम मदद लें मगर उस मदद के साथ बाहर जनता में हम इस आंदोलन को चलायें ताकि जनता में इस चीज की मान्यता हो जाय कि यह बुरी बात है और यह उनको नहीं करना चाहिये।

दहेज को स्त्रीधन भी कहा है। जिस जमाने में स्त्री को कोई दूसरा आधिकार नहीं था, जायदाद का, कोई सक्ससेशन (उत्तराधिकार) का, इनहैरिटेंस वगैरह का किसी स्त्री को हक नहीं दिया था। उस वक्त शायद इस दहेज का कोई थोड़ा बहुत उपयोग रहा होगा। लेकिन आज जब हमारी संसद् ने इन हैरिटेंस वगैरह के सारे कानून स्त्री-पुरुष के लिये समान पास कर दिये हैं तो ऐसी परिस्थिति में इस दहेज की प्रथा को कायम रखने का जरा भी जस्टिफिकेशन (औचित्य) नहीं मिलता। यह दहेज एक हिस्टारिकल (ऐतिहासिक) निशान है एक बारबैरिटी (बर्बरता) निशान है, मुझे यह कहने के लिये क्षमा कीजिये। आज के युग में इस प्रथा के जारी रखने का लवलेश भी कारण नहीं है। मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि सब के सब संसद् सदस्य और सदस्याएं इस कानून के बाद पूरी शक्ति के साथ इसके सही एम्पलीमेंटेशन के लिये जो हवा होनी चाहिये जो फिजा होना चाहिये उसको पैदा करने के लिये पूरी-पूरी कोशिश करेंगे।

सेठ गोविन्द दास (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को इस बात पर बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को हमारे सामने उपस्थित किया है। मैं अपनी बहिन डा० सुशीला नायर से

† मूल अंग्रेजी में

[सेठ गोविन्द दास]

सर्वथा सहमत हूं कि इस देश में अब तक इस दहेज प्रथा के कारण जो कुछ हुआ है वह इस देश के सामाजिक इतिहास में एक कलंक की चीज है। श्री त्यागी जिनको कि मैं बड़े आदर की दृष्टि से देखता हूं और बहुधा उनके मतों से सहमत भी रहता हूं, आज मेरा उनसे मतभेद है। वे इस विधेयक को एक छोटी सी चीज़ समझते हैं। जब तक हमें स्वराज्य नहीं मिला था देश की आजादी हमारे लिये सर्वोपरि वस्तु थी परन्तु यदि वे यह समझते हैं कि देश की स्वतंत्रता के पश्चात भी इस प्रकार के सामाजिक सुधारों का प्रयत्न छोटी चीज है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे एक गलत बात सोचते हैं। आज राजनीति का वह महत्व नहीं रह गया है जो आजादी के पहले था और राजनीति का यह महत्व दिन पर दिन घटने वाला है। अब महत्व रहेगा मानव जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों का जिनसे कि समूचे समाज की उन्नति होती है। इसलिये आज मैं इस विधेयक को छोटी चीज़ नहीं मानता मैं इस विधेयक को बहुत बड़ी चीज़ मानता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि इस विधेयक के अनुसार काम कैसे होगा यह उनकी समझ में नहीं आता। मैं कुछ दूर तक उनसे सहमत हूं और मैं मानता हूं कि इस विधेयक के अनुसार काम करना एक कठिन बात होगी परन्तु इसी के साथ मैं इस विधेयक में यह एक गुण की चीज़ मानता हूं कि पुलिस को या सरकारी अफसरान को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं रखा गया है। इस प्रकार के विधेयक एक वायुमंडल को उत्पन्न करते हैं उस वायुमंडल की उत्पत्ति के बाद उनके अनुसार काम करने में सहूलियतें हो जाती हैं। जब यह विधेयक एक विधि में परिणित हो जायगा और उसके अनुसार काम चलने लगेगा तब हम देखेंगे कि इस विधेयक के अनुसार काम करने में जो कठिनाइयां आती हैं वे भी दूर होंगी। और उन कठिनाइयों के विषय में हम शायद समय-समय पर सुधार के रूप में कुछ विधेयक भी उपस्थित कर सकेंगे।

धर्म के नाम पर भी इस प्रकार के विधेयकों का विरोध किया जाता है। यदि हम इस प्रकार के विधेयकों का इतिहास देखें तो हमको मालूम होता है कि धर्म के नाम पर सदा उनका विरोध होता था। जिस समय यहां पर सती प्रथा प्रचलित थी और जब प्रातः स्मरणीय राजा राम मोहन राय ने उस कुप्रथा के विरोध में आंदोलन आरम्भ किया उस समय भी धर्म के नाम पर उसका विरोध किया गया था। जिस समय इस देश में विधवा विवाह कानून की दृष्टि से जायज नहीं था और जब आदरणीय ईश्वरचन्द विद्यासागर ने विधवा विवाह को कानूनन जायज कराने के लिये आंदोलन किया उस समय भी उसका विरोध किया गया और वह विरोध किया गया धर्म के नाम पर लेकिन धर्म को मैं इतनी छोटी चीज़ नहीं मानता। मैं अपने को भी एक धर्म पर चलने वाला छोटा सा व्यक्ति मानता हूं। धर्म के नाम पर इस प्रकार के समाज सुधार के विधेयकों का विरोध नहीं होना चाहिये। हमारे यहां तो धर्म शब्द का बड़े व्यापक अर्थ में प्रयोग होता था। धर्म के नाम पर उस समय, जिस समय भारतवर्ष में सच्चे धर्म का प्रचलन था, सच्ची भारतीय संस्कृति के दर्शन होते थे। स्वयं धर्म में किस प्रकार के परिवर्तन हुये हैं। स्मृतियों को आप लीजिये। एक ऋषि एक स्मृति में एक बात कहता है दूसरा ऋषि दूसरी स्मृति में, जो स्मृति पहली स्मृति से किसी प्रकार कम नहीं है, उसके ठीक विपरीत बात कहता है, उसी धर्म के नाम पर। हमारी संस्कृति इतनी प्राचीन है, हमारा धर्म इतना पुराना है। हमारे धर्म के नाम पर इस प्रकार के समाज सुधार के विधेयकों का विरोध करना उचित बात नहीं है।

इस दहेज प्रथा ने किस प्रकार से कितने कुटुम्बों का, कितने व्यक्तियों का निरादर कराया है, उनको किस प्रकार कठिनाई में डाला है। मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक के पारित होने पर इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जिससे हम इस संबंध में कुछ आगे बढ़ सकेंगे।

जहां तक लड़की को कुछ देने का प्रश्न है कोई भी लड़की को कुछ दे सकता है। परन्तु जब ठहरावना होता है, चाहे वह वर पक्ष की ओर से हो या कन्या पक्ष की ओर से हो तो वह आपत्तिजनक होता है। मैं तो मारवाड़ी समाज से आता हूं। वहां तो अनेक स्थानों पर कन्या विक्रय भी होता है। कहीं वर की ओर से रुपये की मांग की जाती है तो कहीं कन्या की ओर से रुपये की मांग की जाती है। कहीं एक प्रकार की ठहरावनी होती है, कहीं दूसरे प्रकार की ठहरावनी होती है। यह ठहरावनी बन्द होनी चाहिये। कोई किसी को कुछ दे इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति जो इस बिल पर विचार करने के लिये नियुक्त होगी, वह अवश्य इस बात को देखेगी कि कोई अगर लड़की को कुछ देना चाहे, या लड़के को कुछ देना चाहे उसमें कोई बाधा उपस्थित नहीं होनी चाहिये। ठहरावनी बन्द होनी चाहिये। जो विवाह के पहले तिलक और ठहरावनी होती है उसमें हजारों रुपये दे दिये जाते हैं। यह बन्द होना चाहिये। कानून की दृष्टि से इसमें बाधा होनी चाहिये।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्रीमती कृष्णा मेहता (जम्मू तथा काश्मीर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्रीय सरकार का और विधि मंत्रालय का बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने देश के एक बड़े कलंक को धोने के लिये दहेज रोक विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है। इस पर ध्यान देना तो नवयुवकों का काम था, परन्तु उन्होंने इस कलंक को नहीं धोया यह हमारी बदकिस्मती है। त्याग की जगह देश में लालच आ गया, और यह महान लालच है, जिसने हजारों लड़कियों की जाने ली हैं। मैं यह कहूंगी कि अभी भी देश में बहुत से नवयुवक ऐसे हैं जो इस चीज से नफरत करते हैं लेकिन इतने बड़े देश में उनकी गिनती नहीं के बराबर है।

इसमें कुछ दोष महिलाओं का भी है। मैं उनको इस महान दोष से मुक्त नहीं करना चाहती क्योंकि अगर देश की महिलाएं इस पर आंदोलन करतीं और इसके खिलाफ बोलतीं तो बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन मैंने देखा है और मैं जानती हूं कि जिन औरतों के लड़के होते हैं उनको हमेश यही इच्छा रहती है कि उसका विवाह किसी धनवान आदमी के यहां हो ताकि उनके घर में बहुत सी चीजें आवें। अगर किसी गरीब घर का लड़का पढ़ लिख जाता है तो उसके यहां बहुत बड़ा लालच हो जाता है और घर वाले सोचते हैं कि अगर इसकी शादी किसी बड़े घर होगी तो घर की गरीबी दूर हो सकती है। तो महिलाओं को तो इस तरफ बहुत कोशिश करनी चाहिये थी। न जान इस देश में इस बात की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया।

अक्सर यह देखा गया है कि अगर लड़की काफी दहेज लेकर सुसराल नहीं जाती है तो उसको सास के तानों के कारण आत्महत्या तक करनी पड़ी है। इस प्रकार की चीजें समाज के लिये अत्यन्त कलंक की बात है। मैं सब बातों को यहां दुहराना नहीं चाहती और उन भयानक तसवीरों को सदन के सामने नहीं लाना चाहती क्योंकि आप सब लोग उनको जानते हैं। जिनके यहां नौजवान लड़कियां होंगी और जिनके पास पैसा नहीं है वे इसको भली प्रकार समझते हैं, और महसूस करते होंगे। पर जब समाज किसी बात पर ध्यान नहीं देता तो सरकार को तो उसकी तरफ ध्यान जरूर देना पड़ता है। अगर सरकार भी इन बातों पर ध्यान न दे तो उनके बहुत बढ़ जाने से बहुत बुरे नतीजे निकल सकते हैं। सरकार ने यह बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि वह आज देश के एक बहुत बड़े कलंक को दूर करने जा रही है, जिसकी वजह से कई माता पिताओं को रात को नींद नहीं आती, वह सोचते हैं कि चाहे उनकी लड़की कितनी ही अच्छी क्यों न हो, कितनी ही लायक क्यों न हो, कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों न हो, पर अगर उनके पास दहेज नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। यह है इस देश की हालत।

[श्रीमती कृष्णा मेहता]

मुझे इस विधेयक में कुछ बातें ऐसी दिखायी देती हैं जिनकी ओर मैं संयुक्त समिति का ध्यान दिलाना चाहूंगी। वह इन पर ध्यान दे ताकि जो त्रुटियां नजर आती हैं वे दूर हो सकें। इसमें क्लाज २ में यह साफ नहीं किया गया है कि शादी तथा सगाई पर निर्धारित रकम व्यय की जाये, या अलग-अलग। अक्सर देखा गया है कि देश के कई हिस्सों में सगाई के वक्त तरह-तरह के रिवाज किये जाते हैं। और हजारों रुपया खर्च किया जाता है। यह बात साफ होनी चाहिये कि सगाई के समय जो रुपया दिया जायगा वह कितना हो और दहेज में जो रकम रखी गयी है उससे उसका लगाव होगा या नहीं। अक्सर कहीं-कहीं समाज में देखा गया कि यह रिवाज है कि थोड़ी रकम देकर सगाई की जाये, लेकिन कहीं बहुत बड़ी रकम सगाई के वक्त ली जाती है, चाहे विवाह साल भर बाद ही क्यों न हो या चाहे विवाह हो ही नहीं। कहीं तो ऐसा होता है कि सगाई के वक्त रकम ले ली और फिर रिश्ता टूट जाता है। तो मैं चाहती हूं कि इस पर भी गौर किया जाये।

इसके अलावा भी बहुत तरह की बातें होती हैं। मैं आपको एक ऐसी घटना का हाल बतलाती हूं। किसी के घर विवाह था। लड़की अच्छे घर की थी लेकिन उसका पिता बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर सकता था। वर की तरफ से यह मांग की गई कि रोशनी और बिजली का बहुत इन्तिजाम हो क्योंकि अगर वह नहीं हुआ तो उनकी इज्जत में फर्क आ जायेगा। उस चीज में हजारों रुपये लगते थे। इतना वह आदमी खर्च कर नहीं सकता था। जब लड़की ने यह सुना तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि वह बेहोश हो गई और उनके घर में शादी की जगह मातम ने ले ली। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो समाज में होती हैं। जहां तक हो सके इनको कम करने का इन्तिजाम होना चाहिये। पहले बारात को खाना घरों में ही दिया जाता था, लेकिन अब चाहते हैं कि होटलों में हो और वह भी महंगे होटलों में। ऐसी चीजें हैं। इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिये।

क्लाज ४ के अनुसार पांच हजार जुर्माना और ६ मास की सजा है। मेरे विचार में यह काफी नहीं है। इसमें एक और चीज जोड़ दी जाये। इसमें जुर्माने और सजा के अतिरिक्त यह और जोड़ दिया जाये कि विवाह में निर्धारित रकम से जितना ज्यादा दिया जायेगा उसको गवर्नमेंट जब्त कर लेगी। इससे बहुत फायदा होगा।

क्लाज ७ और ८ में यह नहीं बतलाया गया है कि इस्तगासा कौन करेगा। लड़की के रिश्तेदार और बाप तो यह कहेंगे नहीं क्योंकि वे तो खुद गिरफ्तार हो जायेंगे। तो इस पर अमल कैसे होगा। मैं संयुक्त समिति से प्रार्थना करूंगी कि उसे इस पर ध्यान देना चाहिये और इसके लिये कोई स्पेशल अफसर या जज मुकर्रर होना चाहिये जो कि वहां जाकर छापा मारकर ही फैसला करे। मेरे ख्याल में यह अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : दहेज सारा वह ले जाये।

श्रीमती कृष्णा मेहता : जो इसमें दो हजार रखा है उसके अलावा जो ज्यादा हो वह ले जाये। अगर हम किसी घटना पर उसी वक्त ध्यान नहीं देते और वह मामला बाद में अदालतों में जाता है और कई दिन फैसले में लग जाते हैं तो पबलिक पर उसका असर नहीं पड़ता, वे भूल जाते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ। इस लिये मैं फिर हृदय से इस बिल का स्वागत करती हूं। मैं सदन को भी मुबारकबाद देती हूं कि इतना अच्छा समाज-सुधार का और समाज को जागृत करने वाला विधेयक हमारे विधि मंत्रालय ने पेश किया है।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, कल से हमारे कई सदस्यों ने इस बिल के बारे में बात-चीत की। त्यागी जी ने जो बातें कहीं, मेरा कल तो ख्याल था कि मैं उन का जवाब दूं, लेकिन कल सदन से बाहर जाकर त्यागी जी ने सब से माफ़ी मांग ली।

उपाध्यक्ष महोदय : जो बातें बाहर आपस में हों, उन को यहां कहने की जरूरत नहीं है।

श्री त्यागी : आन ए प्वायंट आफ़ परसनल एक्सप्लेनेशन (एक निजी स्पष्टीकरण है)। यहां जितनी देवियां मेम्बर हैं, उन्होंने कल मुझे बाहर घेर लिया और मेरा निकलना मुश्किल हो गया। मैं ने चुपके से कह दिया कि मुझे माफ़ करो, आगे से मैं कोई बात नहीं करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर मेम्बर साहब का यह हाल हुआ और उन्होंने वहां माफ़ी मांग ली और अब उस को विदड्रा (वापस) करते हैं, तो फिर बाहर जा कर क्या हाल होगा? उन को दोनों तरफ़ की बात सोच लेनी चाहिये। वह जब बाहर जाते हैं तो इतने मजबूर हो जाते हैं।

श्री त्यागी : चेयर को प्रोटेक्शन (प्रश्रय) देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्दर तो चैयर प्रोटेक्शन दे सकती है, लेकिन चैयर बाहर कहां साथ साथ जायगी?

श्रीमती सुभद्रा जोशी : उन्होंने वायदा किया था कि जब यह बिल सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) से वापस आयगा, तो वह उस का समर्थन करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब उस का जिक्र न किया जाय।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : मालूम यह होता है कि वह अपनी माफ़ी में सीरियस नहीं थे। इस लिए मैं कुछ न कुछ उस के बारे में जरूर कहना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मगर क्या देवियां दबाव से दूसरों को हमराय करना चाहती हैं?

श्रीमती सुभद्रा जोशी : इस बिल के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। उस की कई अच्छी बातें भी बताई गईं और उसकी कई कमजोरियों का भी जिक्र किया गया। परन्तु मुझे ऐसा लगा कि हमारे बहुत से सभा के सदस्यों ने उस सीरियसनैस से---उस गम्भीरता से इस विषय पर विचार नहीं किया, जिस से कि उन को करना चाहिए था। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे इजाजत दें, तो मैं इस बिल पर अपने विचार प्रकट करने से पहले एक पत्र को पढ़ कर सुनाना चाहती हूं, जो कि एक लड़की ने अपने पति को लिखा। वह इस प्रकार है: "पैसे के लोभी प्रीतम, आप ने पैसे को सब कुछ समझा और मेरे प्यार की कोई कदर नहीं की। आठ दिन पहले मैं ने जो डिटौल लिया था, वह आप की धमकियों के कारण पिया था। मेरे देवता, मेरे मां बाप अमीर जरूर हैं, मगर इतना रुपया आप को नहीं दे सकते। मैं ने उन्हें मजबूर करना ठीक न समझा। मुझे अफ़सोस है कि आप को सिर्फ़ पैसे की जरूरत थी, मेरी नहीं। लिहाज़ा जहां आप को अपनी मुंह मांगी मुराद मिले, वहीं अपनी शादी करें। मैं आप की खुशी के लिए अपनी जिन्दगी का दांव लगा रही हूं। एक बात का ख्याल रखें कि अब जहां भी अपनी शादी की बात करें, लेन-देन पहले ही तय कर लें, ताकि मेरी तरह उस बेचारी को भी मौत को गले न लगाना पड़े। प्रीतम, इस में आप क्या कर सकते हैं? जैसे घर वाले सिखाएं, वही होगा। उन्होंने मुझे तंग कर के रुपये लाने के लिए आप को कहा। मगर मैं मजबूर थी। मैं ने दफ़तर में फ़ोन भी किए। मैं मरने से पहले एक बार आप को देखना चाहती थी। मगर आप पटियाला गए हुए थे। मेरी लाश के साथ आप को न जाना पड़े, यही सोच कर मैं आज मर रही

[श्री सुभद्रा जोशी]

हूं । गीता का पाठ करने वाले आप के माता पिता ने पराई लड़की को जैसे सताया है, उसे भगवान देख रहा है" ।

उस लड़की ने अपने माता पिता को भी एक खत लिखा, जो कि इस प्रकार है —"पूज्य योग आपा जी व भाबी जी, आखिरी नमस्ते । आप मेरे मरने का बिल्कुल अफ़सोस न करें । आप को खुश होना चाहिये कि आप की लड़की उन कमीनों के पंजों से निकल आई । मेरी जिन्दगी तबाह हो गई, कोई बात नहीं है । अब मेरी बहनों का ख्याल रखना । मेरी जिन्दगी तबाह करने वाले . . . . . हैं । मेरा दिमाग़ खराब नहीं कि मैं मर रही हूं । मैं ने अच्छी तरह सोच लिया है कि सिवाय मरने के मेरे पास और कोई चारा नहीं । मैं दसवीं और प्रभाकर पास हूं । रोटी के लिए कमा सकती थी । मैं ने उन्हें यहां तक कहा कि मुझे नौकरानी की तरह से ही रख लें । मैं आप के बरतन साफ कर के रोटी खा लूंगी, लेकिन उन्हें यह भी मंजूर नहीं । अब यह किसी ऐसे घर की लड़की लायेंगे, जो पैसों से तोल कर दी जायगी । मेरे प्यारे बहन भाइयों को बहुत प्यार ।" इस के बाद यह लड़की मिट्टी का तेल डाल कर जल गई । इसी शताब्दी की यह बात है और इस के पिता भी कोई ऐसे नहीं हैं कि जिन को कोई जानते नहीं हैं । उस के पिता यहां दिल्ली में मैजिस्ट्रेट थे । उन्होंने सैकड़ों कुसूरवालों को सजा दी । हम सैंकड़ों बहनों के काम करवाने उन के यहां जाया करते थे । और सैंकड़ों मुसीबतज़दा बच्चियों के लिए मदद लेते थे ।

एक दूसरी लड़की का खत भी है, जो मैं यहां नहीं लाई । उस ने लिखा कि "तुम ने मुझे पांच सौ रुपया फ़रनीचर कार दहेज़ में नहीं दिया, मुझे पांच सौ रुपया फ़ौरन भेजो, नहीं तो मेरी जिन्दगी खतरे में है ।"

एक और लड़की ने अपने बाप को लिखा कि "पिता जी, जिस तरह से भी हो, रेडियो का इन्तज़ाम कर दीजिए ।" उस बद किस्मत लड़की ने यह भी लिखा—उपाध्यक्ष महोदय, ज़रा इन लफ़्ज़ों को सुनिए—"पिता जी, क्या रेडियो की कीमत आप को मेरी जिन्दगी से भी ज्यादा प्यारी है ?

यह हालत है आज हमारी बच्चियों की । खुश किस्मत थे वे लोग जो बच्चियों को पैदा होते ही मार डालते थे । आज हम लोग ज़िन्दा रहते हैं और ज़लालत उठाते हैं, बच्चियों का तड़पना सारी उम्र देखते हैं और फिर उस को मज़ाक में उड़ा देते हैं । कोई बिल की मुख़ालफ़ित करे, मुझे उस का कोई अफ़सोस नहीं है । कोई कहे कि यह ठीक नहीं है, मुझे उस का भी अफ़सोस नहीं है । परन्तु इतनी कठिन समस्या का, जो कि हिन्दुस्तान की आधी आबादी से ताल्लुक रखती है, मज़ाक उड़ाया जाये, यह मेरी समझ में नहीं आता । इस लिए मैं अदब से अर्ज़ करूंगी कि हम लोग इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें ।

त्यागी जी ने कहा कि सिर्फ़ पैसा ही नहीं देखा जाता, शक्ल देखी जाती है, विद्या देखी जाती है । कहां देखी जाती है? किस ज़माने की बात करते हैं? हम अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं, काबिल बनाते हैं, बी० ए० पास कराते हैं । एम०ए पास कराते हैं तब उन में स्वाभिमान पैदा होता है । वे बेचारियां अपने आप को इन्सान समझने लगती हैं । वे डीबेट्स में हिस्सा लेती हैं, इनाम लेती हैं, फ़र्स्ट आती हैं, सैकिंड आती हैं । और तब फिर जब उन के लिए लड़का ढूंढने की बात होती है, तो, जैसा कि मैं ने पहले भी सदन में कहा था, अजीब-अजीब शक्लों के लोग देखने में आते हैं । कोई कहता है कि रंग अच्छा नहीं है, कोई कहता है कि मुंह अच्छा नहीं है, कोई कहता है कि हाथ अच्छे नहीं हैं और कोई कहता है कि पांव अच्छे नहीं हैं । मेरा ख्याल है कि पहले जो लोग दासों को खरीदते थे, वे थोड़ी डिग-निटी और इज्ज़त रख कर खरीदते थे । उन लड़कियों पर नुक्ता-चीनी होती है । एक घर, दो घर, दस इस घर देखते हैं और फिर अभिमान से कहते हैं कि हम ने अपने लड़के के लिए दस पन्द्रह रिजेक्ट

(ठुकराई) की हैं, हम को कहीं मिलती नहीं है। इस तरह लड़कियों को बेचना और खरीदना होता है । और अगर पसन्द आ भी गई तो फिर कहते हैं कि पैसा कितना दोगे। किस की शादी होती है ? मैं कहती हूं कि आज जो समाज का पतन नजर आता है, आज जो लड़कियों पर कुसूर किए जाते हैं, जो उन के फ़ैशन पर उंगली उठाते हैं, वे ज़रा अपने समाज को तो देखें। आज दहेज के बिना मां बाप के लिये लड़का तलाश करना असम्भव हो गया है। लड़की अपनी मरज़ी से चाहे अन्डर सैक्रेटरी से शादी करे, चाहे सैक्रेटरी से करे। उस की पांच हजार कीमत नहीं है । चाहे वह भागकर शादी करे, लेकिन मां-बाप इज्जत से दहेज के बिना लड़का ढूंढ कर शादी नहीं कर सकते। इस लिए मैं चाहूंगी कि इस के लिये कोशिश की जाये ।

जहां तक बिल का सवाल है, यह एक मज़ाक सा मालूम होता है, परन्तु फिर भी मैं कहूंगी कि सुन्दर मज़ाक है और अगर इस पर थोड़ी तवज्जह दी जाये, तो वह और अच्छा हो सकता है। मैं चाहूंगी कि हमारे ला मिनिस्टर एक बात को साफ़ करें। क्लाज़ २ में लिखा है :—

"मंगनी या विवाह के विचार से, शादी के पहले या बाद में" ।

"ऐज़ कनसिडरेशन" जो शब्द हैं उन्होंने भ्रम में डाल दिया है। क्या इस का मतलब यह है कि यह साबित करना पड़ेगा कि अगर किसी ने दो, चार या पांच हज़ार रुपए दिये हैं, वे ऐज़ कनसिडरेशन आफ़ मैरिज (विवाह के विचार से) दिए हैं, ऐसे नहीं दिए । क्या इस से कोई फ़र्क पड़ेगा ? क्योंकि यह साबित करना मुश्किल होगा कि हम डावरी मुकर्रर करते हैं कि वह दो हज़ार से ज्यादा नहीं होगी और अगर कोई कह दे कि यह तो मैं ने ऐसे ही दिया था, यह शादी के कनसिडरेशन में नहीं दिया, तो क्या उस को छुटकारा मिल जायगा ? ला मिनिस्टर इस बात को साफ़ करें। यह साबित करना मुश्किल हो जायगा कि कितना ऐज़ कनसिडरेशन फ़ार मैरिज दिया और कितना उस के अलावा दिया ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि यहां पर जो दो हज़ार रुपये की बात रखी गई है, यह बहुत ज्यादा है। ऐसी रकम रखनी चाहिए जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से दे सकें और इस विधेयक से लाभ उठा सकें। मैं अदब के साथ अर्ज़ करना चाहती हूं कि पांच सौ के करीब यह रकम होनी चाहिये, इस से अधिक नहीं ।

जहां तक आफेंसिस (अपरावों) का ताल्लुक है, मैं चाहती हूं कि कोशिश यह की जाए कि वे काग्निज़ेबल हों। इस के बारे में हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पुलिस तंग करेगी, पुलिस घर घर में आएगी और लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जायेंगे। कुछ बरस हुए हमने एक कानून बनाया था और उस में कहा था कि किसी की दूसरी शादी न हो लेकिन उसको काग्निज़ेबल आफेंस नहीं बनाया था। हम उम्मीद यह करते थे, जैसा कि त्यागी जी ने कहा है कि कौन लड़की अपने पिता के खिलाफ़ गवाही देगी या बाप अपने दामाद के खिलाफ देगा जो उसको काग्निज़ेबल बनाया जाए। यहां पर भी उम्मीद यह की जाती है कि जब लड़की की शादी हो जाएगी तो वह खुद अगर मुकदमा करेगी तो वह आफेंस है, खुद न करे तो आफेंस नहीं है। मुश्किल यह है कि कानून हम बनाते हैं, फिर हम उम्मीद करते हैं कि अगर आफेंस हो तो लड़कियां घर छोड़ें, पत्नियां घर छोड़ें, और मैदान में आकर कचहरियों में जा कर मुकाबला करें जो कि पूरी होना मुश्किल है। अगर इस को आफेंस बनाना है तो उम्मीद यह करनी चाहिये कि पुलिस उस में दखल दे सके। मैं जानती हूं कि बहुत सारी खराबियां इस से अमल करते वक्त आयेंगी। अगर पुलिस ने दखल दिया लेकिन उसके बगैर इस पर अमल हो नहीं सकता है और इसको बनाने का कोई लाभ भी नहीं है। इस वास्ते मैं प्रार्थना करती हूं कि इस पर भी गौर कर लिया जाए ।

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब इसको कुछ और अच्छा बनायें ताकि इस पर ज्यादा से ज्यादा अमल हो सके।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने अभी अपनी बहन की दिल हिला देने वाली तकरीर सुनी है। इससे पहले भी हमने बहुत से वाकात अखबारों में छपे देखे हैं कि किस तरह से नौजवान लड़कियों को तंग किया जाता है, किस तरह से उसके ससुराल वाले उसके मां बाप से पैसे की मांग करते हैं और किस तरह से वे लड़कियां अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आत्म-हत्या कर लेती हैं। यह भी सही हो सकता है कि आज के जमाने में इस तरह की बातें पहले से कम होती हैं। लेकिन जो असली चीज है वह यह है कि आज भी कितने ही खानदान ऐसे मौजूद हैं खसूसन मिडल क्लास फैमिलीज (मध्य वर्ग के परिवारों) के अन्दर, जिन में कि लोग रात दिन कुढ़े जाते हैं, बड़ी बड़ी लड़कियां उनके घरों में बैठी हैं और वे उनकी शादियां नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास देने के लिये पैसा नहीं है। अन्दर ही अन्दर वे लोग जल रहे हैं, मर रहे हैं लेकिन शादी नहीं कर पा रहे हैं। इस वास्ते यह कहना कि इस बुराई का कोई इलाज नहीं है या हो नहीं सकता है, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। यह कहना कि कानून बना देने से धर्म को नुकसान पहुंचेगा, मैं समझता हूं आज के दिन कोई सीरियसली नहीं कह सकता है।

हमारे ला मिनिस्टर साहब ने शारदा एक्ट का जिक्र किया है। मुझे याद है कि कितनी हिम्मत के साथ हमने उस एक्ट को पास किया था। उसके पास होने के बावजूद भी अगर आज छोटी छोटी उम्र की शादियां हो रही हैं, तो इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान नहीं देती है, गवर्नमेंट इस चीज को रोकना नहीं चाहती है ताहम यह कहा जा सकता है कि सारी फिजा ही बदल गई है। उसकी वजह से भले आदमी पढ़े लिखे आदमी बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। पहले के मुकाबले में छोटी उम्र की शादियां होना अब कम हो गई हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अब होती नहीं हैं, बेइंतहा होती हैं लेकिन पहले के मुकाबले में कम हो गई हैं। जो भले आदमी उससे लाभ उठाना चाहते हैं, उठाते हैं।

इस बिल से भी मैं समझता हूं कि सोशल कांशसनेस (सामाजिक चेतना) एकत्रित करने में मदद मिलेगी और लोगों के अन्दर यह खयाल पैदा होगा कि यह दहेज की पद्धति बहुत बुरी चीज है और जो लोग इससे फायदा उठाना चाहेंगे, उठायेंगे। इस लिहाज से मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि अगर कोई कानून से लाभ उठाना चाहे तो उसको इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिये और इसके हक में यह दलील देना कि यह शास्त्रों के खिलाफ होगा, अपील नहीं करता है।

यह सब होते हुये भी जहां तक इस प्रेजेंट बिल (वर्तमान विधेयक) का ताल्लुक है, इसके अन्दर कई खामियां हैं जिन की तरफ मैं आप तवज्जह दिलाना चाहता हूं और समझता हूं जो बीमारी इस सारी कुप्रथा के लिये जिम्मेवार है वह दूर नहीं होगी जब तक, तब तक यह इफैक्टिव (प्रभावशाली) नहीं होगा, जैसा कि ला मिनिस्टर साहब और त्यागी जी ने कहा है और वह बीमारी बहुत डीप (गहरी) है और उसका दूर होना बहुत आवश्यक है। उसको दूर करने के लिये जितनी यह मदद दे सकता है, दे और हम इससे मदद लें।

तो सब से पहली चीज यह है कि हम देखें कि डावरी क्या चीज है जिस के खिलाफ हम जिहाद करना चाहते हैं, जिस को हटाना चाहते हैं। हमारे ला मिनिस्टर साहब ने जो तारीफ (परिभाषा)

दी है डावरी की, उसके अन्दर उन्होंने लफ्ज-ब-लफ्ज आंध्र के एक्ट की तारीफ को रिप्रोड्यूस (नकल) कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं इसको गलत ही नहीं मानता बल्कि यह भी कहना चाहता हूं कि डावरी की यह तारीफ नहीं है जो कि इस के अन्दर दी हुई है। मेरी राय में मैरेज में दो पार्टीज (पक्ष) होती हैं, एक मियां और दूसरी बीबी। त्यागी जी ने कहा कि मैरेज के अन्दर एक पार्टी लड़के और उसके सारे खानदान की और दूसरी लड़की और उसके सारे खानदान की होती है। मैं समझता हूं कि ये पार्टीज टू दी मैरेज (विवाह के पक्ष) नहीं हैं। अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये दो पार्टीज मियां और बीबी ही हैं, और कोई नहीं। इसके सिवा इसके कोई दूसरा माने नहीं है। इस वास्ते खाविन्द और बीबी अगर एक दूसरे को कोई चीज दें, तो वह डावरी है, दूसरी नहीं। चुनाचे इसमें दिया गया है कि इस अधिनियम में, "दहेज" का अर्थ है वह सम्पत्ति या कोई मूल्यवान प्रतिभूति जो विवाह के एक पक्ष की ओर से विवाह के दूसरे पक्ष को या उन दोनों पक्षों की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा, दोनों पक्षों की सगाई या विवाह के विचार से, शादी के पहले या उसके बाद दी जायें।

इसमें विवाह के दोनों पक्ष वर और बधू ही ठहरते हैं। यदि वर या वधू का पिता कोई सम्पति दे, तो वह दहेज नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैरेज सैंड पार्टीज (कथित पक्षों) की ही कही जानी चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : सैड पार्टीज की मैरेज है, ब्राइडग्रूम (वर) के फादर और उसके खानदान और ब्राइड (बधू) के फादर और उसके रिश्तेदारान की मैरज नहीं होती है। जो भी गिफ्ट (दान) है, जो बीबी खाविन्द को दे या खाविन्द बीबी को दे, देट इज़ डावरी (वही दहेज है)। इस तारीफ (परिभाषा) के मुताबिक।

मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि रामचन्द्र जी महाराज ने जब सीता को कहा कि तुम वनबास न चलो और अपने बाप के पास चली जाओ, वह राजा हैं। तो सीता ने यह उत्तर दिया :—

मितं ददाति हि पिता
मितं भ्राता मितं सुतः
अमितस्य दातारं भर्ता
का न पूजयेत।

उसने कहा कि आप क्या कहते हैं मुझ को कि मैं बाप के घर चली जाऊं? जितने भी कांटे आपके रास्ते में आयेंगे, मैं उनको साफ करूंगी। मां और बाप, भाई और बेटा तो किसी स्त्री को एक मित दान देते हैं लेकिन जो खाविन्द है वह अमित दान देता है। इसी वास्ते बीबी खाविन्द के वास्ते और खाविन्द बीबी के वास्ते पूजनीय है। यह उसका जवाब था, यह उसका मत था।

यहां पर एक कानून आया था और कांग्रेस पार्टी की मर्जी के खिलाफ पास किया जिस में कहा गया था कि १८ बरस से बड़ी लड़की अगर उसके मां बाप जिन्दा हों तो उनकी इजाजत के बगैर उनकी मर्ज़ी के बगैर शादी नहीं कर सकती है। उस वक्त मैंने एक एमेंडमेंट पेश किया था और उसको हाउस ने मंजूर भी कर लिया गया था कि १८ बरस से ऊपर की लड़की, चाहे उसके मां बाप की मर्जी हो या न हो, अपनी मर्जी से उसी तरह से शादी कर सकती है जिस तरह से कि लड़का कर सकता है। उसके मौजूद होते हुये भी दो तरह की शादियां होती हैं। या तो लड़के लड़कियां खुद करते हैं, या मां बाप करते हैं उनकी शादी। जो लड़कियां आज खुद शादी करती हैं वह कानून के मुताबिक ठीक करती हैं। हम ने मैरेज ला में यह पास किया तो जो जब

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

किया इस तरह से शादी करती हैं क्या आप उस में रुकावट डालना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि वह किसी अमीर आदमी से शादी न करें। क्या वह ऐसे आदमी से शादी न करें जिस के पास लाइफ (जिन्दगी) भर खाने पीने का इन्तजाम हो, और अगर वह मर भी जाय तो बेचारी लड़की का गुजारा हो सके। लड़कियों की च्वायस (पसंद) है, उन की मर्जी है, जिस से चाहें शादी करें। आप क्या डावरी पर पाबन्दी लगा कर यह करना चाहते हैं कि कोई खाविन्द अपनी बीबी से यह कहे कि तेरे वास्ते यह सेट्ल (इंतजाम) करता हूं कि आइन्दा गुजारा चल सके, मैरेज सेट्ल-मेंट करता हूं, अगर कोई बाप कहता है कि तेरे वास्ते ऐसा सेट्ल करता हूं ताकि मेरे और तेरे खाविन्द परलोक के जाने के बाद तेरा गुजारा चल सके, अगर कोई सुसर ऐसा करना चाहे, तो वह ऐसा न कर सके? आप इस को बन्द करना चाहते हैं? यह गैर मुमकिन है बन्द करना जब तक लड़की को अख्त्यार है कि वह खुद अपनी शादी करे, उस को अख्त्यार है कि काले से शादी करे, गोरे से करे, अमीर से करे या गरीब से करे, चाहे जिस से शादी करे और शादी की शरायत तै करे। इस के होते हुये मैं पूछना चाहता हूं कि यह कहना कि अगर खाविन्द कुछ पैसा दे देगा तो उस लड़की को छः महीने की सजा हो जायेगी या खाविन्द को छः महीने की सजा हो जायेगी, कहां तक जायज है? क्या यही आपकी फ्रीडम आफ मैरेज (विवाह की स्वतन्त्रता) है? अगर एक अमीर आदमी के पास प्रापर्टी है और वह शादी करते वक्त बीबी को कुछ देना चाहे तो वह अपनी बीबी को कुछ नहीं दे सकता?

श्री रघुवीर सहाय (बदायूं): इस में देने लेने का सवाल कहां आता है?

पंडित ठाकुर दास भार्गव: गरीबनवाज, मुझे पता नहीं कहां आता है। जहां तक वैलु-एबल सिक्योरिटी (बहुमूल्य प्रतिभूति), या प्रापर्टी का सवाल है जो पति द्वारा शादी के वक्त दी जाती है या जिसे देना तय पाया जाता है जरा डावरी की तारीफ को पढ़िये।

श्री रघुवीर सहाय: आप तो फरमा रहे थे कि कोई लड़की किसी लड़के से शादी करना चाहती है तो रुकावट पड़ती है, इस में रुकावट कहां है?

पंडित ठाकुर दास भार्गव: इस के वास्ते रुकावट यह है कि लड़का शादी के वक्त लड़की को कोई भी सम्पत्ति नहीं दे सकता।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर): बाद में दे दे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: बाद के लिये भी दर्ज है कि "बिफोर आर आफ्टर दि मेरज" ("शादी के पहले या बाद में") उम्र भर नहीं दे सकेगा। मैं इस पर भी आता हूं। अल्फाज हैं: इन कंसिडरेशन आफ दि मैरज (विवाह के विचार से)। अभी मेरी बहन ने इस पर सवाल किया था कि इन कंसिडरेशन आफ दि मैरज के क्या माने हैं। क्या इस के माने हैं कि वह शादी नहीं कर सकती? यह चीज बहुत डाउटफुल (संदेहास्पद) है, इस के माने साफ नहीं हैं। इन अल्फाज के माने, यानी इन कंसिडरेशन आफ दि मैरज के माने बिल्कुल वेग (अस्पष्ट) हैं। जैसा कानून कि यह है कि उसे बिल्कुल शीशे की तरह साफ होना चाहिये। इसमें यह वेगनेस नहीं होनी चाहिये। उस ने आफ्टर दि मैरज, शायद २० बरस बाद कोई सेटलमेंट कर के अगर कुछ ले लिया तो उसके ऊपर भी शायद यह चीज लागू हो जाय कि इन कंसिडरेशन आफ दि मैरज किया था। मेरी

अदब से गुजारिश है कि अगर बीबी खाविन्द को या खाविन्द बीबी को कुछ दे, जो कि एक लव मैरेज है, स्वतन्त्र मैरेज है, उस के लिये यह मुनासिब और जायज नहीं है कि यह पाबन्दी चीज़ रक्खी जाय। कल त्यागी जी ने कहा था कि बाप बेटी को कुछ देना चाहे ऐट दि टाइम आफ मैरेज (शादी के समय) तो वह हर्गिज डावरी नहीं है। आम लोग यह जानते हैं कि जो ससुर या बाप मैरेज के वक्त दे देता है वह डावरी होती है, लेकिन फिलवाकया वह डावरी नहीं है। डा० सुशीला नायर ने बड़ी सख्त सख्त बातें सुनाई, ऐसी कटती कटती सुनाई कि हिन्दू सिस्टम आफ मैरिज (हिन्दू विवाह की पद्धति) बारबैरिक (बर्बर) है, कि जिस से दिल मेरा जल गया। वह कहती हैं कि इंडिया की मैरेज एक बारबेरस फार्म (बर्बर रूप) है जिस में लड़की का दान दिया जाता है। मैं इस वक्त इस में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि जैसी मैरीड लाइफ (विवाहित जीवन) की फेसिलिटी (सुविधा) हिन्दुस्तान में है, वैसी शायद दुनियां में कहीं नहीं है, यह एक मुसल्लेमा है। लेकिन शादी के वक्त कोई किसी को कुछ दे न सके, न खुशियां मनाये, किसी को कुछ दे ले नहीं यह ठीक नहीं है। मेरी बहन सुभद्रा जोशी ने जो कहानियां सुनाईं, कौन ऐसा शख्स है हिन्दुस्तान में जिस के दिल पर उन का असर न हो, कौन चाहता है कि लकड़ी को कैट्ल (मवेशी) बना दिया जाय, लड़की को कैट्ल बना दिया जाय। कोई मां बाप ऐसा नहीं चाहते। फिर इस में सिर्फ बापों का ही कुसूर नहीं है, उन लड़कियों के मां भी होती हैं, जिन पर यह इल्जाम लगता है। उन के भाई भी होते हैं। क्या आप यह समझते हैं कि यह खुशी की बात है कि हमारी बहनों और लड़कियों की कीमतें उठें और यह तय किया जाय कि कितना रुपया दिया जायगा कितना नहीं? शादी के वक्त झगड़ा हो जाय जब तक कि काफी धन न दिया जाय। अभी हमारी कश्मीर की बहन ने फरमाया कि शादी के वक्त यह तय होता है कि इतने खाने दिये जायेंगे, बरातियों को इतने कपड़े दिये जायेंगे, इतनी रोशनी की जायेगी। आज मैं दिल्ली म देखता हूं खुसूसन पंजाबियों की शादियों में कि सारा मकान जगमगा उठता है, हजारों रुपये सिर्फ बिजली पर खर्च हो जाते हैं। यह तय किया जाता है कि चांदी के गिलास, चांदी के थाल और चांदी की कटोरियां हर एक बराती को दी जायगी। मुझे पता नहीं कि यह डावरी नहीं तो क्या है। लेकिन यह पहले से तय होता है। यहां तक तय होता है कि बरात होटल में ठहराई जायेगी, ढाई सौ रु० रोज का कमरा अशोक होटल में, जो कि कश्मीर के नाम से है, नौशे के लिये रक्खा जायेगा। यह चीजें तय होती हैं अब। लेकिन यह चीजें इस बिल से बाहर हैं। अगर आप इस तरह रखना चाहते हैं तो हमारी सरकार ने एक्स्पेंडिचर टैक्स (व्ययकर) लगाया है, एक और कानून बना दिया जाय, बरातियों की तादाद मुकर्रर कर दी जाय। पुरानी स्टेट्स में बरातियों की तादाद मुकर्रर थीं। यह मुकर्ररथा कि इससे ज्यादा खर्च नहीं होगा मैरेज पर। हिन्दुस्तान के अन्दर यह बहुत नाजायज चीज है कि हम शादियों पर इस तरह से बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। लेकिन इस डावरी बिल में यह चीज़ नहीं आ सकतीं, डावरी बिल के अन्दर यह तय नहीं हो सकता है। इस लिये हम को समझ लेना चाहिये कि आखिर डावरी है क्या।

दो बिल और हिन्दुस्तान में पास किये गये, एक आन्ध्र में और एक बिहार में डावरी के बारे में। आज हमारे ला मिनिस्टर साहब ने जो अच्छी चीजें बिल में रखी हैं आन्ध्र बिल में वे भी उड़ी हुई थीं। हमारे तो मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी फरमा कर इतना तो किया कि कम से कम २००० रु० की प्रेजेन्टस (उपहार) दी जा सकती हैं ऐट दि टाइम आफ मैरेज। आन्ध्र वालों के लिये तो एक कोड़ी का भी प्राविजन (व्यवस्था) नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कि शादी करते वक्त वहां कितनी प्रेजेन्ट्स दी जा सकती हैं। वहां बहुत से हिन्दू हैं जो कि मनुस्मृति को मानने वाले हैं जिस में लिखा है कि नौशा जब बिठ लाया जाय तो सुभूषिताम होना चाहिये, उसके ऊपर अच्छे कपड़े होने चाहियें, भले ही खद्दर के हों लेकिन निहायत अच्छे हों। मैं अर्ज करता हूं कि

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

शादी का मौका खुशी का होता है, या रंज का होता है ? हमारे ला मिनिस्टर साहब ने आब्जेक्टस ऐंड रीजन्स (उद्देश्य तथा कारणों) में लिखा है कि हम ने लड़की को अब प्रापर्टी में हक दे दिया है और वह इसी गरज से दिया था कि डावरी की प्रथा हट जाय। हो सकता है कि इससे कोई अच्छा नतीजा निकले, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह समझना कि लड़की को आप ने इन्हेरिटेंस (उत्तराधिकार) में जो हक दे दिया उस की वजह से लड़की को शादी के वक्त कुछ न दिया जाय, इस से ज्यादा खराब कोई चीज नहीं हो सकती। यह एक गैरकुदरती बात है। कोई शख्स इस चीज़ को नहीं मानेगा और ऐसे कानून के टुकड़े टुकड़े कर के फेंक दिये जायेंगे। इस हाउस के अन्दर कम से कम दस बारह करोड़पति हैं, पचास, साठ लखपति भी हैं, शायद १०० हों, उन्होंने भी अपनी लड़कियों की शादियां की होंगी, उन में से कौन ऐसा है जिसने डेढ़ हजार या ढाई हजार रुपये लड़की के दहेज में दिये हैं। कौन इस तरह से दे सकता है। मान लीजिये कि किसी आदमी के लड़का नहीं है और उस की १० करोड़ रु० की आमदनी है तो वह उस रुपये का क्या करेगा ? क्या अपनी चिता के साथ उन नोटों को जलायेगा ? अगर लड़की को नहीं देगा तो किस को देगा ?

श्री त्यागी : लड़की को नहीं देगा, मोराजी देसाई को दे देगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं देखता हूं कि एक बहन ने यह तजवीज दी कि जो इस तरह का दहेज हो उसे सरकार कांफिस्केट (जब्त) कर ले, मोरारजी देसाई के खजाने में डाल दे।

इस बिलमें दो दफायें हैं, एक दफा ४ और दूसरी दफा ६। दफा ४ कुछ रीजनेबल कही जा सकती है, लेकिन दफा ६ गलत है। दफा ४ के अन्दर लिखा है कि अगर कोई इस तरह का दहेज डिमांड करेगा और मांगने वाले को ५,००० रु० जुर्माना या ६ महीने की सजा, या दोनों ही सजायें कर दी जायेंगी। मैं तो इसके लिये इतनी सजा भी काफी नहीं समझता जो शख्स कि इस तरह का ठहराव करे और लड़के की या लड़की की कीमत मागता है। यह चीज ऐसी है जिसके लिये जितनी भी सजा दी जाय थोड़ी है। यह एक रूट इविल (मूल बुराई) है, जिसके अन्दर यह चीजें पैदा होती हैं।

दफा ६ के अन्दर लिखा है कि दहेज का रुपया उसे ट्रांस्फर कर दिया जाय लड़की के नाम। मुझे अफसोस है कि कौन लड़की को पूछता है, कौन दामाद को पूछता है ? सब लोग अपनी इज्जत के खातिर, अपनी शान व शोक्त की खातिर बिजलियां जलाते हैं, २, २ हजार रु० बरातियों के खाने के लिये खर्च करते हैं। लड़कियों को कोई दहेज नहीं देता। लड़कियों को जहर दे दो और खर्च कर दो बरातियों पर। यह कहना गलत है कि लड़कियों को दहेज दिया जाता है। पुराने जमाने में एक प्रथा थी जिस को शुल्क कहते थे। ब्राइडस प्राइस (वधुका मूल्य) कहते थे। सन १९२८ में इस हाउस की एक कमेटी बनी थी शारदा बिल के मुताल्लिक। मैं उस का मेम्बर था। उस वक्त मैंने सारे हिन्दुस्तान का दौरा किया। हमने सारी कुप्रथाओं पर ध्यान दिया और उन पर विचार किया। उस वक्त एक केस हमारे सामने आया जिसे मैं आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं। एक सरकारी वकील हमारे सामने आया। हमने कहा कि हम पुरानी हिन्दू औरतों की राय जानना चाहते हैं। मदुरा का वाक्या है। हमने एक पुरानी लेडी को बुलाया। सरकारी वकील उसका इंटरप्रेटर (दुभाषिया) होकर चला आया। जो औरत आई उसके साथ एक लड़की भी थी। मां-बेटी वह दोनों की दोनों आईं। मैंने उनका बयान लेना चाहा तो सरकारी वकील ने उनको इंटरप्रेट करना शुरू किया। मैंने पूछा कि वह कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी लड़की है। जब भी मुझे वह सौत

याद आता है तो बड़ा दुःख होता है। वह लड़की निहायत खूबसुरत थी, एफ० ए० पास थी और हमारे सामने बैठी थी। उस वक्त एक बड़ी डेलिकेट (नाजुक) बात हुई। वह वकील कहने लगा कि हमने इस लड़की की शादी कर दी। शादी करने के बाद एक रस्म होती है मद्रास में शायद उसको गर्भाधान कहते हैं। अपने यहां शायद मुकलावा कहते हैं। नई बीबी जाती है खाविन्द के घर। उस लड़की के खाविन्द ने कहा कि १०,००० रु० दो वरना में शादी का कंसूमेशन (गर्भाधान) नहीं करूंगा। यह तमाम किस्सा उस लड़की के सामने सुनाया।

मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यहां हिन्दुस्तान में इतनी कुरीतियां हैं कानून से आप किस किस का इलाज करियेगा? यह डाउरी में नहीं आतीं।

मैं आपको बतलाऊं कि यहीं दिल्ली के अन्दर जब संसद् में हिन्दू कोड बिल पर विचार चल रहा था तो हमारे सामने ८-१० शादीशुदा औरतें आकर कहने लगीं कि तुम हाउस में हिंदू कोड बिल की हिमायत न करना। मैंने उनसे कहा कि तुम बैठ जाओ मैं तुम्हें यह बतलाना चाहता हूं कि मैं हिन्दू कोड बिल की हिमायत करूंगा और इसलिये हिमायत करूंगा क्योंकि हिन्दू कोड बिल एक पुरुष को एक से अधिक शादी करने को इजाजत नहीं देता। वह दो औरतें शादी करके नहीं रख सकता। मुझे उन्होंने बतलाया कि यह जो लड़की उनके साथ है इसके खाविन्द ने इसे छोड़ा हुआ है। मैंने उनको बतलाया कि देखो हिन्दू कोड बिल के मुताबिक इसका खाविन्द दूसरी शादी नहीं कर सकता। और इसीलिये मैं उसकी हिमायत करूंगा। यह कोई खाली अकेली इस लड़की का सवाल नहीं है बल्कि दिल्ली की ऐसी १०,००० लड़कियां मौजूद हैं जिनके कि खाविन्दों ने उनको छोड़ रक्खा है बिला किसी कसूर के। ऐसा क्यों है और इसका क्या इलाज सोचा है? मैं कहता हूं कि इसका इलाज डाइवोर्स (तलाक) है और डाइवोर्स हो जाना चाहिये। यह कुरीतियां इस कानून से दूर नहीं होंगी। जब हम सब मिल कर इनको दूर करना चाहेंगे तभी दूर होंगी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम लोग मैटीरियलिज्म (भौतिकतावाद) के पीछे बहुत हैं और मां, बाप, भाई, बहिन जो कुछ भी है वह सब पैसा ही है और कुछ नहीं है। इसलिये जब तक यह चीज दूर नहीं होगी तब तक यह नामुमकिन है कि यह चीजें दूर हो सकें। अब यह एक लम्बी कहानी है और मुझे डर है कि इसमें जाने से मैं हाउस का काफी वक्त लूंगा.....

उपाध्यक्ष महोदय : आज कहानी लम्बी न करें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : बहुत अच्छा। अब मैं इस विषय को यहीं पर छोड़ता हूं।

मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो बिल है इसमें बिहार बिल के प्राविजंस् ऐवमेंट (व्यवस्थायें नहीं) हैं। स्त्री धन को उन्होंने डाउरी की डेफीनीशन में आने से बचा लिया है। ऐसा ठीक ही किया गया है और मैं कोई वजह नहीं देखता कि लड़कियां डाउरी के बहाने इस स्त्री धन से क्यों महरूम की जायं। अगर इस बिल का यह मतलब है कि कोई औरत को स्त्री धन न दे तो मैं इसकी हिमायत नहीं कर सकता। अगर किसी लड़की के शादी के मौके पर लड़की के मां बाप, रिश्तेदार या नजदीकी दोस्त उसको बालटियरी (स्वेच्छा से) गिफ्ट्स देते हैं और उस मौके पर तोहफे और प्रेजेंट्स देना फर्ज समझा जाता है तो यह सब डाउरी की जद में नहीं आना चाहिये और इन पर कोई रोक नहीं होनी चाहिये। अगर लड़की का खाविन्द या उसका ससुर अपनी पत्नी अथवा बहू को वालेंटियरी वगैर किसी दबाव के कुछ तोहफे देना चाहें और वे इस डाउरी कानून की वजह से न दे सकें तो मैं इस बिल को सख्त मुखालफत करता हूं क्योंकि मुझे वह दिन अभी दूर नजर आता है जब कि लड़कियों के भाई उनको जायदाद वगैरह में हिस्सा लेने देंगे। मुझे तो वह दिन अभी दूर ही मालूम होता है। जेवर तो स्त्रीधन होता है और उससे स्त्री को महरूम करना किसी भी हालत

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

में जां नहीं है। हम देखते हैं कि शादी के मौके पर बरी की रस्म होती है जिसमें कि लड़की को उसकी ससुराल वालों की तरफ से मिलने वाले जेवर वगैरह दिखलाये जाते हैं और वह तमाम उस लड़की का स्त्रीधन होता है। बिहार में जब इस बारे में ऐक्ट बना तो उन्होंने डाउरी की जो तारीफ की उसमें स्त्रीधन को उन्होंने डाउरी के दायरे में शामिल नहीं समझा और यह ठीक भी है क्योंकि शादी के मौके पर जो वालंटियरी प्रेजेंट्स दिये जाते हैं वह डाउरी में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन मुझे डर है कि ला मिनिस्टर साहब ने जो डाउरी की डेफनीशन की है उसके मुताबिक तो वह भी डाउरी का हिस्सा है। अब आप ही बतलाइये मेरे १०० दोस्त हैं और मैं उनकी लड़कियों की शादियों में तोहफे देता हूं तो जाहिर है कि जब मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा तो वे भी मेरी लड़की की शादी में तोहफे देंगे। **"दैट इज स्त्री धन बट दैट इज नौट ऐज ए मैटर आफ फैक्ट डाउरी।"** ("वह स्त्रीधन तो है। लेकिन वास्तव में वह दहेज नहीं है)। इसलिये डाउरी की तारीफ में यह चीज साफ कर दी जाये कि उसमें स्त्री धन शामिल नहीं समझा जायगा। डाउरी तो वह होगी जो कि आपस में उनम ठहराव हो कि शादी इतना रुपया मिलने पर होगी, एक कंट्रैक्ट हो कि इतना देने पर शादी होगी। लेकिन शादी के मौके पर मिलने वाले तोहफे डाउरी में शामिल नहीं किये जा सकते।

जहां तक इस बिल के उद्देश्यों का ताल्लुक है मैं उनसे पूरी तरह मुत्तफिक (सहमत) हूं। लेकिन मैं ज्वाएंट सेलेक्ट कमेटी (संयुक्त प्रवर समिति) की खिदमत में दस्तबस्ता गजारिश करूंगा कि वह मेहरबानी करके यह स्पेसिफाई (स्पष्ट) करदें कि डाउरी क्या चीज है और उसके बाद जो इस सिलसिले में जुर्म करता पकड़ा जाय उसे सख्त सजा दें। मैं खतावार लोगों को सख्त सजाएं देने के बरखिलाफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि लड़कियों का गला इस इनडाइरेक्ट तरीके से न घोंट दिया जाय कि उनको स्त्रीधन भी न मिले। मुस्लिम ला में आखिर क्या है वहां पर भी शादी के वक्त खाविन्द अपनी होने वाली बीवी के नाम मेहर करता है। अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ शादी करना चाहता है तो उनके दरमियान इस तरह पर एक मआहिदा होता है कि वह उसके लिये इतना मेहर में लिखेगा या देगा। यह कानून हिन्दू-मुस्लमानों के लिये यकसां होना चाहिये। यही संविधान का मंशा है। मां बाप लड़की के वास्ते कोई प्राविजन करना चाहते हैं तो कोई वजह नहीं है कि वे ऐसा न कर सकें और आप उसको डाउरी में शामिल कर दें। इस वास्ते मैं अर्ज करना चाहता हूं कि औरतों को उनके जायज हक से और स्त्री धन से जो कि अब तक उनको मिलता आया है, उससे उन्हें महरूम न करें।

†**श्री वि० चं० प्रधान** (कालाहांडी--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं तो इस विधेयक को अच्छा नहीं समझता। इससे कई पेचीदगियां पैदा हो जायेंगी।

दहेज पर यह पहली बार प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा रहा है। मैं माननीय महिला सदस्याओं की इस बात से सहमत नहीं हूं कि दहेज पर प्रतिबन्ध लग जाने पर लड़कियां बेकार हो जायेंगी। यदि किसी लड़की में कोई गण हो, तो वह किसी से भी शादी कर सकती है। वन-वासिनी शकुंतला का दृष्टांत हमारे सामने है। हां, दहेज पर प्रतिबन्ध लगने से बदसूरत लड़कियां ही बेकार हो जायेंगी वैसे यदि सरकार सिर्फ विधेयक पारित करके ही संतुष्ट हो जाना चाहे, तो दूसरी बात है। वैसे यदि सरकार दहेज प्रथा को रोकने के लिये भी एक अलग विभाग खोलेगी, तो उसके लिये बहुत अधिक रुपया खर्च करना पड़ेगा। उस खर्च को पूरा करने के लिये भी शायद विश्व बैंक से ऋण मांगना पड़े।

इसलिये हमारे विधि मंत्री को बड़ी गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिये कि विधेयक के किन भागों को निकाल देना ही अच्छा रहेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अर्सेदराज से माता पिता यह सोच रहे हैं कि कोई ऐसा कानून पास हो कि जिसके अन्तर्गत उनकी लड़कियों की—मैं कहूंगा—बाजार में जो बिक्री होती थी वह कम से कम बन्द हो। बहुत से भाइयों ने यहां बतलाया है कि किस तरह से इस दहेज की प्रथा के कारण बहुत से माता पिताओं ने खुदकशी करके अपनी जान दी। मैं चाहता हूं कि यह किसी तरीके से दूर हो।

श्रीमती सहोदरा बाई राय (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : आपने कहा कि लड़कियों की बिक्री होती, पर हम देखते हैं कि लड़के लेने पड़ते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानता हूं कि शादी के पहले लड़की के माता पिता से कितनी शरायत मंजूर करायी जाती हैं। कोई कहता है कि लड़के को विलायत भेजना पड़ेगा, कोई कहता है कि इसको बी० ए० पास करने के बाद ला का खर्चा आप दें। तो इस तरह से आज माता पिता के सामने ये शरायत रखी जाती हैं। मैं समझता कि शादी कितने ही नेगोसियेशन्स (सौदे) के बाद हो, पर लड़की सुखी नहीं हो सकती। इसलिये मैं अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि इस बिल में अगर कोई नुक्स हो तो सिलेक्ट कमेटी के माननीय सदस्य उसको देखें और उसमें इस तरह के संशोधन करके यहां पेश करें कि जिसमें इस कानून की अवहेलना न हो सके। मैं एक बात से डरता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि डाउरी बन्द करने के कारण लड़की के माता पिता को नौशे को चुपके से डाउरी देनी पड़े और उसके साथ ही कुछ पुलिस वाले को भी देना पड़े। यह खतरा मुझे कभी कभी नजर आता है क्योंकि हमारे देश में यह परम्परा चली आ रही है कि अगर कानून से किसी चीज की मुमानियत होती है तो वह चीज चुपके चुपके चलना शुरू हो जाती है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने देश के भाइयों को भी समझावें कि वे यह न समझें कि यह दहेज एक प्रकार का नानपेएबिल नान रिटर्नेबिल रिहैबिलिटेशन लोन (ऐसा एक पुनर्वास ऋण है, जिसे न अदा करना पड़ता है, न वापिस)। वह समझते हैं कि लड़के को बी० ए० पास करने के बाद, शादी में तीन चार हजार रूपये मिल जायेंगे जिससे वह कुछ न कुछ अपना भविष्य बना सकेगा। इसलिये मैं इस बिल का स्वागत करते हुये यह साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि इसके साथ ही हमको समाज में सुधार करना होगा। आज लोगों को यह समझाना होगा कि समाज में ऐसी परिस्थिति न रहने पाये कि किसी लड़की के माता पिता को यह कहा जाये कि तुम इतना रुपया लाकर दोगे कि तुम्हारी लड़की का उद्धार होगा। उनको सिर्फ बिल के आधार पर ही नहीं दूसरी तरह से भी समझाना होगा और यह कोशिश करनी पड़ेगी कि आज जो प्रथा चल रही है और जिसकी वजह से वे बातें हो रही हैं जिनको कि हमारे भाई और बहिनों ने बताया है, वे आगे न हों और यह प्रथा बन्द हो। ऐसा होगा तभी समाज की उन्नति होगी।

मैं इस बिल का समर्थन करते हुये एक बात और कहना चाहता हूं। यह आज का सवाल नहीं है। मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बिल को देखकर। सन् १९२७ में मेरी मुअज्जिज माता जी ने बंगला भाषा में एक किताब लिखी थी—आमार बाप—यानी लड़की का पिता। उस वक्त लोगों ने कहा था कि यह बात नहीं चल सकती। यह चीज बन्द नहीं हो सकती यह तो सदियों से चली आ रही है। मैं आज इस बिल का समर्थन करता हूं और समझता हूं कि इसके जरिये मेरी पूज्या माता जी का सपना पूरा होने जा रहा है और मैं अपने तरीके पर भी कोशिश करूंगा कि लोग इस चीज को समझें और इसको दूर करने में मदद दें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विधि मंत्री महोदय ने आज जो इस सदन के सम्मख यह विधेयक उपस्थित किया है इसकी ओर न केवल इस सदन के सदस्यों

का अपितु भारतवर्ष के निवासियों का ध्यान उसी प्रकार आकर्षित हुआ है जैसे कि प्रत्येक आवश्यक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित होता है। बहुत सी ऐसी समस्यायें होती हैं जो कि हमारे देश में ऊपरी वातावरण से संबंध रखती हैं, लेकिन यह इस प्रकार की समस्या है जो कि प्रत्येक घर के साथ सीधा संबंध रखती है।

हमारे समाज में बहुत समय से कुछ जीर्ण शीर्ण प्रथायें प्रचलित हैं जिनके कारण आज समाज को बड़ी हानि हो रही है। उन प्रथाओं में दहेज की प्रथा भी अपना मुख्य स्थान रखती है। मैं भी कुछ अंशों में पंडित ठाकुर दास जी के साथ सहमत हूं कि जिस समय हम दहेज की प्रथा के संबंध में विचार करते हैं तो हमें एक समस्या पर और अवश्य विचार करना होगा। हमें अपनी उन परम्पराओं पर भी विचार करना होगा जिनका हमारे यहां एक खास स्थान है। जब पिता अपनी कन्या का हाथ वर के हाथ में देता है तो वह यह कहता है :

इमाम् अलंकृताम् कन्याम् प्रतिगहणातु भवान्

इसके पीछे एक भावना है। उस समय हर माता पिता यह ही चाहते हैं कि अगर उनके पास कुबेर की भी सम्पत्ति हो तो वे अपनी लड़की को दे दें। आज वह इस घर से पति गृह में जा रही है, वह दूसरे परिवार का अंग बन जायेगी। इस अवसर पर वह अपनी प्यारी पुत्री को न केवल अपनी शक्ति के अनुसार धन ही देते हैं, बल्कि अपने यहां की परम्परा के अनुसार बाद में भी यथाशक्ति देते रहते हैं। हमारे देश की परम्परा के अनुसार लड़की तीन पीढ़ी तक लेती रहती है, पहले बाप से बेटी के रूप में, फिर भाई से बहिन के रूप में और फिर भतीजों से बुआ के रूप में। तो हमारे देश की यह परम्परा है कि हम तीन पीढ़ियों तक लड़की को देते रहते हैं।

हमारे यहां यह प्रथा है कि विवाह के अवसर पर लड़की का भाई अपनी बहिन के हाथ धान की खीलों से भरता है। एक तो हमारे यहां लाजा होम की इस परम्परा को पवित्र माना जाता है, दूसरा इसका तात्पर्य यह भी है कि धान एक ऐसा अन्न है कि जिसको पहले खेत में बोते हैं फिर उसे दूसरी बार उखाड़ कर रोपा जाता है तो उसमें अच्छी बाल लगती है। लड़की की भी अवस्था कुछ ऐसी ही है कि वह पैदा मां-बाप के घर होती है और दूसरी जगह पतिगृह पर जाकर फलती-फूलती है। इस लाजा दान का एक तात्पर्य यह भी है कि भाई अपनी बहिन से कहता है कि बहिन यहां तक तो मेरे पिता जी का कर्तव्य था वह तो आज पूरा हुआ, उन्होंने तेरा हाथ एक योग्य वर के हाथ में दे दिया। अब इसके आगे मेरा कर्त्तव्य प्रारम्भ होता है। जब जब तू पति के घर से आवेगी तो मैं तुझे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, अपनी शक्ति भर तुझे दूंगा। तो हमारे यहां इस प्रकार समय समय पर लड़की को देते रहने की प्रथा थी। लेकिन बाद में यह प्रथा बिगड़ गई और लड़की के माता पिता से जबरदस्ती दहेज मांगा जाने लगा। जिसे देने में उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इस जोर जबरदस्ती के कारण बहुत से भयंकर परिणाम हुये जिसके उदाहरण यहां दिये गये। मेरे पास भी इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हैं लेकिन समय कम होने से मैं उनको यहां उपस्थित नहीं करना चाहता।

पहले हमारे देश में यह प्रथा थी कि योग्य लड़की की तलाश में लड़के वाले जाते थे। सीता की खोज में राम जनक राजा के घर गये, रुक्मिणी की खोज में कृष्ण उसके घर गये, दमयन्ती के लिये नल उसके यहां गये। द्रोपदी की खोज में अर्जुन उसके द्वार पर गये। यह हमारे समाज की पुरानी परम्परा है। लेकिन आज इस प्रकार की कुप्रथा हो गई है कि लड़की वालों को लड़के के द्वार पर जाना पड़ता है। पहले प्रथा यह थी कि प्यासा कूए के पास जाता था, लेकिन आज उल्टी प्रथा

यह हो गई है कि कूआं प्यासे के पास जाता है और इस कारण वह अपने को कूआं समझता है। जो लड़की वाला अपनी पोषित की हुई लड़की देगा, विवाह शादी का सारा व्यय वहन करेगा और फिर जब तक वह लड़की जीवित रहेगी, वह देता ही देता रहेगा, आज वह तो समाज में प्यासा माना जाने लगा है और जो जीवन भर लेता ही रहेगा, वह अपने को कूआं समझने लगा है। यह स्थिति आज हमारे समाज की हो गई है। ऐसी स्थिति में कन्याओं के संबंध में संस्कृत के एक कवि ने दुखी होकर लिखा है :—

जातेति कन्या महती हि चिन्ता
कस्मे प्रदेयेति महान् विषादः ।
गत्वा सुखं प्राप्स्यसि वा नवेति
कन्या पितृत्वं खलु नाम कष्टम् ॥

लड़की पैदा हुई कि माता-पिता के सिर पर एक कष्ट सवार होता है कि किस के हाथ पर इस का हाथ रखा जायगा और वहां जाकर भी वह सुखी रहेगी या नहीं।

मैं अपने वक्तव्य को बहुत संक्षेप में इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूं कि अगर दहेज प्रथा को भारतवर्ष से समाप्त करना है, तो इस के लिए विधान के साथ, अथवा विधि बनाने के साथ यह अत्यन्त आवश्यक है कि सामाजिक जागरण भी किया जाए। मैं विधि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो सामाजिक संस्थायें इन कुप्रथाओं के निवारण में आरम्भ से ही प्रयत्नशील हैं—एक विशेष संस्था का नाम मैं गौरव के साथ इस सदन में लेना चाहूंगा और वह है महर्षि दयानन्द सरस्वती के द्वारा स्थापित आर्य समाज का संगठन —उन का सहयोग इस प्रकार की कुरीतियों के निवारण के लिए लिया जाये।

अन्त में मैं अपनी बहनों से निवेदन करना चाहता हूं यह सही है कि नारी के अपमान में पुरुष भी बड़ा कारण रहा है, लेकिन यह भी बहुत सही है कि नारी के अपमान में स्वयं नारी भी एक बहुत बड़ा कारण हो रही है। जन्म से ही यह स्थिति पैदा होती है कि परिवार में अगर लड़का पैदा हो तो माता के स्वाभाविक शब्द होते हैं कि फूल बरसे हैं, भगवान की कृपा हुई है। और अगर लड़की पैदा हुई —मैं यह नहीं कहता कि यहां पर जो बहिनें उपस्थित हैं, उनकी भावना क्या है, लेकिन मैं गांव का रहने वाला हूं, इस लिए मैं जानता हूं कि साधारण स्थिति यह है कि अगर लड़की पैदा हो और बुढ़िया दादी से पूछो तो वह कहती है कि पत्थर पड़े हैं। बुढ़िया दादी से कोई यह पूछे कि कभी तुम भी तो पैदा हुई होगी। यह तथय है कि लड़की के पैदा होने पर नारी को उतनी प्रसन्नता नहीं होती, जितनी कि लड़के के पैदा होने पर होती है।

यही अवस्था भारतवर्ष में शिक्षा के सम्बन्ध में है। यहां पर जितनी लड़कों को शिक्षा दी जाती है, लड़कियों को उतनी नहीं दी जाती है। लेकिन सब से आवश्यक चीज यह है कि विवाह के ही पश्चात जब लड़की पति के परिवार से पितृ-गृह आती है, तो माता उस से पूछती है कि बेटी कोई कष्ट तो नहीं हुआ, लड़की अपना दबी जबान से कहता है कि "और तो कोई कष्ट नहीं रहा, लेकिन इतना ही हुआ कि दहेज सम्बन्धी कुछ ताने सूनने को मिले"। माता पूछती है कि ताने "ससूर ने दिए हैं," तो लड़की कहती है कि नहीं माता जी, ससूर इतना सीधा है कि उस ने होंट भी नहीं खोले, सब से ज्यादा ताने तो सास ने दिए।" तो क्या जेठ ने भी ताने दिए? नहीं, जेठानी ने ही दिए"। "क्या देवर ने भी ताने दिए"। "नहीं ननद ने ज्यादा ताने दिये" मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि दहेज के सम्बन्ध में ताने जितनी औरत औरत को देती है, उतना पुरुष नहीं देता है। इस लिए स्त्रियों को इस संबंध में अपने कर्त्तव्य के प्रति सावधान होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री जांगड़े** (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का मैं समर्थन तो करता हूं, परन्तु व्यवहार में समाज में कितने लोगों पर इसका असर पड़ेगा, इस में मुझे सन्देह है । हिन्दू कोड बना और उस का क्या असर हुआ और उस से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, इस को मैं देखता हूं तो मुझे सन्देह होता है कि जितने भी सामाजिक कानून, इस सदन में बनाए जाते हैं, उनका व्यवहार कितना होता है और उनको अमल में शासन कितना लाता है, उनके अधीन कितने अन्याय करने वाले दंडित होते हैं । इस को देख कर मुझे शंका होती है कि यह कानून बनेगा और बनने के बाद कितने लोग इस की पकड़ में आयेंगे और समाज में इसका कितना असर पड़ेगा । मुझे सन्देह होता है कि कहीं यह कानून मखौल और हंसी की चीज़ न बन जाये । हम ने शारदा एक्ट बनाया लेकिन हम को कुछ पता नहीं है कि प्रत्येक प्रदेश में हर साल बाल-बिबाह के कितने मामले पकड़े गए और बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने में उस कानून का कितना असर पड़ा । इसी प्रकार जो अन्य सामाजिक कानून बने हैं, उनका भी कोई असर नहीं हुआ है ।

इस कानून में जो भी क्लाज़िज या प्रावधान हैं, उन को देखने पर मेरा अचरज और भी बढ़ जाता है । इस में कहा गया है कि दो हज़ार रुपए के अलावा आभूषण, कपड़े और अन्य वस्तुएं जो रिवाज के मुताबिक दी जाती हैं, वे इस में शामिल नहीं हैं । आज भी इस देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं, जो पचास या सौ रुपये में शादी करते हैं । इस कानून के द्वारा हम उन को इस प्रकार से बढ़ावा देते हैं कि शासन कहता है, सरकारी कानून कहता है कि वे दो हज़ार रुपए दहेज़ दे सकते हैं और उसके अलावा कपड़े और आभूषण भी दे सकते हैं । उस में निरन्तर वृद्धि होती जायगी । आज आदिवासियों और हरिजनों में १०१ या २०० रुपए में शादी होती है । उस को हम जबर्दस्ती ब्लैक-मार्केटिंग कर के या प्राइस कंट्रोल (मुल्यनियंत्रण) कर के बढ़ा रहे हैं । इन बातों को देख कर मुझे मालूम होता है कि इस कानून से सामाज के कतिपय –पांच परसेंट लोगों पर ही असर पड़ेगा, ९५ परसेंट पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है । इसलिए मैं चाहता हूं कि दो हज़ार और कपड़े और आभूषण संबंधी प्रावधान को सोच समझ कर बनाया जाये । कानून का उद्देश्य तो ठीक है, उस के पीछे जो भावना है, वह ठीक है, लेकिन कानून के शब्दों में कहां पर क्या होना चाहिए, इस का विचार नहीं किया गया है ।

इस विधेयक के विभिन्न प्रावधानों और खंडों को देख कर मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि सब के लिये एक ही दंड रखा गया है — सब धान बाइस पंसेरी । सब को छः महीने की सज़ा और पांच हज़ार का जुर्माना दंड दिया जायगा । एक ही किस्म के दंड का प्रावधान किया गया है ।

एक माननीय सदस्य : पांच हज़ार तक ।

श्री श्रीनारायण दास : (दरभंगा) : कम भी हो सकता है ।

श्री जांगड़े : मैं समझता हूं कि इस में जितना खुलासा और ब्यौरेवार और विस्तृत ढंग से विचार और अध्ययन होना चाहिए, वह नहीं किया गया है ।

इस के उपरान्त मैं यह कहना चाहता हूं कि एक ऐसा समाज है, जिस के अपने विशेष रस्मो-रिवाज और सामाजिक रिवाज हैं । हम कहते हैं कि सामाजिक सुधार करना चाहिए और सामाजिक क्रांति होनी चाहिए । लेकिन शासन में सामाजिक मान्यताओं को क्या महत्व प्राप्त है? क्या शासन सामाजिक रिवाजों को, रस्मों को, बन्धनों को मान्यता देता है? नहीं देता है । कई समाजों में यह रिवाज है कि स्त्री की शादी का शुल्क ५१ रुपये या १०१ रुपए या १००० रुपए हैं । अगर वही

रस्मो-रिवाज कोर्ट में आता है, तो अदालत उसको मानने के लिये तैयार नहीं है। आज समाज में ढील पड़ती जा रही है, जाति-प्रथा टूटती जा रही है, सामाजिक रिवाज टूटते जा रहे हैं। समाज की यह क्रांति रिवाजों में यह उथल-पुथल मचना मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता, जब तक कि समाज के कार्य-कर्ताओं को, सामाजिक संस्थाओं के कार्य को मान्यता न मिले। जब तक ऐसा न हो, तब तक उस का यह कहना कि हम सामाजिक रिवाजों को मान्यता देंगे और समाज में क्रांति लायेंगे, मुझे ठीक नहीं जंचता ।

कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि कानून बनाना तो सहज है, परन्तु हमें समाज में क्रांति लानी चाहिये । जिन देशों में सामाजिक रिवाजों का कानूनी असर है, उन में वे कानून का काम करते थे, लेकिन जब सामाजिक रिवाज कानून के समान असर नहीं करते हैं, तो यह कहना कि सामाजिक क्रांति लाइये और कानून बाद में लाइये, यह गलत बात है। आज हर एक कार्य में कानून और विधेयक की जरूरत होती है। इस लिए ही यह कानून बनाया गया है। यह उपयुक्त है, परन्तु इस को मासिज़ तक पहुंचाने के लिए, इस को मास स्केल पर उपयोगी बनाने के लिये इस में आवश्यक परिवर्तन करने होंगे।

श्री मूल चन्द दुबे : श्रीमान उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कानून को उपस्थित किया है और मैं अपने मित्र त्यागी जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, जब वह यह बयान करते हैं कि हम को पहले समाज का सुधार करना चाहिए और फिर कानून के बारे में सोचें या न सोचें। अगर उनकी यह बहस सही होती, तो उनको कहना चाहिए था कि जितने पीनल लाज़ (दण्डकारी विधियां) हैं, उन सब को रिपील (रद्द) कर दो, पहले समाज को बना दो और फिर कानून की जरूरत नहीं रहेगी : यह एक अजीब बात है, जो कि किसी तरह भी मानने के काबिल नहीं हो सकती है।

श्री त्यागी : इस से वकीलों को फायदा हो जायगा।

श्री मूल चन्द दुबे : जो ग़ैर-वकील हैं, उन को नुक्सान हो रहा है। आप की किस्म के लोगों को नुक्सान हो रहा है ।

डावरी पहले एक ऐसी चीज थी, जिस के मायने यह कहे जाते थे कि लड़की के विवाह पर लड़के को नज़र करने के लिए जो कुछ दिया जाये, वह डावरी है। अंग्रेजी में डावरी के यही मायने कहे जाते हैं। यह एक अच्छी प्रथा थी। मैं उस को खराब नहीं कहता हूं। लेकिन पहले जो डावरी खुशी से दी जाती थी, उस की हालत यह हो गई है कि अब वह एक किस्म की एक्सटार्शन (यातना देकर वसूली) हो गई है और वह अब डावरी नहीं रही। यह एक ऐसी मिसाल है, जिस से यह पता लगता है कि एक अच्छी प्रथा भी किस तरह से खराब हो जाती है। डावरी जो कि खुशी से दी जाती थी उसकी हालत अब यह हो गई है कि एक्सटार्शन की शक्ल में दी जाने लगी है। गर्ज़ की डावरी डावरी नहीं रह गई है बल्कि एक जबर्दस्ती की चीज बन गई है। इसको किसी न किसी तरह से रोका जाना चाहिये। यह कहना कि पब्लिक को बहुत समझाने की जरूरत है, मैं समझता हूं कि सही नहीं है। पब्लिक कांशेंस (जन-चेतना) इस बारे में काफी राउज्ड (सचेत) है। हर एक ख्याल करता है कि यह खराब चीज है और यह बन्द होनी चाहिये।

लेकिन मैं समझता हूं कि आज हमारा देश अर्थ-प्रधान देश होता जा रहा है। लोग जहां रुपया देखते हैं वहीं गिर पड़ते हैं बावजूद इसके भी कि वे यह जानते हैं कि यह चीज कानून के खिलाफ है और नहीं की जानी चाहिये। जहां पर भी रुपया नज़र आता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, उस पर गिर जाते हैं। इस वास्ते मैं समझता हूं कि देश को सम्भालने की जरूरत है। हर एक जानता है कि

[श्री मूलचन्द दुबे]

यह चीज़ खराब है और बन्द होनी चाहिये और जितनी जल्दी बन्द हो सके, उतनी जल्दी होनी चाहिये । चूंकि देश अर्थ-प्रधान होता जा रहा है इस वास्ते लोग रुपये पर गिर जाते हैं और उस गिरावट को रोकना चाहिये । क्या किया जाये, यह सवाल हमारे सामने है । यह कहना कि इससे बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा अगर कानून बन गया तो भी, मैं नहीं मानता और मैं इससे सहमत नहीं हूं । बहुत से लोग, सैकड़ों और हजारों ही नहीं बल्कि लाखों ऐसे आज भी हैं जो कानून को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं चाहते हैं । अगर यह कानून बन गया तो बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि इसको नहीं तोड़ेंगे । मैं मानता हूं कि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कि कानून को तोड़ने की ही फिक्र में रहते हैं ।

त्यागी जी ने यह भी कहा है कि हम लोगों की सामाजिक व्यवस्था, सोशल कांशस की वजह से डावरी जैसी चीज़ मौजूद होने की वजह से आज भी कायम है । मैं समझता हूं कि यही जो सोशल कांशस है, इस कानून को लागू करने में मदद भी देगी ।

यहां पर शारदा ऐक्ट का जिक्र हुआ है । उसको पास हुये ३०-३५ बरस हो गये हैं । उसमें जो व्यवस्था थी, उसको अमल में लाने के लिये हम आज तक भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हुये हैं लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो कि उस ऐक्ट को तोड़ना नहीं चाहते हैं और उससे काफी लाभ हुआ है । इस तरह से इस कानून को भी बहुत से लोग तोड़ना नहीं चाहेंगे और उस हद तक तो कम से कम इससे लाभ होगा ही ।

लेकिन मैं यह भी महसूस करता हूं कि जिस तरह से कानून को बनाया जा रहा है, उसमें थोड़ी सी गलती है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मुझे याद है कि हमने शारदा ऐक्ट में यह चीज़ रखी हुई है कि १८ बरस से कम के लड़के लड़कियों की शादियां नहीं हो सकती हैं। जब दोनों मेजर (बालिग) होंगे तो यह ख्याल करना कि वे खुद ही अपनी शादी नहीं करेंगे बल्कि कोई और शख्स उनके लिये उनकी शादी करेगा, ठीक नहीं है । यह दूसरी बात है कि आज की मौजूदा हालत में मां बाप के ऊपर यह जिम्मेवारी है लेकिन चन्द बरस बाद, दस पन्द्रह बरस बाद यह हालत हो सकती है कि मां बाप की जिम्मेवारी खत्म हो जाये और लड़के लड़कियों पर ही यह जिम्मेदारी रह जाये । आपने इनहैरिटेंस ऐक्ट (उत्तराधिकार अधिनियम) बानया है जिसके ज़रिये से लड़कियों को भी लड़कों के बराबर का जायदाद में हक दिया गया है और इस हक़ के होते हुये वे खुद भी अपनी शादियां आप कर सकेंगे और जब लोग शादी करने जायगे तो वे यह भी देखेंगे कि लड़की को जायदाद मिलेगी या नहीं, मिलने वाली है या नहीं और अगर मिलने वाली है तो कितनी मिलने वाली है। ऐसी हालत में भी यह डावरी की प्रथा जो है, जो ऐक्सटार्शन की प्रथा है, यह खराब है ।

आपने दफा २ में कहा है कि जो रुपया या जायदाद इन कंसिड्रेशन आफ मैरेज (विवाह के विचार से) दी जायेगी, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कंसिड्रेशन आफ मैरेज को साबित करना बहुत कठिन हो जायेगा । इस वास्ते मैं प्रार्थना करता हूं कि मिनिस्टर साहब इस बात पर गौर करें कि क्या यह अच्छा नहीं होगा कि इसमें एक प्राविजो (परन्तुक) लगा दिया जाये कि जो कुछ जायदाद या रुपया शादी होने के छः महीने पहले या बाद या इस दौरान में दिया जायेगा उसके बारे में यही कयास किया जायेगा कि वह इन कंसिड्रेशन आफ मैरेज में ही दिया गया है । अगर ऐसा किया गया तब तो मैं समझता हूं कि लाभ होगा, और अगर नहीं किया गया तो अधिक फायदा नहीं होगा ।

†डा० मा० श्री० अणे : यद्यपि यह विधेयक छोटा है किन्तु सार्थक और महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि यह विधेयक परिवार पद्धति से सम्बन्ध रखता है और मेरे विचार से परिवार पद्धति ही इस सभ्यता की आधारशिला है। इस परिवार की नींव विवाह के द्वारा पड़ती है। विवाह पद्धति में अभी हाल से एक बुराई पैदा हो गई है जिसे दहेज कहते हैं। जहां तक मेरा विचार है यह बुराई हाल से ही पैदा हुई है। क्योंकि बचपन में मैंने कभी इस प्रकार की बातों का नाम भी नहीं सुना था। तब विवाह अन्य कई बातों के आधार पर, जिनमें दोनों पक्षों का सामाजिक स्तर, प्रतिष्ठा इत्यादि बातें मुख्य थीं, के आधार पर किया जाता था। लेकिन अभी हाल से ही समाज के अधिक भौतिकवादी होने के कारण और आर्थिक स्वार्थ साधन को अधिक महत्व देने के कारण यह बुराई पैदा हो गई है जब कि एक पक्ष दूसरे पक्ष से आर्थिक लाभ उठाने की बात भी सोचने लगा है। अतः यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस बुराई का निराकरण करने का प्रयत्न करें। और मैं श्री त्यागी जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने बहुमूल्य सुझाव दे कर सरकार के कार्य में सहयोग करें।

मैं श्री मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूं कि केवल कानून बनाने से कोई व्यापक सामाजिक सुधार नहीं हो सकता है वस्तुतः विधान बनाना समाज सुधार की एक स्थिति मात्र है जिससे समाज सुधारकों को अपने कार्य के लिये बल और प्रोत्साहन मिलता है। निस्संदेह कोई भी व्यक्ति इस बुराई के पक्ष में नहीं है। लोग केवल लाचारी के कारण ही दहेज देते हैं। तथापि इस विवशता को भी दो प्रकार से दूर किया जा सकता है। पहला यह है कि समाज के गण्यमान धार्मिक और समाज सुधारक लोग इस बुराई के विरुद्ध प्रचार करें और दूसरा कि जनता के प्रतिनिधि होने की हैसियत से, हम इस प्रकार की बुराइयों, जो समाज के हित के प्रतिकूल हैं, उनके विरुद्ध जनमत तैयार करें। निस्संदेह विधान पारित करने मात्र से कोई बुराई दूर नहीं होती है तथापि इससे एक ऐसा वातावरण अवश्य पैदा हो सकता है जिस से हमारे युवक युवतियों को इस प्रथा का उन्मूलन करने में सुविधा मिलेगी। वस्तुतः हमें लोगों पर इस बात के लिये दबाव डालना चाहिये कि वे दहेज लेना या देना बन्द करें। साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक देश के सभी सम्प्रदायों पर लागू होना चाहिये।

श्री रघुवीर सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करते हुये सिर्फ दो चार बातें इस सिलसिले में कहूंगा उन ऐतराजात और मुश्किलात के बारे में जो हमारे दोस्तों ने इस बिल की बहस मे हाउस के सामने रक्खे हैं।

मैं समझता हूं कि यह बिल बहुत ही जरूरी है। इसे तो इस हाउस में इससे पेश्तर आना चाहिये था। मेरा ख्याल है कि जब हिन्दू मैरेज ऐक्ट और सैक्सेशन ऐक्ट इस हाउस में बहस के लिये रक्खे गये थे, उस वक्त मैंने यह अर्ज किया था कि यह दोनों कानून उस वक्त तक अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते जब तक कि डावरी की प्रथा को रोकने की धारा शामिल नहीं की जायेगी। मैं समझता हूं कि यह बिल जो कि ला मिनिस्टर साहब ने पेश किया है चार पांच वर्ष पहले आना चाहिये था। लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। अब भी आया है तो मैं इसका स्वागत करता हूं।

हमारे कुछ दोस्तों ने इस कानून के बारे में जो चीजें पेश की हैं वह गौरतलब हैं। एक तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह कानून देखने में तो अच्छा मालूम होता है, लेकिन इसका फायदा नहीं होगा। इसका प्रैक्टिकल ऐफेक्ट क्या होगा, इसका इस्तेमाल कैसे किया जायेगा ? मैं उन दोस्तों से यह कहना चाहता हूं कि वह जरा शारदा ऐक्ट की तरफ तवज्जह करें और हरिजन रिमूवल आफ डिसएबिलिटीज ऐक्ट की तरफ तवज्जह करें। जिस तरीके से उन कानूनों को पास करने की जरूरत थी उसी तरीके से इस कानून को भी पास करना जरूरी है। आज कोई शख्स ऐसा नहीं है

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुवीर सहाय]

जो कह सकता हो कि चाइल्ड मैरेज ऐक्ट की मौजूदगी से जितनी भी खराबियां थीं वह दूर हो गईं, शादियां कम उम्र की रुक गई हैं और हरिजनों के साथ जो बुराइयां होती थीं वह रुक गई हैं। लेकिन इन दोनों कानूनों की मौजूदगी से बहुत कुछ सहारा हो गया पब्लिक ओपीनियन को इन चीजों की रोक बहुत कुछ आसान हो गई है। इसी तरीके पर जो दहेज की प्रथा हमारे मुल्क में बहुत दिनों से चल रही है, जिसके बहुत बुरे नतायज हमारे दोस्तों ने बतलाये हैं, उनको रोकने के लिये इस कानून को पेश करने की जरूरत है।

दूसरी बात यह कही जाती है कि साहब, जब आपने इसको नानकाग्निजेबल जुर्म रखा है तो इसको अमल में कौन लायेगा ? लड़का जायेगा या लड़की जायेगी या कि बाप जायेगा अदालत में ? मैं अर्ज करता हूं कि चाइल्ड मैरेज ऐक्ट को अमल में लाने के लिये किस तरीके से काम किया गया और रिमूवल आफ डिसएबिलिटीज आफ हरिजंस ऐक्ट को किस तरीके से काम में लाया जा रहा है ? आपकी संस्थायें हैं, आर्य समाज है और सोशल रिफार्म बाडीज हैं, वे काम कर रही हैं, उनको उठना चाहिये, मैदान में आना चाहिये। जो मसाला मिलता है उस पर तवज्जह करें और देखें कि सोसाइटी में जो नुक्स हैं वह कैसे दूर हो सकते हैं। वह सब मैदान में आये।

मेरे बुजुर्ग और लायक दोस्त ने डावरी की डेफिनिशन की तरफ तवज्जह दिलाई है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह काबिल तवज्जह है और मैं उम्मीद करता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में जब यह बिल जायेगा तो डावरी की डेफिनिशन को ऐसा बनाया जायेगा कि जो भार्गव साहब के ऐतराजात हैं वे उस में दूर हो जायें। मैं तो यह अर्ज करूंगा कि अगर इस डावरी की डेफिनिशन में से स्त्री धन को निकाल दिया जाये तो शायद जो ऐतराजात हैं जिनको कि मेरे दोस्त ने पेश किया है, वह सब दूर हो जायेंगे।

इसके साथ ही साथ मैं अर्ज करूंगा कि आज शादी की प्रथा बड़ी कम्प्लिकेटेड कर दी गई है, हमें कोशिश करनी चाहिये कि हम उसे एक सिम्पल अफेअर बनायें। मैं उन दोस्तों से भी इत्तफाक करता हूं जो यह चाहते हैं कि शादी का वक्त मुकर्रर कर दिया जाय। आज तो शादी बरबादी हो गई है। दरवाजे की सेरिमनी में एक दिन लगता है, भात की सेरमनी में दूसरा दिन लगता है, बढ़ार की सेरिमनी में तीसरा दिन लगता है और रुखसत में चौथा दिन लगता है। इससे बरबादी ही बरबादी है, लाभ कोई नहीं है। इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि कानून पेश करते वक्त इन तमाम चीजों को भी देखना चाहिये।

आखिरी बात यह अर्ज करता हूं कि शादी की प्रथा को सम्भालने के लिये हमको जो पाम्प ऐंड शो और डिस्प्ले होता है, जिस की तरफ अक्सर तवज्जह दिलाई जाती है, उसको भी रोकना चाहिये।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हम अल्पसंख्यक समुदायों के संबंध में कोई विधान तब तक नहीं बना सकते हैं, जब तक कि हम पहिले उनसे परामर्श न ले लें। विवाद से यह स्पष्ट हो गया है कि जहां तक इस कुप्रथा को दूर करने का संबंध है इस विषय में सभी एकमत हैं। इस संबंध में कठिनाइयां व्यक्त की गई हैं कि इस प्रकार के विधान को किस प्रकार लागू किया जायेगा। श्री त्यागी ने भी इस विधेयक के लाभों पर सन्देह प्रगट नहीं किया है तथापि

†मूल अंग्रेजी में

उन्होंने विधेयक के वर्तमान स्वरूप पर आपत्ति प्रगट की है क्योंकि उनका विचार है कि वर्तमान जटिल सामाजिक व्यवस्था के बीच विधेयक को उसके वर्तमान रूप में लागू करना बहुत कठिन होगा ।

मुझे ज्ञात है कि इस प्रकार के विधान को लागू करने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । ये कठिनाइयां वस्तुतः उन सभी सामाजिक विधानों में पैदा हो जाती हैं जिनका उद्देश्य समाज की वर्तमान बुराइयां दूर करना होता है । यह बुराइयां तभी दूर हो सकती हैं जब कि इनके विरुद्ध प्रबल जनमत हो । यह काम केवल विधि द्वारा नहीं हो सकता है इससे हम सभी सहमत हैं । तथापि उससे जनता की राय और और इस प्रकार की बुराइयों के प्रति जनता की घृणा का पता चलता है और जनता को यह ज्ञात हो जाता है कि जो इन बुराइयों को प्रश्रय देंगे, वे लोग कानून भंग करने के अपराधी होंगे । निस्सन्देह यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रगति का द्योतक है कि हमारी संसद् ने इन सामाजिक बुराइयों का निराकरण करने वाले विधान बनाये हैं और हम इन बुराइयों के संबंध में बातों में ही विरोध करने से सन्तुष्ट नहीं हैं ।

श्री पार्वती कृष्णन् ने कुछ गम्भीर प्रश्न उठाये हैं । मैं आशा करता हूं कि संयुक्त समिति उन पर विचार करेगी । तथापि उनका यह आरोप गलत है कि प्रशासक दल ने सामाजिक विधान बनाने में तेजी से कार्य नहीं किया है । पिछले दस वर्षों के इतिहास से यह स्पष्ट हो जाता है कि पिछले दस वर्षों में हमने इस संबंध में कोई ढील नहीं की है । हमने बहुविवाह रोकने, समान उत्तराधिकार देने, तलाक देने तथा स्त्रियों को मतदान का अधिकार देने और उनको विधान सभाओं का सदस्य चुनने के संबंध में महत्वपूर्ण विधान पारित किये हैं ।

इसे हस्तक्षेप अधिकार बनाने के संबंध में कई बाधायें थीं । मैं उन लोगों की भावना का स्वागत करता हूं जिन्होंने यह कहा है कि पुलिस को विधि का उल्लंघन करते समय ही अपराधी को पकड़ लेना चाहिये । इस देश में प्रतिदिन हजारों विवाह होते हैं । पुलिस के पास पहिले ही बहुत अधिक कार्य है । जो लोग यह सोचते हैं कि पुलिस को अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त यह काम भी करना चाहिये वह उनकी भ्रांति है अथवा यह भ्रांति बहुत शीघ्र दूर हो जायेगी । आवश्यकता इस बात की है कि जो अपराधी को दण्ड देना चाहें उनको पुलिस की सहायता प्रदान की जाय । व्यवस्था इस प्रकार की भी होनी चाहिये कि झूठी शिकायतों से भी सुरक्षा हो सके । ऐसी बातों में व्यक्तिगत और दलगत झगड़ों का भी बहुत हाथ होता है । केवल व्यक्तिगत विद्वेष के कारण मैं पुलिस से शिकायत कर सकता हूं जिससे कि विवाह के समय पुलिस आकर सारा काम चौपट कर दे । हम ऐसी संभावनाओं को बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते हैं । इसलिये यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि अमुक व्यक्ति ने विधि का उल्लंघन किया तो उसे इतना साहस होना चाहिये कि वह मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत कर सके । दुल्हा या दुल्हिन को वहां जाने की आवश्यकता नहीं है । कोई भी व्यक्ति यदि उसे अपने आरोप के प्रति विश्वास है और अपनी जानकारी के प्रति सच्चाई है, मजिस्ट्रेट के यहां शिकायत कर सकता है । कुछ सदस्यों ने २,००० रुपये की राशि को बहुत अधिक कहा है तो कुछ ने बहुत कम । संभव है किसी विशेष व्यक्ति के लिये यह राशि बहुत अधिक हो तथापि हमें एक ऐसी राशि निश्चित करनी थी जो ऐसे वर्गों में जहां यह प्रथा विद्यमान है सामान्य विवाह के लिये आवश्यक व्यय की दृष्टि से व्यावहारिक हो । वस्तुतः यह प्रथा कृषक वर्ग में नहीं है यह प्रथा निम्न मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्गों में पूरी तरह से प्रचलित है । इसलिये हम ने आज कल की कीमतों को दृष्टि में रख कर यह राशि निश्चित की है ।

†श्री कालिका सिंह (आजमगढ़) : यदि कोई पिता अपनी पुत्री को शादी के अवसर पर एक लाख रुपया देता है अथवा यदि वह अपनी सारी सम्पत्ति दान में दे देता है तो क्या उसका निषेध है ?

†श्री अ० कु० सेन : यदि वह उक्त राशि शादी के लिये देता है तो उसे अवश्य दोषी ठहराया जा सकता है। यदि वह यह राशि शादी के लिये नहीं देता तो वह अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है। पिता को अपनी पुत्री को धन देने से रोक नहीं लगायी जा सकती है। मुझे इस बात की पूरी स्वतंत्रता है कि अपनी सारी संपत्ति पुत्रों के नाम न दे कर उसे बेटी के नाम कर दूं। इसका कोई निषेध नहीं है। हम उत्तराधिकार की कोई पद्धति निर्धारित नहीं कर रहे हैं। हम केवल एक विशेष प्रकार की अदायगी रोक रहे हैं जोकि धन या किसी अन्य रूप में विवाह के लिये की जाती है। यह शब्द विधि मान्य है क्योंकि ब्रिटेन की विधि में भी विवाह इत्यादि के संबंध में ये शब्द आये हैं। वस्तुतः अवसर शब्द को कोई महत्व नहीं दिया गया है यद्यपि पुरानी हिन्दू संहिता के अन्दर परिभाषा में अवसर पर शब्द दिये गये हैं। हमने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इस बात से पंडित ठाकुर दास भार्गव की इस आपत्ति का निराकरण हो जाता है कि हमने स्त्री धन का निषेध किया है। स्त्री धन विवाह के लिये नहीं दिया जाता है। इस सबका तात्पर्य उस सब धन या सम्पत्ति दान से है जो दुल्हिन को उसके माता पिता या संबंधी प्रदान करते हैं। दान किसी विशेष प्रयोजन के लिये नहीं किया जाता है दान निष्प्रयोजन होता है।

यदि संयुक्त समिति चाहे तो वह इस बात का विशिष्ठ उल्लेख कर सकती है। सरकार का इस संबंध में निश्चित विचार नहीं है, वे इस संबंध में निश्चित चीजों का उल्लेख नहीं कर सकते हैं। सरकार इस आशय के सुझावों का स्वागत करेगी, तथापि शर्त यह है कि उनसे अच्छी प्रथाओं पर, जिनके संबंध में किसी को कोई शिकायत नहीं है आघात नहीं होना चाहिये। उदाहरणार्थ, यदि पिता अपनी पुत्री को कुछ धन, स्त्री धन के रूप में देता है तो उसकी कभी किसी ने दहेज के नाम पर निन्दा नहीं की है।

मैं आशा करता हूं कि सभी सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

†श्री वाजपेयी : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दहेज लेने या देने को निषिद्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें ३० सदस्य अर्थात्, श्री मोहम्मद इमाम, डा० अचम्बा, श्री नि० चं० लाश्कर, श्री ओंकारलाल, श्रीमती जयाबेन शाह, श्री बालकृष्ण वासनिक, श्री राम कृष्ण गुप्त, श्री म० ना० सिंह, श्रीमती सत्यभामा देवी, श्री सिंहासन सिंह, श्रीमती उमा नेहरू, श्री जं० ब० सिं० बिष्ट, श्री मु० ही० रहमान, श्रीमती रेनुका राय, श्री टे० सुब्रह्मण्यम्, डा० गंगाधर शिव, श्री वे० ईयाचरण, श्रीमती सहोदराबाई राय, पंडित बाबूलाल तिवारी, श्री स० र० अरुमुगम्, श्री राधाचरण शर्मा, श्री हजरनवीस, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री पुन्नूस, श्री सुबिमन घोष, श्री उ० ला० पाटिल, श्री ब्रजराज सिंह, श्री इगनेस बेक,

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री खुशवक्त राय और श्री अ० कु० सेन इस सभा के हों और १५ सदस्य राज्य सभा के हों,

कि समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होगी,

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्त तक अपना प्रतिवेदन देगी।

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों तथा रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें, और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा अपने द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम लोक-सभा को बतायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

भारत के जीवन बीमा निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** (महेन्द्रगढ़) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा भारत के जीवन बीमा निगम के १ सितम्बर, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक की अवधि के प्रतिवेदन पर, जो १३ मार्च, १९५८ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

इस रिपोर्ट के बारे में जो १३ मार्च सन् १९५८ को हाउस की टेबिल पर रखी गई सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट बहुत देर के बाद रखी गई। इस तरीके से देर करने से रिपोर्ट का असली मतलब पूरा नहीं होता। मिसाल के तौर पर इस रिपोर्ट के अन्दर १ सितम्बर सन् १९५६ से लेकर ३१ दिसम्बर, सन् १९५७ तक के तमाम वाक्यात दर्ज हैं, लेकिन यह इस हाउस की टेबिल पर १३ मार्च सन् १९५८ को रखी गई और आज तकरीबन काफी अर्से के बाद इस पर बहस हो रही है। इसलिये इस बारे में मेरी सबसे पहली तजवीज यह है कि आयन्दा यह कोशिश की जाय कि इस किस्म की सालाना रिपोर्टें जल्दी से जल्दी पेश की जाएं ताकि जो मौजूदा हालात हों उन तमाम हालात पर पूरे तरीके से विचार हो सके।

दूसरी बात इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि १ दिसम्बर, सन् १९५६ से एल० आई० सी० के काम को नेशनलाइज़ किया गया है। इसमें काफी तरक्की हुई है। मिसाल के तौर पर सन् १९५६ में कुल लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस १८७.६९ करोड़ का था जबकि १ सितम्बर सन् १९५६ से लेकर ३१ दिसम्बर १९५७ तक यह २७७ करोड़ ६७ लाख तक पहुंच गया। लेकिन जहां तक फारिन इंश्योरेंस का ताल्लुक है इसके अन्दर बहुत ज्यादा कमी हुई है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से इस मौके पर अपील करूंगा कि इसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाये और फारिन इंश्योरेंस काफी बढ़ाने की कोशिश की जाये। इस रिपोर्ट के अन्दर जो फिगर हैं उनको देखने से पता चलता है कि इसके अन्दर हमें बहुत ज्यादा नाकामयाबी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राम कृष्ण गुप्त]

हुई है। उदाहरण के तौर पर सन् १९५५ में इसकी तादाद २० करोड़ ३३ लाख थी जो कि सन् १९५६ में १२ करोड़ ५६ लाख हो गई और अब सिर्फ ५ करोड़ ४० लाख के करीब रह गई है। इसलिये इस तरफ ध्यान देने की खास तौर पर जरूरत है।

जहां तक प्रीमियम इनकम का सवाल है उस में भी काफी इजाफा हुआ है। सन १९५५ में प्रीमियम इनकम ५८ करोड़ ५५ लाख थी और अब वह अनकरीबन ८८ करोड़ १२ लाख है और टोटल इनकम में भी इसी तरीके से काफी इजाफा हुआ है। जहां तक लाइफ़ फंड का सवाल है उस में भी ८४ करोड़ ९० लाख की रकम जमा की गयी है। इस से पता चलता है कि जब से एल० आई० सी० के काम को नेशनलाइज किया गया है बहुत ज्यादा तरक्की हुई है।

इस मौके पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर दो चार बातों की तरफ खास तौर पर ध्यान दिया जाता तो और भी ज्यादा तरक्की होती। मिसाल के तौर पर अगर ज्यादा एफीशेंसी से काम लिया जाता, अगर पुराने डिफेक्टस को दूर करने की कोशिश की जाती और जो बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स बनाया गया है या जो इनवेस्टिंग और दूसरी कमेटियां बनायी गयी हैं उनके अन्दर उन लोगों को कम से कम लिया जाता जो पहले इस विजनेस को कंट्रोल करते थे, तो इस में और भी ज्यादा तरक्की होती। देखने में यह आता है कि जब से इस बिजनेस को नेशनलाइज़ किया गया है और जो कमेटियां बनायी गयी हैं और जो बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स मुकर्रर किया गया है उन के अन्दर काफी तादाद उन आदमियों की भी है जो पहले इस काम को चलाते थे। इसलिए इस काम की तरक्की करने में काफी रुकावट हुई है। इस लिए मेरा यह अपील है कि इसके अन्दर उन आदमियों का कंट्रोल कम होना चाहिए।

दूसरी तजबीज मेरी इनवेस्टमेंट के मुतालिक है। इसके बारे में हमारी पालिसी यह होनी चाहिये कि इस से कौम को ज्यादा से ज्यादा मफाद हो। जहां तक इनवेस्टमेंट का सवाल है १ सितम्बर सन १९५६ को कुल इनवेस्टमेंट ३४८ करोड़ ५८ लाख था और ३१ दिसम्बर १९५७ को इसकी तादाद ३८१ करोड़ ९० लाख तक पहुंच गई। इस में २६० करोड़ ६१ लाख की रकम ऐसी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एपरूव्ड सिक्योरिटीज पर दी गई है। बाकी रकम प्राइवेट कम्पनियों के हिस्सों और जायदाद और मकानात वगैरह खरीदने या गिरवी रखने पर दी गई है। यह बड़ी गलत पालिसी है। इस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। इस से काफ़ी नुक्सान हुआ है। मिसाल के तौर पर मुदड़ा डील आप के सामने मौजूद है कि उन शेयर्ज को खरीद कर कितना नुक्सान किया गया। इस के अलावा जायदाद पर जो कर्जा पहले से दिया है, वह भी डाउट फुल है और यह कर्जा ज्यादा तर उन लोगों की तरफ़ बकाया है, जो पहले इस काम को कंट्रोल करते थे। मेरी अपील है कि इस कर्जे को वसूल करने के लिये हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। जो उन को कम्पेन्सेशन दिया गया है, इस को उस रकम में भी एडजस्ट कर सकते हैं थे। इस रिपोर्ट के पेज ९ पर इस बात का जिक्र किया गया है।

इसलिए मैं यह कहूंगा कि इस कर्ज़ को वसूल करने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिये और आईन्दा जहां तक हो सके, इन्वेस्टमेंट की ज्यादा तादाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो काम हैं, या जो सिक्योरिटीज एपरूव्ड हैं, उन के लिए दी जाये।

इस सिलसिले में मैं यह भी तजवीज़ रखना चाहता हूं कि जहां तक पालिसीज़ पर प्राफ़िट डिक्लेयर करने का सवाल है, उस में भी बहुत ज्यादा देरी हुई है। इस से पब्लिक के कांफ़िडेंस पर असर पड़ता है। आप खुद देख सकते हैं कि तकरीबन चार पांच साल के बाद प्राफिट डिक्लेयर किया गया है और वह भी बहुत कम है। लाइफ़ इन्शोरेंस कार्पोरेशन एक्ट, १९५६ के सैक्शन २८ के तहत जो रकम सरप्लस है, उसका तकरीबन ९५ फ़ीसदी, या इस से कुछ ज्यादा रकम पालिसी पर बतौर प्राफिट डिक्लेयर करने के लिये रिज़र्व किया जाता है। यह ठीक है कि जो रकम प्राफ़िट के लिए रिज़र्व की गई है, वह ९५ फ़ी सदी के करीब है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम खर्च की रेशो को (एक्सपेंस रेशियो) को कम करने की कोशिश करते, तो यह रकम और भी ज्यादा हो सकती थी और पालिसी होल्डर्ज़ को और भी ज्यादा रुपया बतौर प्राफ़िट के मिल सकता था। यह बड़े दुख की बात है कि रीन्यूड एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है। इस रिपोर्ट के पेज ४ पर भी इस बात का ज़िक्र किया गया है, जो कि अब १५·८९ के करीब है, जब कि इस बिज़नेस को नैशनलाइज़ करने से वह १२ फ़ीसदी के करीब थी। आशा यह थी कि इस बिज़नेस को नैशनलाइज़ करने से, इस काम के बढ़ने से यह रेशो कम हो जायगी, लेकिन यह बहुत ज्यादा है और इस का असर सरप्लस रकम पर पड़ा है, जो कि पालिसी होल्डर्ज़ को प्राफ़िट के लिए दी जानी थी। इस लिए मेरी अपील है कि हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि इस काम को ज्यादा अच्छे तरीके से, एफ़िशेन्सी से चलायें और एक्सपेंस रेशो को कम करने की कोशिश करें। ताकि हम पालिसी-होल्डर्ज़ की ज्यादा से ज्यादा को-आपरेशन ले सकें, जिस पर कि इस कारोबार की तरक्की का दारोमदार है।

जहां तक सैटलमेंट आफ़ क्लेम्ज़ का सवाल है, मैं यह कहे बगैर नहीं रहूंगा—बल्कि जब हम लोगों से मिलते जुलते हैं तो यह बात आम सुनने में आती है कि जब से इस को नैशनलाइज़ किया गया है, क्लेम्ज़ का सेटलमेंट करने में बहुत ज्यादा देरी लगती है। यही नहीं, बल्कि क्लेम्ज़ की तादाद आए साल दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। इस तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिये, ताकि हम क्लेम्ज़ को जल्दी सैटल कर रसकें। इस बारे में मेरी एक छोटी सी तजवीज़ है कि अगर हम दूर ज़िले में एक सेटलमेंट आफिसर मुकर्रर कर दें, तो यह काम आसान हो जायगा। जिस का सिर्फ़ यही काम होगा कि क्लेम्ज़ वगैरह को सैटल करे, क्योंकि यह बिज़िनेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इस को बढ़ाने की बहुत ज्यादा ज़रूरत है। इस लिये यह ज़रूरी है कि इस किस्म के सैटलमेंट आफ़िसर्ज़ मुकर्रर किये जायें। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इन दो तीन बातों की तरफ़ ध्यान दिया जाय—प्राफ़िट की तादाद बढ़ाने की कोशिश की जाये और क्लेम्ज़ को जल्द सैटल करने की कोशिश की जाये, तो हमारे इस काम में जो तरक्की हुई है, आईन्दा तरक्की इस से ज्यादा होगी।

यह भी देखने में आया है कि जो प्रोपोज़ल पेश की जाती है, उन को मन्ज़ूर करने में बड़ी देर लगती है। यही नहीं, जो इन्टेरिम रिसीट दी जाती है, वह भी काफ़ी अरसे के बाद दी जाती है और पालिसीज़ वगैरह तो बहुत दिनों के बाद मिलती हैं। यह बात मैं अपने जाती तजुर्बे की बिना पर भी कह सकता हूं कि जो पालिसी मैंने इन्शोरेंस के काम को नैशनलाइज़ करने से पहले कराई थी उसकी इन्टेरिम रिसीट, लैटर आफ़ प्रोपोज़ल और पालिसीज़ तकरीबन एक महीने के बाद मिल जाती थीं, लेकिन आज हम देखते हैं कि इन तीनों के चीज़ों के मिलने में छः महीने तो मामूली बात है, बल्कि इस से भी ज्यादा अरसा लग जाता है। मैं ये तमाम बातें इसलिये कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम ने जो यह जो यह कदम उठाया है, हमारी यह स्कीम कामयाब हो, क्योंकि इस की कामयाबी पर कई दूसरी बातों की कामयाबी का दारोमदार है। आगे चल कर हम ने देश की तरक्की के लिये दूसरे रीसोर्सिज़ को भी नैशनलाइज़ करना

[श्री राम कृष्ण गुप्त]

और वे स्कीम्ज़ तभी कामयाब हो सकती हैं, जब कि हम को चारों तरफ से आम पब्लिक का को-आपरेशन मिले। वर्ना हम को बहुत दिक्कत आयगी। इसलिये ये बातें अगर्चे छोटी मालूम होती हैं, लेकिन वे बहुत अहम हैं, क्योंकि वे डायरेक्टली जनता से ताल्लुक रखती हैं। इसलिये मेरी अपील है कि हम को पूरी कोशिश करनी चाहिये कि क्लेम्ज़ वगैरह जल्द सैटल हों और प्रोपोज़ल को एक्सेप्ट करने में ज्यादा से ज्यादा दो हफ्ते या एक महीना लगे और पालिसी दो तीन महीने ज़रूर इश्यू होनी चाहिये, ताकि लोगों पर इस का अच्छा असर पड़े और इस काम को तकवियत मिले और हमारा हौसला हो कि दूसरे इनकम के रीसोर्सिज़—बैंक्स वगैरह को नैशनलाइज़ करने के लिये हमारे कदम उठ सकें।

आखिर में मैं एजेन्ट्स के बारे में भी कहना चाहता हूं। इस बारे में मेरी अपनी राय यह है कि इस काम की एजेन्ट्स बैकबान हैं। इस काम की तरक्की का सब से ज्यादा दारोमदार एजेन्ट्स पर है, लेकिन आज वे फ्रस्ट्रेटिड हैं। वे महसूस करते हैं कि हमारी वह इज्ज़त नहीं है, जो कि पहले थी। वे अपने आप को इन्फ़ीरियारिटी कम्पलेक्स में फंसा हुआ पाते हैं। वे समझते हैं कि कमीशन बैसिस पर काम करने के कारण हम हर एक आफ़िसर के मातहत हैं। इसलिये उनकी हालत को सुधारने की सब से ज्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उन का पब्लिक से डायरेक्ट ताल्लुक है। इसलिये मेरी तजवीज़ है कि उन की हालत को सुधारने के लिये पूरी कोशिश की जाये। उस के लिये मैं दो तीन तजवीज़ें हाउस के सामने पेश करना चाहता हूं।

मेरी सब से पहली तजवीज़ यह है कि एजेंट्स होल-टाइमर्स होने चाहियें। जो पहले इस काम को किसी एक खास कम्पनी के लिये या चन्द आदमियों के लाभ के लिये चलाने का मंशा हुआ करताथा वह आज खत्म हो गया है। तमाम देश के लिये, तमाम हिन्दुस्तान की तरक्की के लिये इस काम को हमें चलाना है। इस वास्ते इस नये सेट-अप में यह जरूरी मालूम पड़ता है कि एजेंट्स होल-टाइमर्स हों और उनको इस काम को अच्छी तरह से करने के लिये, स्पेशलाइज़ किया जाना चाहिये।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि एजेंट्स एप्वाइंट करने का जो तरीका है वह यूनिफार्म होना चाहिये। आज हम देखते हैं कि एक शहर की आवादी १०,००० अगर है तो उस में २० एजेंट्स काम करते हैं और किसी दूसरे शहर की आवादी अगर १५–२० हज़ार है, तो वहां पर मुश्किल से एक या दो एजेंट्स ही काम करते हैं। इस तरफ भी ध्यान दिये जाने की जरुरत है। इसके लिये कुछ उसूल तय करने होंगे और एक यूनिफार्म सिस्टम बनाना होगा। हम कह सकते हैं कि पांच या दस हजार की आबादी पर, जैसा भी आप मुनासिव समझें, उतने एजेंट्स मुकर्रर होंगे लेकिन इस में यूनिफार्मिटी जरूर होनी चाहिये।

इस मौके पर मैं वरायेनाम या बोगस एजेंटस के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। बहुत सी जगहों पर यह देखने में आया है कि कुछ ऐजेंट्स ऐसे होते हैं जो कि फील्ड आफिसर्स के या इंस्पेक्टर्स के रेलेटिब्स होते हैं या उनके अपने ही लड़के या उनकी अपनी ही बीवीयां होती हैं। ये बरायेनाम ही होते हैं और इनका तमाम काम इंस्पेक्टर्स ही करते हैं या फील्ड आफिसर्स अपने रसूख से करते हैं। हमें इस तरफ ध्यान देना होगा कि इस किस्म के जो ऐजेंट्स हैं उनको खत्म किया जाये। इतना ही नहीं हमें ऐसे लोगों को मुकर्रर करना चाहिये जिन का उस इलाके के अन्दर इनफ्लुएंस हो और जो इस काम को ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से कर सकें। इससे हम को

यह फायदा होगा कि जो आमदनी होगी वह ज्यादा हाथों में जायगी, एक ही इंस्पेक्टर या फील्ड आफिसर के हाथ में ही कंसेंट्रेट नहीं होगी ।

इसके साथ ही साथ एजेंट्स की ट्रेनिंग का भी खास तौर पर इंतिज़ाम किया जाना चाहिये । मैं एजेंट्स के बारे में इस वास्ते ज्यादा ज़ोर देना चाहता हूं कि अगर हम दूसरे मुल्कों के इनश्योरेंस सिस्टम्स को स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि जिस देश के अन्दर भी एजेंट्स ज्यादा ट्रेन करने की कोशिश की गई है, वहां सबसे ज्यादा तरक्की काम में हुई है । इस बारे में एक अमरीकी राइटर हर्बर्ट कैसन ने एक किताब लिखी है जिसके अन्दर इन बातों का ज़िक्र किया है और उसमें यह कहा गया है :—अमरीकी कम्पनियों ने आधुनिक उपायों से ९ वर्षों में उतना बीमा का काम किया, जितना उन्होंने पुराने ढंगों से ८० वर्षों में किया था । इतनी सफलता इस कारण मिली कि एजेण्टों को उचित प्रशिक्षण दिया गया था ।

अन्त में मैं माननीय मन्त्री महोदय से अपील करूंगा कि वह एजेंण्ट्स की ट्रेनिंग की तरफ पूरा ध्यान दें ताकि वे ज्यादा से ज्यादा काम लाने में कामयाब हो सकें और इस काम में हम को और भी अधिक कामयाबी हासिल हो ।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपील करता हूं कि जो डिफैक्ट्स मैंने प्वाइण्ट आउट किए हैं, उनको दूर करने की पूरी कोशिश की जाए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री तंगामणि (मदुरै)** : प्रसन्नता की बात है कि हम इस प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं । यह प्रतिवेदन १६ महीने की अवधि का है । जून १९५९ के मूल्यांकन प्रतिवेदन में बताया गया था कि निगम ने ३३.०४ करोड़ का लाभ कमाया है जिसमें से २७.५६ करोड़ की राशि बीमाधारियों को बोनस देने के लिये निर्धारित कर दी गयी है । अतः स्पष्ट है कि निगम लगातार उन्नति कर रहा है ।

मैं निगम की विनियोजन नीति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । प्रतिवेदन के पैरा ८ में कहा गया है कि निगम को सट्टेबाजी के काम में नहीं पड़ना चाहिए । उसे दीर्घकालीन योजनाओं में पैसा लगाना चाहिये । पर इसका अर्थ यह नहीं है कि निगम आवश्यकतानुसार कुछ वस्तुओं के क्रय-विक्रय का कार्य नहीं करेगा । हमें इस अन्तिम बात पर आपत्ति है क्योंकि इस प्रकार निगम को सट्टेबाजी करने का मौका मिल जायेगा । निगम का पैसा सरकारी क्षेत्र में विनियोजित किया जाना चाहिए । जो लगभग ७५ करोड़ की राशि गैर-सरकारी क्षेत्र में विनियोजित है, उसे भी सरकारी क्षेत्र में लगाया जाना चाहिये ।

प्रतिवेदन के पैरा ७५ और ७६ में कहा गया है कि 'लाल समिति' के प्रतिवेदन के अनुसार पदाधिकारियों का श्रेणीकरण कर दिया गया है । मुझे पता लगा है कि यह श्रेणीकरण भी ठीक प्रकार से नहीं किया गया है । कुछ लोगों को, जो पदों में पहले काफी छोटे थे, बड़े-बड़े पद दे दिये गये हैं । म किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता न मेरी किसी से दुश्मनी है, पर मैं ४–५ मामले आपके सामने रखना चाहता हूं। श्री टी० एस० स्वामीनाथन्, श्री रंगा राजन्, श्री सी० एस० कल्याण सुन्दरम् श्री टी० एस० कृष्णमूर्ति आदि कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं, जो पहले पदों में काफी नीचे थे, पर उन्होंने दूने वेतन वाले पद दे दिये । मेरा निवेदन है कि इन बातों की छानबीन की जानी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

मुख्य लोक सम्पर्क पदाधिकारी, श्री पी० यू० ओझा के सम्बन्ध में मुझे कहना है । दिल्ली की एक पत्रिका 'इन्श्योरेन्स एण्ड बैंकिंग' के दिसम्बर, १९५८ के अंक में एक लेख था कि इण्डिया १९५८ प्रदर्शनी में जीवन बीमा निगम के जो ५००,००० इश्तहार बांटे गये थे, वे दिल्ली में न छपा कर बम्बई में छपाये गये थे, जिसके परिणामस्वरूप ६००० रु० अधिक व्यय हुये । मेरा निवेदन है कि सरकारी धन का इस प्रकार अपव्यय क्यों ? इस की छानबीन करके उचित कार्यवाही की जानी चाहिए ।

प्रसन्नता की बात है कि बीमा कर्मचारियों को १९५७ और १९५८ का बोनस मिल गया है, पर मैं जानना चाहता हूं कि इसमें इतना विलम्ब क्यों हुआ ।

†**श्री केशव** (बंगलौर नगर) : मैं इस प्रतिवेदन का स्वागत करता हूं । मैं श्री तंगामणि की इस बात से सहमत नहीं हूं कि गैर-सरकारी क्षेत्र में निगम कोई विनियोजन न करे । हमारी अर्थ व्यवस्था एक मिलीजुली अर्थव्यवस्था है । अतः यदि २० प्रतिशत विनियोजन गैर-सरकारी क्षेत्र में कर दिया गया, तो क्या आफत आ गई ।

कर्मचारियों के श्रेणीकरण के सम्बन्ध में मुझे भी कुछ शिकायतें हैं । मैंने निगम के चेयरमैन को कई बार कुछ पदाधिकारियों के बारे में लिखा भी, पर खेद है कि कुछ लाभ न हो सका । हमें चाहिए कि हम असन्तुष्ट पदाधिकारियों की शिकायतों को शीघ्र दूर करें ।

जीवन बीमा निगम के सामने एजेंटों की समस्या भी है । अनेक पूरे समय वाले एजेण्टों को बड़ी हानि हो रही है क्योंकि अधिकाधिक नये लोगों को एजेण्ट बनाया जा रहा है । उन्हें सरकारी कर्मचारियों में नहीं माना जा रहा है । तथा उन्हें पहले मिलने वाली कुछ सुविधाओं से भी वंचित कर दिया गया है । पहले वर्ष की किश्त में उनका कमीशन ४० प्रतिशत से कम करके २५ प्रतिशत कर दिया गया है । ध्यान रहे एजेण्ट ही हमारे बीमा की जान हैं । अन्तः उन्हें सन्तुष्ट किया जाना बहुत आवश्यक है ।

मैं श्री रामकृष्ण गुप्त की इस बात से सहमत हूं कि एजेण्टों के प्रशिक्षण की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है । आवश्यक है कि उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था तुरन्त आरम्भ की जाये ।

मेरा एक सुझाव है कि निदेशकों के बोर्ड में एंजेन्टों का भी एक प्रतिनिधि होना चाहिये ।

प्रतिवेदन में बीमा कार्य की प्रगति का जो विवरण है, उससे पता लगता है कि हमारा काम काफी बड़ा है । श्रमिकों के क्षेत्र में जनता बीमा तथा समूह बीमा काफी सफल हुये हैं और इनको अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये भरसक प्रयत्न किये जाने चाहियें ।

मैं प्रतिवेदन का स्वागत करता हूं ।

श्री प्र० ना० सिंह (चन्दौली) : उपाध्यक्ष महोदय, जीवन बीमा निगम के सिलसिले में रिपोर्ट जो सदन के सामने प्रस्तूत है और जैसे कि दूसरे माननीय सदस्यों ने भी शिकायत की है मेरी भी यह शिकायत है कि इसको जितनी जल्दी आना चाहिये था उतनी जल्दी यह नहीं लाया गया । इस सिलसिले में यह बात स्पष्ट है कि रेलवेज़ के बाद यदि कोई दूसरा राष्ट्रीयकरण का बड़ा कदम

---

†मूल अंग्रेजी में

उठाया गया तो वह जीवन बीमा निगम के सिलसिले में है और इस सिलसिले में यह बात याद रखने की है कि जिन उद्योगों का या जिन व्यापारों का हम राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं यदि उनका हम स्पष्ट निर्वाह नहीं करते तो ऐसी दशा में आगे के लिये राष्ट्रीयकरण की तरफ कदम उठाने के लिये हमें बहुत ही दिक्कत होगी और इस पहलू से हम को इस रपट को देखना चाहिये जो रपट कि इस सदन के सामने प्रस्तुत है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस जीवन बीमा निगम के सिलसिले में इधर देश में बहुत ही चर्चा हुई है। खास कर मूंदड़ा डील्स के सिलसिले में छागला कमीशन के सामने और जिस रिपोर्ट पर कि इस सदन में जब वह गवर्नमेंट की तरफ से पेश होगी तो उस पर हमें विचार करने का मौका मिलेगा। जब भी सदन को उस रिपोर्ट पर बहस करने का अवसर प्राप्त होगा तो यह मालूम हो जायेगा कि हमारे सारे जन जीवन में भ्रष्टाचार व्याप्त है और छागला रिपोर्ट में उस भ्रष्टाचार की ओर बहुत बड़ा संकेत किया गया है और जहां जहां पर भ्रष्टाचारी लोग हैं वे परेशान हैं। सरकार के सामने इस बात की जिम्मेदारी है कि जिन व्यापारों का सरकार राष्ट्रीयकरण कर रही है, सरकार इस बात को देखे कि उन उद्योगों के अन्दर या उस व्यापार के अन्दर किसी तरह का भ्रष्टाचार न हो।

इस सम्बन्ध में एक नीति का प्रश्न उत्पन्न होता है और वह नीति का प्रश्न यह है कि हमें जो भी जीवन बीमा निगम में पालिसी होल्डर्स से रुपया प्राप्त हो उस रुपये का इनवैस्टमेंट हम किस तरह से करें, किन चीजों में करें, इसके सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति निर्धारित होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में इतना कहना बहुत ही आवश्यक है कि जहां तक देश में आज आर्थिक विकास के सिलसिले में रुपये की आवश्यकता है और उसके लिये जीवन बीमा निगम का इस्तेमाल किया जाना चाहिये। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना यह बहुत ही आवश्यक है इस बात को साफ तौर से हमारे सामने रखना चाहिये कि मिक्सेड एकोनामी के नाम पर प्राइवेट सैक्टर में जीवन बीमा निगम के रुपये को लगाया जाना वह किसी तरह उचित नहीं होगा।

जो रेशियो जो रिश्ता इस रपट के द्वारा हमें मिला उसमें ऐसा लगा कि ७७ फी सदी के करीब तो पब्लिक सैक्टर में रुपया लगा हुआ है और २३ परसेंट के करीब प्राइवेट सैक्टर में बीमा निगम का रुपया लगा हुआ है। सरकारी बेंचेज से एक माननीय सदस्य ने मिक्सेड एकोनामी की चर्चा की। उनको मिक्सेड एकोनामी से बड़ी मुहब्बत है और समाजवादी उद्देश्य की कल्पना रखने वाले लोग भी मिक्सेड एकोनामी की बहुत चर्चा करते हैं। मिक्सेड एकोनामी का नाम तो यह लोग जरूर ले लेते हैं लेकिन आखिर उससे उद्देश्य क्या है इसको भी तो समझें। उद्देश्य तो यह है कि हम पब्लिक सैक्टर को अधिक से अधिक बढ़ायें। उसके लिये आवश्यकता तो इस बात की है कि समाजवादी उद्देश्य की कल्पनाओं को पूरा करने के लिये और उसमें निहित आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये तेजी के साथ आगे बढ़ें। जब हमारे सामने समाजवादी उद्देश्य की आकांक्षायें हों तो ऐसी दशा में पब्लिक सैक्टर में ही अधिक से अधिक रुपया हमारा लगना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जीवन बीमा निगम के सिलसिले में मैं उसकी रिपोर्ट के पेज ५७ पर दिये हुये एसेट्स के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत तौर से प्राइवेट सैक्टर में जो रुपया लगा है उसके सम्बन्ध में काफी शुबहा इस बात का है कि वह रुपया हमारा सिक्योर्ड है या नहीं। पेज ५७ पर एसेट्स के रूप में जो रुपया दिया गया है कर्जे के रूप में--भारत के भीतर की सम्पत्ति के बन्धक पर (सन्दिग्ध ऋणों सहित १,६९,४०,३४८ रु०)।

इसके बाद भारत के बाहर की सम्पत्ति के बन्धक (सन्दिग्ध ऋणों सहित १०,८३,२७५ रु०)। व्यक्तिगत प्रतिभूति पर (सन्दिग्ध ऋणों सहित ४,३८,७६४ रु०) के लोन्स हैं। इस तरीके से हम यह

[श्री प्र० न० सिंह]

देखते हैं कि जहां पर कि प्राइवट सैक्टर के अन्दर या पर्सनल डील्स में हम ऐसे रुपयों को ले जायेंगे जिनका कि राष्ट्रीयकरण हो गया है तो उसमें खतरा आने की गुंजाइश है । इसलिए नीति के सिलसिले में हमें स्पष्ट तौर से इस बात को कह देना है कि जहां तक जीवन बीमा निगम के फंड के इनवेस्टमेंट का सवाल है उसको पब्लिक सेक्टर में ही अधिक से अधिक इस्तैमाल किया जाना चाहिए ।

इसी के साथ साथ आपके सामने और सदन के सामने मैं इस बात को भी रखना चाहता हूं कि जो काम जीवन बीमा नगम के सिलसिले में चल रहा है और जो रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत है उसमें यह बात कही गयी है कि जो प्रोपोजल मिले थे वह कूल ११,३४,६३३ थे लेकिन उनमें से केवल ९,४१,६५४ मैटीरियलाइज हुए और करीब दो लाख प्रोपोजल्स, जिनकी डाक्टरी हो चुकी थी और जिन पर खर्चा हो गया था, उनका पेमेंट नहीं हुआ । इस सम्बध में कारपोरेशन के सामने एक नीति होनी चाहिए कि लोगों पर दबाव डाल कर पालिसी दिलाने की कोशिश को एनकरेज करना चाहिए या डिसकरेज करना चाहिये । यह जो जोर डाल कर पालिसी दिलाने का तरीका है इसके बारे में कारपोरेशन की तरफ से इंस्ट्रक्शन्श होने चाहिए कि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो फील्ड वर्कर हैं उनके लिये कारपोरेशन को कुछ नीति निर्देशन का कार्य करना चाहिये ।

इसके साथ साथ मैं देखता हूं कि आडिर्ट रिपोटके ४९ वें पन्ने पर सेक्शन २ सब सेक्शन (क) में यह कहा गया है कि कन्ट्रोल्ड विजनेस सम्बधी १,१९,०८,५४५ रु० के लेखे मूल्य का हिसाब अभी मिलाया नहीं जा सका है अतः उसका सत्यापन नहीं किया जा सका है ।

यह सिलसिला अपनी जगह पर ठीक नहीं है । इस चीज को कारपोरेशन को ध्यान से देखना चाहिए कि जो बिजनेस जिस समय हो वह एकाउण्ट्स में ठीक तरीके से आ जाना चाहिए । अगर इसी तरह से इस मसले को चलाया गया तो नतीजा यह होगा .....

†**वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई** : यह सत्यापित हो चुका है । उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है ।

श्री प्र० ना० सिंह : यदि रिपोटमें यह न होता तो शायद मैंने यह बात न कही होती । ठीक है । माननीय मंत्री जी ने यह बात बतला दी । इसके लिये मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस सम्बन्ध में इनफारमेशन दे दी गयी । इस सिलसिले में मुझे यह कहना है कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि इस तरह की डिले एकाउण्ट मेनटेन करने के सिलसिले में नहीं करनी चाहिये ।

इसी के साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि रिपोर्ट में दिखाया गया है कि जनवरी १९५३ में २७,६७२ कर्मचारी थे जो कि दिसम्बर १९५७ तक बढ़ कर ३०,७६८ हो गए । मेरा इस सम्बन्ध में यह कहना है कि जहां तक कर्मचारियों के बढ़ाने का प्रश्न है इस पर विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि आवश्यकता के अनुसार ही कर्मचारियों की बढ़ोतरी होनी चाहिये । इस बढ़ोतरी से भी अधिक महत्व का प्रश्न कर्मचारियों के लिये यह है कि उनकी सरविस कंडीशन, उनके बोनस, फ्री एश्योरेंस और डियरनैस अलाउन्स आदि का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए । हम यह महसूस करते हैं कि जो जीवन बीमा निगम में कर्मचारी लगे हुए हैं या जो फील्ड वर्कर हैं उनके सम्बध में

---

†मूल अंग्रेजी में

जितना ठीक तरीके से काम किया जाना चाहिए था उतना ठीक तरीके से काम नहीं किया गया है। उनकी मांगें समय समय पर यहां आती रही हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जीवन बीमा निगम में लगे हुए कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं किया गया। जब तक कि राष्ट्रीयकरण किए हुए उद्योगों और व्यापारों के अन्दर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं होगा, तब तक राष्ट्रीयकरण का काम ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। राष्ट्रीयकरण वाले उद्योगों और व्यापारों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये कि उनमें लगे हुए कर्मचारियों के साथ न्याय हो। क्योंकि सरकार कानून बनाती है कि प्राइवेट सैक्टर में ठीक तरह का ट्रीटमेंट मजदूरों और दूसरे कर्मचारियों को मिले, इसलिये गवर्नमेंट द्वारा चलाये जाने वाले उद्योगों और व्यापारों में लगे हुए कर्मचारियों के साथ भी सारे मामलों में ठीक से न्याय होना चाहिए।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : मूंदड़ा वाले मामले में हुई चर्चा को देखने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि इस प्रकार के स्वायत्तशासी निगम में किसी एक विशेष व्यक्ति पर जिम्मेदारी निर्धारित करना आसान काम नहीं है। अतः मेरा सुझाव है कि निगम के विनियोजन के प्रश्न को किसी समिति के बजाय रिजर्व को सौंप दिया जाये तो बहुत अच्छा हो।

निगम के पदाधिकारियों, कर्मचारियों आदि के वेतन का प्रश्न मेरे सामने भी है। बीमा कम्पनियों का विलय करते समय कुछ पदाधिकारियों को कुछ बड़े बड़े पद दिये गये, जो कि ठीक नहीं है। एक मामले में मैं ने स्वयं माननीय उप मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया था पर उन के हस्तक्षेप के बाद भी कुछ भी नहीं हो पाया। इस से स्पष्ट है कि लाल समिति के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई है। अतः मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इस सबंध में छानबीन करें।

चिकित्सा सेवा के सम्बन्ध में भी हमें कुछ कहना है। पहले ऐसा होता था कि बीमा कम्पनियों प्रसिद्ध डाक्टरों से अपना काम करवाती थीं। पर अब वह प्रथा नहीं है। अब तो एजेन्ट ही डाक्टर ढूंढ़ लेते हैं। ऐसी स्थिति में भय यह है कि कहीं एजेन्ट और डाक्टर की साठ गांठ से निगम को हानि न उठानी पड़े।

निगम की विनियोजन नीति के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मैं नहीं चाहता कि निगम सरकारी क्षेत्र के बाहर बिल्कुल विनियोजन न करे। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि निगम सट्टे आदि के बजाय यदि स्थानीय निकायों को ४ या ४$^{१}/_{२}$ प्रतिशत की दर से ऋण दें, तो भी काफी लाभ हो सकता है। अतः विनियोजन नीति का निश्चय करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये।

यह बात सच है कि एजेण्ट ही हमारे बीमा निगम की जान है। वे जितना अधिक सन्तुष्ट होंगे उतना ही अच्छा काम करेंगे। मैं देखता हूं कि वे अब उतना अच्छा काम नहीं करते, जितना अच्छा काम गैर-सरकारी कम्पनियों में करते थे। अतः यदि आप को बचत योजना सफल बनानी है, तो एजेण्टों को भी सन्तुष्ट रखना होगा। उन के प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

मेरा एक सुझाव है कि सरकार को कुछ स्थानों पर, परीक्षात्मक रूप में सफल बीमा नीति को अपनाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खाडिलकर]

भवनों के सम्बन्ध में निगम की क्या नीति है, इस सम्बन्ध में मुझे बताया गया है कि बम्बई व पूना आदि में निगम की अनेक इमारतें हैं। पर उन के स्थान पर शहर के बाहर मंहगी जमीन खरीद कर नई इमारतें बनवाने की बात चल रही है। मेरा निवेदन है कि फिलहाल नई इमारतें बनवाने की योजना को रोक दिया जाये और पुरानी इमारतों से ही काम चलाया जाये।

†**श्री सुब्रया अम्बलम्** (रामनाथपुरम्) : श्रीमान, हर्ष की बात है कि राष्ट्रीयकरण के बाद हमारे देश में बीमा का काम लगभग दो गुना हो गया है। इस समय लगभग १,४७४ करोड़ रुपये की लागत की ५६·८६ लाख पालीसियां हैं। पर प्रयत्न करने के बाद यह काम और भी बढ़ाया जा सकता है यदि ऐजेण्टों का वेतन तथा उन की सेवा शर्तों का सुधार किया जाये। राष्ट्रीयकरण से पूर्व एजेण्टों को ३५ या ४० प्रतिशत तक कमीशन मिलता था। पर अब हम लगभग २५ प्रतिशत देते हैं। इससे एजेण्टों का बहुत निरुत्साहित होना पड़ा है। उन का कमीशन बढ़ाया जाना चाहिये। वैसे कमीशन की दर में कुछ क्षेणीकरण भी किया जाना चाहिये।

निगम की विनियोजिन नीति के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सरकार को बहुत सावधानी बरतनी चाहिये। कृषि संबंधी कार्यक्रम में हाथ बंटाने से खाद्य समस्या भी हल होगी और निगम का कारबार भी बढ़ेगा। एक और सुझाव है। देश में आवास समस्या का प्रश्न है। बहुत सी गन्दी बस्तियां हैं। यदि निगम मकान बनवाने का काम शुरू कर दे तो उसे कारबार भी अधिक मिल सकता है और आवास समस्या भी हल हो सकती है। अतः मेरा निवेदन है कि निगम इस सुझाव की उपयोगिता पर विचार करे।

हमारे देश में सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य बीमा योजना तथा बेरोजगारी बीमा का किया जाना भी आवश्यक है। इसके अलावा फसल बीमा के सुझाव का भी मैं समर्थन करता हूं। इन बातों का परीक्षण अवश्य किया जाना चाहिये।

प्रतिवेदन से यह भी पता लगता है कि कुछ कम्पनियों द्वारा किये गये ऋणों की प्रतिभूतियां असन्तोषजनक व दोषपूर्ण थीं अतः निगम को घाटा उठाना पड़ा। यदि कम्पनियों को क्षत्तिपूर्ति का पूरा भुगतान न कर दिया गया होता, तो इस समय निगम अपने इस घाटे को पूरा कर लेता।

जनता बीमा पालिसी के सम्बन्ध में संतोषजनक काम नहीं हुआ है। काम को और बढ़ाने की आवश्यकता है। इस के लिये ऐजेण्टों को प्रशिक्षण दे कर, उन्हें अच्छा मेहनताना दे कर तथा प्रचार आदि के सहारे जनता बीमा योजना को लोकप्रिय बनाया जा सकता है।

श्री मू० चं० जैन (कैथल) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस रिपोर्ट के लिये लाइफ इनश्योरेंस कारपोरेशन को बधाई देना चाहता हूं। जब इसको नैशनेलाइज किया गया और नेशनेलाइजेशन के बाद उन्हीं सरमायेदारों के कारिन्दो को इस में रखा गया तो मुझे खदशा हुआ था कि आया ये नेशनेलाइजेशन के बाद भी उसी तरीके से देश को देश समझ कर काम करेंगे या नहीं करेंगे और मेरा ख्याल था कि शायद न करें। लेकिन इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैं उन को बधाई दिये बगैर नहीं रह सकता हूं और मैं समझता कि उन्होंने बखूबी इस काम को किया है। इधर उधर कोई एक आध गड़बड़ हो सकती है लेकिन वह अलग बात है। आम तौर पर उन की तरारीफ किये बगैर

†मूल अंग्रेजी में।

नहीं रहा जा सकता है, उन को ट्रिब्यूट पे किये बगैर नहीं रहा जा सकता है। वे ऊंचे उठे और उन्हों ने अच्छी तरह से इस काम को किया है।

पेशतर इसके कि मैं अपनी कुछ सजैशंस दूं मैं यह कहना चाहता हूं कि जो जो अच्छे अच्छे काम इस कारपोरेशन ने आज तक किये हैं, अगर उनकी फैहरिस्त यहां पर रखी जाये तो यह हाउस इस बात को तसलीम करेगा कि वाकई में जो काम जब यह बिजिनेस प्राइवेट हाथों में था, उनसे नहीं हो सका और न ही हो सकता था, वह काम केवल इसी वजह से हुआ है कि यह बिजिनेस प्राइवेट हाथों से निकल कर पबलिक सैक्टर में आया है। मिसाल के तौर पर मैं बतलाना चाहता हूं कि जो शरह बड़ी से बड़ी कम्पनी ने प्रीमीयम रखी थी, उस से कम शरह प्रीमियम की, नेशनेलाटइज होने के बाद रखी गई है। इसी तरह से पहले फौजी लोगों को कुछ फालतू रकम देनी पड़ती थी प्रीमियम की आम लोगों के मुकाबले में लेकिन कुछ एक केटेगरीज को छोड़ कर, बाकी सब को अब फालतू रकम नहीं देनी पड़ती है।

इसी तरह से औरतों से प्राइवेट कम्पनियों वाले एक्स्ट्रा प्रीमिया लिया कर थे, लेकिन आज वह बात उड़ा दी गई है। पुराने पालिसी होल्डर्स पर अजीब किस्म की कुछ शर्तें थीं, ओनरस किस्म की, वे शर्तें भी आज खत्म कर दी गई हैं। एक ऐसी रियायत भी इस में है जिस से मैं सहमत नहीं हूं। कुछ ऐसे लोग भी बीमा कराते हैं जो बाद में दिवालिये बन जाते हैं और उन के बारे में इस रिपोर्ट में लिखा है कि ऐसी रियायत जो इन लोगों को दी गई है ७० लाख रुपये की, वह कम्पनी के मुनाफे में से पूरी कर ली जाये और यह चीज कारपोरेशन ने गवर्नमेंट आफ इंडिया को रिकोमेंड की है। क्यों यह ७० लाख रुपये के घाटे को बरदाश्त करने की बात हुई, यह मेरी समझ में नहीं आया है। यह एक ऐसी बात थी जो बीच में हो गई।

इसी तरह से एक फायदा कारपोरेशन ने लोगों को यह भी पहुंचाया कि जो जो डायाविटीस के मरीज थे, और जिन का पहले इंश्योरेंस नहीं होता था, नेशनेलाइज होने के बाद, खास खास किस्म के मरीजों को भी इस बात की इजाजत दे दी गई कि वे इंश्योरेंस करवा सकते हैं।

इस सब से यह जाहिर होता है कि काफी इम्प्रूवमेंट के काम हुए हैं। प्राइवेट कम्पनीज अपने ही मुनाफे के लिये काम करती थी और मैं मानता हूं कि मुनाफा करना आज की कारपोरेशन का भी एक मकसद है लेकिन जो फायदे आज पहुंचाये गये हैं, वे अगर यह बिजिनेस प्राइवेट हाथों में रहता, तो नहीं पहुंचाये जा सकते थे।

मूवर महोदय ने कुछ नुक्ताचीनियां की हैं। उन की कुछ नुक्ताचीनियों से मुझे इख्तलाफ है। उन्हों ने इन्वेस्टमेंट पालिसी की नुक्ताचीनी की है और कहा है कि पेज ६ पर जिस चीज का हवाला दिया गया है, उस में कर्जा देने में गलती की गई है। दरअसल पेज ६ पर जिस बात का हवाला दिया गया है, उस में कारपोरेशन का कोई कसूर नहीं था, वहां पर तो कम्पनियां कसूरवार थीं, और उन का हवाला दिया गया है कि उन्होंने गलत इनवैस्टमेंटस की थीं और ऐसी जगहों पर कर्जे दे दिये थे जहां से कि वसूल नहीं हो सकते थे इस के लिये कारपोरेशन को जिम्मेदार ठहराना कुछ समझ में नहीं आता है और समझ की गलती मालूम देती है। मूंदड़ा की जो मिसाल है वह इस हाउस में पहले आ चुकी है और वह अलग सवाल है। गिरवी रखने या

[श्री मू० चं० जैन]

मारटगेज करने या इनवैस्टमेंट करने की जिन बातों का हवाला दिया गया है पेज ९ पर वह इस कारपोरेशन के बनने के पहले की बात है, बाद की बात नहीं है ।

इसी तरीके से मूवर ने एक बात की नुक्ता चीनी की है । उन्होंने फरमाया है कि यह जो एक्सपेंस रेशियो है वह बहुत बढ़ गया है । जहां तक मैंने रिपोर्ट को पढ़ा है सफा ४ पर, मैं तो यह समझा हूं कि कारपोरेशन बनने के बाद यह एक्सपेन्स रेशियो कम हुआ है दोनों किस्म का । इसमें लिखा गया है पैरा २२ में कि एकाउण्ट के पीरियड में, जिस जमाने का यह एकाउण्ट है, उसमें एक्सपेन्स रेशियो २७.३ है । १९५५ में यह ३१.८ था, ३१ अगस्त, सन् १९५६ में यह ३३.७ था । तो एक्सपेन्स रेशियो तो कम हुआ है । इसलिये इस पर कारपोरेशन की नुक्ता चीनी करना कोई मानी नहीं रखता । मैं तो कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कारपोरेशन ने २४५ कम्पनियों को इंटेग्रेट किया, कितनी कितनी कम्पनियां थीं, कितनी कितनी सदस्यायें कारपोरेशन के सामने थीं, उन सब के प्रीमियम रेट अलग अलग थे, बोनस की शर्तें अलग अलग थीं, सब चीजों को कोआर्डिनेट करने के लिये उन को क्रेडिट दिया जाना चाहिये । थोड़े से अर्से में उन्होंने जो काम किया है उसके लिये उनकी जितनी तारीफ की जाय उतनी थोड़ी है ।

मेरे लायक दोस्त ने इण्डिस्क्रिमनेशन की पालिसी के बारे में कुछ सजेशन्स दिये । मैं कोई खास बात नहीं कहना चाहता, सिवा इसके कि यह हमारे देश की हाउसिंग प्राब्लम बड़ी गम्भीर है । मुझे पता है कारपोरेशन उसके लिये पैसा देना चाहता है । कारपोरेशन ने फैसला किया है कि वह स्टेट गवर्नमेंट की मार्फत रुपया पा सकेंगे । गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हाउसिंग प्राब्लेम साल्व करने के लिये जो मिडल क्लास ग्रुप वाले हैं, जिनकी इनकम ६,००० रु० से कम है, उनको कर्जा देने की स्कीम बनाई है । गवर्नमेंट आफ इंडिया ज्यादा रकम नहीं दे सकती, वह तो एक महदूद रकम ही दे सकती है, लेकिन पंजाब के हर जिलों में हजारों आदमी ऐसे हैं जो मकान बनाने के लिये कर्जा लेना चाहते हैं । लेकिन यह रकम बहुत थोड़ी होती है और वह जल्दी खत्म हो जाती है । लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन के पास रुपया फालतू है और यह बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट है । मैं नहीं जानता कि कहां पर उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन कम से कम इसमें नहीं है । उन की क्या शर्तें हैं और उन में जो दिक्कतें हों उनको दूर करना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा रुपया हाउसिंग प्राब्लम को साल्व करने के लिये स्टेट गवर्नमेंट की मार्फत, न सिर्फ ६,००० रु० की इनकम वालों को बल्कि जो ज्यादा रुपये कमाते हैं उन को भी लोन दिया जाय । वह लोग मकान बनाने के लिये कर्जा चाहते हैं ।

दूसरी बात जिस की तरफ मेरे दोस्त श्री तंगामणि ने इशारा किया वह है अफसरों के केडर के मुताल्लिक । जब यह ग्रूपिंग हुई और कारपोरेशन के अफसरों का एक केडर हुआ उस वक्त की गड़-बड़ियों की मिसालें उन्होंने कोट कीं । मेरे सामने कुछ और मिसालें हैं । मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मैं समझता हूं कि यह चीज मुझे सिर्फ लाइफ इंश्योरेन्स कारपोरेशन में ही नहीं नजर आती है, बल्कि जितने भी पब्लिक सेक्टर के कारपोरेशन बने हैं सभी जगह मालूम होती है । यह जो मैनेजिंग डाइरेक्टर्स वगैरह पब्लिक सैक्टर की कंसर्न्स में बने हैं, ऐसा मालूम होता है कि हर एक में कोई न कोई उन लोगों का रिश्तेदार भर्ती होता है मुख्तलिफ केडर के अफसरों में । उनके लिये रूल्स जरूर होंगे लेकिन उन की कोई चेकिंग नहीं है । वैसे तो गवर्नमेंट आफ इंडिया में पब्लिक सर्विस कमीशन की मार्फत सारी भर्ती होती है और स्टेट गवर्नमेंट्स में उनके पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये होती है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन में या दूसरे पब्लिक सेक्टर की कंसर्न्स में ऐसा नहीं होता मालूम होता पड़ता है । मेरा सजेशन है उनमें भर्ती करने के लिये एक इंडपेंडेंट बाडी होनी चाहिये ।

यह काम मैनेजिंग डाइरेक्टर या जेनरल मैनेजर के हाथ में नहीं होना चाहिये। न सिर्फ इसी कंसर्न के लिये बल्कि दूसरी कंसर्न्स के लिये भी। तभी जा कर यह डिस्क्रिमिनेशन की चीजें खत्म हो सकती हैं, वर्ना पार्लियामेंट में भी इसका क्रिटिसिज्म होता रहेगा और बाहर भी होता रहेगा। यह नहीं होना चाहिये कि रियासतें भी उनकी कायम हो जायें और वैसे ही काम होता रहे जैसे कि रजवाड़ों में होता था जिसके लिये कोई चेक नहीं था। इस तरह से जैसे कि काम चल रहा है, यही चीज होने लगेगी।

तीसरी बात जो मैं खास तौर पर जोर देकर कहना चाहता हूं वह यह कि देहातों में इंश्योरेंस बिजिनेस के बारे में बड़ी भारी गुंजाइश है। आपने जनता पालिसीज इंट्रोड्यूस की, लेकिन उसका कोई खास बिजिनेस नहीं हुआ। सिर्फ डेढ़ करोड़ का बिजिनेस रहा। इस तरह से यह कैसे बढ़ सकता है। मैं जिन लोगों ने इस की ट्रेनिंग पर जोर दिया उनकी हिमायत करते हुए कहना चाहता हूं कि जो एजेण्ट्स देहातों की तरफ से बिजिनेस लाये उन को कुछ फालतु रेम्यूनरेशन मुआवजा दिया जाय। तभी वे देहातों में जा कर काम करेंगे। देहातों में रुपया है। उनमें गरीब लोग भी हैं लेकिन रुपया भी है, उस रुपये को मोबिलाइज किया जा सकता है। लेकिन इस के लिये पब्लिसिटी की जरूरत है। पब्लिसिटी की तरफ जो इशारा किया गया है उससे मेरी तसल्ली नहीं है। पोस्टर छपवाये गये, अखबारों में आर्टिकल्स निकले। लेकिन यह सब तो जो लिटरेट जनता है उसके लिये ही है। यह पब्लिसिटी जरूर हुई है लेकिन आप ने देहातों में कितनी पब्लिसिटी की? मेरे ख्याल में कारपोरेशन देहातों में पब्लिसिटी क्लेम भी नहीं करना। वह होना चाहिये।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आप को मार्फत फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को कुछ सजेशन्स देना चाहता हूं कि देहातों में पेड वर्कर्स रक्खे जाय। जब एजेंट जाकर कहता है कि तुम को यह फायदा होगा, वह फायदा होगा तो वे समझते हैं कि चूंकि इस को कमीशन मिलता है इसलिये यह इतनी तारीफ कर रहा है। पेड वर्कर्स जाकर लोगों को समझायें तो कारपोरेशन को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। क्योंकि वह खुद बीमा न करेंगे।

मुझे यही सुझाव देने थे। अगर इन की तरफ ध्यान दिया जाय तो लाइफइंश्योरस कारपोरेशन ने जो क्रेडिटेबल काम किया है वह और भी तेज होगा और हमें इस बात का हौसला होगा कि वह इदारे जो कि प्राइवेट सेक्टर में रह कर पब्लिक को एक्सप्लायट करते थे वह हिन्दुस्तान के काम आयेंगे और हमारा भी हौसला बढ़ेगा और फिर हम बैंकों को भी नेशनलाइजेशन कर सकते हैं।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, बीमा कारपोरेशन के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि बीमा का जो कारोबार बढ़ा है उसकी वजह यह नहीं है कि वहां के कार्यकर्ताओं ने कोई बहुत अच्छा काम किया है, बल्कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देश के आदमी का हमारे देश की सरकार के ऊपर विश्वास है। यह इस का सब से बड़ा कारण है। लोगों में यह गलतफहमियां न रहे कि कार्यकर्ताओं के कार्यों से ही तरक्की हुई है। असल बात तो यह है कि जो बीमा कम्पनियां थीं और जैसा मेरे दोस्त रामकृष्ण जी ने बतलाया इस कारोबार के अन्दर पालिसी होल्डरों को पहले जितनी सहूलियतें थीं वह आज नहीं हैं। मुझे बहुत से लोग मिले। उन्होंने कहा कि उनको पैसा भेजे हुए ५, ५, ६, ६, ८, ८ या १०, १० महीने बीत जाते हैं लेकिन उनके पास उसकी रसीद बन कर नहीं आती है। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ कि डेढ़ साल बाद रसीद आई और वह भी तब जब कि पुरी साहब ने इस मामले में ध्यान दिया। उनसे बात करने से पहले मेरे पास रसीद

[चौ० रणवीर सिंह]

नहीं पहुंची। जब मेरी हालत यह है तो आप आदनमी की हालत क्या होगी इसका आप इसी से अन्दाजा लगा सकते हैं।

जहां तक कार्यकर्ताओं का ताल्लुक है, उनसे तो इस काम को धक्का ही पहुंचा है क्योंकि शायद आपने भी देखा हो कि वह लोग सरकारी बुद्धि से काम करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से पहले वे काम करते थे उस तरह से अब नहीं करते।

इसके अलावा मैं इन्वेस्टमेंट पालिसी के सिलसिले में भी निवेदन करना चाहता हूं। पंजाब के अन्दर बिजली का जाल बिछ रहा है, और बिजली पैदा करने की तैयारी है। देहातों में लोग बिजली बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उन के पास पैसा नहीं है। इसी तरह से दूसरी रियासतों के अन्दर भी जो दूसरी चीजें हैं देश की तरक्की की उन को बढ़ाने के लिये भी रुपये की जरूरत है। रुपये की जरूरत पूरी न होने की वजह से दूसरों का काम पूरी तौर पर नहीं बढ़ पाया है। मैं चाहता हूं कि स्टेट एलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को भी बीमा कारपोरेशन के जरिये कर्जा दिया जाय।

इसी तरह से मैं चाहता हूं कि आज देश के सामने जो वाटर लागिंग की बड़ी भारी समस्या है, खास तौर से पंजाब में ३० लाख एकड़ के करीब भूमि खराब हुई है, उस को ठीक करने के लिये आयोजन सरकार को कर्जा दे। यहां शेअर मार्केट के अन्दर बीमा कारपोरेशन जाता है। अभी मूंदड़ा काण्ड का जिक्र किया गया, उस के ऊपर भी यहां पर बहस होगी। शेअर मार्केट में जाने का सही नतीजा हुआ यह हमें बताया गया। हमें कई दफा विश्वास दिलाने की कोशिश की गई कि शेअर मार्केट में जाने से फायदा हुआ है और कहा गया कि हम यकीन दिलाते हैं कारखानेदारों को कि हम चोर दरवाजे से नेशनलाइजेशन नहीं करेंगे। कई दोस्तों का ख्याल है और मैं उनके साथ सहमत हूं कि अगर शेअर मार्केट में हम खरीदने के लिये जाना है और उन कारखानों को हमें खरीदना है तो हमें देश के नफे की ओर ध्यान देना चाहिये। इसके अलावा देश की जरूरियात के लिये उनका चलाना जरूरी है और उनको मजबूत करना जरूरी है। इस लिये हमें एक अच्छी चीज़ को करने में झिझकना नहीं चाहिये। अगर हम शेअर मार्केट में जायेंगे तो यह नीति लेकर जायेंगे कि हमने उन कारखानों को आखिरी तौर पर देश के मफाद के मद्देनजर रखते हुए नेशनलाइज करना है। इसलिये सरकार का कारोबार में जाने का तरीका यह होना चाहिये कि वह बैंकों को भी उसी तरीके से सरकारी बनाये ताकि उसका काम आगे बढ़े।

एक अर्ज किये बगैर मैं नहीं रह सकता क्योंकि शुरू ही में मुझे यह खयाल आया कि आखिर यहां जो बीमा कारपोरेशन का मामला है यह कोई किसी खास कम्पनी का मामला तो है नहीं वरन् यह तो देश का मामला है और यह देश की तरफ से चलता है। हमें यह सदैव ध्यान में रखना होगा कि इस देश में ८० फी सदी किसान बसते हैं और उनकी क्रौप इंश्योरेंस कराने के वास्ते हालांकि एक बात लम्बा चौड़ा बीमा आयोजन मौजूद है लेकिन इस दिशा की ओर कोई सक्रिय कोशिश अथवा कदम नहीं उठाया गया है। मैं चाहूंगा कि हमारे वित्त मंत्री महोदय जो कि एक बहुत मजबूत और आहिनी इंसान हैं, वे इस समस्या की ओर ध्यान दें और कारपोरेशन को इस बात के लिये जरूरी हिदायत दें कि ज्यादा से ज्यादा जितना भी रुपया वह लैण्ड मार्टगेज के लिये दिला सकती है दिलाये और उसी के साथ साथ किसानों के वास्ते क्रौप इंश्योरेंस का भी यह बीमा कारपोरेशन इन्तजाम करें।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने वादविवाद में भाग लेकर जीवन बीमा निगम द्वारा किये गये अब तक के कार्य की प्रशंसा की है और कुछ कमियों की

---

†मूल अंग्रेजी में।

ओर संकेत किया है तथा कुछ सुझाव दिये हैं। मुझे विश्वास है कि ये सुझाव इस निगम के कार्य को और भी अच्छा बनाने में सहायक होंगे।

इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मैं उन सभी सुझावों को लाभकारी मानता हूं। इसलिये मुझे कुछ उन सुझावों के बारे में कहना है जो व्यवहारिक नहीं हैं हालांकि मैं यह स्वीकार करता हूं कि वे सुझाव अच्छे इरादे और विचार से दिये गये हैं तथा निगम के विकास में सहायक होंगे।

यह याद रखना है कि पिछले वर्षों में जीवन बीमा निगम का कार्य बहुत कठिन और बड़ा विशाल रहा है क्योंकि लगभग २०० समवायों को मिलाकर उनके कार्य को समन्वित करना तथा सुचारू रूप में लाना था। बहुत से विभिन्न समवायों में लगे हुए विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को एक समन्वित श्रेणी में लाना तथा उन्हें सन्तुष्ट करना और उनके साथ न्याय करना था। अतः यह स्वाभाविक है कि इस कार्य में समय लगा और मैं समझता हूं कि संसार का कोई भी अच्छा व्यक्ति इस बात का दावा नहीं कर सकता कि इस प्रकार के कार्य में कोई कमी नहीं हो सकती। अतः कुछ भूलें हुईं जो समय के साथ साथ दूर की जा रही हैं और कुछ भूलें ऐसी हैं जो ठीक नहीं की जा सकतीं, निश्चय ही वे भूलें हैं लेकिन उनके साथ निर्वाह करना है। इस प्रकार की भूलों में कुछ उन पदाधिकारियों की शिकायतें आती हैं जो यह समझते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। मैं कह सकता हूं कि मैंने ऐसे मामलों की काफी जांच की है क्योंकि मैं समझता था कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि यथा सम्भव अधिक से अधिक व्यक्तियों के साथ न्याय हो।

छः सौ पदाधिकारियों में से केवल १०४ पदाधिकारियों ने अपील की इस से स्पष्ट है कि काम बड़ी सावधानी और अच्छाई के साथ किया गया था। फिर १ इन १०४ अपीलों में से प्रत्येक अपील की जांच बड़ी सावधानी से की गई और जहां कहीं कुछ हो सकता था वह किया गया है। इस प्रकार २० अथवा २४ मामले निपटाये गये हैं। अन्य दूसरे मामलों में कुछ करना संभव नहीं था और न यह आवश्यक समझा गया था कि कुछ किया जाये और यह समझा गया कि उन मामलों में कोई अन्याय नहीं हुआ।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी बता देना चाहूंगा कि इस स्थिति में पदाधिकारियों की इन शिकायतों के बारे में सराकार ने काफी विचार किया है लेकिन सरकार भविष्य में इन पदाधिकारियों तथा नये कर्मचारियों के बारे में कुछ नहीं करेगी क्योंकि यह कार्य उस स्वायत्त निकाय का होगा और मैं समझता हूं कि जीवन बीमा निगम के दिन प्रति दिन के कार्य में हस्तक्षेप करना अथवा कर्मचारियों में इस प्रकार की भावना को प्रोत्साहन देना कि वे सरकार ने अथवा जीवन बीमा निगम को छोड़ कर किसी अन्य के यहां न्याय कराने के लिये अथवा अपना भविष्य सुधारने के लिये अपील कर सकते हैं, ठीक नहीं होगा। इस नीति को मैं तथा सरकार भी यथा संभव अपनायेगी।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कुछ मामले, जिनका उल्लेख श्री तंगामणि ने दिया था, मेरी निगाह में भी आये। नौ मामले ऐसे थे जिनमें अधिक उपलब्धियां दी गई अर्थात् जो उपलब्धियां उन्हें पहले मिलती थीं उनसे दुगनी मिलने लगी थी। सभी मामलों में दुगनी नहीं थी कुछ में दुगनी से कम थी लेकिन अधिक अवश्य थीं। इन नौ मामलों में तथा एक दो और मामलों में जो मेरी जानकारी में आये हम ने उन की जांच करने के लिये जीवन बीमा निगम से कह दिया है ताकि उन को नीचे ला कर पहली जितनी राशि के बराबर कर दें अथवा कितना अन्य दूसरे लोग पा रहे हैं उन के बराबर कर दें ताकि उन के साथ तथा अन्य दूसरों के साथ अन्याय न हो। अतः यह कार्य जीवन बीमा निगम द्वारा किया जायेगा। लेकिन इस मामले में मैं इस से अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहता क्योंकि यह ठीक नहीं होगा।

[श्री मोरारजी देसाई]

यह शिकायत की गई है कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में अनियमित देरी की गई है । बीमा अधिनियम की धारा १५ (१) के अनुसार प्रतिवेदन उस अवधि के, जिसके लिये कि प्रतिवेदन देना है, समाप्त होने के ९ महीने के भीतर दे देना चाहिये । यह प्रतिवेदन दिसम्बर में समाप्त होने वाले वर्ष १९५७ के लिये है । अतः यह सितम्बर १९५८ तक प्रस्तुत किया जाना था । स्वतः अधिनियम के अनुसार भी सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि आवश्यकता होने पर वह इस अवधि को तीन महीने तक बढ़ा सकती है । इस बात को देखते हुए कि जीवन निगम ने विश्वास कार्य किया यह आवश्यक था कि यह अवधि बढ़ा दी जाये और उन्होंने यह कार्य उस अवधि में पूरा कर लिया तथा दिसम्बर के अंत तक उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि इसके प्रस्तुत करने में अनियमित देरी हुई है । सरकार ने यह प्रतिवेदन सभा में मार्च १९५९ के शुरु में प्रस्तुत कर दिया था । मैं तो नहीं समझता कि सरकार ने इस सभा में प्रस्तुत करने में अनियमित रूप से अधिक समय लिया है । सभा, अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के कारण जिन के बारे में अधिक देर नहीं की जा सकती थी, इस पर इस से पूर्व विचार नहीं कर सकी, अतः यह शिकायत उपयुक्त नहीं है ।

मैं माननीय प्रस्तावक महोदय को भी उन के गहन अध्ययन के लिये धन्यवाद देता हूं । किन्तु दूसरे पक्ष ने कितना परिश्रम किया है इस को भी ध्यान में रखना चाहिये । प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में उस पक्ष ने कितना परिश्रम किया है इस की भी प्रशंसा करनी चाहिये । भविष्य में इस से जल्दी ही प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे । यदि संभव हुआ तो यह चार अथवा पांच ही महीने प्रस्तुत किया जा सकता है । किन्तु यह ऐसा प्रतिवेदन नहीं है जो अवधि समाप्त होते ही प्रस्तुत किया जा सके । क्योंकि ऐसी दशा में यह प्रतिवेदन असावधानी से तैयार किया हुआ और अधिक महत्वपूर्ण न होगा । अतः प्रतिवेदन सावधानी से प्रस्तुत करना पड़ेगा और विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जब कि बहुत सी चीजें करनी थीं और जीवन बीमा निगम पूर्णतः नया निकाय था । अतः यह कहना कि प्रतिवेदन अनियमित रूप से देर से प्रस्तुत किया गया है निर्दयता ही होगी ।

वर्तमान बोर्ड के बारे में भी माननीय सदस्य के विचार अधिक सद्भावनापूर्ण नहीं हैं । मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि उन्हें यह कहां से मालूम हुआ कि बोर्ड का प्रबंध करने वाले बहुत से व्यक्ति अथवा जीवन बीमा निगम का आज प्रबन्ध करने वाले व्यक्ति वे ही हैं जो पहले इस का व्यापार करते थे । यह तो ठीक है यदि इस के कार्य करने वाले पदाधिकारी अनुभवी हैं और ऐसे ही हैं जैसे कि होने चाहियें और उन में से कुछ पहले वाले हैं । लेकिन अब पदाधिकारी बोर्ड के सदस्य नहीं हैं । अतः ऐसा कहना उचित नहीं है । मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि ऐसा क्यों कहा गया । मैं इस बात का इस लिये भी और समझना चाहता हूं कि इस मामले में हम उन सभी के हित एक हैं और इसलिये भी यह आवश्यक है कि इस कार्य में नये विचार काम में लाये जायें और पहली पक्षपूर्ण बातें समाप्त हो जायें । मेरा विचार है कि यदि पुराने अनुभवी व्यक्तियों का उपयोग किया जाये, और हमें करना भी चाहिये अतः उन का उपयोग इसलिये इस आधार पर न करना कि कुछ लोगों के प्रति हमारी पक्षपात पूर्ण ठीक नहीं होगा ।

माननीय सदस्य को मैं यह आश्वासन देता हूं कि बोर्ड यथा संभव अच्छे से अच्छे व्यक्तियों का बनाया गया है ताकि यथा संभव कुशलता से कार्य किया जा सके । और अच्छे से अच्छे ढ़ंग से इस का विस्तार किया जा सके । और इस का प्रमाण यह है कि कार्य निरन्तर बढ़ रहा है और अच्छा होता जा रहा है ।

साथ ही मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह जो कार्य बढ़ रहा है उस का सारा श्रेय इन सम्बन्धित कुशल पदाधिकारियों अथवा कर्मचारियों को ही नहीं है किन्तु इस बात के लिये भी है कि अब एकाधिकार हो गया है। अब काम पाने के लिये प्रतिस्पर्द्धा नहीं है और व्यक्ति अधिक से अधिक संख्या में बीमा कराने की ओर बढ़ रहे हैं अतः अधिक काम प्राप्त करना आसान होगया है। मैंने अब भी, हालांकि काम पर्याप्त है, जीवन बीमा निगम को कह दिया है कि मैं सन्तुष्ट नहीं हूं, और अब भी अधिक मात्रा में काम चाहता हूं और यथा शीघ्र एक हजार करोड़ रुपये का प्रति वर्ष बीमा होना चाहिये उन का विचार पांच वर्ष के भीतर यह कार्य करने का है। उन की यह आकांक्षा बड़ी अच्छी है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि यह और भी अच्छा हो सकता है :

यदि हम चाहते हैं कि वे अच्छे से अच्छा कार्य करें तो हमें उन की अधिक से अधिक प्रशंसा करनी चाहिये और साथ ही उन्हें सुझाव भी देना चाहिये मेरा विचार है कि वे अच्छा कार्य कर रहे हैं।

यह सच है कि विदेशी कार्य कम हो गये है लेकिन अब वह बढ़ रहा है। अध्यक्ष तथा सदस्य इस की ओर ध्यान दे रहे हैं। और वे इस का विस्तार रने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि यह विदेशी विनिमय में भी सहायता करता है। अतः इस कार्य की भी अवहेलना नहीं की जा रही है।

अभिकर्ताओं के प्रशिक्षण के बारे में मानीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह कोई नया सुझाव नहीं है क्योंकि प्रतिवेदन के पैरा ८१ में कहा गया है कि "अभिकर्ताओं की व्यावसायिक कुशलता को बढ़ाने के लिये उन्हें प्रशिक्षण देने तथा खाली समय में काम करने वालों को अधिक से अधिक रुचि लेने के लिये प्रोत्साहन देने के हेतु योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है।"

यह बात जीवन बीमा आयोग के सामने है, वे इस पर विचार कर रहे हैं और वे इसे क्रियान्वित करने जा रहे हैं और वे समय के साथ साथ इसे अधिक से अधिक करेंगे। केवल अभिकर्ताओं को ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण कर्मचारियों, सभी व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिये ध्यान देना चाहिये। इस सुझाव के लिये मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि यह जीवन बीमा निगम को काम करने के लिये उत्साहित करेगा।

विनियोजन तथा विनियोजन नीति का उल्लेख किया गया है। विनियोजन नीति सरकार द्वारा निश्चित कर दी गई है, सभा के समक्ष रखी गई थी और उस पर यहां चर्चा हुई थी तथा सभा उस से सहमत भी हो गई थी। यह सुझाव दिया गया था कि सारा धन सरकारी क्षेत्र में लगाया जाये और सरकारी क्षेत्र में नहीं। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि इस मामले में इस के राष्ट्रीयकरण के समय गैर-सरकारी क्षेत्रों को जो आश्वासन इस सभा में दिया गया था उसे माननीय सदस्य किस प्रकार भूल गये।

जीवन बीमा निगम विधेयक संसद् में प्रस्तुत करते समय तत्कालीन वित्त मंत्री जी सी० डी० देशमुख ने स्पष्ट रूप से कहा था कि "योजना के बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने की सभी स्थितियों से वित्त मंत्रालय का घनिष्ठ सम्बन्ध है। और निगम के विनियोजन के मामले में आवश्यकतानुसार ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जिससे योजना के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। मैं उद्योगपतियों को यह भी आश्वासन देता हूं कि सरकार का विचार यह नहीं है कि सरकारी क्षेत्रों में जो राशि आजकल लगी हुई है उससे अधिक राशि लगे। यह मेरा प्रयत्न होगा कि गैर सरकारी क्षेत्रों में जो राशि आजकल लगी हुई है कम से कम उतनी राशि तो लगी रहे। इतना तो स्पष्ट है क्योंकि हम नहीं जानते कि भविष्य में योजना का क्या रूप होगा।"

अतः मैं कहूंगा कि यदि हम अधिक से अधिक प्रगति करना चाहते हैं, और उस समय अगर यह नीति नहीं अपनाई गई तो सरकार की यह बहुत बड़ी भूल होगी। ऐसी स्थिति में जीवन बीमा

[श्री मोरारजी देसाई]

निगम द्वारा गैरसरकारी क्षेत्रों को धन न देना भूल होगी, बशर्ते कि वे अच्छा कार्य कर रहे हों और निर्धारित नीति के अनुसार कार्य कर रहे हों अतः ऐसा होगा । इस निधि से गैर-सरकारी क्षेत्रों को कुछ नहीं दिया जा रहा है यह धारणा जो माननीय सदस्य बना चुके हैं उनको सन्तुष्ट करने में मैं असमर्थ हूं । जो नीति निर्धारित हो चुकी है उसका अनुसरण तो होगा और वह भी औचित्य से तथा कुशलता से और भावना से भी ।

यह बात ध्यान में रखनी होगी कि अधिक से अधिक धन सरकारी क्षेत्रों को जायेगा । और ऐसा होगा भी तथा हम भी ऐसा करना चाहते हैं । लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि जो क्षेत्र देश की सहायता करते हैं तथा देश की समृद्धि बढ़ाते हैं उनकी सहायता नहीं की जायेगी । उनके प्रति सहायता का भाव न अपनना तो उनका हनन करने की नीति होगी । बस मुझे इतना ही कहना है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने बिना अवसर के ही बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उल्लेख किया है । लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि इससे सरकार अथवा देश को कोई लाभ नहीं होगा ।

बीमा नियंत्रक के कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को उच्च वेतन पर जीवन बीमा निगम ने नौकरी में लेने का भी उल्लेख किया गया था । वे जीवन बीमा निगम में प्रतिनियुक्ति पर आये हैं यह आवश्यक नहीं है कि वे सदैव वहां बने रहेंगे । उनके वेतन की भी जांच की जायेगी और यह ध्यान रखा जायेगा कि उन्हें अनियमित रूप से अधिक वेतन न मिले । उस कार्यालय से जीवन बीमा निगम में उन कर्मचारियों का जाना कोई भूल नहीं है वह अच्छे और अधिक अनुभवी हैं । अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने के परिमाणस्वरूप ही हो सकता है कि उन्हें अधिक वेतन मिलता हो । अतः उन २० कर्मचारियों का जीवन बीमा निगम में जाना कोई भूल नहीं है । अतः इसे कोई भूल नहीं मानना चाहिए ।

कुछ ऐसी राशियों का उल्लेख किया गया है जिनका उपयोग उचित रूप से नहीं हुआ है । किन्तु वे सब राशियां पुराने बीमा समवायों से सम्बन्धित हैं जीवन बीमा निगम से नहीं । हां मूंदड़ा वाला मामला हमेशा आता है और संभवतः कुछ वर्षों तक और आयेगा । इस मामले में भी सौदा हो जाने के बाद जीवन बीमा निगम को प्रचलित दरों के आधार पर कुछ लाभ हुआ था । इसके बाद ही मामला घपले में पड़ गया और हानि हुई । मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि उसे काफ़ी हद तक निपटाया गया है कुछ लोगों को नुकसान भी पहुंचा है और हर आदमी ने काफी इसकी आलोचना भी सुनी है । शायद यह मामला फिर आ सकता है और यदि उस समय कुछ कहने की आवश्यकता हुई तो अवश्य कहूंगा ।

विनियोजन समिति में वे ही लोग हैं जो बाजार के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं और जो इस कार्य के लिये उपयुक्त हैं । यह सुझाव दिया गया था कि यह कार्य रिजर्व बैंक को दे देना चाहिये लेकिन वह यह कार्य नहीं करना चाहता । यह कार्य रिजर्व बैंक का नहीं है । मैं तो यही समझता कि जीवन बीमा निगम से यह कार्य ले लेना अच्छा होगा । इस ने विनियोजन समिति बनाई है, यह अच्छा कार्य भी कर रही है, अगर कोई बात गलत हुई भी तो यह सभा है जिसे कि सर्वोच्च अधिकार है, उसे ठीक कर देगी । अतः यह नियंत्रण सदैव उपस्थित है । फिर सरकार भी है । यथा समय यहां प्रतिवेदन आए हैं वे कोई भी काम गुप्त रूप में नहीं करते वे वही काम करते हैं जो प्रकाशित होता है और जनता की जानकारी में आता है । लेकिन यह कार्य उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिये जो इसे जानते हैं और जो इसे करने के योग्य हैं ।

†**श्री खाडिलकर** : चूंकि दो और भी संस्थान हैं जो इसी प्रकार का विनियोजन करते हैं इसीलिये मैं ने यह सुझाव दिया था । अतः रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक तथा जीवन बीमा निगम की नीति एक सी होनी चाहिये कहीं ऐसा न हो कि कोई भ्रान्ति अथवा गोलमाल का मामला हो जाये ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं आयेगा । जब गोमाल करने की संभावना न हो । कुछ लोगों को इस में मज़ा आता है । अतः यह आशा करना कि ऐसा कभी न होगा बिल्कुल व्यर्थ है । लेकिन सावधानी से काम लेना चाहिये और सावधानी से काम लिया जा रहा है । रिजर्व बैंक के पास तथा स्टेट बैंक के पास अपना अपना काम है अतः जीवन बीमा निगम के पास भी कुछ अपना काम होना चाहिये । मैं तो नहीं समझता कि जीवन बीमा निगम ने कोई ऐसा कार्य किया हो जहां इसकी क्षमता के बारे में संदेह किया जा सके । भूलें, ऊंच, नीच, छोटे बड़े सभी से होती हैं । हमें मनुष्यों की जांच उनकी की गई भूलों से नहीं करनी चाहिये बल्कि उनके द्वारा किये गये कुल काम के आधार पर करनी चाहिये । इस बात को ध्यान में रखते हुए निसंदेह जीवन बीमा निगम, जो कार्य इस ने किया है उसके लिये धन्यवाद का पात्र है ।

श्री रामकृष्ण गुप्त : मिस्टर डिप्टी स्पीकर, सर, मैं आप के ज़रिये माननीय मंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने थोड़े से अरसे में तमाम दलीलों का जवाब दे दिया । मुझे पूरी आशा है कि जो तजवीजें हाउस के सामने पेश की गई हैं, उन पर पूरा विचार किया जायगा । इस मौके पर मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं ने बोर्ड आफ़ डायरेक्टर्ज़ के बारे में २ मार्च, १९५९ को एक सवाल पूछा था, जिस को मैं हाउस के सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

> "क्या माननीय वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि : (क) क्या जीवन बीमा निगम के संचालक मंडल में बिड़लाओं का कोई कर्मचारी है; (ख) यदि हां, तो उस कर्मचारी का नाम; और (ग) तो इनको नियुक्त करने के कारण ?"

उत्तर था :

> "(क) जी हां । किन्तु वह बिड़लाओं के कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किये गये थे । (ख) श्री सी० सी० देसाई; और (ग) बहुत लम्बे समय के विभिन्न प्रकार के प्रशासकीय अनुभवी ।"

मैंने बोर्ड आफ़ डायरेक्टर्ज़ का ज़िक्र इसी लिये किया था । मेरा कहने का मकसद कोई और नहीं था । लेकिन चूंकि इस किस्म का सवाल हाउस के सामने आ चुका था, इसलिये मैं ने इस बात का ज़िक्र किया । यह ठीक है कि उन लोगों को काफ़ी तजुर्बा है, लेकिन यह भी ठीक है कि उस तजुर्बे से हम को जितना फ़ायदा पहुंचना चाहिए, वह नहीं पहुंचता है । इन चन्द शब्दों के साथ मैं फिर उन का शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे पूरी आशा है कि इस काम को और ज्यादा सुधारने की कोशिश की जायगी और इस में पूरी उन्नति होगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा, भारत के जीवन बीमा निगम के १ सितम्बर, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक की अवधि के प्रतिवेदन पर, जो १३ मार्च, १९५९ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, ७ अगस्त १९५९/१६ श्रावण, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[गुरुवार, ६ अगस्त, १९५९
१५ श्रावण, १८८१ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		४३७—६१
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५५	पूर्वी यूरोपीय देशों को भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डल	४३७—४०
१५६	इराक के लिये भारतीय विमान चालक और शिक्षक	४४०—४२
१५८	एक पाकिस्तानी विमान द्वारा भारतीय क्षेत्र का अतिक्रमण	४४२–४३
१५९	शिक्षक प्रशासकों का प्रशिक्षण	४४३–४४
१६०	घरेलू कर्मचारियों की मांगें	४४५–४६
१६१	फिल्म इन्स्टीट्यूट	४३६—४
१६२	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	४४८–४९
१६३	शरणार्थी बस्तियों को दिल्ली नगर निगम के हवाले करना	४४९—५१
१६४	विस्थापित ठेकेदारों के दावे	४५१–५२
१६५	तुकेरग्राम	४५२—५४
१९२	पथरिया संरक्षित वन में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा 'बंकरों' का निर्माण	४५५–५६
१६६	आन्ध्र प्रदेश में कास्टिक सोडा संयंत्र	४५६–५७
१६७	बम्बई राज्य में सीमेन्ट का कारखाना	४५७–५८
१६८	कोट्टी (केरल) में सीक्योरिटी प्रेस	४५८–५९
१६९	अमरीका के साथ वस्तु-विनिमय व्यापार	४५९–६०
१७०	पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का प्रव्रजन	४६०–६१
प्रश्नों के लिखित उत्तर		४६१—५०७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५७	ऐंटीबॉयटिक्स	४६१–६२
१७१	टाट का निर्यात	४२६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमश :)

तारांकित प्रश्न संख्या		
१७२	मोटर परिवहन उद्योग	४६२—६३
१७३	फिल्मों का निर्यात	४६३
१७४	पश्चिम बंगाल की नगरपालिकाओं को आर्थिक सहायता	४६३
१७५	स्थानीय विकास निर्माण कार्यक्रम	४६४
१७६	पूना में स्टूडियो की खरीद	४६४
१७७	मेथानोल प्लांट, सिंदरी	४६४
१७८	छावनी बोर्ड कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण	४६५
१७९	प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा	४६५
१८०	पंजाब सरकार को ऋण	४६५—६६
१८१	उत्तरी बिहार का औद्योगिक विकास	४६६
१८२	त्रिपुरा में बसे विस्थापित व्यक्तियों का आर्थिक सर्वेक्षण	४६६
१८३	साइकिल के टायर और ट्यूब	४६६—४६७
१८४	बेरूत में व्यापार केन्द्र	४६७
१८५	तृतीय पंचवर्षीय योजना	४६७
१८६	तिब्बत में लद्दाखी छात्र	४६८
१८७	औद्योगिक विवाद अधिनियम का संशोधन	४६८
१८८	'रेडियल ड्रिल' का निर्माण	४६८—६९
१८९	दिल्ली में शरणार्थी बाजार	४६९
१९०	बम्बई में कपड़ा मिलें	४६९
१९१	युवक योजना क्लब	४६९—७०
१९३	कच्चा पटसन	४७०
१९४	राज-सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना	४७०—७१
१९५	त्रिपुरा में अनाश्रित विस्थापित महिलायें	४७१
१९६	अफगानिस्तान के साथ व्यापार करार	४७१
१९७	चीन और रूस में प्रकाशित मानचित्र	४७२
१९८	वायु सीमा का अतिक्रमण	४७२
१९९	श्री ताम्बा की गोआ में गिरफ्तारी	४७२—७३
२००	अखबारी कागज का निर्माण	४७३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमश:)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२५८	छपाई की मशीनों का निर्माण	४७३
२५९	फलों का निर्यात	४७३–७४
२६०	जिरकोनियम संयंत्र	४७४
२६१	दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई	४७४
२६२	प्रतिकर और पुनर्वास अनुदान	४७४–७५
२६३	बम्बई राज्य में शिक्षित बेरोजगार	४७५
२६४	कोयला खानों में दुर्घटनायें	४७५
२६५	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	४७५–७६
२६६	बम्बई राज्य में कपड़ा मिलें	४७६
२६७	बम्बई में हथकरघा उद्योग का विकास	४७६
२६८	केन्द्र पारा (उड़ीसा) में औद्योगिक बस्ती	४७६–७७
२६९	नेफा में आसामी भाषा	४७७
२७०	काईनाईट अयस्क	४७७–७८
२७१	उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम	४७८
२७२	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम	४७८
२७३	लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त का कार्यालय	४७८–७९
२७४	अणुशक्ति को उपयोग के लिये पदार्थ	४७९–४८०
२७५	भारी मशीनों का निर्माण	४८०
२७६	गीला अभ्रक पीसने का संयंत्र	४८१
२७७	मैंगनीज अयस्क का व्यापार	४८१
२७८	विदेशों में भारतीय वस्तुओं के प्रदर्शन कक्ष	४८१–८२
२७९	सीमेंन्ट के कारखानों में कर्म समितियां	४८२
२८०	औद्योगिक विवाद	४८२
२८१	कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	४८३
२८२	पाकिस्तान के प्रव्रजक	४८३
२८३	ग्रेट ब्रिटेन में आणविक शक्ति का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले भारतीय	४८३
२८४	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के भर्ती नियम	४८४
२८५	नागा पहाड़ियां त्वेनसांग यूनिट	४८४
२८६	नेफा में जलविद्युत् परियोजनायें	४८५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या		
२८७	प्रसारण के प्रभाव का अध्ययन	४८५
२८८	दूसरा एटामिक रीएक्टर	४८५
२८९	कच्ची फिल्म की फैक्टरी	४८६
२९०	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की संस्था का अध्ययन दल	४८६–४८७
२९१	भवन निर्माण में पालीथिलीन का प्रयोग	४८७
२९२	काम दिलाऊ दफ्तर	४८७
२९३	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	४८७
२९४	कच्चे रेशम का आयात	४८८
२९५	अणुशक्ति कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय वर्कशाप	४८८
२९६	श्रम अपीलों का निपटारा	४८८–४८९
२९७	साइकलों का निर्यात	४८९
२९८	मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास	४८९
२९९	श्रम विधियों के अधीन अनिर्णीत मामले	४८९
३००	खादी ग्रामोद्योग भवन के कर्मचारियों की मांगें	४९०
३०१	श्रीलंका से प्रत्यावर्तित भारतीय	४९०
३०२	औद्योगिक सम्बन्ध	४९०–९१
३०३	मैंगनीज अयस्क का निर्यात	४९१
३०४	सरकारी विभागों में काम में आने वाले फार्म	४९१
३०५	आसाम के चाय बागानों पर विस्थापितों का बसाया जाना	४९२
३०६	औद्योगिक उत्पादन	४९२
३०७	उत्पादकता प्रतिनिधिमण्डल	४९३
३०८	राष्ट्रीय जनसहयोग सलाहकार समिति	४९३
३०९	राज्य व्यापार निगम	५९४
३१०	नमक उद्योग	४९४
३११	केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन	४९४–४९५
३१२	मिलों और कारखानों में हड़तालें	४९५
३१३	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	४९५
३१४	सीमेन्ट	४९५
३१५	चीनी (हिमाचल प्रदेश) के निवासियों द्वारा तिब्बत से खरीदा गया माल	४९६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३१६	न्यूटन-चिकली खानें	४९६
३१७	कोयला खान भविष्य निधि योजना	४९६
३१८	बम्बई नगरपालिका निगम	४९७
३१९	भारतीय गांव में पाकिस्तानी पुलिस का प्रवेश	४९७–९८
३२०	भारतीय फिल्म समारोह	४९८
३२१	महिला श्रमिक	४९८
३२२	लौह-अयस्क की खानों के श्रमिक	४९८–९९
३२३	लौह-अयस्क और मैंगनीज की खानों का बन्द किया जाना	४९९–५००
३२४	लौह-अयस्क के खान श्रमिकों के लिये जल-संभरण	५००
३२५	राष्ट्रीय आय	५००–०१
३२६	तिब्बत में ट्रेड एजेन्सी के भवन को क्षति	५०१–०२
३२७	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	५०२
३२८	बाल-कल्याण सम्बन्धी प्रतिवेदन	५०२–०३
३२९	पश्चिम बंगाल के औद्योगिक संस्थापनों को ऋण	५०३
३३०	आकाशवाणी में हिन्दी कार्यक्रम	५०३–०४
३३१	सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड	५०४–०५
३३२	मैसूर और कश्मीर राज्यों में रेशम कीट पालन उद्योग का विकास	५०५
३३३	मान्यता प्राप्त संघों से सदस्यता शुल्क संग्रह	५०५–०६
३३४	अल्प-आय वर्ग गृह-निर्माण योजना	५०६
३३५	शहतूत के वृक्षों सम्बन्धी अनुसंधान	५०६
३३६	पाकिस्तान द्वारा तेल की खपत पर प्रतिबन्ध	५०६–०७
स्थगन प्रस्ताव		५०७–०९

अध्यक्ष महोदय ने चीनी अधिकारियों द्वारा भारतीय व्यापारियों के साथ कथित भेद-भाव के बर्ताव के बारे में, जिसके फलस्वरूप तिब्बत के साथ भारत का व्यापार घट गया है, एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना सर्वश्री ब्रजराज सिंह और अर्जुनसिंह भदौरिया ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ५१०—११

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, १९४८ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ४ जुलाई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ७६०।

(दो) दिनांक २५ जुलाई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ८५९।

(२) काफ़ी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत काफ़ी नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ९ मई, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५४९ की एक प्रति।

(३) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के वर्ष १९५८-५९ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(४) खान अधिनियम, १९५२ की धारा ५९ की उप-धारा (७) के अन्तर्गत दिनांक २५ जुलाई, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८७३ में प्रकाशित कोयला खान दुर्घटना से बचाव नियम, १९५९ की एक प्रति।

(५) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ४ अप्रैल, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३९३ की एक प्रति।

(६) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ४ जुलाई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ७८१।

(दो) दिनांक २५ जुलाई, १९५९ के जी० एस० आर० संख्या ८७१ और ८७२।

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	५११-१२
श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत और पाकिस्तान के वित्त मंत्रियों के बीच हाल में दिल्ली में हुई वित्तीय वार्ता के परिणाम की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाया ।	
वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।	
विधेयक पुरस्थापित	५१२-१३
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक (संशोधन) विधेयक, १९५९ ।	
विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा गया	५१३–४७
दहेज निषेध विधेयक, १९५८ को एक संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई, और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।	
भारत के जीवन बीमा निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	५४७–६५
श्री राम कृष्ण गुप्त ने प्रस्ताव किया कि यह सभा भारत के जीवन बीमा निगम के १ सितम्बर, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक की अवधि के प्रतिवेदन पर, जो १३ मार्च, १९५९ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है । कुछ चर्चा के बाद श्री राम कृष्ण गुप्त ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।	
शुक्रवार, ७ अगस्त, १९५९/१६ श्रावण, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि	
सार्वजनिक वक्फ (अवधि का विस्तार) विधेयक पर विचार करना तथा उसे पारित करना; लोक-सभा द्वारा ११-२-५९ को पारित फार्मेसी (संशोधन) विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार और गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर भी विचार ।	